अपनों का बहुत लगता है

शादी में बराबरी की बहस के संदर्भ में क्वीयर व ट्रांस लोगों के जीवन में होने वाली पारिवारिक हिंसा को केंद्रित करते हुए

आयोजक: पीपल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ और
नॅशनल नेटवर्क ऑफ़ एल बी आइ विमेन एंड ट्रांस पर्सन्ज़

अपनों का बहुत लगता है
(‘आर ओन हर्ट अस द मोस्ट’)

शादी में बराबरी की बहस के संदर्भ में क्वीयर व ट्रांस लोगों के जीवन में होने वाली पारिवारिक हिंसा को केंद्रित करते हुए

प्रकाशन: 17 अप्रैल, 2023

इस रिपोर्ट का मुनाफ़े के लिए उपयोग वर्जित है, व इसके आंशिक या पूर्ण रूप से उद्धरण के लिए मूल रचना का हवाला देना ज़रूरी है। निजी या संस्था-संबंधी तौर पर इसके मुफ़्त वितरण का स्वागत है।

आप हमें यहां संपर्क कर सकते हैं:

Sappho for Equality	sappho1999@gmail.com
Nazariya	info@nazariyaqfrg.org
PUCL	puclnatgensec@gmail.com
SAATHII	lgbtiqa@saathii.org
Hasrat-E-Zindagi Mamuli	hasratezindagimamuli@gmail.com

अपनों का बहुत लगता है
(‘आर ओन हर्ट अस द मोस्ट’)

शादी में बराबरी की बहस के संदर्भ में क्वीयर व ट्रांस लोगों के जीवन में होने वाली पारिवारिक हिंसा को केंद्रित करते हुए

1 अप्रैल 2023 को बंद दरवाज़े की जन सुनवाई
के जांच-परिणामों पर आधारित एक रिपोर्ट

आयोजक: पीपल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ और
नॅशनल नेटवर्क ऑफ़ एल बी आइ विमेन एंड ट्रांस पर्सन्ज़

17 अप्रैल, 2023

अपनों का बहुत लगता है

विषय-सूची

आयोजकों की ओर से 10

निर्धारित परिवारों द्वारा हिंसा 15

पैनल 16

गवाह और सुनवाई 17

आयोजक 19

गवाही देने वालों की जनसांख्यिकी 20

मूल स्थान 23

मूल स्थान 23

उम्र 23

(निर्धारित) धर्म 24

जाति 25

रिपोर्ट 26

हिंसा का स्वरूप 32

शारीरिक हिंसा 35

जीते-जी ख़तरे और मार डालने की धमकियां 41

यौन हिंसा 43

जबरन शादी 47

अगवा करना, अपहरण, घर में नज़रबंद रखना और अन्य अवैध क़िस्म के कारावास 52

घर से रिश्ता कट जाना 56

शिक्षा पर रोक व अन्य अभावों से घिर जाना 59

मानसिक और भावनात्मक स्तर पर उत्पीड़न 64

मानसिक स्वास्थ्य पर असर 69

पुलिस और उसकी अनेक विफ़लताएं 77

अदालतों में उम्मीद और निराशा का सिलसिला 84

देखभाल-हेतु संस्थानों के दिए गए सदमे 86
शिक्षा संस्थान 91
धमकी व नियंत्रण की जारी प्रक्रिया 93

ज़िंदा रहना 96

समझौतों का चलता सिलसिला 99
जबरन पलायन 102
औपचारिक सिस्टम से परे सहारे के ढांचे 106
ख़ुद अपने लिए जगह बनाना 110

पैदाइशी या निर्धारित परिवार द्वारा हिंसा : एक छूटा हुआ संदर्भ? 114

परिचय: जेन्डर-सेक्शुएलिटी पर आधारित हिंसा पर हो रहे काम के संदर्भ व कमियां 117
परिवारों में क्वीयर/ ट्रांस व्यक्तियों पर हिंसा की विशेषताएं 118
बेटा-वरीयता, सामाजीकरण, अपनी पहचान को ज़ाहिर करना या न करना, घर छोड़ना 120
परिवारों व अन्य संस्थाओं के भीतर युवा क्वीयर/ ट्रांस लोगों की सेक्शुएलिटी पर कड़ी निगरानी और दबाकर रखना 122
ज़िंदा रहना, जीना, फलना-फूलना 125
एन्डोगमी (अंतर्विवाह) की शर्त, समुदाय की रचना से इनकार 125
निष्कर्ष 128

क़ानून और नीतियों से जुड़े सुझाव 132

सम्पूर्ण नागरिकता का दावा 136
परिवार की नई परिभाषा 136
निर्धारित परिवार से अलग होने का हक़ 138
विरासत और संपत्ति के अधिकारों को तय करने का हक़ 139
शादी करने का अधिकार 140
विशेष विवाह अधिनियम (स्पेशल मैरिज एक्ट) 1954 140

बच्चे के लिए हिंसा-मुक्त घर का हक़ 141
वयस्क होने पर बच्चों के हक़ 143
राजकीय संस्थाओं से सुरक्षा की मांग करने का हक़ 144
आश्रय का अधिकार - किराये के घर और सुरक्षित निवास 145
उचित स्वास्थ्य देखभाल का हक़ 146
सामाजिक सुरक्षा-संबंधी हक़ 147
अपने ज़रूरी दस्तावेज़ों की प्राप्ति का हक़ 148
हितधारकों की संवेदनशीलता-प्रशिक्षण के ज़रिए सक्षमकारी माहौल तैयार करना 149

हमारे पैनलिस्ट 150

सेवानिवृत्त आदरणीय जस्टिस प्रभा श्रीदेवन, चेन्नई 153
आसिफ़ इकबाल, सह-संस्थापक, धनक, दिल्ली 153
दिव्या तनेजा, क्षेत्रीय संयोजक, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सेल, मुंबई
कविता कृष्णन, नारीवादी कार्यकर्ता, दिल्ली 154
मंजुला प्रदीप, जाति-विरोधी नारीवादी कार्यकर्ता, अहमदाबाद 154
मिहिर देसाई, वरिष्ठ वकील, मुंबई 154
परोमिता चक्रवर्ती, नारीवादी शोधक, कोलकाता 155
वीणा गौड़ा, नारीवादी वकील, मुंबई 155

प्रस्तावित शब्दावली 156

उल्लेख/ रेफेरेंस 168

Suicide bid
Lesbian tries to kill self
রূপান্তরকামী সমাজকর্মী সঙ্গীতার দেহ উদ্ধার, তদন্ত
হোটেলে উদ্ধার বেহুঁশ দুই তরুণী
Lesbian attempt

आयोजकों की ओर से

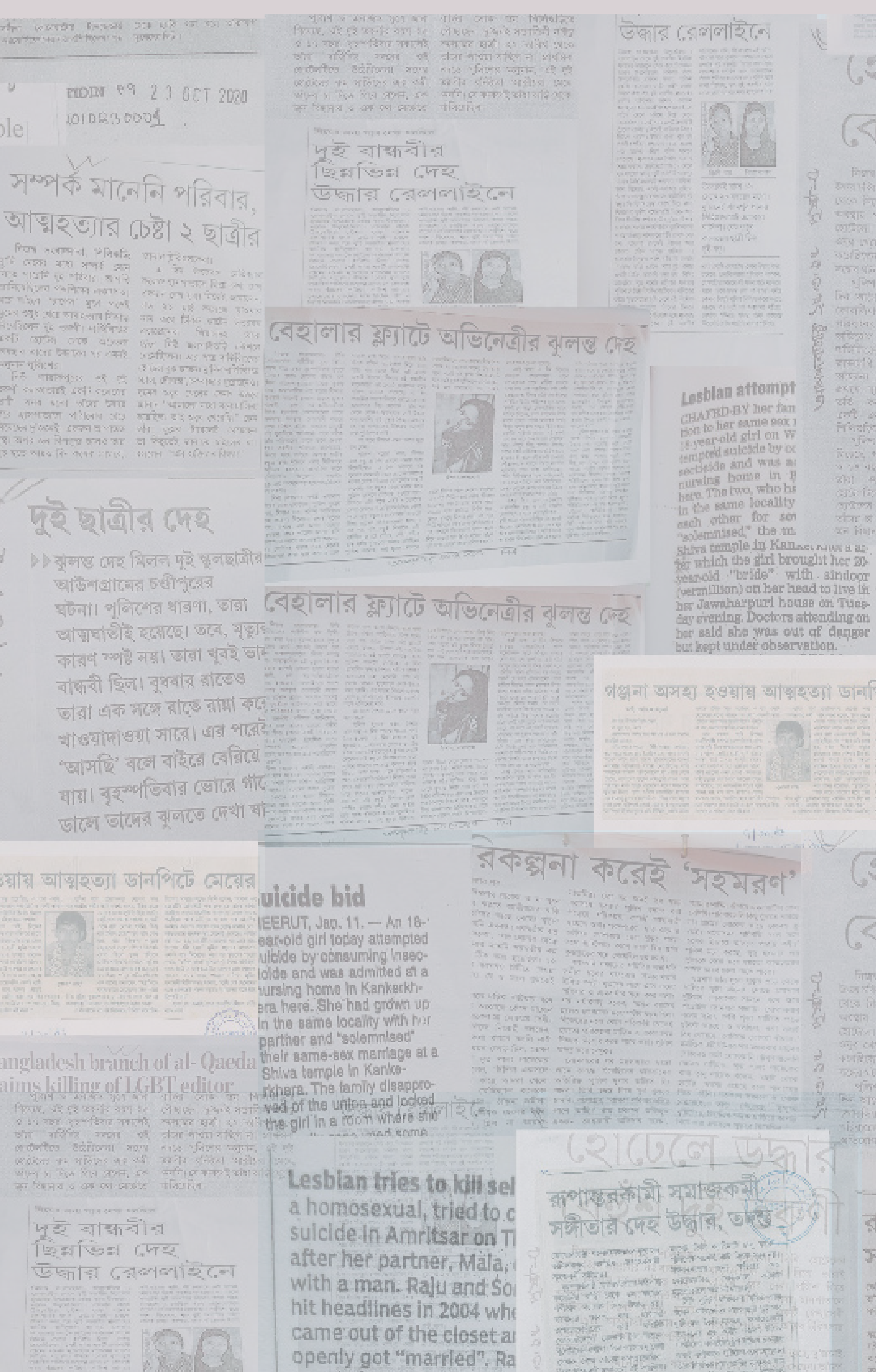

সম্পর্ক মানেনি পরিবার, আত্মহত্যার চেষ্টা ২ ছাত্রীর
দুই বান্ধবীর ছিন্নভিন্ন দেহ উদ্ধার রেললাইনে
উদ্ধার রেললাইনে
বেহালার ফ্ল্যাটে অভিনেত্রীর ঝুলন্ত দেহ
দুই ছাত্রীর দেহ
ঝুলন্ত দেহ মিলল দুই স্কুলছাত্রীর আউশগ্রামের চণ্ডীপুরের ঘটনা। পুলিশের ধারণা, তারা আত্মঘাতীই হয়েছে। তবে, মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট নয়। তারা খুবই ভাল বান্ধবী ছিল। বুধবার রাতেও তারা এক সঙ্গে রাতে রান্না করে খাওয়াদাওয়া সারে। এর পরেই 'আসছি' বলে বাইরে বেরিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার ভোরে গাছের ডালে তাদের ঝুলতে দেখা যায়
Lesbian attempt
CHAFED BY her fam... tion to her same sex ... year-old girl on W... tempted suicide by co... secticide and was ad... nursing home in K... here. The two, who ha... in the same locality ... each other for sev... "solemnised," the un... Shiva temple in Kan... for which the girl brought her 20-year-old "bride" with sindoor (vermillion) on her head to live in her Jawaharpuri house on Tuesday evening. Doctors attending on her said she was out of danger but kept under observation.
গঞ্জনা অসহ্য হওয়ায় আত্মহত্যা ডানপিটে মেয়ের
রিকল্পনা করেই 'সহমরণ'
uicide bid
MEERUT, Jan. 11. — An 18-year-old girl today attempted suicide by consuming insecticide and was admitted at a nursing home in Kankerkhera here. She had grown up in the same locality with her partner and "solemnised" their same-sex marriage at a Shiva temple in Kankerkhera. The family disapproved of the union and locked the girl in a room where she
angladesh branch of al- Qaeda
aims killing of LGBT editor
Lesbian tries to kill sel
a homosexual, tried to c
suicide in Amritsar on T
after her partner, Mala,
with a man. Raju and So
hit headlines in 2004 whe
came out of the closet ar
openly got "married". Ra
রূপান্তরকামী সমাজকর্মী সঙ্গীতার দেহ উদ্ধার, তদন্ত

यह रिपोर्ट ऐसे वक़्त आपके पास आ रही है जब शादी में बराबरी का हक़ मांगने वाली तक़रीबन बीस याचिकाओं के ज़रिए कुछ ख़ास सवाल सुप्रीम कोर्ट में पूछे जा रहे हैं – जैसे, परिवार किसे कहा जा सकता है, और क्या इस देश के वयस्क नागरिकों को ख़ुद के परिवार बनाने व आत्मीय रिश्ते तय करने का अधिकार है? समाज और क़ानून की नज़र में परिवार रचने के अब तक मान्य तरीक़े केवल जन्म (व गोद लेने) और शादी पर निर्भर रहे हैं। और अब तक शादी का हक़ केवल विषमलैंगिक जोड़ों तक सीमित रहा है। शादी में बराबरी से संबंधित याचिकाओं के जवाब में केंद्रीय सरकार ने 13 मार्च, 2023 को कहा, "जैविक तौर पर आदमी और जैविक तौर पर औरत के बीच शादी की वैधानिक पहचान के अलावा, शादी अनिवार्य रूप से पारम्परिक प्रथाओं, रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक माहौल और सामाजिक मूल्यों पर निर्भर है" और आगे यह भी टिपण्णी की, "इसे एक धर्मविधि, एक पवित्र बंधन और एक संस्कार माना जाता है." (बालाजी, 17 अप्रैल 2023 , द टेलिग्राफ़) इसी बयान में सोलिसिटर जेनरल ने सुझाते हैं कि 2018 के बाद से क्वीयर और ट्रांस समुदायों को कलंकित किया जाना ख़त्म हो चुका है।

जैसा कि उन याचिकाओं से ज़ाहिर है जो शादी में बराबरी के ख़िलाफ़ हैं, न सिर्फ़ कई धार्मिक संसथान व प्रमुख केंद्रीय सरकार के नज़रिए से इत्तेफ़ाक़ रखते हैं (द टेलिग्राफ़, 17 अप्रैल 2023), बल्कि अनेक दक्षिणपंथी संगठनों ने भी खुलकर इस अधिकार की मांग के ख़िलाफ़ बोला है (यादव, जे.पी. 15 अप्रैल 2023)। इनका विरोध क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, यही संगठन, और कई राज्यों की सरकारें भी, बड़ी मशक़्क़त से अंतरधर्म विवाहों को रोकने पर तुले हुए हैं, या तो ख़ास क़ानून बनाकर या फिर ग़ैर-क़ानूनी तरीक़ों से। महाराष्ट्र को ही लें – हाल में राज्य सरकार द्वारा एक ओर 'इंटर फ़ेथ मैरिज फ़ैमिली कोऑर्डिनेशन कमिटी (स्टेट लेवल)' के नाम से एक पैनल का गठन (एम्.इस. ईशानप्रिय, 29 दिसंबर 2022, इंडियन एक्प्रेस) तो दूसरी तरफ़ "लव-जिहाद" के ख़िलाफ़ आयोजित रैलियां (बोस, शेख़ और देशपांडे, 30 मार्च 2023, इंडियन एक्प्रेस) साफ़ दर्शाते हैं कि देश-भर में क्या चल रहा है। साथ ही, अंतरजातीय विवाह के संदर्भ में भी विरोध और हिंसा बढ़ते जा रहे हैं, और इन मामलों में अक्सर "संस्कार" का हवाला दिया जाता है। विशेष समुदायों और जातियों पर आक्रमण के अलावा, ये "संस्कारी" पक्ष दो बातें चाहता है – एक, लोगों के हक़ों को और उनकी अपनी पसंद या इच्छाओं को लगातार कम आंकना, ख़ासकर युवाओं के, तब भी जब वे वयस्क हों; और दूसरी, उनपर उनके मां-बाप के या अभिभावकों के अधिकार व नियंत्रण को और सशक्त करना। इस कड़े नियंत्रण के चलते, संस्कारी पक्ष बच्चा करने-पालने का हक़ भी सिस-हेट्रोसेक्शुअल जोड़ों तक ही सीमित रखना चाहता है।

इस रिपोर्ट का लिखना जारी ही था, कि पहले तो ख़बर मिली DCPCR ने शादी में बराबरी व गोद लेने के हक़ के समर्थन में याचिका दर्ज की है (आउटलुक, 6 अप्रैल 2023) (द न्यूज़ मिनिट, 10 अप्रैल 2023) और फिर ख़बर आई कि NCPCR ने तुरंत ही एल जी बी टी क्यू आइ ए व्यक्तियों के गोद लेने के हक़ के ख़िलाफ़ अपनी याचिका डाल दी है। (रॉय, एशा. 14 अप्रैल 2023, इंडियन एक्सप्रेस)

मां-बाप, परिवार और इनसे जुड़े समुदायों का कड़ा नियंत्रण क्वीयर और ट्रांस लोगों की ज़िन्दगी में ख़ास तौर पे ज़ाहिर होता है। वही परिवार, जिन्हें हम परवरिश और समर्थन प्रदान करने वाली जगहें मानते हैं, अपनी ही औलाद के ख़िलाफ़ हो जाते हैं (अक्सर छुटपन में ही), उन्हें देखभाल के बजाय तिरस्कार और हिंसा परोसते हैं, और उनके अपने व्यक्तित्व या इज़्ज़त की क़द्र किए बिना उन्हें समाज के तय मानकों में जबरन रूप से घुसाने-बिठाने पर आमादा हो जाते हैं। लांछन और अत्याचार उन परिवारों के दो ऐसे पुराने चेहरे हैं जिनमें हम जन्म लेने (या गोद लिए जाने) के फलस्वरूप बड़े होते हैं।

यानी यह एक ऐसा पल है जो सिर्फ़ शादी के ही नहीं, परिवारों के बारे में है। भले ही क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों के लिए शादी में बराबरी के हक़ की मांग केंद्रित की गई हो, निर्धारित परिवारों को मिली हुई मान्यता पर उतने ही अहम सवाल उठाए जा रहे हैं। बिना इसपर तवज्जो दिए कि निर्धारित परिवार अपनी क्वीअर व ट्रांस औलाद के साथ किस-किस तरह से पेश आते हैं, ख़ुद की चयन-पसंद से बनने वाले परिवारों और रिश्तों की बात कर पाना नामुमकिन है।

इन्हीं सब चिंताओं की तात्कालिकता के चलते पीपुल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ और नॅशनल नेटवर्क ऑफ़ एल बी आइ वीमेन एंड ट्रांस पर्सन्ज़ ने शादी में बराबरी की बहस के संदर्भ में क्वीयर व ट्रांस लोगों के जीवन में होने वाली पारिवारिक हिंसा को केंद्रित करते हुए, एक बंद दरवाज़े की जन सुनवाई का आयोजन किया। 1 अप्रैल 2023 के दिन हुई इस सुनवाई के दौरान 31 क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों ने गवाही के तौर पर अपनी-अपनी आप-बीती पेश की, जज, वकीलों, विद्याविदों और कार्यकर्ताओं के वरिष्ठ पैनल के सामने। इस पूरी पेशकश में निर्धारित अथवा पैदाइशी परिवारों के साथ रिश्तों पर ज़ोर था, और उन संघर्षों पर जो गवाही देने वालों को अपनी ज़िंदगियाँ जी पाने के लिए करने पड़े थे।

हमारे लिए यह जन सुनवाई उन क्वीयर और ट्रांस लोगों की आवाज़ों को सामने लाने का एक माध्यम था जो अपने निर्धारित परिवारों से बेहद हिंसा झेलते हैं। क्वीयर और ट्रांस ज़िन्दगियों की असुरक्षित-अनिश्चित अवस्था बहुतों को मीडिया से सीधा संपर्क बना पाने से रोकती है। एक वरिष्ठ पैनल के सामने (हालांकि सुरक्षा और गोपनीयता की वजह से बंद दरवाज़े के पीछे) हुई जन सुनवाई इनकी आवाज़ों और मुद्दों को जनता तक पहुँचाने का साधन था। सार्वजनिक सुनवाई की पहुँच ज़्यादा विस्तृत होती, यह जानते हुए भी हमने बंद दरवाज़े वाली सुनवाई का रास्ता अपनाया क्योंकि हम चाहते थे कि हम कई दरकिनार जगहों-स्थितियों से भागीदारों को शामिल कर पाएं, जिनकी कहानियों को रोशनी में लाना ज़रूरी था लेकिन जो पूरी तरह से खुली सुनवाई में आने से कतराते।

ये आवाज़ें, ये मुद्दे व चिंताएं, बड़ा महत्त्व रखती हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ़ क्वीयर व ट्रांस व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में हो रही बातचीत में इनपर ग़ौर किया जाएगा बल्कि शादी में बराबरी के सन्दर्भ में उठने वाले मुद्दों में भी इन्हें शामिल किया जाएगा।

निर्धारित परिवारों द्वारा हिंसा

एल बी आई औरतों व ट्रांस लोगों क साथ काम करते हुए, हम उन पर होने वाली गहरी और निरंतर हिंसा के अनुभवों से अच्छी तरह वाक़िफ़ हो चुके हैं, अपने काम के ज़रिए, उन नेटवर्कों के माध्यम से जो क्वीयर और ट्रांस लोग अपने जीवन में स्थापित करते हैं, और ख़ुद अपने तजुर्बों से भी। 1980 के दशक के अंत से मीडिया में इस तरह के क़िस्से लगातार रिपोर्ट होते आ रहे हैं जिनमें दो "औरतें" एक साथ मर गईं, जिसे ऐसे दो लोगों की आत्महत्या कही गई जो "सहेलियाँ" थीं या फिर "एक-दूसरे के "अस्वाभाविक रूप से क़रीब"। इस तरह की ख़बरें भी आम रही हैं कि दो (क्वीयर/ ट्रांस) व्यक्ति हिंसक परिवारों को छोड़कर या जबरन शादी से बचने के लिए या फिर कुछ और परिस्थितियों की वजह से इकट्ठे भाग गए, ताकि वे एक-दूसरे के संग ज़िंदगी गुज़ार सकें। इन क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों ने अक्सर पुलिस, अदालत, मैजिस्ट्रेट, यहाँ तक की मीडिया से भी मदद मांगी है। कई बार वे किसी ऐसी संस्था तक पहुँच पाए हैं जो क्वीयर और ट्रांस अथवा अन्य मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर काम करती हो, और कभी-कभी ऐसी संस्थाओं को मीडिया से ही इन मामलों के बारे में पता चला है।

शारीरिक, मानसिक, और भावनाओं के स्तर पे निर्धारित परिवार द्वारा की गई हिंसा के तजुर्बे कई किस्म के होते हैं – क़ैद में रखना, भूखे रखना, अपनी ही औलाद का और कभी-कभी उनके पार्टनरों का भी यौन उत्पीड़न करना; नीम-हक़ीम या अन्य तथाकथित चिकित्सकों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा ज़बरदस्ती "इलाज" करवाना; शहरों और राज्यों के आर-पार पुलिस की सहायता से पीछा करते हुए सताने में कोई कसर न छोड़ना; स्थानांतरण और दूरी के बावजूद हिंसा और धमकियों का सिलसिला जारी रखना; और अपनी क्वीयर/ ट्रांस औलाद की जान लेने की कोशिश करना या उन्हें ख़ुद अपनी जान लेने पर मजबूर करना – ये हमारी ज़िन्दगियों में, हमारे काम में, लगातार देखने को मिला है। और साथ ही ऐसे अनुभव भी आम रहे हैं कि परिवार-समुदाय के अलावा जो संसथान हैं, किस आसानी से मां-बाप जैसी भूमिका अपना लेते हैं ताकि वो भी बालिग़ों को अपने नज़रिए से मान्य-अमान्य चालचलन का पाठ पढ़ा सकें। क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों व संस्थाओं ने अदालतों व और जगहों में लम्बी और मुश्किल लड़ाइयाँ लड़ीं हैं ताकि उन्हें अपने वो हक़ मिल सकें जिनका आश्वासन उन्हें संविधान और क़ानूनी ढांचों के तहत मिला है।

इन अनुभवों और इनसे जुड़े काम का अलग-अलग तरह से लेखा-जोखा रखा जाता रहा है, और मीडिया की बढ़ती दिलचस्पी व सोशल मीडिया के कारण काफ़ी बातें आम लोगों की नज़र में भी आती रही हैं। बावजूद इसके, हम क्वीयर व ट्रांस वाव्यक्तियों के हक़ों के संदर्भ में पारिवारिक हिंसा के मुद्दे को उस तरह केंद्र में नहीं ला पाए हैं जिस तरह सार्वजनिक स्तरों या जगहों पर होने वाली हिंसा को। यह क्षण है निर्धारित परिवार के उस निजी-घरेलू और "अतिपवित्र" स्थान पर सवाल उठाने का, क्योंकि तभी हम सब जान सकेंगे कि हम सभी के लिए अहमियत रखने वाले वो मुद्दे कौनसे हैं – कि कौन परिवार का सदस्य है या बन सकता है, सदस्यों के क्या-क्या अधिकार व ज़िम्मेदारियाँ हैं, और निर्धारित परिवारों का हिंसक बर्ताव झेलने वाले क्वीयर और ट्रांस लोगों के लिए किस तरह की ऑटोनमी यानी स्वायत्तता संभव है? तो पी यू सी एल और नेटवर्क की हैसियत से हमें लगा कि यह सही वक़्त होगा, इन मुद्दों को सुसंगत तरीक़े से उठाने का, जब क्वीयर और ट्रांस हक़ों की बात फिर उभर कर आई है। इसीलिए हमने एक पैनल के सामने सुनवाई के आयोजन का फ़ैसला लिया, और इसकी कार्यवाही की रिपोर्ट आम की।

पैनल

आठ विशेषज्ञों ने पैनल में भाग लिया, जिनमें से सात लोगों ने पूरे दिन गवाहों के सामने बैठ उन्हें सुना, और एक पैनलिस्ट ऑनलाइन माध्यम से मौजूद रहीं। फिर 3 अप्रैल 2023 के दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलन में पाँच पैनलिस्ट और दो आयोजकों ने जन सुनवाई के कुछ प्रारंभिक जाँच-परिणाम पेश किए।

पैनल के सदस्यों का चयन अपने-अपने कार्यक्षेत्र में तजुर्बे, और दरकिनार लोगों के अधिकारों के लिए काम करने की प्रतिबद्धता के आधार पर किया गया – और यूं इकट्ठे आकर उनकी राजनीतिक सोच, काम और अनुभव से जो साझी समझ बनी वह विविध दायरों और इंटरसेक्शनॅलिटी यानी अंतरअनुभागीयता के बिंदुओं से लैस थी। ऐसा नहीं था कि इनमें से कोई भी पैनलिस्ट सीधे तौर पर क्वीयर और ट्रांस कार्यकर्ता रह चुके हों, हालांकि क्वीयर और ट्रांस संघर्षों के साथ वे अक्सर खुलकर खड़े रह चुके थे। यह आयोजकों का एक समझा-बूझा निर्णय तो था, लेकिन कोई पत्थर की लकीर भी नहीं खींची गई थी।

माननीय रिटायर्ड न्यायमूर्ति प्रभा श्रीदेवन हमारे साथ मौजूद थीं, जिनके पास न केवल न्यायिक कार्य का एक प्रभावशाली निकाय है, बल्कि वे एक लेखक और अनुवादक भी हैं। जस्टिस श्रीदेवन की प्रतिक्रियाएँ जितनी पैनी थीं, उतनी ही उनमें सहानुभूति का बोध था, और जब दिन के अंत में उन्होंने हम सबको संबोधित किया, कमरे में मौजूद हर शख़्स को, चाहे वह आयोजक हो या गवाह, प्रत्येक को बंधा हुआ और समर्थित महसूस कराया। मिहिर देसाई मुंबई के उच्च न्यायालय में सीनियर काउंसल होने के साथ-साथ मानवाधिकारों से जुड़े मामलों के जाने-माने वकील हैं, और वीना गौड़ा मुंबई के उच्च न्यायालय व अन्य अदालतों में औरतों के हक़ों के मामलों पर काम करने वाली वकील हैं। हमारे उन सुझावों-उपचारों तक पहुंच पाने में, जो हमें अपनी शर्तों पर अपनी ज़िन्दगियाँ जीने में मदद कर सकें, इन दोनों वकीलों के मिले-जुले अनुभव बेहद कारगर रहे – ख़ास करके सांप्रदायिक, यौन-संबंधी, घरेलू, हिरासत-सम्बन्धी या अन्य प्रकार की हिंसा के मामलों में क़ानूनी सहारा मुहैया कराने के उनके तजुर्बे, और दरकिनार समुदायों के अधिकारों से जुड़ा उनका काम। जादवपुर युनिवर्सिटी की माननीय प्रोफ़ेसर

पारोमीता चक्रवर्ती ने जेन्डर प्रतिरूपण, सेक्शुएलिटी, एकल औरतें और बेघर अवस्था पर व बहुत-से अन्य विषयों पर राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रकल्पों पर काम किया है और लम्बे अरसे से कोलकाता शहर में होने वाले नारीवादी और क्वीयर मुहिमों की समर्थक रही हैं। दिल्ली-स्थित कविता कृष्णन मार्क्सवादी नारीवाद और नागरिक अधिकारों से जुडी प्रसिद्ध कार्यकर्ता हैं, जो औरतों के ख़िलाफ़ की जाने वाली हिंसा और इसे क़ायम रखने वाले दण्ड-मुक्त सामाजिक और राजनितिक ढांचों की खुली आलोचक रही हैं। मंजुला प्रदीप, डायरेक्टर ऑफ़ कैंपेन्स, दलित मानवाधिकार रक्षक नेटवर्क (DHRDNet) और नॅशनल काउन्सिल ऑफ़ विमन लीडर्स (NCWL) की राष्ट्रिय संयोजक, 1992 से कार्यकर्ता रही हैं, विशेष रूप से जातिवाद-विरोधी नारीवादी कार्यकर्ता। इन तीनों अकादमी से जुड़े कार्यकताओं का काम उतना ही विविध है जितना पारस्परिक – तीनों ने अपने-अपने तरीक़ों से इसकी तह तक पहुँचने की कोशिश की है कि कैसे इस देश के सत्ताधारी ढांचे जाति, जेन्डर व सेक्शुएलिटी को एक साथ लाकर तोड़ते-मरोड़ते हैं।

दिव्या तनेजा, जो स्पेशल सेल फ़ॉर विमन एंड चिल्ड्रन, महाराष्ट्र की क्षेत्रीय समन्वयक हैं, संकटग्रस्त क्वीयर और ट्रांस लोगों की सबसे महत्वपूर्ण सहायकों में से एक रही हैं, न सिर्फ़ मुंबई में बल्कि उन सभी शहरों में जहाँ स्पेशल सेल मौजूद है। क्वीयर और ट्रांस ज़िन्दगियों को लेकर उनकी समझ की सौम्यता ने, और निर्धारित परिवारों के प्रति उनकी दृढ़ता ने बहुत से लोगों की ज़िन्दगी को मुहाल से मुमकिन बनाई है। इसी तरह आसिफ़

इक़बाल धनक नामक ऐसी संस्था के सह-संस्थापक हैं जो उन चुनौतियों और विविध मुद्दों पर काम करती है जिनका सामना उन सभी दम्पतियों को करना पडता है जिनके रिश्ते अंतर्धार्मिक होते हैं या अंतर्जातीय, या जो एल जी बी टी क्यू आई ए पहचान रखते हैं, या बस अपनी स्वायत्तता पर ज़ोर देते हैं – इन्होंने 5000 से अधिक व्यक्तियों को सहारा दिया है और लगातार देते आ रहे है। ये दोनों पैनलिस्ट हिंसा के वैयक्तिक मामलों पर निर्धारित परिवारों और अन्य एजेंसियों के साथ काम करने का अपना ख़ास तजुर्बा लेकर आए।

इन आठ पैनलिस्टों का मिला-जुला अनुभव और उनकी समझ इस रिपोर्ट को अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचाने में अनमोल साबित हुए। रिपोर्ट का उद्देश्य है क्वीयर और ट्रांस लोगों के बयानों को सुनने के बाद पैनलिस्टों की सिफ़ारिशों और विश्लेषणों को सामने लाना। हम सभी पैनलिस्टों के आभारी हैं कि उन्होंने इतने ध्यान और संवेदनशीलता से गवाहों को सुना – और अपने विचारों-भावनाओं को खुलकर साझा करते हुए अपनी तीक्ष्णता और राजनीति सोच से हमारी अपनी सोच को और मज़बूत बनाने में मदद की।

गवाह और सुनवाई

देश के अलग-अलग हिस्सों से आए 31 क्वीयर और ट्रांस लोगों ने पैनल के सामने अपनी गवाहियां पेश कीं। इनमें से 28 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे, दो ने अपनी कहानी लिखित रूप में भेजी और एक की आयोजकों में से एक के साथ बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की गई। इसके अलावा, हमने जिन लोगों को खोया है उनकी तीन कहानियां उन संगठनों द्वारा प्रस्तुत की गईं जिन्होंने संकट के समय उन व्यक्तियों की मदद करने की कोशिश की थी: इनमें से एक व्यक्ति (एक ट्रांस पुरुष) की मौत हो गई थी; दो अपने निर्धारित परिवारों के दबावों के शिकार हो गए थे – एक, लेस्बियन सिस औरत के मामले में पुलिस, और दूसरे, गे सिस पुरुष के मामले में एक अदालत के हस्तक्षेप की बदौलत। भाग लेने वाले लोगों में से, 6 जोड़े थे जिन्होंने अपनी कहानियों को एक साथ प्रस्तुत किया, और अन्य 16 लोगों ने व्यक्तिगत रूप से गवाही दी। इन सभी ने अपनी निजी यात्राओं के बारे में बताया; इसके अलावा 3 लोगों ने अपने-अपने दूरदराज़ के इलाकों में क्वीयर और ट्रांस समुदायों के साथ अपने काम के संदर्भ में बात रखी। प्रत्येक व्यक्ता ने 10 से 20 मिनट तक बात की।

व्यक्ता अपनी गवाही को जिस भी भाषा में सहज महसूस करते थे, उसमें प्रस्तुत कर सकते थे, और जब भाषा हिंदी या अंग्रेज़ी नहीं थी, मदद करने के लिए अनुवादक उपलब्ध थे। अनुवादकों ने प्रस्तुत किए जा रहे बयानों का साथ-साथ अनुवाद किया, प्रस्तुति के दौरान नोट्स लिए, और प्रतिभागियों की सहमति से (सीमित समय के लिए) एकत्र किए गए ऑडियो रिकॉर्डिंग के ट्रांसक्रिप्शन में मदद की। प्रतिभागियों ने कुल मिलाकर छः भाषाओं में बात की - बांग्ला, कन्नडा, तेलुगु, मलयालम, हिंदी और अंग्रेज़ी।

कुछ गवाहों ने ख़ुद नेटवर्क के सदस्यों से संपर्क किया था; अन्य उन संगठनों और व्यक्तियों से जुड़े थे जिनके साथ नेटवर्क संपर्क में रहा है; और कुछ स्वयं नेटवर्क के सदस्य थे। क्षेत्र, जाति, धर्म, जेन्डर पहचान, योग्यता, क्षमता के कई अलग-अलग स्थानों-संदर्भों से बयान सामने आए, साथ ही अंतर्जातीय और अंतर-धार्मिक रिश्तों के भी वर्णन थे।

चूंकि इस सुनवाई के आयोजक समूह और व्यक्ति बड़े पैमाने पर एलबीआई महिलाओं और ट्रांस व्यक्तियों के साथ काम करते हैं, हमारे अधिकांश क्वीयर और ट्रांस गवाह इसी वर्ग से आए। यूं, हालांकि सिस गे पुरुष भी अपने परिवारों के साथ संघर्ष करते हैं, इस सुनवाई में उनका प्रतिनिधित्व नहीं किया गया। इसी तरह, जबकि हम में से कई लोग कई हिजड़ा/अरावणी/किन्नर समुदायों के साथ काम करते हैं और उनके सहयोगी हैं, जो लोग देखभाल और समर्थन के उन नेटवर्क का हिस्सा हैं, वे इस सुनवाई का हिस्सा नहीं थे। यह सुनवाई क्वीयर और ट्रांस लोगों तक सीमित थी जो आयोजकों की पहचान के दायरे में थे, और इस तरह सुनवाई सभी क्वीयर और ट्रांस जी हुई वास्तविकताओं के प्रतिनिधित्व का दावा नहीं करती है।

सभी वक्ताओं-गवाहों को पैनल के, आयोजकों के और अन्य गवाहों के सामने या फिर केवल पैनल के सामने बोलने का विकल्प दिया गया था (वहां मौजूद कुछ व्यक्ति नोट लेने का, या अन्य तकनीकी काम भी संभाल रहे थे)। जहां आठ लोगों ने छोटे समूह के सामने ही अपनी बात रखनी चाही, अधिकांश गवाहों ने उपस्थित सभी व्यक्तियों के सामने बात करने का विकल्प चुनते हुए एक तरह से अपने साथियों से ही बात की – जिनको एहसास होता रहा जैसे उनकी अपनी ज़िन्दगियों के बारे में बात की जा रही हो। यह उस दर्द, हिंसा, वेदना के बारे में बोलने का दिन था जो हम अपने सबसे क़रीबी लोगों से पाते हैं, और जो अपनी क्रूरता और आघात के ज़रिए हमें धोखा दिए जाने, भय और लाचारी की भावनाएं महसूस करवाते हैं। यह ललकारने व सामना करने का दिन भी था। यह एक-दूसरे को थामने और थामे जाने का भी दिन था, कभी कंधे पर हाथ रखकर, या पानी का गिलास बढ़ाकर, गले लगाकर, एक नज़र देखकर, सहज तालियां बजाकर और संग आंसू बहाकर। यह ऐसा दिन था जहां हरेक आप-बीती अपनी व्यक्तिगत सच्चाई के अनुसार जी पाने के लिए सक्षम होने के दृढ़ संकल्प को रेखांकित कर रही थी। यह प्यार, सौहार्द और समर्थन की बातें करने का भी दिन था, जिनसे महत्वपूर्ण क्षणों में बेहद फ़र्क़ पड़ता है।

आयोजकों के रूप में, हम एक बार फिर प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने उस दिन बात की, या किसी अन्य रूप में अपने जीवन को साझा किया। गवाही देने वाले सभी व्यक्ति ऐसे थे जो आयोजकों में से किसी के संपर्क में थे और जिन्होंने न सिर्फ़ सहमति दी, कईयों ने बल्कि ज़ोर देकर कहा कि जिन हालात से वे गुज़रे हैं और अब भी गुज़र रहे हैं उनके बारे में वे अवश्य बोलना चाहेंगे। उनकी गवाहियां जीवन-कथाएँ नहीं थीं, बल्कि उन चिंताओं को उजागर करने के लिए चुने गए क़िस्से या हादसे थे जिनके बारे में उन्हें लगा कि उनका सुना जाना और लोगों के ज्ञान में लाना ज़रूरी है। सही अर्थों में यह सुनवाई उनकी (और हमारी) चिंताओं को और ज़िन्दगियों को जनता के सामने लाने का एक माध्यम थी। पैनल ने एक बड़ी जनता के लिए वाहक होने में मध्यस्थ और उद्घोषक, दोनों की भूमिकाएं निभायीं। यह रिपोर्ट इस सुनवाई को यथासंभव सार्वजनिक बनाने की एक कोशिश है, जिसे हम अनेक तरीक़ों से जारी रखेंगे।

आयोजक

एक नागरिक स्वतंत्रता संगठन के रूप में, पीपल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ (पीयूसीएल) अदृश्य किये गए समुदायों के नागरिक अधिकारों के बारे में चिंतित रहा है। पीयूसीएल सामाजिक रीति-रिवाजों और पारंपरिक प्रथाओं के साथ व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रता के आपसी मेल-टकराव की ओर भी हमेशा ध्यान देता रहा है। राज्य और समाज द्वारा हस्तक्षेप के लिए लगातार आग्रह करता आया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकारों की संवैधानिक गारंटी अन्य सभी मुद्दों-चिंताओं से ऊपर हो। व्यक्तिगत रूप से इस कार्य में शामिल रहते हुए, पीयूसीएल के सदस्यों को अनेक बार संगठन की इकाइयों से भी सहयोग मांगना पड़ा है, ताकि अलग-अलग राज्यों में जहां जरूरत हो वहां वे मदद कर सकें। (पीयूसीएल रिपोर्ट, 1 सितंबर 2003)

जून 2008 में बेंगलुरु में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान एलबीआई महिलाओं और ट्रांस व्यक्तियों का अनौपचारिक रूप से एक राष्ट्रीय नेटवर्क बनाया गया था, जिसमें मुंबई, कोलकाता, वडोदरा, त्रिशूर, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद से आए संगठन और व्यक्ति शामिल थे। पिछले कुछ वर्षों में, नए संगठन और व्यक्ति दूसरे शहरों से भी जुड़ते गए हैं। नेटवर्क में शामिल सामुदायिक और नागरिक समाज संगठन हैं: नज़रिया: क्वीर फेमिनिस्ट रिसोर्स ग्रुप (दिल्ली), सैफ़ो फ़ॉर इक्वॉलिटी (कोलकाता), सहयात्रिका (त्रिशूर), ओरिनम (चेन्नई), राही (बेंगलुरु), क्यूटी सेंटर (हैदराबाद), हसरत-ए-ज़िंदगी मामूली (मुंबई), विकल्प महिला समूह (वडोदरा), साथी (अखिल भारतीय) और असंबद्ध व्यक्ति।

नेटवर्क ने समय-समय पर संयुक्त अभियान और सम्मेलन आयोजित किए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में एलबीआई महिलाओं और ट्रांस व्यक्तियों को सहायता प्रदान कर पाने के लिए यह नेटवर्क बहुत उपयोगी रहा है। नेटवर्क के सदस्यों ने अपने संकट हस्तक्षेप कार्य का ब्यौरा तैयार करके, शोध अध्ययन करके और पारिवारिक कानूनों में बदलाव की संभावनाओं पर बातचीत करके पारिवारिक हिंसा के मुद्दे को भी संबोधित किया गया है। इस तरह की नवीनतम चर्चा जून 2022 में कोलकाता में 'क्वीयर ट्रांस* इंटिमेसीज़ एंड कम्युनिटीज़ - एनविज़निंग राइट्स एंड द वेज़ फ़ॉरवर्ड' ('क्वीयर ट्रांस* आत्मीय संबंध व समुदाय – आगे के रास्ते की कल्पना')।

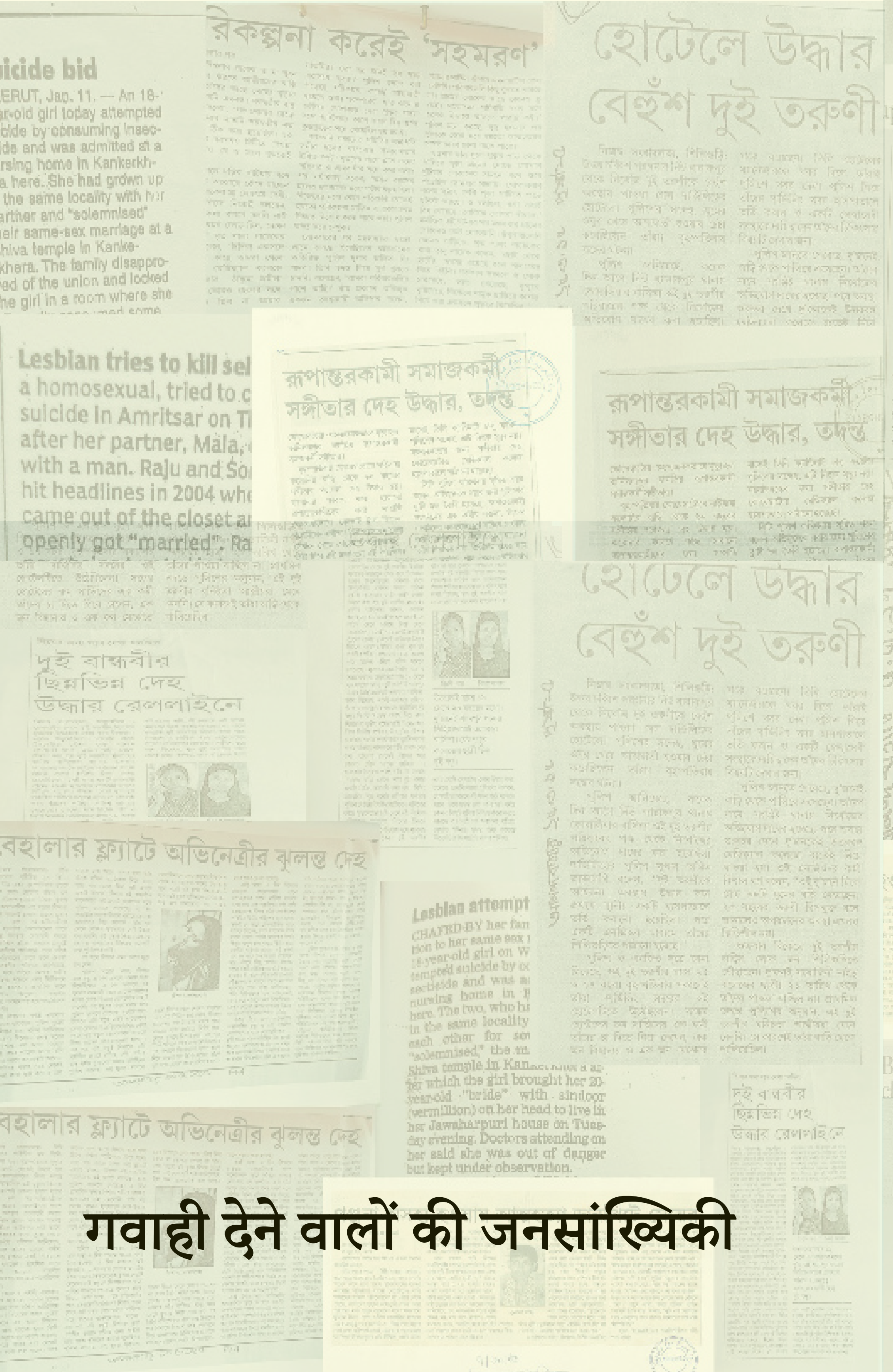

गवाही देने वालों की जनसांख्यिकी

हममें से कोई भी पारिवारिक हिंसा से अनजान नहीं है, चाहे वह पत्नी या बच्चों के ख़िलाफ़ की जाए, या परिवार के क्वीयर-ट्रांस सदस्यों के ख़िलाफ़। लेकिन इसे जान-बूझकर अदृश्य बना दिया गया है, क्योंकि इसे देखने और इसे स्वीकार करने का मतलब होगा "परिवार" की संस्था पर ही सवाल उठाना। गवाहों को सुनते हुए उनके शारीरिक, मानसिक, स्थान-संबंधी, यौन और भावनात्मक अस्तित्व के घोर उल्लंघनों के बारे में सुनकर इनसे नज़र फेरना अमानवीय होता।

क़ानून और समाज दोनों उन परिवारों को ही सबसे सुरक्षित स्थान के रूप में देखते हैं, जो खून के, विवाह के या गोद लेने के द्वारा परिभाषित होते हैं – विभिन्न वैवाहिक क़ानून, परिवार न्यायालय अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम आदि इस बात को साफ़ ज़ाहिर करते हैं। यह देखते हुए कि गवाहों को अपने निर्धारित परिवारों से किस-किस तरह की हिंसा झेलनी पड़ी, अगर उन्हें हिंसा से मुक्त अपना परिवार बनाने-चुनने का अधिकार नहीं मिला तो यह उन्हें जीने के, और सम्मान के साथ जीने के, मूल अधिकारों से वंचित करने जैसा होगा। शादी करने का अधिकार इस नए परिवार को बनाने और फिर से परिभाषित करने का एक तरीक़ा हो सकता है। पैनल की हैसियत से की गई हमारी सिफ़ारिशों में ये सुझाव भी शामिल हैं, स्वास्थ्य-देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और आश्रय-गृह प्रदान करने में अधिक सक्रिय राज्य नीति की मांग के साथ-साथ।

वीना गौड़ा

भाग लेने वाले 31 लोगों में से 28 ज.स.जे.नि (जन्म पे स्त्री जेन्डर निर्धारित) व्यक्ति थे, और 3 ज.पु.जे.नि (जन्म पे पुरुष जेन्डर निर्धारित) व्यक्ति थे। उनकी अपनी जेन्डर पहचान की विस्तृत जानकारी तालिका में दर्ज है।

मूल स्थान

आयोजकों ने देश के विभिन्न भागों से प्रतिभागियों को शामिल करने का प्रयास किया। उनके मूल स्थानों का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार है। कृपया जान लें कि कई प्रतिभागी अब उन स्थानों पर नहीं रहते हैं। उनमें से कई को अपना जीवन अपने तरीक़े से जीने के लिए अपने पैदाइशी या वैवाहिक घरों से भाग जाना पड़ा।

मूल स्थान	प्रतिभागियों की संख्या
उत्तर भारत	10
पूर्वी भारत	7
पश्चिम भारत	5
दक्षिण भारत	8
पूर्वोत्तर भारत	1
कुल	31

गवाही देने वालों की गुमनामी को बेहतर ढंग से बनाए रखने के लिए उपरोक्त तालिका में राज्यों को क्षेत्रों से जोड़ा गया है। इनमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, असम, मणिपुर, ओडिशा और तेलंगाना शामिल हैं।

उम्र

जन सुनवाई में सबसे कम उम्र के प्रतिभागी की उम्र थी 19 वर्ष, और सबसे अधिक उम्र थी 61 वर्ष। सबसे ज़्यादा प्रतिभागियों की उम्र 20 और 30 वर्ष के बीच थी, और बाक़ी सारे 15 और 45 के बीच 5-वर्षीय समूहों का लगभग समान प्रतिनिधित्व था। 3 प्रतिभागी अपनी उम्र का खुलासा नहीं करना चाहते थे।

आयु वर्ग	प्रतिभागियों की संख्या
15-20	3
21-25	8
26-30	9
31-35	2
36-40	2
41-45	3
61-65	1
अज्ञात	3
कुल	31

(निर्धारित) धर्म

कृपया ध्यान रहे कि यहां वर्णित धर्म वह है जिसे उनके पैदाइशी या निर्धारित परिवार मानते हैं (थे)। उस अर्थ में, हम इसे निर्धारित धर्म (जैसे निर्धारित जेन्डर) कहना पसंद करते हैं। उनकी अपनी धार्मिक पहचान अलग हो सकती थी; हम नहीं जानते प्रतिभागी किस धर्म को, या किसी भी धर्म को, मानते हों। एक प्रतिभागी के निर्धारित धर्म की जानकारी हमें नहीं मिली।

निर्धारित धर्म	प्रतिभागियों की संख्या
हिंदू	23
मुस्लिम	5
जैन	1
ईसाई	1
अज्ञात	1
कुल	31

जाति

प्रतिभागी विभिन्न जातियों की पृष्ठभूमि से आए थे। कुछ ने अपनी जाति की जानकारी साझा न करने का फ़ैसला किया, इसलिए हमने उनकी जाति को अज्ञात की श्रेणी में रखा है। जिन 11 लोगों ने अपनी जाति की जानकारी साझा नहीं की, उनमें से 6 हिंदू धर्म की पृष्ठभूमि से थे, 4 मुस्लिम, और 1 के निर्धारित धर्म की हमें जानकारी नहीं।

जाति	**प्रतिभागियों की संख्या**
प्रमुख जाति	7
अनुसूचित जाति	9
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	4
अज्ञात	11
कुल	31

uicide bid
ERUT, Jan. 11. — An 18-year-old girl today attempted suicide by consuming insecticide and was admitted at a nursing home in Kankerkhera here. She had grown up in the same locality with her partner and "solemnised" their same-sex marriage at a Shiva temple in Kankerkhera. The family disapproved of the union and locked the girl in a room where she
রিকল্পনা করেই 'সহমরণ'
হোটেলে উদ্ধার বেহুঁশ দুই তরুণী
Lesbian tries to kill sel
a homosexual, tried to c
suicide in Amritsar on T
after her partner, Mala,
with a man. Raju and So
hit headlines in 2004 whe
came out of the closet a
openly got "married". Ra
রূপান্তরকামী সমাজকর্মী সঙ্গীতার দেহ উদ্ধার, তদন্ত
দুই বান্ধবীর ছিন্নভিন্ন দেহ উদ্ধার রেললাইনে
বেহালার ফ্ল্যাটে অভিনেত্রীর ঝুলন্ত দেহ
Lesbian attempt
Shiva temple in Kan
after which the girl brought her 20-year-old "bride" with sindoor (vermillion) on her head to live in her Jawaharpuri house on Tuesday evening. Doctors attending on her said she was out of danger but kept under observation.
গঞ্জনা অসহ্য হওয়ায় আত্মহত্যা ডানপিটে মেয়ের

रिपोर्ट

देश-भर से आने वाले कवीयर और ट्रांस जनों की गवाही सुनने का मुझे पहली बार मौक़ा मिला। उनकी बातें सुनते हुए, मैं उनके जीवित रहने और अपने अधिकारों की रक्षा करने के दर्द को महसूस कर पा रही थी। इस देश के नागरिक होने के बावजूद उनके लिए आज़ादी से अपनी ज़िन्दगी जी पाना आसान नहीं है। उनके आंसुओं ने मुझे भीतर से द्रवित कर दिया। उन्हें इस समाज में इज़्ज़त व आत्म-सम्मान के साथ जीने का हक़ है। उन्हें अपनी अलग चाहतों-निर्णयों के कारण कम नहीं आंका जा सकता है। किसी भी अन्य इंसान की तरह ही उन्हें भी प्यार, देखभाल और सम्मान की ज़रूरत होती है। उनकी पीड़ा समाप्त होनी चाहिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए क़ानूनी उपाय आवश्यक हैं कि उन्हें विवाह, साथ-संबंध, शिक्षा, रोज़गार, आवास, संपत्ति, और भी सारे अधिकार मिलें। किसी की सेक्शुएलिटी और यौन प्रवृत्तियों के आधार पर उनके बारे में कोई अनुमान बना लेना ग़लत है।

मंजुला प्रदीप

अपनों का बहुत लगता है

हिंसा पर अध्ययन-शोध अलग-अलग संदर्भों में मौजूद हैं, हालांकि इनमें उस विशिष्ट प्रकार की हिंसा को शायद पूरी तरह से नहीं समझा जा रहा है जो क्वीयर और ट्रांस लोगों को निर्धारित परिवारों के हाथों अनुभव करते हैं; ऐसी हिंसा की कहानियां भी होती हैं – जो समय-समय पर मीडिया में दिखाई देती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं। यह रिपोर्ट कुछ अलग करती है: यह इस विश्वास पर आधारित है कि क़ानूनी और नीतिगत स्तरों पर बदलाव लाने की ज़रूरत के लिए केवल आबादी की संख्या-प्रतिशत के ज़रिए तर्क़ नहीं पेश किए जा सकते – और यूं भी, जिस हिंसा को हम देखने-समझने की कोशिश कर रहे है, यह ठीक वही है जो इस तरह के डेटा तक पहुंच पाने की सम्भावना तक में हमारे आड़े आएगी।

यह इस विश्वास पर भी आधारित है कि हम क्वीयर और ट्रांस क़िस्सों-कहानियों के मानो उपभोग वाली संस्कृति में चले गए हैं, और इन विवरणों के भीतर कुछ जाने-माने मिसालों-आकारों की तलाश करने लगते हैं – जैसे पीड़ा तले दबकर आत्महत्या कर लेना, या पीड़ा से उभरकर "सामान्य स्थिति" प्राप्त कर लेना – जो पीड़ा भोगने और उसपर काबू पाने की कहानी को एक ऐसा व्यक्तिगत आयाम देती है कि अक्सर इस बात से हमारा ध्यान भटका दिया जाता है कि इन परिस्थितियों में राज्य की भी कुछ ज़िम्मेदारियां होती हैं। घटनाओं के वर्णन और उनकी व्याख्याएं का जो गहरा प्रभाव गवाहियों के सभी सुनने वालों पर पड़ा, उन्हीं की बुनियाद पर इस रिपोर्ट की रचना करते हुए हमारा प्रयास रहा है कि हम अपने पाठकों के साथ अधिक से अधिक उस अनुभव को साझा कर सकें। तभी जाकर कुछ विशेष बातें स्पष्ट हो पाएंगी, जैसे क्वीयर और ट्रांस लोगों को जिस ख़ास तरह की हिंसा का सामना करना पड़ता है – अन्य क़िस्म की हिंसा के मुक़ाबले में, जो अक्सर उनपर साथ-साथ की जा रहो होती है – उसे क़ानून के और समाज-संस्कृति के ढांचों में कैसे ढाला-समझा जाए, ताकि कुछ ठोस क़ानूनी सुझाव और नीतिगत उपाय बताए जा सकें।

पहला भाग ठोस रूप से पकड़ने का प्रयास करता है कि गवाही देने वालों ने पैनल को हिंसा के उन रूपों के बारे में क्या-क्या समझाना-बताना आवश्यक माना, जिनका सामना वे करते आए थे। यह हिंसा की एक सूची नहीं है, बल्कि प्रत्येक गवाही की मूल बातों पर ग़ौर करने का एक ऐसा प्रयास है जिसमें इन अनुभवों की व्यापकता और बारीक पहलू, दोनों महत्त्व रखते हैं। दूसरा भाग भी इसी तरीक़े से जटिलता की एक परत जोड़ता है: पुलिस, अदालत, स्वास्थ्य सेवाएं और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थान, स्कूल – परिवार द्वारा की गई हिंसा में इन सबकी मिलीभगत। इस भाग का उद्देश्य है कि पहले भाग के साथ रखकर जब इसे पढ़ा जाए, इन संस्थानों की समर्थन प्रदान करने वाली आशयित भूमिका और इनके साथ गवाहों के वास्तविक अनुभव के बीच का अंतर साफ़ समझ में आए – कि संकट में और असुरक्षित परिस्थितियों में इनसे संपर्क करने पर इनका रवैय्या कैसे निराश करता आया है।

रिपोर्ट का तीसरा हिस्सा पैनल के सामने पेश किए गए बयानों के ज़रिए रची गई तस्वीर को

पूरा करता है, वार्तालाप की उन मिसालों और अन्य तरक़ीबों को सामने रखकर जो हिंसा के दलदल में अटके क्वीयर और ट्रांस लोगों ने अपने बचाव के लिए ढूंडे और ईजाद किए हैं।

हमें यहां एक बार फिर याद कर लेना चाहिए कि गवाही देने वाले व्यक्तियों और जोड़ों के पहचान लिए जाने के ख़तरों को कम करने के लिए गवाहियों की प्रस्तुति के लिए जो प्रारूप बनाया गया है उसका मक़सद है हर गवाह को अपरिचित रखना – क्योंकि इनमें से कईयों के जीवन को ख़तरा बना हुआ है। वैसे इस फ़ैसले के दूसरे मायने भी हैं। ये गवाहियां जीवन वृत्तांत नहीं थीं जिन्हें पैनल के सामने पेश किया गया। बल्कि वे तीखी प्रतिक्रियाएं थीं जो वहां एकत्रित क्वीयर और ट्रांस लोग शुरू से ही हिंसा के बारे में हो रही बातचीत में शामिल करना चाहते थे, ताकि उस हिंसा के प्रकारों को समझा-परखा, उनका विश्लेषण किया जा सके, और साथ ही उन तरक़ीबो को भी जाना जा सके जो हिंसा से बचने के लिए और हिंसा के ख़िलाफ़ लड़ाई में दूसरों के समर्थन के लिए उन्होंने अपनाए और बनाए हैं। यही कारण है कि गवाहियों को सीधा पेश करने वाले अध्याय उन पहलुओं से शुरू होते हैं जिनपर सीमित समय में प्रत्येक व्यक्ति ने ज़ोर दिया, और गवाहियों को एक ख़ास तर्क और क्रम के अनुसार भी पेश किया गया है, ताकि पाठक को समझने में आसानी हो कि वे कौन से बिंदु हैं जहां परिवर्तन की आवश्यकता है, जो हिंसा की जाने पर न सिर्फ़ हस्तक्षेप करने दे, बल्कि उसे उस स्तर तक पहुँचने से पहले ही रोक सके।

अगला भाग इन साक्ष्यों से उभरने वाली प्रमुख चिंताओं और मुद्दों को नारीवादी, क्वीयर और ट्रांस आंदोलनों के उन दायरों में रखता है, जिन्हें पैनलिस्टों ने इस बातचीत के लिए प्रासंगिक पाया, ताकि वर्तमान हालात की समझ भी बने और उसके आधार पर यह भी साफ़ होता चले कि भविष्य में किस तरह के संवाद के सहारे और किन बारीक़ियों को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है।

रिपोर्ट के अंत में नीति और क़ानून के तहत कुछ विशेष अनुरोध रखे व शुरुआती बिंदु सुझाए गए हैं, ऐसे बदलाव लाने ले लिए जिनकी बदौलत क्वीयर और ट्रांस ज़िंदगियां जीने लायक बन सकें।

सुनवाई से जो बात उभर कर सामने आई वह यह थी कि परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए अनेक क्रूर व्यवहार – अपने प्यार से बेदख़ल और घर से बाहर कर देने के अलावा तरह-तरह की शारीरिक यातनाएं भी – क्वीयर लोगों के जीवन में सबसे बड़े सदमे के कारण बनते हैं। अक्सर किशोरावस्था से ही बच्चों पर होने वाले ये ज़ुल्म मानस पर एक अमिट छाप छोड जाते होंगे। क्या ऐसे गहरे नुकसान के लिए कभी भी कोई उपचार या न्याय हो सकता है, भले ही हम हिंसा में भाग लेने वाले अन्य संस्थानों - पुलिस, मानसिक संस्थानों और चिकित्सकों आदि से कुछ भरपाई हासिल कर भी लें?

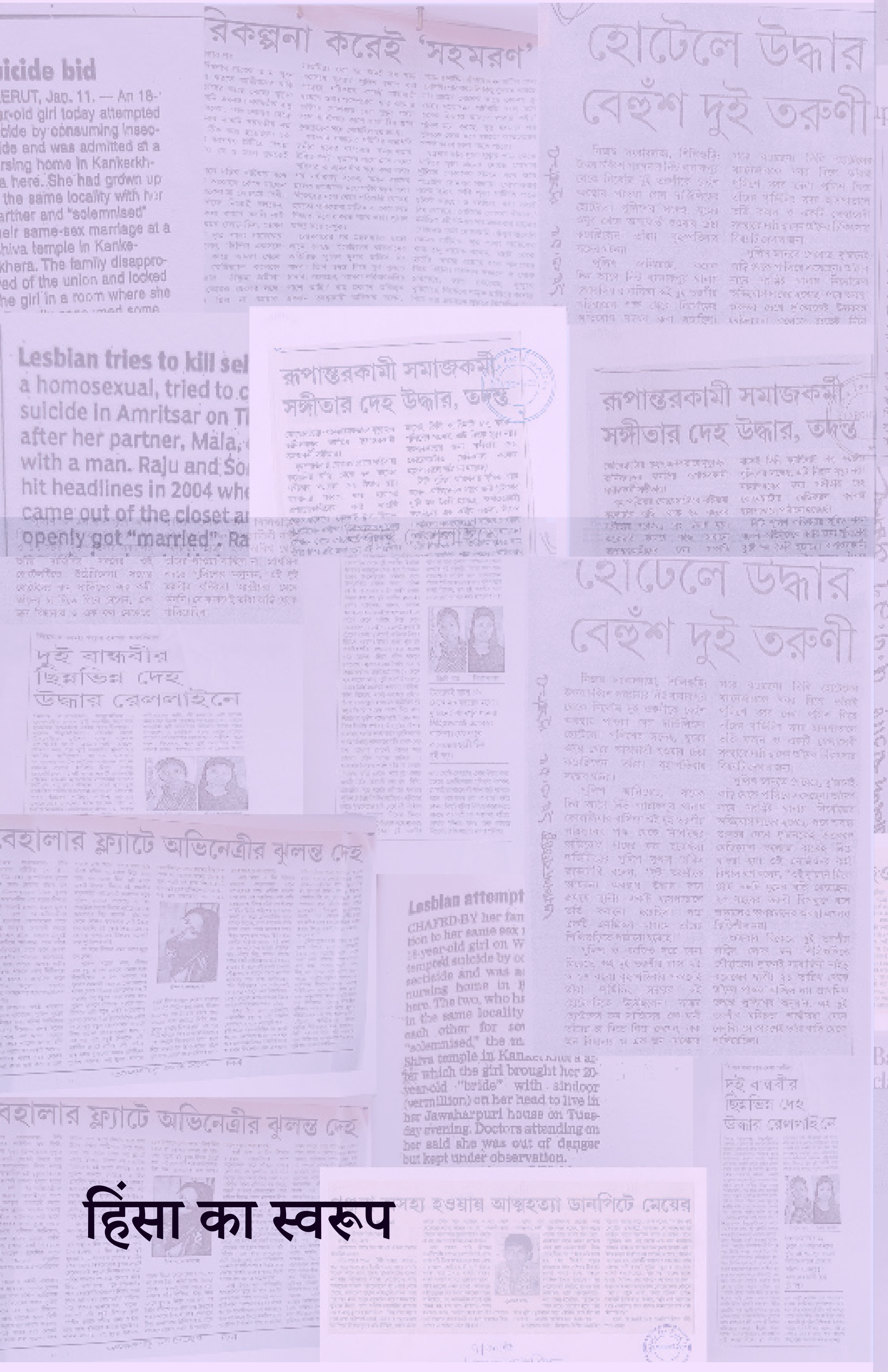

हिंसा का स्वरूप

बदलाव के लिए सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर एक लगातार आंदोलन की आवश्यकता होगी - अफ़सोस से कहना पड़ता है कि जो अधिक बड़े और प्रगतिशील संगठन हैं - वामपंथी ट्रेड यूनिअन हों या राजनीतिक दल या महिला संगठन - इनमें से भी बहुत कम ने कभी सार्वजनिक अभियान के हिस्से के रूप में इन चिंताओं को उठाया है, भले ही औपचारिक रूप से उनका रवैया समर्थन वाला रहा हो।

परिवर्तन का बीज पहले से ही मौजूद हैं - उन गवाहियों में जिनमें मां-बाप या भाई-बहन अपने प्रियजन को स्वीकार करते हैं; उस मकान मालिक में या रोज़गार देने वाले वाले में जो किसी क्वीयर व्यक्ति को रफ़ा-दफ़ा कर देने के दबाव में नहीं आता; एक मानसिक संस्थान के उस डॉक्टर में जो ऐसे ट्रांस व्यक्ति की वकालत करता है जिसे अपनी जेन्डर पहचान के कारण किसी झूठे बहाने से क़ैद किया गया हो; उस जज में जो क्वीयर व्यक्ति की स्वायत्तता का सम्मान करते हुए आदेश पारित करता है; पुलिस या क़ानून सेवाओं से जुड़े उन लोगों में जो क्वीयर लोगों की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा करके अपने कर्तव्यों का सही तरह पालन करते हैं। आंदोलनों को आवश्यकता है कि पूरे समाज को समान रूप से पूर्वाग्रहों से ग्रसित मान लेने के बजाय वे इस बीज को आत्मसात करें, और इसे सींचें। यह देखते हुए कि विश्व-भर में लोकतंत्र-विरोधी राजनीतिक प्रयास किस तरह "पारिवारिक मूल्यों" और "प्राकृतिक व्यवस्था" की आड़ लेकर नारीवादी और क्वीयर स्वत्व और आपसी नातों पर वार करते हैं, रूढ़िवादी शक्तियों को चुनौती देने वाले और लोकतंत्र की रक्षा करने वाले आंदोलनों को चाहिए कि वे इन मुद्दों पर वकालत के विषय को अपने सोच और काम में केंद्रित करें।

कविता कृष्णन

अपनों का बहुत लगता है

शारीरिक हिंसा

सभी साक्ष्यों में, शायद ही कुछ ऐसे थे जिन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि उन्हें शारीरिक हिंसा का सामना नहीं करना पड़ा (लहर), या यह संकेत दिया कि क्वीयर/ ट्रांस समर्थन ग्रुप के कार्यकर्ताओं के सामने आने वाली स्थितियों में आम तौर पर शारीरिक हिंसा उस हद तक नहीं जाती (बरूनी) जितनी नीचे की चर्चा हमें दर्शाती है। बाक़ियों के लिए, सवाल था शारीरिक हिंसा के अस्तित्व से ज़्यादा उसके रूप का - यानी परिवार के किसी बच्चे या वयस्क सदस्य पर नियंत्रण बनाए रखने का वह तरीक़ा, जिसे सबसे कारगर माना गया, जब उस व्यक्ति का व्यवहार स्वीकृत न हो। यह पैटर्न शायद सबसे स्पष्ट रूप से वहां नज़र आता है जहां कपड़ों और बालों की शैली के माध्यम से अपनी जेन्डर पहचान व्यक्त करने के इच्छुक व्यक्ति की बात आती है।

> मेरा बाप बहुत अत्याचारी आदमी था, मेरी मां को और मुझे मारता था। मैं अपने बाल नहीं बढ़ाना चाहता था, शर्ट-पैंट पहनना चाहता था – मुझे ख़रीदकर देना तो दूर, वह मुझे इसीलिए पीटता था। मैं कभी-कभी अपने चचेरे भाई के कपड़े पहन लिया करता, जिससे मेरे बाप को बहुत परेशानी होती थी।
>
> [उदय, ट्रांस पुरुष, 27]

कुछ गवाहों ने उस उम्र को याद किया जहां वे न केवल ख़ुद के जेन्डर को समझने लगे थे, बल्कि जेन्डर के उन तय मानकों-नुस्खों को भी जिनपर अमल करने का दबाव पुरुष-प्रधान समाज उनपर डाल रहा था, और उस चश्मे को भी जिसे पहनकर उनके परिवार और समुदाय उन्हें आंका करेंगे।

> 11 साल की उम्र में पहली बार मुझे स्कूल में यूनिफ़ॉर्म पहनने में दिक्क़त हुई। लड़कियों को लहंगा पहनना पड़ता था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं लड़कों जैसे कपड़े क्यों नहीं पहन सकता। मुझे अपने चचेरे भाइयों के शॉर्ट्स और शर्ट बहुत पसंद थे। बहुत रो कर कहा कि मुझे वैसे ही कपड़े चाहिए। जब अपने भाई से कपड़े मांगता, वह मुझे पीटता था। मैं कपड़ों के लिए अपने दादा के पास गया, आख़िर उन्होंने ही मुझे पसंद के कुछ कपड़े दिलवाए, जिन्हें मैं छिपकर पहना करता।
>
> मां मुझे मारती थी, सब मुझे पीटते थे। [...] जब उन्होंने मुझे बुर्का पहनने के लिए कहा, मैंने मना कर दिया। जब भी वे मुझे बिना बुर्का के देखते वे मुझे पीटा करते।
>
> [तारिक, ट्रांस पुरुष, 38]

नियमों-मानकों के कथित उल्लंघनों को वास्तविक होने या साबित करने की भी आवश्यकता नहीं होती – औलाद के अपराधों को "सही" करने को अपना अधिकार मान लेने के लिए कोई भी ऐसा आरोप-इल्ज़ाम काफ़ी होता है जिसे परिवार अपनी "इज़्ज़त" को छूता हुआ माने। और जैसे-जैसे इस तरह की हिंसा सामान्य होती जाती है, परिवार के भीतर अपने लिए सुरक्षा समेत भरोसे की कोई ऐसी जगह खोजने की संभावना मिटटी चली जाती है जिसमें ख़ुद की जेन्डर और सेक्शुअल पहचान को समझ पाने की अकेली कोशिशें साझा की जा सकें।

> जब मैं 9वीं कक्षा में था, किसी ने मेरे पापा से कहा, “आपकी बेटी के 2-3 लड़कों के साथ चक्कर चल रहे हैं,” वास्तव में 100 लड़के! पापा ने मुझे बहुत मारा। मुझे लगा कि यह मेरी

ही ग़लती है - मैं असल में लड़की हूं, लेकिन मैं इस बात को भूल जाती हूं। मैं सोचती रहती हूं कि मैं लड़का हूं, यह उनकी ग़लती नहीं है, मैं ख़ुद को एक लड़की के रूप में देख ही नहीं पाती हूं। मैंने सोचा कि अगर मैंने अपने बारे में किसी को बताया तो वे मुझे मार डालेंगे और मेरे शरीर को कही छुपा देंगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन मैंने कुछ किया भी तो नहीं था। मां से बात करने की कोशिश की और कहा कि मैंने कुछ भी ग़लत नहीं किया है। उसने कहा कि भगवान जाने तुमने क्या किया क्या नहीं, लेकिन अब तुम्हें अपने पापा की सुननी पड़ेगी। वह भी उनसे डरती थी। मेरे पिता ने मुझे स्कूल से निकाल दिया, बाल बढ़ाने और बिंदी लगाने को मजबूर किया। मैंने अपनी मां को पिटते देखा था, मुझे भी पीटा जाता।

[तेज, ट्रांस पुरुष, 44]

शारीरिक हिंसा नियंत्रण का एक ऐसा औज़ार है जिसे मां-बाप और अभिभावक "ग़लतियों" को "सही" करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, यानी जीने के और व्यवहार के उन तरीक़ों को जो उन्हें अस्वीकार्य होते हैं – यहां तक कि पूरा आस-पड़ोस-समुदाय ही ऐसी "ग़लतियों" पर उंगली उठाने को अपना अधिकार समझता है जो उनकी नज़र में सामाजिक मापदंडों को लांघती हैं और परिवार को शर्मसार करती हैं। पितृसत्तात्मक परिवार के ढांचे में, औलाद को क़ाबू में रखने के लिए न केवल उनको, बल्कि उनकी मांओं को भी शारीरिक हिंसा की धमकी दी जा सकती है। हालांकि वे कभी-कभी ख़ुद हिंसा का शिकार होती हैं, गवाहियों में जिन मांओं का ज़िक्र आया उन्होंने अक्सर अपने क्वीयर/ ट्रांस बच्चों के ख़िलाफ़ हिंसा में भाग लिया, या तो इसे रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया, या ख़ुद बच्चों की पिटाई की। ज़ाहिर है शारीरिक हिंसा कथित अपराध की आम प्रतिक्रिया है, जो बढ़ती रहती है जैसे-जैसे क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति परिवार के बाहर संबंधों और समर्थन संरचनाओं को विकसित करता है। कई साक्ष्यों ने संकेत दिया कि शारीरिक हिंसा कैसे इस सबसे पहले ही शुरू हो चुकी थी।

तेज [गवाह के पार्टनर] के मेरे जीवन में आने के बाद मेरे परिवार की ओर से यातनाएं बढ़ गईं। परिवार, बड़े भाई और मां, सभी ने और भी ज़्यादा मारपीट शुरु कर दी। मेरे दो भाई हैं, एक बड़ा और एक छोटा। पिटाई का कोई कारण नहीं था। बस उन्हें लगा कि घर में एक बेटी है जिस पर अपनी सारी कुंठा निकली जा सकती है। वह बाहर जाकर किसी को नहीं बताएगी।

पूरा दिन मैं घर पर ही रहती थी। कोई भी बाहरी व्यक्ति मेरे बारे में कुछ भी कहेगा, और मेरी मां विश्वास कर लेगी और मुझे मारेगी। मैंने बहुत मार झेली है। हालांकि, जब मैं तेज से मिली तो सब ठीक हो गया। तेज ने हमेशा मुझे सहारा दिया और मुझपर भरोसा किया है।

[लेखा, सिस महिला, 34]

ऐसा नहीं है कि औलाद के वयस्क हो जाने पर हिंसा समाप्त हो जाती है – परिवार का बर्ताव बताता है कि वह युवा क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करते रहने को अपना हक़ मानता है। यह हिंसा उस व्यक्ति-भर तक सीमित नहीं रहती, अक्सर जो लोग उस व्यक्ति को समर्थन देने की कोशिश कर रह होते हैं उन्हें भी हिंसा भोगनी पड़ जाती है।

अगर समर्थन देने वाला कोई पार्टनर, कोई अंतरंग साथी हो, या कोई क्वीयर/ ट्रांस नेटवर्क से

संपर्क बना हुआ हो या किसी अन्य दोस्त से, देखने में आता है कि परिवार द्वारा शारीरिक हिंसा और तीव्र हो जाती है और फिर वो साथी/ दोस्त भी इसका सामना करते हैं। रानी ने 23 साल एक ऐसे व्यक्ति के साथ शादी में रहने के बारे में बताया, जो "मुझे हर समय छोटी-छोटी बातों के लिए दंडित किया करता", साथ ही रानी का पैदाइशी परिवार उसकी मदद ना करने की यूं सफ़ाई देता रहा कि "अगर पहले ही इतना कुछ झेला लिया है, तो थोड़ा और क्यों नहीं?" – जब तक उस अत्याचारी वैवाहिक घर छोड़ वह अपने पार्टनर के साथ रहने न लगी।

> उस समय मैंने कोई मामला दर्ज नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे उस घर को छोड़ने का कदम उठाना होगा। रणवीर से मिलने से पहले मैंने कभी भी उस परिस्थिति से निकल पाने के बारे में नहीं सोचा था। हमारे यहां परिवार की इज़्ज़त को ही सब कुछ मन जाता है। मेरे पैदाइशी परिवार का बहुत दबाव था – कुछ नहीं है, सोचो मत इसके बारे में, क़िस्मत है तुम्हारी – वे मार-पिटाई के बारे में यही सब कहा करते। जब मुझे रणवीर का सहारा मिला, तब जाकर मैंने सोचा कि अब मुझे यह बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। और उस घर को छोड़ा।
>
> जब दोनों परिवारों (मायका और ससुराल) को रणवीर के घर का पता मिल गया और वे जान गए कि मैं कहां रह रही हूं, तो वे लोग वहां पहुंच गए और मेरे साथ मारपीट की। बालों को जकड़कर मुझे चौथी मंज़िल से नीचे तक घसीटा। मैं उठ ही नहीं पा रही थी, अपने पैरों पर खड़ी होकर चल भी नहीं पा रही थी, मैं वहीं बेहोश हो गई। वे मुझे एक कार में डालकर दूसरे राज्य में ले गए।
>
> [रानी, सिस महिला, 42]

जो निर्धारित परिवार क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति को घर लौटने और उसपर थोपे-लादे गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं वो उन पार्टनरों की भी पिटाई करने से नहीं चूकते जो उनके रास्ते में खड़े होने की कोशिश करते हैं, कभी-कभी तब भी जब जोड़ी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की हो कि वे साथ रहना चाहते हैं (जैसे चेतना के मां-बाप द्वारा तुषार पर हमले की कोशिश); या तब भी जब क़ैद-नुमा हालात में रखे व्यक्ति पर हिंसा की जा रही हो और उनके साथी उनके घर जाकर उन्हें वहां से छुड़ाने में मदद करे का प्रयास करते हैं (साजो और सेलीन)। विडम्बना महसूस कराने वाली इस घटना का भी विवरण था कि कैसे एक ट्रांस पुरुष के पार्टनर के निर्धारित परिवार ने उसे अपनी हिंसा का पात्र बनाया:

> बहुत हिंसक घटना थी वह। चूँकि मैं दिखने में मर्दाना हूं और सिस पुरुष मान लिया जाता हूं, उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा क्योंकि उन्हें यही लगा कि मैं एक [सिस] पुरुष हूं।
>
> [ओइशिक, ट्रांस पुरुष, 21]

न केवल परिवार वाले अपने सदस्य के पार्टनर की मारपीट करना वाजिब समझते हैं, बल्कि वे रिश्तेदारों और आस-पास के अन्य लोगों को भी (अक्सर पुरुषों का उल्लेख किया जाता है) बटोर लेते हैं, या तो किसी प्रकार का झूठ बोलकर या फिर बताने की ज़रूरत ही नहीं समझते कि वे क्या करने जा रहे हैं और क्यों। मानो राह चलते अजनबी पर हमला करने के लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, ख़ासकर जब अजनबी को एक ऐसे सिस पुरुष के रूप में देखा जाए जो परिवार की बेटी को उठा ले जाना चाहता हो।

> जब सेलीन के पिता को अस्पताल ले जाया गया, मैं उसी के यहां जा रहा था। अचानक आठ लोगों ने मेरे वाहन का रास्ता रोक लिया और मुझे पीटना शुरू कर दिया, बिना जाने कि वे मुझे किस लिए पीट रहे थे। मैंने पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या बस इसलिए कि एक औरत ने मुझसे अपने प्यार का इज़हार किया है और मैं उसे अपने साथ ले जाने आया हूं? तब जाकर उन लोगों को पता चला कि मामला क्या है। वे बिना कोई बात जाने ही मुझे पीट रहे थे।
>
> [साजो, ट्रांस पुरुष, 26]

यह तब और भी अधिक हो जाता है जब पार्टनरों के परिवारों के बीच मूल असमानता होती है, जैसा कि तपन के मामले में, जो अनुसूचित जाति से आने वाला ट्रांस व्यक्ति है। उसकी पार्टनर प्रबल जाति-वर्ग के परिवार से आती है और ऐसे ही एक परिवार में उसकी जबरन शादी भी कर दी गई है।

> एक दिन जब मैं अपने घर पर सोया हुआ था, मेरी पार्टनर के परिवार वाले ज़बरदस्ती अंदर घुस आए और मेरी जेन्डर पहचान को लेकर मुझे गालियां देने लगे, मुझे कोसने लगे, और कहा कि मैं जैसा हूं वैसा नहीं हो सकता। लक्ष्मी का परिवार समृद्ध और अधिक प्रभावशाली है जबकि मेरा नहीं है, इसलिए पारिवारिक हिंसा बहुत होती रही।
>
> [तपन, ट्रांस पुरुष, 22]

आज के संदर्भ में, जिसमें अंतर-धार्मिक जोड़ों के ख़िलाफ़ सामाजिक हिंसा बढ़ रही है, और विभिन्न समुदाय पहले से ही वयस्कों के बीच आपसी सहमति से होने वाले "प्रेम विवाह" के लिए मां-बाप की अनुमति को आवश्यक बनाने पर ज़ोर दे रहे हैं, उन रिश्तों को – जो क्वीयर भी हैं या जिनमें ट्रांस व्यक्ति शामिल हैं – और भी अधिक ख़तरे के रूप में देखा जाता है, और हिंसा को और भी भड़काने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।

> क्योंकि मैं मुस्लिम था और वह हिंदू, मुझे बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा। मुझे अलग थाली में खाना पड़ता था। लोग मुझसे बात करके घर में जाने से पहले नहाया करते थे। मैं तीन महीने घर-क़ैद में रहा।
>
> एक दिन मेरी पार्टनर का भाई उसे बहुत मारने लगा। हम बहुत डरे हुए थे लेकिन हमारे पास कोई आर्थिक संसाधन नहीं थे। उसने कहा, 'तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। हम एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे लेकिन इस वक़्त हम एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि पैसे न होने की वजह से हमारी स्थिति डांवाडोल है।' उसपर पारिवारिक दबाव इतना था कि आख़िर उसने यही कहा कि हमारा साथ मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं मुस्लिम हूं। वह रहे तो सिर्फ़ किसी हिंदू आदमी के साथ रह सकेगी, यह कहकर उसने मुझे घर भेज दिया।
>
> [ताहिर, ट्रांस पुरुष, 22]

पैनल के सामने ताहिर की गवाही में ज़ोर इस बात पर था कि उसके मुस्लिम होने के कारण उसे और उसकी पार्टनर दोनों को हिंसा भोगनी पड़ी। इस मामले में, रुपयों-पैसों की कमी के कारण हिंसा से बच निकल पाना असंभव लगता रहा, और अंततः इस बात ने दोनों को

एक दूसरे से अलग करते हुए ताहिर को यही सोचने के लिए मजबूर किया कि अपनी मर्ज़ी की ज़िन्दगी जी पाने का एकमात्र तरीक़ा है “किसी और पर निर्भर नहीं होना” – और इस सोच ने उसके भीतर न केवल ख़ुद के परिवार से अलगाव की भावना उत्पन्न की, बल्कि यह तब तक दूसरे रिश्ते स्थापित करने के भी आड़े आती रही जब तक उसने एलबीटी व्यक्तियों के लिए एक सहायक संगठन 1 के बारे में जाना और उससे संपर्क किया।

कई साक्ष्यों में, शारीरिक हिंसा को बुलावा देने के लिए इतना ही काफ़ी था कि व्यक्ति परिवार द्वारा "उपयुक्त" माने जाने वाले उम्मीदवार से शादी करने से इनकार कर दे। जिन कई तरीक़ों से – किसी अन्य परिवार को "समस्या" के हस्तांतरण के रूप में, या परिवार को क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति में जो ग़लत लगता है उसे "सही" करने के रूप में – जबरन शादी का इस्तेमाल किया जाता है इसकी आगे विस्तार से चर्चा की गई है। इस संदर्भ में, शादी के दबाव का विरोध करने के लिए लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न स्रोतों पर भी ध्यान देना काफ़ी होगा। एक जेन्डर-फ़्लूइड गवाह ने शादी के दबाव को अपने परिवार की उस चिंता से उपजा हुआ ठहराया (क्योंकि वे उसे जाति/ समुदाय की "महिलाओं" की अपेक्षाओं के अनुरूप होने की आवश्यकता के रूप में ही देखते हैं) कि यदि उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है तो उसे शायद ही "अच्छा रिश्ता" मिल सकेगा।

> पिता कमरे में आते-जाते रहे, साफ़ था कि मुझे झापड़ लगाना चाह रहे हैं। मेरी बहन जिस खाट पर बैठी थी उसे पलट दिया। मैंने भी उनको सुना दिया कि मुझे किसी बात का डर नहीं है। बाथरूम जाना चाहा, लेकिन नहीं जाने दिया गया। यह सिलसिला पूरी रात चला।
>
> [उमा, जेन्डर-फ़्लूइड (AFAB या जन्म पे स्त्री जेन्डर निर्धारित), 27]

परिवार के पदक्रम में ख़ुद के ऊपर वित्तीय और अन्य प्रकार का नियंत्रण रखने वाले से यह कहने की किसी व्यक्ति की क्षमता कि उसे डर नहीं लगता, और हिंसक स्थिति से जूझते रहना जब तक वह उससे छुटकारा पाने का रास्ता न बना पाए, उस भावना को इंगित करता है कि वह व्यक्ति जानता है कि अपने जीवन का निर्माण वह कैसे करना चाहता है और उस मकसद पर टिके रहने और हासिल करने की कोशिश के लिए वह तैयार है। कई लंबी गवाहियों में यह बात बार-बार सामने आई, कि संभावित जीवन की इस कल्पना की कितनी सारी पेचीदा परतें थीं, जिनमें ख़ुद की जेन्डर पहचान क़ायम करने का इरादा, और अपनी पसंद के रिश्ते स्थापित करने की इच्छा, शिक्षा तक पहुंच से और उस शिक्षा का उपयोग करने की क्षमता से जुड़े होते हैं, वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता से भी, और अक्सर अपने परिवार, समुदाय, पुलिस, आदि की हिंसा से सुरक्षित रहने की आकांक्षा से भी ।

जब किसी को उन मानदंडों का उल्लंघन करते देखा जाता है, जिनके पालन की उनसे अपेक्षा की जाती है, तब वे "बुरे" (बुरा मुस्लिम, बुरी महिला, किसी विशेष जाति या समुदाय का बुरा सदस्य, आदि) बन जाते हैं , जिससे परिवार के अंदर पदक्रम मानो बदल जाता है, और तब वे लोग भी जिनके ऊपर आम तौर पर उस "बुरे" व्यक्ति की सत्ता रहती है (छोटे भाई-बहन, बच्चे, भाइयों की तुलना में बहनें) उसपर शारीरिक हिंसा करना अपना अधिकार समझने लगते हैं। उदाहरण के लिए, एक गवाह ने बताया कि कैसे उसकी बहनों ने उसके लेस्बियन रिश्ते को समाप्त करने का प्रयास किया।

> मेरी बहनों ने मुझ पर हमला किया। छोटी बहन और मां हमेशा मुझे इस तरह ब्लैकमेल

> करतीं जैसे मैं कोई अपराधी हूं। भले ही छोटी बहन छोटी थी, वह बड़ी बहन जैसा व्यवहार करती थी, जिसमें मेरे बालों को कसकर पकड़ लेना और मुझ पर वार करना शामिल था।
>
> [ओमेरा, सिस महिला, 24]

ऐसी शारीरिक हिंसा अक्सर विश्वासघात से जुड़ी होती है, जिसमें पूरा परिवार भाग लेता है या उसकी कहीं सांठगांठ रहती है। बाहरी दुनिया के लिए गढ़ी गई छवि के अनुसार परिवार उस व्यक्ति को "बचाने" के लिए हस्तक्षेप कर रहा है, जो ख़ुद नहीं जानता कि उसके लिए अच्छा क्या है। और यूं, वे व्यक्ति अपने लिए जिस जीवन की इच्छा या कल्पना करते हैं, उसे समझने की कोशिश करने के बजाय, उनके परिवार वाले उनकी पिटाई करके और दवाइयां खिलाके उन्हें अपने क़ाबू में रखना बेहतर मानते हैं।

> मेरे घर वापस आने के बाद जब मेरी मां और बहनें मुझे पीट रही थीं और मैं चीख-चिल्ला रही थी, उन्होंने पड़ोसियों को बताया कि मेरे पिताजी के निधन से पहले, मैं कुछ महीनों के लिए साजो के साथ थी और वह मुझे नशा करवाता था – मेरे शोर मचाने की वजह है उस नशे का उतर जाना जिसकी मुझे लत पड़ गई है। कहा कि आमतौर पर ट्रांसजेन्डर लोग यही सब नशाखोरी और महिलाओं की तस्करी के काम करते हैं।
>
> परिवार वाले मेरे खाने में सीडेटिव मिलाते थे, जो वे मस्जिद के किसी व्यक्ति से तैयार करवाते थे। मुझे खाना दिया जाता, मैं बेहोशी की-सी हालत में रहती , देर तक सोती, उठती, फिर खाना खाती, फिर सो जाती. . . अगर मैं विरोध करती तो मुझे डांटा और पीटा जाता। जब मुझे माहवारी हुई थी, उस दौरान मेरी बहन ने मेरे पेट पर लात मारी, और मेरी मां भी पता लगाने तक नहीं आई कि हो क्या रहा है।
>
> [सेलीन, सिस महिला, 28]

यहां ध्यान देने लायक और एक बात यह है कि कितनी ही बार, जब परिवार को अपने किसी सिस महिला सदस्य का किसी ट्रांस पुरुष के साथ संबंध के बारे में पता चलता है, तो उस ट्रांस पुरुष पर ही महिला को किसी तरह से भ्रष्ट करने या धोखा देने या अन्यथा मजबूर करने का आरोप लगाया जाता है। क्वीयर/ ट्रांस लोगों की व्यक्तिगत गवाहियों से और उनका समर्थन करने वाले एक गवाह द्वारा की गई टिप्पणियों से भी इस पहलू का पता चलता है। ऐसे आरोपों में अक्सर दोनों को ही लक्षित किया जाता है – उस ट्रांस पार्टनर को, और ट्रांस होने को। यहां ट्रांस पहचान व अस्तित्व के ख़िलाफ़ पूर्वाग्रह इस धारणा से जा मिलती है कि (सिस) महिलाएं अपने मन को नहीं जानतीं, उनकी अपनी कोई एजेंसी या कार्य-स्वतंत्रता तो होती नहीं, और उन्हें नियंत्रण में रखना आवश्यक है, और फिर दोनों पार्टनरों पर हिंसा की जाती है।

> यह सब होने के बाद, मेरे पार्टनर के मामा ने मुझ पर हमला किया। इस वजह से मुझे आंख का ऑपरेशन कराना पड़ा। वह मेरे चेहरे पर वार करना और मेरी आंखों को चोट पहुंचाना चाहता था, लेकिन क्योंकि मैंने अपना सिर घुमा लिया, एक ही आंख पर चोट लगी।
>
> [तरुण, ट्रांस पुरुष, 29]

हिंसा केवल किसी व्यक्ति के आत्मनिर्णय के अधिकार को नहीं समझ पाने और उसका सम्मान नहीं कर पाने से नहीं आती है। लगातार सामने आने वाली मिसालों से लगता है परिवारों ने जैसे क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति को, चाहे वे वयस्क ही क्यों न हों, किसी भी सार्थक संबंध स्थापित करने से या दूसरों से बातचीत करके ज़रा सुकून ही पा लेने से रोकने का दृढ़ संकल्प कर रखा हो। पैदाइशी परिवार हो या ससुराल, क़रीबी रिश्तेदार हों या दूर के, जिनके भी बारे में गवाही देने वालों ने बात की, उनमें से न ही किसी ने ख़ुद शारीरिक उत्पीड़न करने में संकोच किया न ही दूसरों को हिंसा के ज़रिए अनुशासन का काम सौंपने से पीछे हटे।

जीते-जी ख़तरे और मार डालने की धमकियां

पैदाइशी या वैवाहिक परिवार द्वारा की जाने वाली हिंसा की गंभीरता जीवन के लिए ख़तरे पैदा करने की हद तक पहुंच जाती है। साक्ष्यों में से एक ने इंगित किया कि परिवार अपने नियमों के पूर्ण पालन की इतनी सख़्त अपेक्षा रख सकता है कि काम करने और कमाने वाले व्यक्ति को भी लगभग घर-क़ैद में रहना पड़े, उसके आने-जाने पर कड़ी निगरानी रखी जाए, और उसे जान से मार डालने तक की कोशिश हो।

> एक दिन मैं स्कूल से आधा घंटा देर से घर पहुंची क्योंकि मुझे भूख लगी थी और मैं बाहर कुछ खाने चली गई। उस आधे घंटे के दौरान मेरे पापा ने मेरा पता-ठिकाना जानने के लिए प्रिंसिपल से लेकर टीचर्स तक सभी को फ़ोन कर लिया। जब मैं वापस आई और मुझे इस बारे में पता चला, तो मैंने अपने पिता से कहा कि आपने मेरे आधा घंटा लेट होने का इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया। मुझे कल फिर से स्कूल में शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझे दोष दिया, और मेरे पिता ने कहा, "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर जाने की?" मैंने समझाने की कोशिश की कि मैं थकी हुई थी, भूख लगी थी। लेकिन मेरे पिता ने मुझे बहुत मारा। कहा कि इस रोज़ के तनाव से अच्छा है कि मैं बस मर जाऊं।
>
> एक बार दीवाली के समय, मुझे लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। उन्होंने फ़ैसला किया कि आज हम इसे मार ही डालेंगे। पापा के पास चूहे मारने की दवा की शीशी थी, मां और भाई ने मेरे पैर और हाथ पकड़ रखे थे। छोटा भाई बस मुझे देख रहा था। मेरा पक्ष लेने वाला कोई नहीं था। मैं बस मन-ही मन प्रार्थना कर रही थी, अगर आज मैं बच गई तो मैं चली जाऊंगी। मैं उन लोगों के साथ और नहीं रहना चाहती थी।
>
> [लेखा, सिस महिला, 34]

इस पर विचार करना ज़रूरी है कि व्यक्ति पर निर्धारित परिवार का कितना व्यापक नियंत्रण होता है, और हिंसा किस हद तक जा सकती है। इस क़िस्म की हिंसा केवल किसी व्यक्ति की सेक्शुएलिटी या जेन्डर को सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने, या बीमारी या अस्वीकार्य होने के रूप में देखे जाने के कारण नहीं हुआ करती है, यह रोज़मर्रा के जीवन का साधारण-सा हिस्सा बनती चली जाती है। भले ही इस रिपोर्ट में उठाए गए सवाल विशेष रूप से ट्रांस और क्वीयर लोगों के ख़िलाफ़ की जाने वाली हिंसा के स्वरूप से संबंधित हों, लेकिन अपने

निर्धारित परिवारों के साथ अन्य लोगों के संबंधों के लिए भी इन चर्चाओं के निहितार्थ बनते हैं, ख़ासकर ऐसे लोगों के लिए जो अपने जीवन पथ की दिशा को ख़ुद तय या परिभाषित करने की कोशिश करते हैं।

जिस सहजता से लेखा को बताया गया कि वह इतना तनाव पैदा करती है कि वह मर ही क्यों न जाती, उसी अति क्रूरता का अंदेशा कई अन्य गवाहियों में भी मिलता है। बानू के पिता का कहना कि दुनिया में उनमें से एक के लिए ही जगह है और उसे मारने की कोशिश करना; शामली की मां का कहना कि ऐसी विचित्र औलाद का मर जाना बेहतर है; उदय के परिवार का दूसरों से यूं बात करना जैसे वह मर चुका हो। जैसा कि हमने देखा है, कई बार लोगों को बचपन में ही मौत की धमकी मिल जाती है, पहले से चल रही हिंसा के बढ़ जाने के नतीजे में।

और ना ही ऐसी धमकियां परिवार के सदस्यों को लक्षित करने तक सीमित रहती हैं। गवाहों ने उन सीधी धमकियों का भी उल्लेख किया जो क्वीयर लोगों के पार्टनरों को दी गईं, उन्हें समर्थन देने से रोकने के लिए।

> रात में मेरी मां ने मेरे पार्टनर को धमकाते हुए कहा, "हम तुम्हें जलाकर मार सकते हैं और तुम्हें दफ़ना सकते हैं, और किसी को पता ही नहीं चलेगा, यहां तक कि तुम्हारे वकील को भी नहीं। हम उन्हें बस इतना बताएंगे कि तुम अपने घर लौट गई और हमने अपने बच्चे को विदेश भेज दिया।" हमने वहां कुछ भी नहीं खाया।
>
> [तुषार, ट्रांस पुरुष, 20]

परिवार की समस्या सिर्फ़ यही नहीं है कि उनकी वयस्क औलाद (जो एक ट्रांस पुरुष है लेकिन जिसे वे बेटी के रूप में ही देखने पर तुले हैं) एक महिला के साथ रिश्ते में है, बल्कि यह भी कि वह रिश्ता अंतरजातीय है। जैसा कि एक व्यक्ति ने गवाही दी, "अगर उसकी भी वही जाति होती, तो शायद वे स्वीकार कर लेते।" कुछ ऐसी ही स्थिति सेलीन की भी थी।

> वह हिंदू है, मैं ईसाई हूं। उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया लेकिन उन्हें उसे खोलने का पैटर्न मालूम नहीं था, तो वे एक मोबाइल की दुकान में ले गए और अनलॉक करवा लिया। उसमें से साजो की फ़ोटोएं निकालकर सभी रिश्तेदारों को भेज दीं और कहा कि अगर यह हमारे घर के पास भटके, तो मार डालना। उन्होंने ग्रुप में यह भेज दिया।
>
> [सेलीन, सिस महिला, 28]

एक बार फिर, यह बात न केवल विवाह समानता की स्वीकृति के बारे में सवाल उठाती है, बल्कि उन जोड़ों पर निशाना साधे जाने के बढ़ते उदाहरणों के बारे में भी जिनका बस विषमलैंगिक होना उनका बचाव नहीं करता, क्योंकि उनके रिश्ते अंतर्जातीय या अंतर्धार्मिक होते हैं, यानी ऐसे मामले जिनमें परिवार, समुदाय, और अक्सर वे राज्य संस्थाएं – जिनका फ़र्ज़ बनता है व्यक्ति के अपने साथी को चुनने के अधिकार की रक्षा करना – सबको उनके अपने-अपने पूर्वाग्रह और समीप ले आते हैं।

यौन हिंसा

शारीरिक हिंसा में शामिल यौन हिंसा के भी कई रूप हैं जिनके बारे में गवाहों ने बात की। ऐसे परिवार जो अन्यथा अपनी औलाद की आवाजाही को नियंत्रित/ प्रतिबंधित करते हैं, उसी पर किए जाने वाले यौन शोषण को जानबूझकर अनदेखा करते हैं, विशेष रूप से जब शोषण करने वाला उसका भाई या परिवार का कोई दूसरा सदस्य होता है।

> एक बार मेरी मां ने मेरे भाई को मेरे साथ बदतमीज़ी करते देख लिया और फिर मैंने मां को बताया कि यह होता आ रहा है। मेरे पिता ने विश्वास नहीं किया कि उनका बेटा ऐसा कर सकता है।
>
> [टीना, सिस महिला, 20]

न केवल यौन हिंसा से पीड़ित व्यक्ति पर यक़ीन करने से इनकार किया जाता है, बल्कि उसी पर अंकुश और भी कसा जाता है, दम घोटने के हद तक – ऐसे प्रतिबन्ध जो युवा व्यक्ति की मनचाही शिक्षा तक पहुंच पर भी असर करते हैं और दुनिया में ख़ुद को उस तरह पेश कर पाने पर भी जिस तरह से वे सहज महसूस करते हैं।

> ज़नाने कपड़ों में मुझे हमेशा अटपटा-सा लगा है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। बचपन में मुझपर यौन उत्पीड़न किया गया था। मैंने अपने परिवार को बताया पर किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। तब मैं आठवीं क्लास में थी। उन्होंने मुझ पर और भी बंदिशें लगा दीं। 9वीं कक्षा तक मुझे और भी असहज महसूस होने लगा था। मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है। मैं मनोविज्ञान पढ़ना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे चाहते थे कि मैं लड़कियों के कॉलेज में दाखिला लूं।
>
> [नताशा, सिस महिला, 19]

ऐसी स्थिति में जहां युवा व्यक्ति आर्थिक रूप से, साथ ही आश्रय और अन्य प्रकार की देखभाल के लिए परिवार पर निर्भर करता है, वहां यौन हिंसा के ऊपर ये अतिरिक्त परतें हैं जिनसे उन्हें निपटना पड़ता है। एक गवाह ने क्वीयर अक्षम व्यक्तियों के अनुभवों पर ध्यान आकर्षित किया, जिनकी सहायता-उपकरणों या देखभाल पर निर्भरता का लाभ उठाया जाता है, और इसमें अक्सर देखभाल करने वाले सहापराधी होते हैं।

> "एक बार मैं भी एक पुरुष रिश्तेदार के उत्पीड़न से बच गई। वह मुझे "देवी" जैसे अनाप-शनाप सम्बोधन करता था, और एक बार उसने मेरी गतिशीलता का एड छुपा दिया था। सौभाग्य से मेरी मां सही समय पर आ गई लेकिन जब मैंने उसे बताया वह सुनने तैयार नहीं थी। मेरे बोलने की दिक्कत के कारण, मुझे लगता है कि उसने मुझे न समझने का नाटक किया। इसी तरह लोग अक्षम महिलाओं को चुप कराते हैं।"
>
> [ओजा द्वारा साझा की गई एक क्वीयर अक्षम व्यक्ति की गवाही]

क्योंकि अक्सर उन्हें घरों के अस्थिर वातावरण और अपनी परिस्थितियों की अनिश्चितता के साथ जीना पड़ता है, हर सेट-अप अक्षम लोगों को यौन हिंसा के अधिक जोखिम में डालता है। उनका क्वीयर होना उन्हें और भी निशाने के घेरे में ले आता है, क्योंकि अब उनको

हाइपरसेक्शुअल, अति कामुक बनाकर देखा जाता है। ओजा एक विकलांग और ट्रांस व्यक्ति द्वारा की गई टिप्पणियों से कुछ बातों को सामने लाते हैं।

> "वह (गुमनाम) कहती है कि क्वीयर अक्षम लोगों के लिए "घर" की परिभाषा अस्थिर होती है, क्योंकि उन्हें अक्सर परिवारों द्वारा छोड़ दिया जाता है और उपेक्षित किया जाता है। इसलिए, घर के बारे में उनका ख़याल बदलता रहता है - 'दोस्त का सोफ़ा, अतिथि कक्ष, आश्रय गृह, सरकारी अस्पताल के वार्ड।' इन परिवर्तनों के दौरान, शरीर एक वस्तु के रूप में देखा जाता है (डिस्पोज़ेबल)। 'इसे लेन-देन के तौर पर देखा जाता है। मैं तुम्हें आश्रय दे रहा हूं, तुम बदले में मुझे सेक्स का उपहार दो,' वह उस दोहरे वस्तुकरण की ओर इशारा करते हुए कहती है, जिसका सामना अक्षम क्वीयर शरीर करते हैं।"

[ओजा, नॉन-बाइनरी]

सामाजिक मानकों पर टिका नज़रिया किसी व्यक्ति की जेन्डर अभिव्यक्ति को, जो उन मानकों से परे है, या उसकी अलग इसलिए अमान्य सेक्शुएलिटी को, उसकी यौन उपलब्धता समझता हुआ उसके साथ होने वाले उत्पीड़न को वैध मान लेता है; यह उस "तर्क" के समान है जो सिस महिलाओं से पूछता है कि जब उन्होंने यौन हिंसा का सामना किया तो वे क्या कर रही थीं/ पहने हुई थीं, जिससे पीड़ित पर दोष मढ़ दिया जाता है। इस संदर्भ में, एक गवाह ने बताया कि बचपन में उसकी किन बातों को "लड़कियों जैसे" तौर-तरीक़े और व्यवहार माना जाता था।

> जब हम स्कूल में थे, हमारे पिता के दोस्त ने हमारा यौन उत्पीड़न किया और पिता ने कहा कि इसकी वजह हमारा अपना व्यवहार ही है।

[शामली, नॉन-बाइनरी, 26]

इस तरह के यौन शोषण को न केवल माफ़ कर दिया जाता है, बल्कि इसे सक्रिय रूप से हथियार बनाया जाता है, और उन दोस्तों या साथियों को डराने-धमकाने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो क्वीयर/ ट्रांस व्यक्तियों को सहायता प्रदान करते हैं।

> वहां, बिलकुल पुलिस स्टेशन के दरवाज़े पर, मेरे मां-बाप, चाचा और एक अज्ञात व्यक्ति ने मुझे पकड़ लेने की कोशिश की। फिर जो झगड़ा हुआ, उसके दौरान मेरे दोस्त सौम्यदीप को इस अज्ञात व्यक्ति ने मारा, और उसी ने मेरी दोस्त ऋति का यौन उत्पीड़न किया।

[नयनिका, सिस महिला]

यौन हिंसा का यूं हथियार के रूप में इस्तेमाल हमें उन अंतरधार्मिक, अंतरजातीय रिश्तों के मामलों में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है जिनमें किसी-न-किसी को "कम ताक़तवर", "नीचा" "अपनी जगह में रखना ज़रूरी" जैसे दर्जे का माना जाता है। एक गवाही में जिस तरह की यौन हिंसा की बात आई, उसे उस दंड-मुक्ति के बढ़ते माहौल के संदर्भ में भी देखना होगा, जिसमें शोषित और अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के ख़िलाफ़ यौन हिंसा की अनुमति दी जाती है।

> जब भी मैं रंजीता से संपर्क करने के लिए उसके मां-बाप से संपर्क करता हूं, क्योंकि उसे उसका फ़ोन नहीं दिया जाता है, वे गाली-गलौज से ही बात शुरू करते हैं। वे मुझे अपमानित करते हैं क्योंकि मैं एक निचली जाति से आता हूं। हमारी जाति को बंगाल में मोची जाति मानी जाती है, बंगाली शब्द है "मूची"। उन्होंने मुझे रेप की धमकियां भी दी हैं। इन धमकियों की वजह से मैं अपने परिवार से मिलने भी नहीं जा पाता हूं। मैं पहले ही दो बार शारीरिक हमले और दुर्व्यवहार का सामना कर चूका हूं।
>
> [ओइशिक, ट्रांस पुरुष, 21]

रेप, बलात्कार, को एक धमकी के रूप में भी और सज़ा के तरीक़े के रूप में उपयोग किया जाता है, यहां तक कि वही परिवार और लोग भी ऐसा करते पाए जाते हैं जो इस बात से चिंतित थे कि उनके परिवार के सदस्य के क्वीयर संबंध का मतलब होगा उसके कौमार्य का नुकसान होगा, जिससे कोई "पुरुष" उसे स्वीकार नहीं करेगा। करीबी परिवार के सदस्यों द्वारा "सुधारात्मक" बलात्कार को तब सही समझ लिया जाता है जब इसके निशाने पर ऐसा व्यक्ति हो जो ख़ुद की ज़िंदगी की रूपरेखा के बारे में निर्णय ले पाने के लिए और अपने जीवन को अपनी तरह से जी पाने के लिए पूरे दम से लड़ता है।

> जब मेरे पिता को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो उनका सबसे पहला सवाल यही था कि क्या हमारे शारीरिक संबंध हैं। यही एक चिंता थी - कि यह सेक्स के बारे में है। वह पहला सवाल था, और मुझे लग रहा था कि शायद वो मुझे थप्पड़ मारेंगे । [...]
>
> मेरे परिवार वालों ने मुझे एक बिस्तर पर लिटाया और मेरे पिता ने मुझे गालियां दीं, मुझे मारने के लिए चाकू लेकर आए और एक चाचा ने कहा कि वह ज़हर ख़रीद कर लाएंगे ताकि मैं मर जाऊं। उसी चाचा ने यहां तक कहा, "अगर तुम्हें पुरुष का सुख अनुभव करने की ज़रूरत है, मैं मौजूद हूं।"
>
> [बानू, सिस महिला, 23]

युवा क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति अपनी पहचान के और अपनी पसंद के जीवन के बारे में क्या बता रहे होते हैं, इसे समझने की अक्षमता और अनिच्छा का नतीजा होता है कि परिवार बस उनके जेन्डर के मानदंडों के अनुरूप होने पर ज़ोर देते हैं, और न केवल मां-बाप भाई-बहन, बल्कि अंकल लोग और विस्तृत परिवार के अन्य सदस्य भी उस व्यक्ति पर ऐसे "सुधारात्मक" उपायों का उपयोग करना अपना अधिकार समझ लेते हैं।

> चूंकि मेरे मां-बाप दोनों काम करते हैं, उन्होंने मुझे एक अंकल के घर में रहने भेज दिया (जो सिविल इंजीनियर की नौकरी करता है) और वहां चीज़ें और बिगड़ गईं। वह मुझे भद्दी गालियां देता था, मारता-पीटता था और कहता था कि अगर मुझे औरतों के कपड़े दे दिए जाएं मैं ठीक हो जाऊंगा।
>
> ऐसा एक-डेढ़ महीने तक चलता रहा, फिर जब उन्होंने देखा कि कुछ नहीं बदला है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पार्टनर के कारण यह सब हो रहा है और मुझे काउंसलिंग के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ (गाइनकॉलजिस्ट) के पास ले जाने की आवश्यकता है।
>
> [ऋषि, ट्रांस पुरुष, 27]

जैसा कि ऋषि के साथ हुआ, परिवार जिस बात को अबनॉर्मल, असामान्य मानता है, उसके "इलाज" की कोशिश की जाती है। ऋषि ने ट्रांस पुरुष होते हुए महिलाओं के कपड़े पहनने के लिए मजबूर किए जाने की बात कही; एक अन्य साक्षी, एक ट्रांस महिला, ने अपने परिवार की धमकी के बारे में बताया कि वो उसकी नींद में उसके बाल काट देंगे अगर उसने ख़ुद नहीं कटवाए। इस व्यापक समझ का, कि मां-बाप अपने बच्चों के मालिक हैं और यूं वे उनके शरीर के भी मालिक हैं (बच्चों के वयस्क हो जाने के बाद भी), नतीजा होता है अपमानित करने की कोशिश, और किसी व्यक्ति के अपने ख़ुद के बारे में ज्ञान और अपने जेन्डर को लेकर समझ को उसके जननांगों के आधार पर , "सत्यापित" करने या खंडन करने के प्रयास।

उदय ने अपनी गवाही के दौरान बताया कि कैसे एक बार वह उस शहर में अपने परिवार वालों से मिलने गया था जहां वह आगे पढ़ने के लिए पलायन कर चुका था, लगभग एक साल तक उनसे मिलने नहीं जाने के बाद, क्योंकि उसके यह बताने के बाद भी कि वह ट्रांस पुरुष है वे उस पर शादी करने का दबाव डालते रहते थे।

> मैं उनसे एक बार [फ़लां शहर में] मिलने गया था और क्योंकि हम एक सार्वजनिक स्थान पर थे, और मैं एक दोस्त को अपने साथ ले गया, मेरे पिता ज़्यादा कुछ कहने-करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने एक कमरा बुक किया था और कहा कि मुझे उस कमरे में जाना होगा क्योंकि वे लोग मेरी पैंट उतार कर देखना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, क्या मैं "हिजड़ा" हूं। मैं वहां से चला आया।
>
> [उदय, ट्रांस पुरुष, 27]

इसी तरह का तर्क पुलिस द्वारा लागू किया जाता है, जब उनकी पहचान को नकारते हुए वो ट्रांस पुरुषों को हिरासत में महिलाओं के कपड़े पहनने के लिए मजबूर करती है।

> पुलिस ने मुझे रिमांड में रखा, मुझसे बुरी तरह बात की। मेरे कपड़े उतारे, यह देखने के लिए कि मैं पुरुष हूं या महिला। जेल में मुझे महिलाओं के कपड़े पहनने पड़े।
>
> [बद्रीप्रसाद, ट्रांस पुरुष, 23]

क्वीयर और ट्रांस लोगों पर होने वाली हिंसा में विभिन्न संस्थानों की मिलीभगत के संदर्भ में इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। फ़िलहाल इसे नोट करना काफ़ी होगा, उस यौन हिंसा की व्यापकता के संदर्भ में जो क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों के उनकी सेक्शुएलिटी और जेन्डर की वजह से विशेष रूप से लक्षित करती है।

न केवल अजनबी इस हिंसा को अंजाम देते हैं, बल्कि परिवार, सत्ताधारी वर्ग, पुलिस, मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक और कभी-कभी अंतरंग पार्टनर भी यौन हिंसा को हथियार बनाते हैं।

> [महानगर] में आने के बाद, मेरी एक लड़की से मुलाक़ात हुई। मैं तब खाना बनाने का काम करता था, सीखने जाता था। उसने मुझे पसंद करने का नाटक किया, लेकिन फिर उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया। [फ़लां जगह के पास] मेरे पीछे दो लोग भेजे, यह 2014 की बात है। मेरे साथ रेप की कोशिश की गई। मैं उन्हें डराकर वहां से भगा दिया और बच गया।
>
> [तारिक, ट्रांस पुरुष, 38]

ऐसे मामलों में, जहां किसी ट्रांस पुरुष को कोई व्यक्ति उसमें दिलचस्पी लेने का नाटक करके धोखा दे दे, मदद के लिए रास्ते या उपाय नहीं के समान होते हैं। बात तब और भी जटिल हो जाती है जब दुर्व्यवहार ले लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति ऐसा पार्टनर हो जिसके साथ लम्बे समय तक रिश्ता रहा हो और वह पैसे हड़पने के लिए कोई चक्कर चलाए।

> मैं अपने पैरों पर खड़े होकर एक बसा-संभला जीवन चाहता था, जब अपनी एक दोस्त के साथ काम कर रही मेरी पार्टनर ने मुझे बाहर आकर उनसे मिलने के लिए भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया। वे मुझे एक अनजान जगह ले गए, और मुझे बांधकर बुरी तरह पीटा। उस दूसरी औरत ने तब कैंची से मेरे कपड़े काटे और यह कहते हुए मेरे नंगे शरीर का वीडियो उतारा, "मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास क्या है, तुम ख़ुद को लड़का कहते हो लेकिन देखें तो तुम्हारे पास क्या है।"
>
> [ऋषि, ट्रांस पुरुष, 27]

जबरन शादी

अंतरंग साथी द्वारा हिंसा की कुछ घटनाएं ज़रूर सामने आईं, मगर गवाहियों में बार-बार उभरने वाली बात थी क्वीयर/ ट्रांस लोगों के जीवन में, बचपन से लेकर वयस्कता तक, जबरन शादी और वैवाहिक बलात्कार की व्यापकता। विवाह सुधारात्मक बलात्कार का ही विस्तार बन जाता है, एक ऐसी उम्र में जब लोगों को इस बात की बहुत कम समझ होती है कि शादी का क्या मतलब है, या अपने पतियों को यौन उत्पीड़न और बलात्कार करने से कैसे रोका जाए।

> मैं 14 साल का था, लेकिन मेरा पति शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। वह मुझे इसके लिए मजबूर करता था। मैं समझ नहीं पाता था कि वह शारीरिक संबंध क्यों चाहता था, तो मैंने मना किया, लेकिन वह मुझे पीटता था और खाना नहीं देता था। उसने मुझे कई दिनों तक भूखा रखा। जब मैंने अपनी मां को यह सब बताया तो उसने कहा कि ग़लती मेरी ही है, मैं पिटाई के लायक हूं। जब मैं 18 साल का हुआ तो मुझ पर बच्चा पैदा करने का दबाव था। मैं वैवाहिक बलात्कार से गुज़रा और मुझे एक बच्चा हुआ।
>
> [शरत, ट्रांस पुरुष, 21]

एक अन्य ट्रांस पुरुष (ओइशिक) ने बताया कि कैसे उसने 14 साल की उम्र में शादी करने के लिए मजबूर होने के बाद चार साल तक वैवाहिक जीवन जीने की कोशिश की, वहीं एक अन्य उदाहरण में, तेज के पिता ने ज़बरदस्ती उससे सामाजिक मानकों का पालन करवाने के आख़िरी कदम के रूप में उसकी शादी तय की, जबकि तेज अभी भी अपनी ट्रांस पहचान को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था।

> मैंने उस आदमी को देखा भी नहीं था। न तब यह महत्वपूर्ण समझा जाता था और न ही अब। मुझे बताया गया कि आज तुम्हारी सगाई है, और मेरी शादी करवा दी। मैंने अपने पति से कहा कि मैं बच्चे नहीं चाहता वह सहमत नहीं हुआ। पहले बेटी और फिर उसे बेटा चाहिए था। इसके बाद उसका किसी के साथ अफ़ेयर शुरू हो गया और उसने मुझे

छोड़ दिया। मेरे साथ जो कुछ हो रहा था उससे मैं ख़ुश नहीं था लेकिन मैंने सोचा कि मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरे पिता ने मुझे यह कहकर दोषी ठहराया कि... मैं [पति को] ख़ुश रखने में सक्षम नहीं था।

[तेज, ट्रांस पुरुष, 44]

गवाही देने वाली कुछ सिस महिलाओं ने भी बताया कैसे बचपन में, 14 साल की उम्र में, उनकी ज़बरदस्ती शादी कर दी जाने के बाद उन्हें बच्चे पैदा करने पर मजबूर किया गया, और कैसे वैवाहिक परिवार में वे वर्षों तक यातना और हिंसा से जूझती रहीं (रानी), इससे पहले कि वे शादी से बाहर निकलने का कोई रास्ता सोच पाए। यह सब सामान्य रूप से होता रहा, चाहे निर्धारित परिवार को अपनी औलाद की जेन्डर पहचान या सेक्शुएलिटी के बारे में पता हो या नहीं। हालाँकि, जब परिवार को पता चलता है, तो शादी एक तत्काल आवश्यकता बन जाती है, उस औलाद को "ठीक" करने का एक तरीक़ा जिसका व्यवहार अस्वीकार्य माना जाता हो। एक ट्रांस पुरुष ने बताया कि जब उसके सिस महिला पार्टनर के पैदाइशी परिवार को उन दोनों के बारे में पता चला, उसे भी उस परिवार के दबाव का सामना करना पड़ा।

इस समय, [मेरी पार्टनर] पर उसके परिवार ने शादी का बहुत दबाव डाला। उसने कहा कि वह शादी नहीं करेगी और उन्हें बताया कि इसका कारण है कि वह मुझसे प्यार करती है। उसके परिवार वालों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि अगर मैंने उसे शादी करने के लिए ज़ोर डालकर मनाया नहीं तो वे मेरे घर आएंगे और मेरे पति को बताएंगे और मुझे प्रताड़ित करेंगे। मैं बहुत डरा हुआ था इसलिए मैंने ख़ुद ही अपने पति को सच बता दिया।

[शरत, ट्रांस पुरुष, 21]

हरेक उस गवाह ने, जिसे शादी के लिए मजबूर किया गया था, उस शादी को छोड़ दिया था। कुछ मामलों में, किसी समर्थन के अभाव में कोई रास्ता निकालने में दो दशक से अधिक का समय लगा। दूसरों में, जल्द ही निकल पाना संभव हुआ। एक ट्रांस पुरुषों को, जिसकी शादी 14 की उम्र में कर दी गई जब उसे पता ही नहीं था कि उससे अपेक्षा क्या है, शादी के तुरंत बाद लोगों अपनी सच्चाई ज़ाहिर करनी पड़ी, उनको यह समझाने के लिए कि उसने बलात्कार से ख़ुद का बचाव क्यों किया था।

शादी के बाद [14 की उम्र में], मुझे नहीं पता कि "पहली रात" क्या होती है। मैं एक कमरे में था , और जिस आदमी से मेरी शादी हुई थी, वह आया, उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरी कुछ खाने, पीने या कुछ करने की इच्छा है? मैंने जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं करना चाहता, और मुझसे यह सवाल पूछने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। मैंने अपने पास एक लकड़ी का खंभा रखा, कहीं वह जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश न कर दे।

मैंने उससे कहा कि हम अलग सोएंगे, या तो तुम फ़र्श पर सो जाओ, या मैं सोऊं। कहा कि मुझे छूना मत। लेकिन जब मैं सो गया, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसने जब मुझे छूने की कोशिश की, मैंने उसे बहुत मारा। सुबह वह बोल नहीं पा रहा था, मैंने उसे इतना पीटा था। रात के 1 बजे उसने मुझे छुआ, मैंने उसे 4 बजे

तक पीटा। सुबह लोग आए और पूछा, “तुमने क्या किया, इसे मार डाला?” जब उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं एक लड़का हूं, लड़की नहीं, और भाग कर ऐसी जगह चला गया जहां लोग जाने से डरते हैं।

[तारिक, ट्रांस पुरुष, 38]

तारिक के इस कार्य के परिणामस्वरूप उसे एक मानसिक संस्थान में रखा गया और बिजली के झटके दिए गए। भले ही उसका विवाह उसकी सहमति के बिना किया गया हो, वैवाहिक बलात्कार के प्रयास के ख़िलाफ़ उसका यूं बहादुरी से लड़ना, और उसका यह कहना कि वह लड़का है – मानसिक संस्थान चलाने वालों के लिए ये बातें काफ़ी थीं, तारिक के व्यवहार को "असामान्य" और "बीमार" ठहराने और हस्तक्षेप को आवश्यक समझने के लिए।

हालांकि गवाही देने वाले सभी लोगों की जबरन शादी नहीं की गई थी, अधिकांश ने इस ख़तरे का सामना किया था क्योंकि उनके निर्धारित परिवारों ने उनकी जबरन शादी की बात उठाई थी। ऋषि के मामले में तो यह तब हुआ जब परिवार के एक अन्य सदस्य ने उसके मां-बाप को समझाने की कोशिश की कि ऋषि एक ट्रांस पुरुष है, जो शादी नहीं करना चाहता है।

परिवार ने इस तथ्य में भी अपने ही सोच की पुष्टि ढूंढ ली, और जब एक मेडिकल डॉक्टर ने साफ़-साफ़ उनसे कह दिया कि भारत में ट्रांस पुरुष होना संभव नहीं है, तब इस "समस्या" को सुलझाने का अपना ही तरीक़ा अपनाया ।

उन्होंने मुझे एक मंदिर में ले जाने की योजना बनाई जहां वो मेरी शादी ठीक करेंगे, जो फिर मुझे ठीक कर देगी।

[ऋषि, ट्रांस पुरुष, 27]

जबकि सारे गवाह अपने काल्पनिक जीवन की दिशा में लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे – ऐसा जीवन जिसमें वे अपनी जेन्डर पहचान के अनुसार जी सकें; उनके रिश्तों को स्वीकार किया जाए; वे जहां चाहें पढ़ाई या काम कर पाएं – यूं लगता है कि उनके निर्धारित परिवारों के लिए इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि व्यक्ति की शादी किससे करवाई जाए, बस शादी हो जानी चाहिए।

हमारे मां-बाप चिंता कर रहे थे कि अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे, हमारे लिए कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। एक बार एक दंत चिकित्सक का रिश्ता आया। मां-बाप चाहते थे कि हम स्त्री के कपडे पहनें, लेकिन हमने शर्ट पहना, और मां रोने लगीं। उसका परिवार आया, बिना उस आदमी के। वे पांच ही मिनट रहे। जब हमने कहा कि नहीं, हमें उससे शादी नहीं करनी है, तो हमारे परिवार वालों ने कहा कि यह कैसे संभव है। कहा कि यह एक अच्छा रिश्ता था। हमने कहा लड़का अच्छा नहीं दिखता. ‘तुम भी अच्छे नहीं लगते हो,’ उन्होंने कहा।

फिर एक बार उन्हें कोई काफ़ी पढ़ा-लिखा हुआ व्यक्ति मिला। हमने मना कर दिया। हम पहली मंज़िल पर थे, मां-बाप चौथी मंज़िल पर, उन्होंने हमें वहां बुलाया लेकिन हम नहीं

गए। मां रो-रोकर कहने लगी, "हमने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी ग़लती कैसे कर दी कि तुम्हें पढ़ने दिया?"

[उमा, जेन्डर-फ़्लूइड (AFAB या जन्म पे स्त्री जेन्डर निर्धारित), 27]

शादी को आम तौर पर "अनियंत्रित" औलाद को "ठीक" करने के, और उसके भविष्य की ज़िम्मेदारी किसी और पर डालने के रूप में देखा जाता है।

मेरे परिवार ने मुझ पर पढ़ाई करने और केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करने का दबाव डाला। जब मैंने कहा कि मैं वह विषय नहीं पढ़ सकती जो वे चाहते थे और यह भी बताया कि मैं एक लड़की के साथ रहना चाहती हूं, तो मेरी मां को डिप्रेशन हो गया। मां, चाचाओं, पिताजी के साथ नियमित रूप से कहासुनी [बहस] और झगड़े होते थे। फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि इससे निपटने का एक ही उपाय है, किसी लड़के से मेरी शादी करा दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर वह चाहेगा कि मैं आगे पढ़ूं तो यह उसके ऊपर होगा।

[नताशा, सिस महिला, 19]

दो अन्य लेस्बियन सिस महिला गवाहों ने उनपर पड़े शादी के दबाव का वर्णन किया: एक उदाहरण में ऐसा परिवार को युवा महिला के क्वीयर संबंधों (ओमेरा) के बारे में पता चलने से पहले हुआ; दूसरे में, बाद में, समस्या से निपटने के उपाय के रूप में (सेलिन)। यह लगभग वैसा ही है जैसे शादी करने के प्रति व्यक्ति की अनिच्छा को मानते हुए और नज़रअंदाज़ करते हुए आगे बढ़ना।

एक ट्रांस आदमी की गवाही साफ़ दर्शाती है कि कैसे उसकी अपनी पहचान को लेकर ख़ुद की समझ को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया।

एक रात मैंने मां-बाप को मेरी बहनों की और फिर मेरी शादी के बारे में बात करते हुए सुन लिया। मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा हूं, मैं किसी लड़के से शादी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, "तुम्हें मानसिक समस्याएं हैं. ये जो वीडियो तुम देखते रहते हो, उन्हीं के कारण तुम अपने आप को आदमी मानने लगे हो।" अगले ही दिन मैंने भाग जाने की योजना बनाई।

[तुषार, ट्रांस पुरुष, 20]

यह जो आम अपेक्षा होती है कि औलाद की शादी तो हर हाल में होनी ही है, इसका ट्रांस पुरुषों के साथ परिवार के व्यवहार पर विशेष असर पड़ता है। बच्चे की शिक्षा में परिवार एक सीमा से अधिक निवेश नहीं करना चाहते हैं; इसी बीच, शादी का दबाव इतनी ज़ोर से बढ़ रहा होता है कि व्यक्ति निरंतर भय के माहौल में जीने के लिए मजबूर हो जाता है, और परिवार को अपनी सच्चाई नहीं बता पाता।

जब मैं 10वीं पूरी कर रहा था, मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना कि जब मैं 12वीं कक्षा में पहुंचूंगा, वे मेरी शादी कर देंगे। वे नहीं चाहते थे कि मैं आगे पढ़ाई करूँ, क्योंकि उनका मानना था कि वैसे भी मेरी शादी तो हो ही जाएगी और मेरी सारी शिक्षा बेकार जाएगी। मुझ पर शादी करने का बहुत दबाव था और मैं अपनी सच्चाई ज़ाहिर करने से कतरा

रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने परिवार को बता दूंगा कि मैं कौन हूं और शादी क्यों नहीं करना चाहता, वे समझ नहीं पाएंगे। आज भी मुझे डर लगता है. शादी का दबाव बढ़ता ही गया।

[ताहिर, ट्रांस पुरुष, 22]

शादी करने का दबाव सभी तरह के गवाहों के बयानों में सामने आया, ट्रांस पुरुष हो या लेस्बियन/ बाइसेक्शुअल/ क्वीयर सिस महिला, जो गवाही देने वालों में अधिकांश थे, और एकमात्र ट्रांस महिला गवाह का भी यही अनुभव रहा था। सारे धार्मिक और जातिगत पृष्ठभूमि के व्यक्ति भी इसमें शामिल थे, ख़ासकर वे लोग जो ग्रामीण इलाकों या छोटे शहरों से थे। परिवारों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला आम तर्क यह भी था कि व्यक्ति की शादी इसलिए ज़रूरी होती है कि उसके अन्य भाई-बहनों की शादी की संभावनाएं ख़तरे में न पड़ें या फिर उनके सही चल रहे वैवाहिक जीवन पर कोई आंच न आए। और जहां परिवारों और समुदायों को क्वीयर रिश्ते के अस्तित्व के बारे में पता होता है, जिसे वे स्वीकार नहीं करते हैं, वहां बाहरी दुनिया के लिए शादी को सबूत के रूप में पेश किया जाता है कि जो समस्या थी वह ठीक कर दी गई है।

वे [पार्टनर के परिवार वाले] लगातार हमारे घर को जला देने की धमकी देते थे। उसके बाद मेरे परिवार वाले भी मुझ पर शादी के लिए दबाव डालने लगे – मेरे भाई-बहन शादीशुदा हैं, और परिवार का कहना था कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा कि मैं शादी नहीं कर सकता. लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। आख़िरकार मेरी शादी तय हो ही गई।

[तपन, ट्रांस पुरुष, 22]

परिवार शादी के दबाव में ज़रा भी ढील नहीं देते, भले ही वे देख पा रहे हों कि इस तरह की ज़बरदस्ती का उनके बच्चे पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

मेरा परिवार मुझसे शादी के लिए अलग-अलग औरतों से मिलने के लिए कहता रहा, लेकिन मैंने उन्हें यह बताने की कोशिश की कि मैं पहले [अपनी नौकरी में] अपने पैर जमा लूं, फिर शादी करूंगी। मगर उन्होंने कहा कि हम सब संभाल लेंगे, तुम बस शादी कर लो। वे मुझे लड़कियां दिखाने ले जाने लगे। मैं इतना डर जाती थी कि मुझे बहुत तेज़ बुखार हो जाता था, यहां तक कि उन्हें मुझे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

[तारिणी, ट्रांस महिला, 33]

जब हम शादी में धकेले जाने के अनुभवों पर ग़ौर करते हैं, तो सभी गवाहियों में जो बात चिंताजनक रूप से – लेकिन आश्चर्यजनक रूप से नहीं – समान पाई जाती है, वह है अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण और प्रभावी निर्णय को लेकर असहायता की भावना और एजेंसी की, कुछ बोलने-करने की क्षमता की, कमी का एहसास। ख़ास तौर पे कम उम्र में जबरन शादी के दूर तक चलने वाले सरासर मायने होते हैं किसी को उनके परिचित स्थान से बाहर ले जाना और उन्हें जगह पर लाना जहां उनके पास कोई समर्थन व्यवस्था नहीं होती है और कभी-कभी कोई अधिकार भी नहीं होते हैं।

[लक्ष्मी] जब 14 वर्ष की थी, उसकी शादी करवा देने के लिए उसे [एक पड़ोसी देश से]

> भारत लाया गया। उसमें कभी भी इस शादी के ख़िलाफ़ खड़े होने या शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नहीं हुई। लोग मामला दायर करने से डरते हैं क्योंकि वे पुलिस द्वारा और अदालत में उत्पीड़न से डरते हैं। इसके लिए बहुत अधिक काउंसलिंग और समर्थन की आवश्यकता होती है। इस बात का कोई क़ानूनी दस्तावेज नहीं था कि वे (लक्ष्मी और उनके पति) शादीशुदा हैं। जब वह भारत आई तब भी कोई दस्तावेज़ नहीं थे और अब तो उन्होंने उसके सभी दस्तावेज़ों को जला डाला है। उसके पास कुछ भी नहीं रहा। अब उसके पास उस नंबर के बूते पर बना, जो उसे याद था, एक आधार कार्ड है।
>
> [तपन, ट्रांस पुरुष, 22]

इस तरह से राज्य की नज़र में किसी की पहचान और अस्तित्व को ही मिटा देना, और उसे एक निहित रूप से हिंसक रिश्ते में पूरी तरह अजनबियों पर निर्भर बना देना, उसे ऐसे बंधनों में जकड़ने का तरीक़ा है जिनसे निकलने के बारे में सोचना भी मुश्किल हो जाता है। गवाहों ने ऐसी रोज़-रोज़ की हिंसा का सामना करते हुए जिस-जिस तरह से सहायता प्रणालियां विकसित कीं, रिश्ते खोजे, ख़ुद को बेहतर जाना-समझा और कुछ आत्मविश्वास हासिल किया, उससे संकेत मिलता है कि क्वीयर/ ट्रांस व्यक्तियों पर की जाने वाली हिंसा के प्रकारों को बारीक़ी से समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और यह भी कि बात यहां तक पहुंचे इससे पहले किन चीज़ों से मदद मिल सकती थी.

अगवा करना, अपहरण, घर में नज़रबंद रखना और अन्य अवैध क़िस्म के कारावास

एक गवाही में एक महिला का अनुभव प्रस्तुत किया गया, जिसने शादी के 23 साल बीतने के बाद ही हिंसक वैवाहिक घर छोड़ा, क्योंकि उसे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में काफ़ी समय लगा जिस पर वह इतना भरोसा कर सके कि उसके वहां से निकल जाने के बाद वह मदद कर सके। व्यक्ति की वयस्कता और ख़ुद के जीवन को लेकर उसकी निर्णय-शक्ति को हम तय मानकर नहीं चल सकते – ये कितने बेमाने हो सकते हैं इसकी भयावह याद दिलाते हैं ऐसे क़िस्से, कि 40 से अधिक उम्र की महिला (रानी) को भी उसके पैदाइशी और वैवाहिक परिवार मिलकर ढूंढने में सक्षम होते हैं, जहां वह रहती थी वहां से उसे घसीटकर ले जाते हैं, एक कार में घुसा देते हैं और उसे एक अलग राज्य ले जाते हैं।

जैसा कि हम आगे देखेंगे, इन अपहरणों के पीछे, जिन्हें पुलिस शायद ही कभी अपहरण मानने तैयार होती है, इरादा होता है व्यक्ति को उसके द्वारा बनाए गए समर्थन के पूरे सिस्टम से अलग करना, चाहे वह किसी सहायक संगठन के पास पहुँच पाया हो, या फिर कोई दोस्त या अंतरंग पार्टनर उसका मददगार हो, और उसे परिवार के पूर्ण नियंत्रण में वापस लाना। उस बेहद आम मान्यता का फ़ायदा उठाकर, कि परिवार ही अपने बच्चों के हितों का सबसे ज़्यादा ख़याल करता है, परिवार के लोग अपने क्वीयर/ ट्रांस सदस्यों को धोखा देने में संकोच नहीं करते हैं, समझ और स्वीकृति का वादा करते हैं और बिना किसी डर के अपना जीवन जी पाने की आज़ादी का आश्वासन देते हैं, ताकि उन्हें उसी स्थल पर वापस लौटने के लिए राज़ी किया जा सके जहां पहले से हो रही हिंसा जारी रहती है।

> उस समय मेरे मां-बाप मुझे [महानगर] से वापस घर ले जाने के अलावा और कुछ नहीं सोच रहे थे। उन्होंने कहा कि वे [मुझे] समझते हैं और क्या हो रहा है यह जानने के लिए एक मनोचिकित्सक से परामर्श लेंगे। एक तरह से मैं ख़ुश था कि मुझे अपने परिवार वालों को अपनी सच्चाई बताने का मौक़ा मिला। मुझे लगा कि वे समझ जायेंगे। जब मैं घर पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे मैं घर में नज़रबंद हूं, यह जेल में रहने से भी बदतर था। जब भी मैं कहीं जाता, कोई मेरे पीछे-पीछे रहता। उन्होंने मेरा फ़ोन वगैरह सब कुछ छीन लिया।
>
> [ऋषि, ट्रांस पुरुष, 27]

कई गवाहों ने बयान किया कि कैसे परिवार ने फ़ोन और जन्म के/ वैवाहिक परिवार के (शरत) अलावा किसी के साथ संपर्क करने का कोई भी अन्य साधन छीन लिया; यहां तक कि वैवाहिक परिवार के भीतर भी, बच्चों या अन्य ऐसे लोगों को उन्होंने व्यक्ति के ख़िलाफ़ कर दिया जो उसके क़रीब थे, जिससे अलगाव और भी गहरा हो गया। तपन, एक ट्रांस पुरुष, ने उस तरह की हिंसा के बारे में बताया जिसका सामना उसकी सिस महिला पार्टनर लक्ष्मी को करना पड़ा।

> जैसे ही हमारे रिश्ते का ख़ुलासा हुआ, उसे उसके वैवाहिक परिवार में नज़रबंद कर दिया गया, खाना नहीं दिया गया और पीटा गया। हमें एक-दूसरे से संपर्क करने की अनुमति नहीं थी [...] जिससे लक्ष्मी की शादी हुई थी, उस व्यक्ति ने उसके साथ बहुत हिंसा की। उसके साथ उसने इंसान जैसा व्यवहार नहीं किया, उसे एक कमरे में बंद कर दिया, उसका फ़ोन छीन लिया। लक्ष्मी के ससुराल वालों ने उसके बच्चे के दिमाग़ में भर दिया है कि वह बहुत ख़राब है क्योंकि वह उसे छोड़ कर चली गई है।
>
> [तपन, ट्रांस पुरुष, 22]

एक बार फिर, गवाही स्वयं इस तरह की चरम हिंसा के निहितार्थ को पकड़ती है: वैवाहिक परिवार क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति को इंसान के रूप में नहीं देखता है और उसपर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए उसे बंद करने, भोजन से वंचित रखने, पीटने, उसका बलात्कार करने, यहां तक कि उसे जान से मार डालने के लिए तैयार रहता है। इसी तरह, शरत ने घर में नज़रबंद किए जाने और अपने बच्चों के सामने पीटे जाने का वर्णन किया है। और उसका मामला कइयों में से बस एक है। वैसे संकट की स्थिति में मदद-हस्तक्षेप के अनुभव वाले एक व्यक्ति द्वारा दिए गए उदाहरणों में से एक में, हमने एक ऐसी स्थिति के बारे में सुना जिसमें एक क्वीयर रिश्ते में पार्टनर के मां-बाप सहायक भी बने।

> [__] की मां ने अपनी बेटी को पीटा, उसे घर में नज़रबंद कर दिया और मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने दिया। देर रात करीब 10 बजे वह यह कहकर बच निकलने में सफ़ल रही कि उसे शौचालय जाना है। वह घर से भाग गई और पड़ोसी के घर जा छिपी। [____] के मां-बाप ने [] को सूचित किया कि वह घर से भाग गई है और कहा कि अब उसे ही उनकी लड़की को ढूंढना होगा और उसकी सारी ज़िम्मेदारी लेनी होगी। उसके दोस्तों और परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी और सुबह-सुबह उसे ढूंढ लिया और उसके पार्टनर के घर ले आए, जहां वह अपने मां-बाप के साथ रहता था। तब लड़की के

> मां-बाप भी वहां पहुंच गए और उसे अपने साथ जाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। दोनों के मां-बाप के बीच तीखी बहस होती रही।
>
> [बरूनी, ट्रांस पुरुष, 27]

इस उदाहरण में, कम से कम जोड़े को एक के मां-बाप से समर्थन मिला। दूसरे के मां-बाप ने शुरू में ही अपने परिवार के उस सदस्य से हाथ धोना पसंद किया, जिसका व्यवहार वैसा नहीं था जैसा वे चाहते थे, हालांकि इस बात ने उन्हें उसे वापस लौटने के लिए मजबूर करने की कोशिश से नहीं रोका। एक अन्य उदाहरण में, जहां परिवार अपनी बेटी को उस ट्रांस पुरुष से अलग करना चाहता था जिसके साथ वह रह रही थी, परिवार में हुई एक मौत का फ़ायदा उठाया जिसके लिए बेटी उस शहर लौट आई जहां क्रिया कर्म हो रहे थे।

> मेरा फ़ोन ज़ब्त कर लिया गया था, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा हा था। साजो आना और मिलना चाहता था। पड़ोस के लोगों को पता चल गया। एक तरफ़, मुझे बंद कर दिया गया था। मुझे एक ऐसे कमरे में डाल दिया गया जहां से मैं केवल सारा हंगामा सुन सकती थी। मैंने अपने परिवार से कहा कि कम से कम मुझे साजो से बात करने दें लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरी ओर, साजो को अंदर आने से रोका गया और फिर [उस पर] हमला हुआ। कई लोग आए और मेरे साथ मारपीट की, मुझे ज़बरदस्ती एक ऑटो में बिठाया, और मुझे [उस शहर के] घर से जहां मैं थी, [बड़े शहर] में अपनी मां के घर ले गए।
>
> [सेलीन, सिस महिला, 28]

इस तरह से, सेलीन के परिवार ने कुछ अजनबियों के साथ न केवल उसे और उसके पार्टनर को हिंसा का शिकार बनाया, लेकिन साजो के पास यह जानने का कोई तरीक़ा नहीं था कि उन लोगों ने सेलीन को कहां बंद कर रखा है, या वे कब उसे कहीं और ले गए हों, जिससे इसके बारे में कुछ भी करना लगभग असंभव हो गया। और यह एकमात्र ऐसा अनुभव नहीं है।

> उस समय, परिवार के सदस्य आए और मेरी पार्टनर को उठाकर उसकी सहमति के बिना उसे ले गए। [...] इसके बाद चार महीने तक मेरा उससे कोई संपर्क नहीं हुआ। मुझे पता चला कि वह एक पुनर्वास केंद्र में थी। उसे ड्रग्स दिए गए क्योंकि वह एक ट्रांस पुरुष से प्यार करती थी। पुनर्वास के बाद मैंने उससे संपर्क किया और कहा कि मैं उसे ज़रूर बाहर निकाल लूंगा, वह मुझे कुछ समय दे। उन्होंने उसका "इलाज" किया क्योंकि वह लेस्बियन है।
>
> [ओइशिक, ट्रांस पुरुष, 21]

जब किसी क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति अपने परिवार द्वारा इस तरह से क़ैद कर लिया जाता है, बाक़ी सभी से अलग कर दिया जाता है, तब इस बात पर उसका कोई अधिकार नहीं होता है कि उसके साथ क्या किया जा रहा है, चाहे वह किसी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में मरीज़ के रूप में भर्ती हो, या "पुनर्वास केंद्र" में रखा जा रहा हो, उसे "इलाज" के लिए धार्मिक स्थानों या स्वघोषित आध्यात्मिक चिकित्सकों के पास ले जाया जाए, या पूर्वाग्रहग्रस्त पुलिस कर्मियों द्वारा पुलिस स्टेशनों के अंदर उसकी "काउंसलिंग" की जाए, आदि। जैसा कि बिलकुल स्पष्ट है, इस सब में क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति की अपनी इच्छाएं या पसंद को स्पष्ट रूप से नकारा

जाता है, यहां तक कि चिकित्सा देखभाल तक पहुंच पाने के संदर्भ में भी। हालांकि व्यक्ति के अधिकारों की तथाकथित रूप से रक्षा करने वाली संस्थाओं की परिवारों के साथ मिलीभगत पर आगे चर्चा की जाएगी, यहां इसपर प्रकाश डालना ज़रूरी है कि किस हद तक जीवन बदलने वाले निर्णयों की श्रृंखला निर्धारित परिवार अपने कब्ज़े में कर लेते हैं, व्यक्ति के लिए सारे निर्णय लेने को अपना अधिकार मान लेते हैं – तब भी, जब वे भलीभांति जानते हों कि उन्हें फलां निणय लेने का क़ानूनी अधिकार नहीं है, वे निर्णय ले लेते हैं। परिवार जब लगातार दावा करता है कि वह एक ऐसे व्यक्ति को "ठीक"/ उसका "इलाज" कर रहा है जिसकी जेन्डर/ सेक्शुएलिटी बिल्कुल वही है जो उसे ख़ुद अपने जीवन-निर्णय लेने के लिए अयोग्य बनाते हैं, तो ज़ाहिर है कि उस व्यक्ति का हित परिवार ले लिए सबसे ऊपर नहीं हो सकता - बल्कि अक्सर उसके हित को समझने की कोशिश भी नहीं की जा रही होती है।

> मेरे मां-बाप ने मेरा फ़ोन छीन लिया। मेरी मां ने इसमें पहल की। मुझे सभी बाहरी संपर्क से काट दिया गया, अकेला कर दिया गया। मेरे पिता ने मुझसे कहा, “अब इस दुनिया में या तो तुम हो या मैं।” उनके हाथ में चाबियों का एक गुच्छा था, जो उन्होंने मुझ पर दे मारा।[...] मैंने उनसे थोड़ी समझ मांगी, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे बिना फ़ोन वाले कमरे में रखा। वे दोहराते रहे कि मेरे लिए उन्होंने क्या-क्या किया है...
>
> [ओमेरा, सिस महिला, 24]

अंत में, इस तरह की ज़बरदस्ती के बारे में ग़ौर करना चाहिए जो किसी व्यक्ति को संचार के सभी साधनों से वंचित करे, उसे बंद कर दे, और एजेंसी से, अपने लिए निर्णय ले पाने से, वंचित कर दे, जिसका सामना कितने ही क्वीयर और ट्रांस लोगों को तब करना पड़ता है जब वे उम्र में बहुत छोटे हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, अनिश्चित परिस्थितियों में रह रहे हैं। यही अरक्षितताएं उनके परिवारों की उन पर पकड़ की शक्ति को बढ़ा देती हैं। एक ऐसी गवाही भी सामने आई जहां शहर में अपना जीवन जीने में कामयाब हो चुके व्यक्ति से समर्थन की मांग आई:

> वह अच्छी तरह से शिक्षित थी और एक शहर में काम कर रही थी। उसने एक महिला के साथ संबंध बनाया था जो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से थी। किसी तरह उसके परिवार को इसकी भनक लग गई और वे एक तांत्रिक के साथ उसके घर पहुंचे। उन्होंने उसके भोजन में कुछ औषधि मिला दी और उसे कुछ दिनों के लिए घर लौटने के लिए कहा। वहां उसने किसी तांत्रिक पर फ़ोन पर होने वाली बातें सुनीं – उस पर काला जादू करने के बारे में बातें हो रही थीं। उसे धमकी दी गई कि अगर उसने घर छोड़ा, उसके दोस्तों और परिचितों को जान से मारा जाएगा। एक बार उसके घर आ जाने पर उसका फ़ोन, लैपटॉप और संचार के सभी साधन छीन लिए गए थे। उसे काम पर वापस जाने से मना कर दिया गया था। उसके परिवार की राजनीतिक पहुंच थी, एक शक्तिशाली, समृद्ध पृष्ठभूमि थी। वह मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहती थी और अपने सभी दस्तावेज़ों, पासपोर्ट, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के साथ अपना घर छोड़ना चाहती थी। उसे अपनी जान का डर था और वह चाहती थी कि हम उसके घर पहुंचे और वहां से बाहर निकलने में उसकी मदद करें।
>
> [सहायक संगठन]

जबकि संकट के समय हस्तक्षेप और संगठनों द्वारा समर्थन कैसा होता है, इस पर हम अलग से विचार करेंगे, अभी हम परिवार की उस क्षमता पर ग़ौर कर रहे हैं कि कोई सदस्य दूर रहने पर भी क्या कर रहा है, इस पर वह नज़र रख सके। हमने कई बयानों में देखा कि ऐसे वयस्क, जिनके पास नौकरी है, एक स्तर की आर्थिक स्वतंत्रता है, एक अलग जगह पर जीवन है, कैसे परिवार उन तक पहुंच उनका भी अपहरण कर लेते हैं, बस इसलिए कि उस व्यक्ति का कोई ऐसा पार्टनर है जो परिवार को अस्वीकार्य है। हमने देखा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धन और ताक़त का किस तरह उपयोग किया जाता है। हमने यह भी देखा कि कैसे एक व्यक्ति, यहां तक कि जब मौत की धमकी दी जाती है, यहां तक कि जब उसके दोस्तों को धमकी दी जाती है और वह परिवार को छोड़ पाने के लिए बाहरी मदद मांगती है, तब भी "सौहार्दपूर्ण ढंग से मामले को सुलझाना" चाहती है।

भले ही ख़ुद के ख़िलाफ़ परिवार की हिंसा किसी भी प्रकार की रही हो, क्वीयर/ ट्रांस लोग, अकेले या पार्टनरों के साथ, जिस तरह अपना जीवन जीते हैं – यहां तक कि तब भी जब वे हिंसा और नज़रबंदी से भागने में कामयाब हुए हों – उसमें उनके निर्धारित परिवार पृष्ठभूमि में फिर भी बने रहते हैं। इसका कारण चाहे दुनिया में किसी और को न जानने और किसी और का न होने का भाव हो; या निर्धारित परिवार पर निर्भरता हो; या उनकी पहुंच और ताक़त से डर; या सारी हिंसा के बावजूद उनके प्रति ज़िम्मेदारी और देखभाल की भावना।

घर से रिश्ता कट जाना

वही परिवार जो व्यक्ति के निजी चुनावों का गला घोंटने पर आमादा होते हैं, अपनी ओर से दिए हुए आश्रय को भी ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वीयर और ट्रांस औलाद को साफ़ समझा दिया जाता है कि जिस "घर" को वे स्वाभाविक रूप से अपना मानते आए हैं, उसमें रहने के लिए उन्हें परिवार के नियमों का पालन करना होगा।

> एक बार जब मैं सातवीं-आठवीं कक्षा में था, मेरे बाप ने मां के साथ मुझे एक अंकल के यहां भेज दिया, और मां से कहा कि तब तक न लौटे जब तक मैं लड़कियों की तरह रहना न सीख लूं। वे मेरी मां को ही दोष देते थे, कि अपनी बेटी को वह सही संस्कार नहीं दे रही है।
>
> [उदय, ट्रांस पुरुष, 27]

तो यह रहा एक गवाह के अपने शब्दों में दर्ज एक ख़ास चिंता का विषय, कि अक्सर परिवार कैसे अपने ही सदस्य के जीवन से ज़्यादा इन सही संस्कारों को महत्त्व देता है, और साथ ही यह भी कि जो परिवार के ढांचे में ऊंचे स्थान पर होते हैं वे सदस्य भी कैसे उन हुक्मों को टाल नहीं पाते कि सिर्फ़ उन लोगों का समर्थन किया जाए जो तय मानकों पर सही उतरते हों.

एक ट्रांस पुरुष, जिसकी शादी 14 की उम्र में कर दी गई थी, ने अपने पति को संवेदनशील पाया जब उसने उसके आगे अपनी सच्चाई ज़ाहिर की. पति उसका समर्थन करता रहा, लेकिन गवाह ने बताया कि जब उसने तलाक़ का क़दम उठाने का फ़ैसला लिया, तब पैदाइशी परिवार का उसके साथ रिश्ता बिगड़ने लगा.

मैं नहीं जानता था लेकिन मेरे पार्टनर को जानकारी थी, तो उसने कहा कि हमारे साथ रहने के लिए मेरा क़ानूनी तलाक़ होना ज़रूरी है। मैंने अपने पति को बताया, और हमने आपसी रज़ामंदी का डाइवोर्स लेने की योजना बनाई। तब मेरे परिवार ने कहा कि मैं तलाक़ नहीं ले सकता, मुझे शादी में रहना ही होगा, कि अगर मैं उनके साथ रहना चाहता हूं तो शादीशुदा रहना पड़ेगा। मेरे बाप और भाई ने मेरी पिटाई भी की। मैंने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूं, और रात के एक बजे मैं वहां से निकल गया।

> लोकडाउन चालू था, मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं थी, तो 19 दिनों तक मैं रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पर ही रहा। मेरे परिवार वालों ने कभी ख़बर नहीं ली कि मैं कहां किस हाल में हूं। बस मेरी गर्लफ्रेन्ड थी जो आके मुझे खाना देती थी। 19 दिनों के बाद मेरे दादा-दादी को पता चल गया और उन्होंने मुझे वापस घर बुलाया और मैं चला आया। मेरे दादा-दादी बचपन से मेरा साथ देते आए हैं, दादा हमेशा कहते थे कि तुम जो चाहो कर सकते हो. इसके बाद मैंने (उस राज्य से) अपने पति को फ़ोन किया, वह आया और हमने एक साथ तलाक़ के लिए अर्ज़ी दी। क्योंकि मैंने यह क़दम उठा लिया था, परिवार ने कहा की अब मैं उनके साथ नहीं रह सकता, दादा-दादी के पास भी नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं चला गया।
>
> [ओइशिक, ट्रांस पुरुष, 21]

जब परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होता है (मां, दादादादी) जो बच्चे की सहायता करता है, तो उन्हें अक्सर छिपकर ऐसा करना पड़ता है, और बच्चे के बड़े होने के बाद भी परिवार इस रिश्तेदार तक उसकी पहुंच को प्रतिबंधित करने का काम करता है, जैसा कि हमने अन्य उदाहरणों में भी देखा है। उपरोक्त या अन्य ऐसी गवाही के विपरीत, जहां क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति ख़ुद पारिवारिक घर छोड़ने का फ़ैसला करता है – चाहे वह फ़ैसला अपने आप में कितना भी कठिन, तनावपूर्ण या हिंसा से जुड़ा क्यों न हो – उससे भी ज़्यादा विचलित करने वाली परिस्थिति उस उत्पीड़ित और हाशिए की पृष्ठभूमि से आने वाले क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति की होती है जो शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक पूंजी की कमी के चलते अकेले ज़िन्दा रह पाने की स्थिति में नहीं होता, और फिर भी उसे दो विकल्पों के बीच चुनने को कहकर घर से बाहर कर दिया जाता है, एक तरफ़ जीवित रहने के लिए ज़रूरी आश्रय और भोजन, तो दूसरी ओर स्वयं के प्रति ईमानदार जीवन जी पाने की सम्भावना। यानी ऐसा जीवन, जिसमें व्यक्ति धीरे-धीरे समर्थन का नेटवर्क बनाना शुरू कर सके।

बल्कि जब व्यक्ति को स्वयं घर से बाहर नहीं निकाला गया हो लेकिन परिवार वाले उसके पार्टनर को स्वीकार नहीं करते, तब भी परिणाम समान होते हैं। यह एक ऐसी व्यापक सच्चाई थी कि अधिकांश गवाहों ने इसका उल्लेख करने की आवश्यकता तब तक महसूस ही नहीं की जब तक उन्हें इस बारे में पूछा नहीं गया - यानी यह लगभग स्पष्ट था कि उनके परिवार से जुड़े मौक़ों-जगहों में उनके क्वीयर/ ट्रांस पार्टनरों का स्वागत नहीं किया जाएगा।हालांकि इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब पार्टनर को अस्वीकार करने और आश्रय प्रदान न करने का कारण होता है रिश्ते का अंतर्जातीय होना, जो मामले को और जटिल बना देता है।

मैं अपने घर जा सकता हूं, लेकिन चेतना के साथ नहीं। समान-लिंग और अंतरजातीयता का मुद्दा –यदि वह उसी जाति से होती तो शायद वे उसे स्वीकार कर लेते। अब हम अलग अपने किराये के घर में रहते हैं।

[तुषार, ट्रांस पुरुष, 20]

ज़ाहिर है इस सबके नतीजे से हुआ नुकसान केवल भौतिक नहीं हैं। कुछ गवाहों ने इस बारे में बात की, कि कैसे इतनी हिंसा के बावजूद, कभी-कभी जीवित रहने की रणनीति के रूप में, अपने परिवारों के साथ रिश्ते बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। जब क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति के बच्चे हुए, तो हमने देखा कि कैसे ये बच्चे भी अक्सर उन मां-बाप के ख़िलाफ़ हो जाते थे जिनका अस्तित्व तक हिंसक परिवार को छोड़ देने पर निर्भर था। बच्चे एक उपकरण बन जाते हैं जिसका उपयोग परिवार के बाक़ी सदस्य उनके क्वीयर/ ट्रांस मां-बाप के रिश्तों पर और अधिक दबाव डालने के लिए करते हैं, जिससे वे रिश्ते और भी कमज़ोर पड़ जाएं।

परिवार ने उसके बच्चे को ऐसी पट्टी पढ़ा रखी है कि बच्चा शरत से तब भी बात नहीं करना चाहता है जब वह फ़ोन करता है. बच्चे ने पूछा था कि शरत "मम्मी" है या "पापा"। बच्चा शरत आंख नहीं मिलाता, उसे लगातार बताया जाता है कि शरत एक बुरी मां है। शरत को शर्मिंदा किया गया और उसे सुनाया गया कि उसकी वजह से उसके बच्चे का सम्मान नहीं किया जाएगा। बच्चा पांच साल का है।

[शरत, ट्रांस पुरुष, 21]

जब बच्चे कुछ बड़े हो होते हैं, तो वे स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके मन में पहले से ही बैठे पूर्वाग्रहों के असर की संभावना होती है, जिससे उनके क्वीयर/ ट्रांस मां या बाप के अंदर निराशा और अलगाव की भावना और गहरी हो सकती है।

लक्ष्मी उस बच्चे के साथ संपर्क में रहना चाहती थी, वह अब 14 साल का है। लेकिन परिवार वालों ने बच्चे के कान भर दिए, उसे बताया गया था कि लक्ष्मी एक बुरी मां है और बुरी संगत में रहती है, और उसके साथ संपर्क नहीं रखना चाहिए, इसलिए बेटा अब संपर्क में रहने से इनकार करता है।

[तपन, ट्रांस पुरुष, 22]

रानी के बच्चों ने, जो तब किशोरावस्था में थे, अदालत में मांग की कि उनकी मां अपनी पसंद के साथी के साथ न रहे – जैसे कि विषमलैंगिक वैवाहिक परिवार के बाक़ी सदस्यों की तरह, वे भी समझते हों कि वे उसके जीवन के मालिक हैं और उसके लिए फ़ैसले लेने का अधिकार रखते हैं। यह बताया गया कि उन्होंने अपनी मांग इतने अधिकार-पूर्ण तरीक़े से की, कि जब अदालत के फ़ैसले में वही पूर्वाग्रह नहीं दिखा तो उन्होंने रानी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को धमकी देने में संकोच नहीं किया।

गवाहियों की संख्या सीमित होने के बावजूद, जिन विविध परिस्थितियों का वर्णन हुआ वे हमें इस बारे में सोचने में मदद करती हैं कि क्वीयर/ ट्रांस लोगों के पास कौन से विकल्प होते हैं जब उन्हें उनके घरों से बाहर निकाल दिया जाता है, और आश्रय, भोजन, अपने क़ानूनी दस्तावेज़ों, परिवार के सदस्यों के समर्थन तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता है। यह सब

अचानक खो जाने पर, जहां गवाही देने वाले कुछ लोगों के पास पार्टनर थे जिनके साथ वे रह सकते थे, और दूसरों को ऐसे स्थानों पर भेज दिया गया जहां उनपर परिवार का नियंत्रण जारी रहा, वहीं कइयों के पास जाने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, ख़ासकर उन परिस्थितियों में जहां महामारी और लॉकडाउन के दौरान गतिशीलता ही असंभव थी। अपनी गवाही में शामली ने घराने में रहने पर भी विचार किया।

> जब हमें घर से निकाल दिया गया तो हम हिजड़ा समुदाय के साथ रहने के लिए एक घराने में चले गए। गुरु से मिलने गए तो देखा कि उनके घर में 3 एसी लगे थे, सारी चीज़ें थीं। मैं ऊपर, चेलों वाले कमरे में नहीं गई। उस कमरे में 20 गद्दे और केवल एक पंखा होता है. कोई दलित हिजड़ा वहां नहीं रह सकती. मुझे पता चला कि यदि आपकी सर्जरी अच्छी हो जाती है और आप स्त्री जैसी दिखती हैं, तो आपको घरों में जाने और बधाई मांगने दिया जाता है, यदि नहीं, तो आपको ट्रेनों और बसों में भीख मांगनी पड़ती है।
>
> [शामली, नॉन-बाइनरी, 26]

शामली का अनुभव प्रतिनिधि करने वाला भले न हो, लेकिन एक विशिष्ट भू-राजनीतिक संदर्भ में स्थित एक विलक्षण अनुभव ज़रूर था; फिर भी यह महत्वपूर्ण है कि घराने को एक ऐसे वैकल्पिक आश्रय के रूप में माना जाए जो ट्रांस व्यक्ति के लिए शायद मुमकिन हो। विवाह या लिव-इन रिश्ते से बिल्कुल अलग रहने के तरीक़ों को लेकर हमारी जो परिकल्पनाएं हैं, उनमें एक घराने के संदर्भ में बनने वाले रिश्तों की प्रकृति को स्पष्ट करने से और उनके लिए मान्यता के अभाव को देखकर नयी समझ बनती है, और हो सकता है इसके ज़रिए निर्धारित परिवार की हिंसा को भी हम बेहतर समझ सकें।

शिक्षा पर रोक व अन्य अभावों से घिर जाना

किसी को जान से मारने की धमकी देने की स्थिति तक पहुंचने से पहले, आए दिन कई तरह के झगड़े होते हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग शायद ही हिंसा के रूप में देखें, और जिनसे निपटना यूं और भी मुश्किल हो जाता है। एकमात्र शारीरिक हिंसा के अभाव से इस नतीजे पे नहीं पहुंचा जा सकता कि किसी का जीवन हिंसा से मुक्त है। औरों से अलग होने के कारण किसी व्यक्ति को अपमानित करना, ख़ासकर जब वह मूल संसाधनों के लिए परिवार के सदस्यों पर निर्भर हो, और उसके आज़ादी व बाहरी दुनिया में जगह पाने की सभी कोशिशों का गला घोंट देना, और समय-समय पर समर्थन वापस लेना – ये सामान्य तरीक़े हैं जिनके ज़रिए परिवार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि औलाद तय "सीमाओं" के भीतर रहे।

अपमानित होने का डर, या अपनी पसंद और चाहत को किस तरह देखा-नकारा जाएगा इसका अनुमान, अपने आप में कभी-कभी व्यक्ति को प्रेरित कर देते हैं कि वह अति हिंसा से ख़ुद को कैसे बचाए – अपनी सच्चाई छुपाकर, अपनी अभिव्यक्ति को सीमा में बांधकर, तरह-तरह के समझौते करके।

परिवार के सदस्यों द्वारा क्वीयर और ट्रांस लोगों को नियंत्रण में रखने के सक्रिय तरीक़ों में से एक है उसकी शिक्षा पर अपने नियंत्रण को अपने मतलब के लिए कभी कसना कभी छोड़ना। जहां हमारे अनेक गवाह बचपन से युवा वयस्क होने तक निशनित रूप से मानते आए थे

कि शिक्षा उनके स्वतंत्र बनने के लिए महत्वपूर्ण थी, वहां परिवारों ने बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने के लिए इसे भी अपनी सौदेबाज़ी का उपकरण बनाया।

लहर ने शिक्षा को लेकर ऐसा ही अपना एक अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि चूंकि अंग्रेज़ी शिक्षा और इंटरनेट तक उनकी पहुंच थी, इसलिए किशोरावस्था में ही उन्हें एहसास हो गया था कि क्योंकि अपने जेन्डर और सेक्शुएलिटी को लेकर बन रही उनकी अपनी समझ परिवार को नहीं जंचेगी, उन्हें जल्द से जल्द घर से बाहर निकल पाने की ज़रूरत थी – ताकि वे जैसा महसूस करते हैं उसी के अनुसार जी सकें। वे ग्रैडएशन की पढ़ाई के लिए एक महानगर जाने में कामयाब रहे, और अपनी पोस्टग्रैडएशन की पढ़ाई के लिए भी वहीं रुक गए।

> हमने छुटपन से रणनीति बनाना शुरू कर दिया था: हम जानते थे कि शिक्षा एक प्राथमिकता है, क्योंकि कमाई एक प्राथमिकता है, और यही कारण है कि हमने अपनी सच्चाई को छुपाकर रखा। ख़ुद को अपने परिवार से अलग नहीं किया, और अब भी वे मेरी फ़ीस भरते हैं, मेरी शिक्षा का समर्थन करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम कभी घर नहीं जाएं या उनसे बात करना बंद कर दें तो भी वो हमारी फ़ीस भरते रहेंगे।

[लहर, नॉन-बाइनरी]

लहर द्वारा व्यक्त किया गया डर आम है। हाशिए पर जीवन जीने वाले अधिकांश लोग इस बात को पहचानते हैं कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण संसाधन है।

> मैं मनोविज्ञान पढ़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे चाहते थे कि मैं गर्ल्स कॉलेज में दाखिला ले लूं। मैं नहीं चाहती थी, परन्तु उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। [...] मैं तब बी बी एम की पढ़ाई करना चाहती थी , बी ए की नहीं, लेकिन वे कहते रहे कि हम इसका खर्च वहन नहीं कर सकते। उन्होंने मुझ पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दीं । जबकि वे इसे वहन कर सकते थे, पर वे मुझे पढ़ने नहीं देना चाहते थे।

[नताशा, सिस महिला, 19]

जैसे ही नताशा एक क्वीयर व्यक्ति के रूप में परिवार के सामने आई, उसके कॉलेज जाने पर प्रतिबंध बढ़ गए। उसके मां-बाप ने ज़ोर दिया कि वह शादी कर ले, और उसके भावी पति को तय करने दे कि वह आगे पढ़ सकेगी या नहीं। उन्होंने उसे कॉलेज जाने से रोक दिया और कहा कि वह सिर्फ़ परीक्षा दे सकती है। सभी बातचीत-समझौते के बावजूद, अंततः उसे स्वतंत्र होने का अधिकार हासिल करने के लिए घर छोड़ना पड़ा। परिवार आज़ादी की तरफ़ रुझान को पहचानता है और पसंद की शिक्षा के अधिकार पर रोक लगाकर इसे हतोत्साहित करता है। एक समझा-बूझा प्रयास है, यह सुनिश्चित करने का कि "बेटी" स्वतंत्र न हो जाए।

"बेटे" के रूप में देखे जाने वाले उन लोगों की स्थिति भी समान है जो पुरुषत्व के मानकों के अनुरूप नहीं लगते हैं। तारिणी ने बताया कि जब वे दोनों बड़े हो रहे थे तो उसके परिवार ने उसके और उसके भाइ के बीच कई तरह से भेदभाव किया।

> जब हम छोटे थे तो मुझे जेब खर्च नहीं मिलता था। जब कभी यात्रा की तो मेरे भाई को अच्छे बैग, जेब खर्च, सब कुछ मिल जाता था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं देते थे। छठी या सातवीं कक्षा तक आते-आते, मैं इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन मुझे परिवार

के खाद्यान्न व्यवसाय में काम करने के लिए भेज दिया गया। पूरा दिन उसमें चला जाता, इसलिए मेरी पढ़ाई पर असर पड़ा और मैं अपनी शिक्षा ठीक से पूरी नहीं कर सकी। [यहां तक कि जब मैं कॉलेज में थी], मेरे परिवार ने मुझे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है इसलिए यह सब छोडो और परिवार के व्यवसाय में काम करो। मैंने उससे परहेज किया और अपनी शिक्षा पर एकाग्रता से ध्यान देना शुरू कर दिया, और यूं अपना ग्रेजुएशन पूरा किया।

[तारिणी, ट्रांस महिला, 33]

परिवार ने उसकी एक सफ़ल "लड़का" बनने में असमर्थता को एक पूरी तरह असफ़ल इन्सान होने के रूप में देखा, और एक व्यक्ति जो अपने जीवन में कितना कुछ कर सकती थी, अब अपने परिवार के किसी भी समर्थन के बिना ख़ुद को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रही है। जैसा कि उसने कहा, "घर पर हम 5 भाई-बहन हैं, लेकिन कोई मेरा साथ नहीं देता। मैंने उन सभी को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि वे मुझे भावनाओं के स्तर पर ब्लैकमेल करते हैं। मैं कभी भी उनके साथ अपनी भावनाएं साझा नहीं कर पाती हूं।"

दूसरी तरफ़ परिवार अन्य लोगों से मिलने की उस आज़ादी में कटौती करना चाहते हैं जो उनके बच्चों को स्कूल और कॉलेज जाने के लिए घर से बाहर निकलने के चलते मिल जाती है। यदि औलाद का व्यवहार मां-बाप के लिए अस्वीकार्य हो, तो यह उसकी शिक्षा रोक देने के लिए काफ़ी माना लिया जाता है। एक ट्रांस पुरुष (तेज) ने अपनी गवाही में बताया कि कैसे, मानदंडों के अनुसार व्यवहार न करने की बाहरी शिकायतों के आधार पर, उसके पिता ने उसे स्कूल से निकाल दिया और उसे बाल बढ़ाने, बिंदी लगाने आदि के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया।

अक्सर माना जाता है कि परिवार के किसी सदस्य को नियंत्रण में रखने का सबसे अच्छा तरीक़ा है उसकी स्वतंत्रता छीन लेना, ताकि ख़ुद की पहचान से जुड़े निर्णय ले पाना संभव ही न हो। इसीलिए जब लोग स्कूल की विभिन्न परीक्षाएं दे भी देते हैं और पढाई पूरी करके और डिग्रियां भी हासिल कर लेते हैं, तब परिवार उनके सर्टिफ़िकेट अपने पास रख लेते हैं, उन्हें लौटाने से इनकार कर देते हैं और कभी-कभी नष्ट भी कर देते हैं, जिससे व्यक्ति की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं क्योंकि अब रोज़गार नहीं मिल पाता, और यूं उसका स्वतंत्र अस्तित्व ख़तरे में पड़ जाता है (तरुण, बद्रीप्रसाद)।

कभी-कभी न केवल शैक्षिक प्रमाण पत्र, बल्कि व्यक्ति की अन्य पहचान और आधिकारिक दस्तावेज़ों पर भी कब्ज़ा कर लिया जाता है, जिससे वह राज्य की नज़र से ओझल हो जाता है, और डुप्लिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया बेहद कठिन हो जाती है। कई लोगों ने अपने खोए हुए दस्तावेज़ों और उन्हें दोबारा हासिल करने की कठिन चुनौती के बारे में बताया।

अब मैं एक पेट्रोल पंप पर काम करता हूँ। मुझे पता चल गया है कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। मैंने 10वीं तक पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने मेरे प्रमाणपत्र फाड़ दिए, इसलिए अब डुप्लिकेट बनवाने होंगे।

[बद्रीप्रसाद, ट्रांस पुरुष, 23]

अब भी हमारे दस्तावेज़ हमारे परिवारों के पास हैं. हमने उनकी वापसी के लिए सीएम कार्यालय में मामला दायर किया, पुलिस ने हमसे संपर्क किया और कहा कि वे परिवार से

> पूछेंगे। अब परिवार कहेंगे कि उनके पास नहीं हैं, और पुलिस हमें वापस बुलाएगी और हमें सूचित करेगी कि उनके पास नहीं हैं। उनके पास हमारे पासपोर्ट, आधार [कार्ड] हैं जिनके लिए हमने नए आवेदन किए हैं, स्कूल प्रमाणपत्र जहां हमने डुप्लिकेट की मांग की है। पुलिस उचित तरीक़े से अपना काम नहीं कर रही है।
>
> [बानू, सिस महिला, 23]

> जब मेरी पार्टनर भारत आई तब भी कोई दस्तावेज़ नहीं थे और अब तो उन्होंने उसके सभी दस्तावेज़ों को जला डाला है। उसके पास कुछ भी नहीं रहा। अब उसके पास उस नंबर के बूते पर बना, जो उसे याद था, एक आधार कार्ड है।
>
> [तपन, ट्रांस पुरुष, 22]

परिवार यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं कि कोई भी उनके घर, उनके रहने के तरीक़े और उनके नियंत्रण से निकल न जाए। समर्थन वापस लेने की धमकी देते हुए अपनी औलाद को आश्रित बनाए रखना उसके चुने हुए जीवन और पहचान को लेकर उसके आत्मविश्वास पर हमला समान है।

> मैं चंडीगढ़ में नौकरी कर रही थी। यह सब होने के बाद, मेरा परिवार मुझे वापस लेने आया, और कहा कि अब नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है... उन्हें नहीं पता था कि हम दोनों एक साथ रह रहे थे।
>
> [चेतना, सिस महिला, 24]

तब भी जब परिवार के पास साधन होते हैं, वे किसी भी तरह से युवा व्यक्ति को अपने निर्णय स्वयं लेने की अनुमति नहीं देना चाहते हैं। एक विकलांग व्यक्ति जिसे देखभाल और सहायता की आवश्यकता थी, उसे स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया गया, जबकि आवश्यक देखभाल और सहायता अनिच्छा से दी गई। मानो व्यक्ति बहुत अधिक मांग रहा हो, और इसलिए उसे रोके रखने की ज़रूरत है। ओजा एक विकलांग क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति के अनुभव को प्रस्तुत करते हैं।

> "दरअसल किसी ने इस तथ्य पर विचार ही नहीं किया कि मैं आर्थिक स्वतंत्रता चाहती हूं, क्योंकि जिस परिवार में मैं रहती थी वह आर्थिक उत्पीड़न में माहिर है, यहां तक कि पहले कुछ वर्षों तक मेरे अपने डेबिट कार्ड तक भी मेरी पहुंच नहीं थी, हाल में जब मैंने इस बात को लेकर ज़िद पकड़ ली तब जाकर कुछ हुआ। मेरे पिता परिवार के अन्य सदस्यों के सामने ऐसी बातें कहते थे, 'अपने सभी मेडिकल खर्चों के द्वारा इसने मेरी जेब खाली कर दी है।' और मेरी मां की बेपरवाह बातें मुझे हमेशा यह एहसास कराते कि मैं कोई असुरक्षित पक्षी हूं, जैसे कि उसका यह कहना कि स्कूल से घर लौटने के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि मुझ पर नज़र रखने की ज़रूरत है और मुझे बिलकुल अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। यहां तक कि जब मैं आत्मनिर्भर रूप से अपने काम कर रही होती थी, तब भी मुझे हमेशा महसूस कराया जाता था जैसे मैं कुछ ज़्यादा ही जगह ले रही हूं, और मैं इसी एहसास के साथ बड़ी हुई कि मैं किसी चीज़ के योग्य नहीं हूं।"
>
> [ओजा, नॉन-बाइनरी]

यदि कोई व्यक्ति घर से भागने में और कमाई का ज़रिया खोजने में सफ़ल हुआ, तो चाहे उसे स्वीकृति मिले या नहीं, उसकी कड़ी मेहनत की कमाई पर परिवार का दावा एक सामान्य घटना पाई गई। तारिक, जिसे स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बाहर जाकर अपने पिता की शराब की खपत के लिए पैसे कमाने के लिए कहा जाता था, ने उस समय के बारे में बताया जब उसने कमाना शुरू किया था।

वहां [जिस मानसिक अस्पताल में परिवार ने तारिक को रखा था] एक महिला थी, जिसने मुझे [एक अलग राज्य] में नौकरी और मालिशिया के रूप में प्रशिक्षण देने का वादा किया।

> एक बार जब मुझे नौकरी मिल गई, तो मेरे परिवार ने फिर से मेरा शोषण किया, मेरी कमाई का सारा पैसा उन्हें देने के लिए कहते थे। मैंने पैसे दिए भी, अपनी बहनों को, मां को। मेरे परिवार ने मेरे नाम पर साहूकारों से पैसे उधार लिए, जिससे मैं मुसीबत में फंस जाया। आख़िर मुझे भाग कर [शहर] जाना पड़ा। मैं अब पहले की तरह वहां नहीं रह सकता था।

[तारिक, ट्रांस पुरुष, 38]

इसी तरह लेखा, जिसे उसके परिवार ने बेरहमी से पीटा था, और जो उनके चंगुल से भागने में कामयाब रही और अपने साथी के साथ उसी पड़ोस में रहने लगी जहां उसका परिवार रहता है, ने कहा कि जबकि उसका पार्टनर उन्हें स्वीकार नहीं है, उसके पैसों से कभी परहेज़ नहीं किया जाता है।

> वे मुझसे पूछते हैं कि मैं एक "महिला" के साथ कैसे ख़ुश रह सकती हूं। मैं कहती हूं कि मैं ख़ुश हूं. तेज से मेरे दो बच्चे हैं जो मुझे अपनी मां की तरह प्यार करते हैं और मेरे सामने बड़े हुए हैं। मुझे यूं साथ रह पाने के लिए बस थोड़े-से समर्थन की आवश्यकता है। हम साथ रह रहे हैं लेकिन परिवार की ओर से कोई स्वीकृति नहीं है। परिवार का कोई समर्थन नहीं है, लेकिन वे बहुत स्वार्थी हैं। जब उन्हें पैसे चाहिए होते हैं तो वे तेज से मांगते हैं और फिर कहते हैं कि वह अच्छा है। अन्यथा उनके लिए तेज का कोई अस्तित्व नहीं है।

[लेखा, सिस महिला, 34]

लेखा की बात उस बात से मेल खाती है जिससे लहर ने अपनी गवाही समाप्त की, कि उसने अपने मां-बाप को अपना सच क्यों नहीं बताना चाहा।

> हम बताना नहीं चाहते। वे उस तरह के मां-बाप नहीं हैं जो हमारी सच्चाई को समझेंगे, और मुझे शोषक की चेतना को झकझोरने में दिलचस्पी नहीं है। उससे कुछ नहीं होगा। हम किसी और तरह से नहीं जी सकते। यह साड़ी मेरी मां की है। [मैंने उसे बताए बिना इसे ले लिया]। यह किसी आकांक्षा या अर्थ से नहीं जुड़ा है। मुझे इसकी ज़रूरत थी इसलिए मैंने ले ली!

[लहर, नॉन-बाइनरी]

मानसिक और भावनात्मक स्तर पर उत्पीड़न

हिंसा के हर उस रूप के साथ, जिसे हम देख चुके हैं और जो पैदाइशी और वैवाहिक परिवार अपने क्वीयर/ ट्रांस सदस्यों पर करते हैं, मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न भी हमेशा मौजूद रहते हैं। इस तरह के दुर्व्यवहार का इतना सामान्यकरण हो चूका है, यह इतना स्वाभाविक मान लिया गया है, कि अन्य प्रकार की हिंसा की भीषणता की तुलना में यह जैसे फीका पड़ जाता है, और "नॉर्मल" का ही एक पहलू बन जाता है, जिसे व्यक्ति को स्वीकार करते हुए चलना पड़ता है। यहां तक कि एक ऐसे ट्रांस व्यक्ति के लिए भी, जिन्होंने ख़ुद इन सब चीज़ों को झेला है और जो जानते हैं कि रोज़ाना की ज़िन्दगी पर इसका कितना असर पड़ता है, जब दूसरों के अति कष्टदायक व गंभीर अनुभवों के बारे में सुनते हैं, उन्हें ख़ुद का अनुभव अलग लग सकता है।

> अब तक हमने जो कहानियां सुनी हैं, वे बिलकुल हिला देने वाली रही हैं। हमने उस प्रकार की हिंसा अनुभव नहीं की है जिसके बारे में हमने अब तक सुना है।
>
> [लहर, नॉन-बाइनरी]

लेकिन उत्पीड़न के इन तरीक़ों और लोगों के जीवन में इसके गहरे असर के बारे में जानना-समझना ज़रूरी है, जिनका सामना क्वीयर और ट्रांस व्यक्ति अपने जेन्डर और सेक्शुएलिटी या फिर अन्य वजहों से आम तौर पर करते हैं – ताकि इसका आम होना इसके प्रभावों की उपेक्षा का कारण न बन जाए।

> [मुझे एक ट्रांस पुरुष के साथ प्यार होने से] पहले मेरे परिवार में कोई ख़ास मुद्दा नहीं था। उनके थोड़े पुराने ख़याल ज़रूर थे, वे कहा करते, “बाहर मत जाओ। किसी से ज़्यादा बातें मत करो. दोस्त के यहां मत जाओ।” अगर कहीं दोस्त ही घर पर आ गए तो भी दिक्कत होती थी। मैं घर का सारा काम करती थी लेकिन 12वीं के बाद से मैं स्वतंत्र भी थी क्योंकि मैंने ट्यूशन देना शुरू कर दिया था। मैं अपना खर्चा ख़ुद उठाती थी। केवल फ़ीस के लिए घर से पैसे लेती थी।
>
> [लेखा, सिस महिला, 34]

हालांकि लेखा को यह स्थिति सहनीय लगती थी, कम से कम पीछे देखने पर, और बाद में उसने जो शारीरिक हिंसा झेली उसकी तुलना में, इस मोड़ पर भीवही पारिवारिक नियंत्रण की कोशिश नज़र आती है, कि व्यक्ति को परिवार के अलावा अन्य समर्थन नेटवर्क से अलग किया जाए। बाद के वर्षों में, वही रवैया उस वयस्क हो गए बच्चे को उसके काम की जगह पर शर्मिंदा करने का रूप लेता है, जो उसपर परिवार की कड़ी पकड़ होने का एक स्पष्ट सार्वजनिक प्रदर्शन है।

> मेरे पापा आए दिन मेरे कार्यस्थल पर पहुंच जाते थे और उपस्थिति रजिस्टर देखते थे, यह जांचने के लिए कि क्या मैं सच में स्कूल में मौजूद हूं। और स्कूल का अन्य स्टाफ़ चर्चा करता था कि कैसे आज भी मेरे पापा जांच करने आए थे। यह मेरे लिए बड़ी शर्मनाक बात थी।
>
> [लेखा, सिस महिला, 34]

बाहरी दुनिया के साथ उनके मेल-जोल को प्रतिबंधित और नियंत्रित करने के अलावा, परिवार अपने क्वीयर और ट्रांस सदस्यों को छिपाकर रखने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी के रूप में देखा जाता है।

> मेरा भाई मुझसे सात साल छोटा है और जब उसके दोस्तों को घर आना होता है वह मुझसे कहता है, 'घर मत आना, उनके सामने मत आना। तुमसे हमें शर्मिंदगी होती है।'
>
> [शामली, नॉन-बाइनरी, 26]

छोटे भाई-बहन, मां-बाप, पूरा परिवार क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति के साथ-संगत से पीछे हटते हैं, उन्हें इंसान से कमतर मानते हैं। वही गवाह बताते हैं कि परिवार की अस्वीकृति अजनबियों की अस्वीकृति से कहीं ज़्यादा गहरी चोट पहुंचाती है।

> बाहरी लोग मुझ पर चप्पल फेंक सकते हैं। इसका मुझ पर उतना असर नहीं होगा। लोग कहते हैं "मेरा परिवार", "मेरे लोग", लेकिन मेरे लिए वे लोग कौन हैं? मेरी तरफ़ से कौन आएगा? मेरी कविता का चयन साहित्य अकादमी द्वारा किया गया था। पूरा सभागार किसी वार्षिक समारोह की तरह जाने-माने लोगों से भरा हुआ था। मेरी आंखें मेरी मां को ढूंढ रही थीं लेकिन वह मुझे परफ़ॉर्म करते देखने नहीं आईं। वह कभी किसी समारोह में नहीं आती थीं क्योंकि वह कहती थीं, 'तुम तो वही "लौंडियों वाला नाच" करोगे।'
>
> [शामली, नॉन-बाइनरी, 26]

अस्वीकृति का यह अनुभव, छिपाकर रखा जाना, एक घेरे से दूसरे तक बढ़ता और फैलता जाता है। पहले परिवार के सदस्यों का पीछे हट जाना, फिर यह देखना कि कैसे हिजड़े को पैसे देने तैयार कोई अजनबी अपने बच्चों को अपनी पीठ के पीछे कर लेते हैं ताकि वे समाज में बहिष्कृत व्यक्ति के संपर्क में न आएं। कम से कम, इसका मतलब होता है लोगों की दिक्कत से निपटने की ज़रूरत, परिवार के बंद दरवाज़ों के भीतर भी, और कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थान आदि में भी। बीच-बीच में, व्यक्ति को दूरी पर रखने के प्रयासों की एक पूरी श्रृंखला होती है, जैसे विवाह और अन्य पारिवारिक उत्सवों-कार्यक्रमों में उन्हें शामिल नहीं करना (तारिक) – कभी व्यक्ति की जेन्डर अभिव्यक्ति के कारण, तो कभी उनके अंतरंग संबंधों की प्रकृति के या उनके साथी की जाति आदि के कारण। यहां तक कि एक गवाही में उल्लेख किया गया है कि कैसे, समझ को और दूरी कम करने की इच्छा को विकसित करने के बजाय, विरोधी रिश्तेदारों ने परिवार के अधिक सदस्यों को उस व्यक्ति के साथ संबंध तोड़ने के लिए उक्साया।

> मेरा परिवार मेरे संपर्क में नहीं है, यहां तक कि मेरे मामाओं ने मेरी मां का भी अब ब्रेनवॉश कर दिया है।
>
> [तारिक, ट्रांस पुरुष, 38]

ऐसा भी नहीं है कि इस तरह के अलगाव – यानी परिवार के किसी सदस्य या उसके साथी की पूरी तरह अवहेलना करने – का मतलब होता है कि मौखिक रूप से उनका अपमान या निंदा नहीं की जा सके।

> उन्होंने कहा कि यह एक बीमारी है, इसका इलाज किया जा सकता है। मुझसे कहा, 'तुम

किसी भी पुरुष या महिला से भी बदतर हो।' [...] मेरे परिवार ने कहा हम वेश्याएं हैं, और मेरे पार्टनर का बहुत अपमान किया।

[ओमेरा, सिस महिला, 24]

चिकित्सा पद्धति में बदलाव और सुधार के बावजूद, बीमारी वाला नज़रिया और नैतिक उपदेश वाली प्रवृत्ति का गठजोड़ अब भी बना हुआ है। अभिभावक अब भी क्वीयर या ट्रांस होने का "इलाज" करने की कोशिश करते रहते हैं, और अपने क्वीयर/ ट्रांस बच्चों से (उनके वयस्क हो जाने पर भी) नैतिक आधार पर बदलाव की उम्मीद करते हैं, ताकि वे फ़लां समुदाय या धर्म के "अच्छे" सदस्य बन जाएं।

जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमेशा मेरे बालों को, मेरे पहनावे को, मुद्दा बनाया जाता था। मेरा परिवार यह भी कहता था, 'एक मुस्लिम औरत होकर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें लगता है समाज तुम्हें स्वीकार करेगा?' मुझे न कभी समाज से कोई समर्थन मिला और न ही मेरे परिवार से । जब मैं आठवीं कक्षा 8 में था , तब भी मेरे बाल बहुत छोटे थे और मेरे परिवार ने मुझसे कहा था कि हर कोई कहता है कि तुम इस तरह नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि मुझे अपने बाल काटने होंगे और अपनी सहमति के ख़िलाफ़ ऐसे कपड़े पहनने होंगे जो सभी को मंज़ूर हों। जब मैं वह सब कर रहा था तब भी मुझसे लगातार कहा जाता था कि मेरा व्यवहार बताता है कि मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूं – कि अल्लाह मुझे अपने बात करने और बाल रखने के तरीक़े, और अपने दोस्त लड़कों के साथ खेलने के लिए सज़ा देगा। और मैं इसलिए भी अच्छा मुसलमान नहीं हूं क्योंकि मैं क़ुरान में लिखी बातों का पालन नहीं कर सकता।

[ताहिर, ट्रांस पुरुष, 22]

भले ही ऐसा महसूस हो कि ऐसी टिप्पणियाँ कठोर हिंसा की श्रेणी में नहीं आती हैं, लेकिन ये दरअसल एक युवा किशोर के जीवन के लगभग सभी पहलुओं पर हमला हैं: उसकी जेन्डर अभिव्यक्ति का खंडन; उसे ऐसे कपड़े पहनने के लिए मजबूर करना जिससे उसे असहजता महसूस हो; उसे अपने बालों को इस तरह बनाने के लिए मजबूर करना कि वह ख़ुद अपने शरीर में अजनबी जैसा महसूस करे। फिर कोई आश्चर्य नहीं कि एक ट्रांस पुरुष को ऐसे कपड़े पहनने पड़ें तो वह इसे "सहमति के ख़िलाफ़" घोषित करे, क्योंकि यह किसी उल्लंघन से कम नहीं है। एक कच्ची उम्र में, यह किशोरों के जीवन के हर पहलू के लिए उन्हें दैवीय दंड को लेकर आतंकित करने के समान है: खेलना, बात करना, विशेष हाव-भाव का होना। एक तरफ़ अलगाव और बिना किसी सहारे के छोड़े दिए जाने का ख़तरा है, लेकिन विकल्प यह है कि असंभव जीवन जीने के लिए कहा जाए। इस असंभवता का उल्लेख गवाही देने वाली एक ट्रांस महिला ने भी किया।

जब मैंने इंटरनेट पर देखा और अपनी पहचान के बारे में मेरी समझ बनी और पता चला कि मैं इस तरह की अकेली व्यक्ति नहीं हूं, मुझमें अपने परिवार को बताने का साहस नहीं था। परिवार इतने सख़्त मिज़ाज का था. मैं अपने कमरे में बंद होकर अपनी बहनों के कपड़े पहना करती थी, लेकिन मैं किसी को बताने से डरती थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वे क्या करेंगे।

[तारिणी, ट्रांस महिला, 33]

आख़िरकार उसे पता चला कि वे क्या करेंगे – धमकी देंगे कि अगर उसने ख़ुद ऐसा नहीं किया तो वे उसके बाल काट देंगे, जो किसी व्यक्ति की अपनी शारीरिक स्वायत्तता और उसकी जेन्डर पहचान के दावे पर हमले की और एक मिसाल है। गवाहियों से पता चला कि कैसे कई लोगों को यह जानने में समय लगा था कि जिस तरह वे महसूस कर रहे थे, उसमें वे अकेले नहीं थे, कि अपने परिवारों के सामने अपनी सच्चाई ज़ाहिर करने को लेकर कितने ही और लोग वैसा ही डर और अनिच्छा अनुभव करते आए थे।

साफ़ शब्दों में, एक क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति की पहचान उसकी प्रताड़ना करने वाले परिवार के लिए वास्तविक ही नहीं होती। यह कुछ ऐसा है जिसे वे स्वीकार करने, इसमें विश्वास करने से इनकार करते हैं; वे एक ट्रांस व्यक्ति को कैसे देखते हैं, उससे कैसे व्यवहार की उम्मीद करते हैं, यह उस व्यक्ति के लिए उनके लगातार गलत जेन्डर के संबोधन के इस्तेमाल से पता चलता है। ऐसी स्थितियों में जहां व्यक्ति के पास दोस्तों के नेटवर्क या किसी अन्य प्रकार के समर्थन तक बहुत कम पहुंच होती है, जब बर्ताव और भाषा दोनों में उसके जेन्डर पहचान को ग़लत आंका जाता है तब उस पीड़ा को ढोना और भी मुश्किल हो जाता है। महामारी लॉकडाउन के संदर्भ में, एक गवाह ने कहा,

मुझे अपने दोस्त से कहना पड़ा कि वह मुझे "बहन" कहकर पुकारे और मेरे सर्वनाम का उपयोग करे क्योंकि कोई भी मेरे सही सर्वनाम का उपयोग नहीं कर रहा है [घर पर]।

[शामली, नॉन-बाइनरी, 26]

जब क्वीयर/ ट्रांस औलाद को अपने जेन्डर या सेक्शुएलिटी को व्यक्त करने से रोकने के उनके प्रयास विफ़ल हो जाते हैं, तो परिवार उसे ब्लैकमेल करने से परहेज़ नहीं करते हैं – आत्महत्या कर लेने की धमकी देना, उसे यह बताना कि परिवार का कोई प्रिय सदस्य मृत्यु शय्या पर है, आदि, या ऐसा ही कुछ और जो पर्याप्त रूप से भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है कि व्यक्ति अपनी ज़िन्दगी को जोखिम में डालने तैयार हो जाए। न ही परिवार धार्मिक "समाधानों" का सहारा लेने से मुंह फेरते हैं।

> इस बीच, जब मुझे घर पर नज़रबन्द रखा जा रहा था, वे मुझे बदलने के लिए अनेक तरह की कोशिशें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साजो ने मामला दायर किया है और मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, लेकिन इस बहाने वे मुझे एक मंदिर में ले गए। मैं ईसाई हूं, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे वहां बिठाकर कुछ प्रार्थनाएं कीं।

[सेलीन, सिस महिला, 28]

यहां स्पष्ट है कि कैसी बढ़ती हताशा के साथ परिवार सेलीन और साजो के रिश्ते को किसी भी तरह "ठीक" करने की कोशिश कर रहा है – ऐसा लगता है कि दोनों को अलग करने के लिए और सेलीन पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए परिवार किसी भी हद तक जाने तैयार है। लोगों को परिवार में लौटने के लिए मजबूर करने के लिए, या जब वे उत्पीड़न से बचने के लिए घर छोड़ देते हैं और मिलना नहीं चाहते तो उन्हें ढूंढ़ने के लिए, धोखे का इस्तेमाल आम बात है। हमने जो बयान सुने उनमें तरह-तरह के उदहारण शामिल थे – सोशल मीडिया अकाउंट (बानू और ओमेरा) के ज़रिए लोगों को ट्रैक करने के लिए हैकर्स का उपयोग, जहां वे रहते थे वहां से अपने अब बड़े हो चुके बच्चों का अपहरण करने के लिए गुंडों का इस्तेमाल, यह कहते हुए झूठी एफ़आईआर दर्ज करना कि वह व्यक्ति परिवार से सोना चुराकर भागा है (ऋषि)।

इस आख़िरी मिसाल जैसी परिस्थिति में, जहां परिवार के सदस्यों में पुलिस के लोग मौजूद हों, या पुलिस के संसाधनों का उपयोग करके किसी छिपे हुए व्यक्ति को ढूंढ निकालने की क्षमता रखते हों, क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति को एक दैनिक भय के साथ जीना पड़ता है, एक-एक क़दम उठाने से पहले उसके जोखिमों पर विचार करना पड़ता है। कभी-कभी जब व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं होता है तब भी उसे जोखिम उठाकर किसी अन्य, ज़ाहिरा तौर पर कम पूर्वाग्रही रिश्तेदार के साथ अपनी सच्चाई बांटने की ज़रूरत पड़ जाती है, ताकि हिंसक परिवार में वापस भेजे जाने से बचा जा सके।

जब परिवार क्वीयर/ ट्रांस लोगों के प्रति अपने पूर्वाग्रहों को स्पष्ट कर देते हैं, तो उनकी क्वीयर औलाद उन्हें अपने बारे में बताने की इच्छा कुचल देते हैं, और यूं वो ख़ुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभानी पड़ती है जो वो हैं नहीं।

> जब हम क्वीयर लोगों से मिलते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, प्रेरक फ़िल्में देखते हैं, तो लगता है कि शायद मां और पापा समझ जाएंगे. उन्हें इसके बारे में बताना शुरू कर देते हैं। एक बार हमने उन्हें एक ट्रांस/ क्वीयर व्यक्ति के मरने की ख़बर दिखाई। मां ने कहा कि ऐसे बच्चे का मर जाना ही अच्छा है। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं? क्या हमें उसे बता देना चाहिए कि हम भी ट्रांस/ क्वीयर हैं?
>
> [शामली, नॉन-बाइनरी, 26]

व्यक्ति के अपनी सच्चाई ज़ाहिर किए बिना ही, उसे परिवार की अस्वीकृति समझा दी गई – जिसका अनुभव मौखिक और शारीरिक तौर पर हिंसा और बैर-भाव से करवाया जा सकता है, सीधे तौर पर किसी कारण को स्पष्ट किए बिना भी, जैसे कि जब मां-बाप में से किसी एक को अपनी औलाद की सच्चाई का पता हो।

बाहरी दुनिया में भी मान्यता देने या उसे रोके रखने की यही प्रवृत्ति, यही शक्ति, क्वीयर/ ट्रांस लोगों का पीछा करती है जब मकान मालिक, नियोक्ता, डॉक्टर, आदि भी व्यक्तियों और जोड़ों को अदृश्य और अपठनीय बनाना अपना हक़ मान लेते हैं।

> वे हमें बस स्वतंत्र रूप से रहने वाली दो लड़कियां समझते हैं, पार्टनर नहीं। हमने उनसे कहा कि हम एक परिवार हैं लेकिन उन्होंने हमारा मज़ाक उड़ाया और कहा, 'तुम लोग? केवल एक पुरुष और एक महिला [परिवार हो सकते हैं]।' एक दोस्त की सिफ़ारिश से हमें फ़्लैट मिल गया। यहां तक कि जब हम अस्पताल जाते हैं तो हमें अपने नाम "दोस्त" या "चचेरी बहन" के रूप में दर्ज करने पड़ते हैं। हमने एक वाहन ख़रीदा है और उसके लिए भी वह मेरा नाम नहीं जोड़ सकती। यह बहुत बड़ा मुद्दा है।
>
> [बानू, सिस महिला, 23]

मानसिक स्वास्थ्य पर असर

हिंसा के इतने सारे रूपों और इतने सारे क्षेत्रों का लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव को लेकर न ही संदेह की कोई गुंजाइश रह जाती है और न ही अतिशयोक्ति की। एक के बाद एक गवाही में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, क्वीयर/ ट्रांस व्यक्तियों पर आदतन और दंडात्मक हिंसा के प्रतिकूल और, अक्सर, दीर्घकालिक परिणामों का उल्लेख हुआ, और उनके निर्धारित परिवारों के साथ-साथ उन विभिन्न सामाजिक संरचनाओं द्वारा उपेक्षा, कलंक और भेदभाव के उदाहरण भी सामने आए – यानी वही संस्थाएँ जो व्यक्ति के जेन्डर और/ या सेक्शुएलिटी से उत्पन्न होने वाले व्यवहार, या केवल आकांक्षाओं के कारण उसके ख़िलाफ़ परिवारों के साथ एकजुट हो जाती हैं।

> मुझे बुर्क़ा पहनना पड़ता था, सड़क पर नहीं जा सकता था, क़ुरान का अध्ययन करना पड़ता था, आदि। मुझे ये सब कुछ भी पसंद नहीं था, मैं तैरना, लड़कों के साथ खेलना, पेड़ों पर चढ़ना और वॉलीबॉल खेलना चाहता था। जैसे-जैसे मैं बड़ा होता गया, उतना ही मैं उदास होता गया। मैं अपने आप को अपने कमरे में बंद करके चीखा करता था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं एक महिला बनकर कैसे जीवन गुज़ार सकूंगा।
>
> [तारिक, ट्रांस पुरुष, 38]

एक अन्य ट्रांस पुरुष ने बताया कि कैसे उसके परिवार वाले उस पर शादी करने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे, यहां तक कि जब उसने दूसरे शहर में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के लिए घर छोड़ दिया था, तब भी इस दबाव के असर के कारण उसे ख़ुद अपने मानसिक संतुलन पर संदेह होने लगा।

मैं तब 21 साल का था और शादी करने का बहुत दबाव था क्योंकि लोग सोचते हैं कि यह सही उम्र है, ताकि 25 से पहले बच्चे पैदा किए जा सकें। मुझ पर बहुत अधिक मानसिक दबाव था और मुझे लगातार घबराहट के दौरे पड़ते थे। इसी वजह से मेरा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल जारी था। एक बार मेरा परिवार मुझे शादी के लिए देखने के लिए लगभग आठ लोगों को ले आया था, क्योंकि मैंने घर जाने से इनकार कर दिया था।

> जब आपको हर समय इस तरह प्रताड़ित किया जाता है, तो यह आप पर हावी हो जाता है। उन्होंने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि उनकी बेटी मर गई, आदि, मुझे कहने लगे कि मैं बेशर्म हूं, आदि। मैंने अपनी मां से कहा कि वह देखे मेरे पिता क्या कह रहे हैं और उसने कहा कि वे कुछ भी ग़लत नहीं कह रहे हैं, मैं ही पागल हूं। फिर मैं सोचने लगा, क्या सचमुच ऐसा है? मैंने अपने पार्टनर से भी पूछा और उसे सुनाने के लिए फ़ोन को स्पीकर पर रखा, और उसने मुझे आश्वासन दिया कि मेरे दिमाग़ को कुछ नहीं हुआ है, मैं चीज़ों को देखने के तरीक़े में सही हूं। . . . मैं इस बात से बेहद घबरा गया कि वे मुझे लेने आ रहे हैं, और मुझे बुरे सपने आने लगे।
>
> [उदय, ट्रांस पुरुष, 27]

उदय का अनुभव तुषार नाम के एक ट्रांस पुरुष से मिलता-जुलता है, जिसके बारे में हमने इस अध्याय में पहले सुना था, जिसके मां-बाप ने उसकी जेन्डर पहचान को उसके कुछ वीडियो

देखने के कारण हुई "मानसिक समस्याओं" के रूप में खारिज कर दिया था।

33-वर्षीय ट्रांस महिला तारिणी अपने अतीत के बारे में सोचकर कई वर्षों बाद ही समझ पाई कि जब वह आठवीं कक्षा में थी तब उसे घर और स्कूल में जो लगा करता था वह डिप्रेशन था, क्योंकि उसे हर जगह एक लड़के/ पुरुष के रूप में पेश आने के लिए मजबूर किया जाता था, और उसे जीवन-भर ऐसा करने की संभावना इतनी असंभव लग रही थी कि यह उसके लिए "मानसिक यातना" थी।

> स्कूल में भी पीटा जाता था, शिक्षक मुझ पर चिल्लाते थे। तब मुझे पता नहीं था कि डिप्रेशन क्या होता है। मैं अपने परिवार के साथ अपनी सच्चाई साझा नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक लड़के के रूप में ही जीवन जीना होगा।
>
> [तारिणी, ट्रांस महिला, 33]

साथी, मणिपुर से आए ट्रांस हक़ों के लिए काम करने वाले चांद ने एक ट्रांस पुरुष, सुभाष, के मामले की बात की, जिसके मां-बाप ने जोड़े की बढ़ती घनिष्ठता को देखकर उसे अपनी सिस महिला पार्टनर से अलग होने के लिए मजबूर किया। इस अलगाव के मानसिक स्वास्थ्य परिणामों से निपटने के लिए सुभाष को दवाईयों की आवश्यकता पड़ी – इस तरह का जबरन अलगाव युवा क्वीयर/ ट्रांस ज़िन्दगियों में बहुत आम बात है। एक बड़े शहर के एक ट्रांस पुरुष की गवाही से पता चलता है कि कैसे पारिवारिक समृद्धि और स्थानीय प्रभाव, जिनसे मानकों का पालन करने वाले अधिकांश व्यक्तियों को विशेषाधिकार हासिल होते हैं, उस जैसे व्यक्ति के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं। तेज की इच्छा के विरुद्ध उसकी एक सिस आदमी से शादी करवाई गई थी और फिर बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर किया गया था, और उसने बताया कि जब उसने अपनी शर्तों पर जीने का फ़ैसला किया तब क्या हुआ।

> मैं गया, अपने बाल कटवाए और मुझे वैसे कपड़े मिल गए जैसा मैं चाहता था। यह मेरे लिए साफ़ था कि अपने बच्चों को मैं ही रखूंगा, उनके पालन-पोषण में किसी और के योगदान के बिना। मैं पढ़ा-लिखा नहीं था, कोई भी मुझे काम नहीं देता था, यहां तक कि मजदूर का भी, क्योंकि मेरे पिता का पूरा दबदबा था। मैं डिप्रेशन में था और घर पर था।
>
> [तेज, ट्रांस पुरुष, 44]

तेज तब तक उदास रहा जब तक कि वह अपने मौजूदा पार्टनर से नहीं मिला, जिसने उसे सही तरह से समझा जब उसने उसे अपने बारे में बताया। केवल मां-बा या भाई-बहन (या वैवाहिक परिवार) ही नहीं होते हैं जिनके द्वारा की गई हिंसा क्वीयर/ ट्रांस व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है – विस्तारित परिवार को भी अक्सर इन गवाहियों में उल्लेख आता है; एक सिस महिला ने बताया कि कैसे उसके चचेरे भाई भी उसके भाई के साथ मिलकर (जिसके द्वारा यौन शोषण का ज़िक्र इस अध्याय में कहीं और हुआ है) उसका उत्पीड़न करते थे।

> मैं अपने चचेरे भाइयों और अपने भाई के कारण डिप्रेस्ड रहती थी। वो मेरा यौन उत्पीड़न करते रहते थे।
>
> [टीना, सिस महिला, 20]

गवाहियों में डिप्रेशन के बयान प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, और लोगों के अनुभवों की अपनी कहानियों को और उनके द्वारा झेली गई यातनाओं के बारे में सुनते हुए, बहुत संभव है कि हम बस उन तथ्यों को तलाशने में रह जाएं कि किस ख़ास कारण से किसी के मानसिक स्वास्थ्य पर कौनसा विशेष प्रभाव पड़ा। मगर कुछ और जटिल पहलू हैं जिनके बारे में हमें बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, इसका अंदेशा हमें मिलता है एक सहायक संगठन द्वारा प्रस्तुत विवरण में, जो एक ऐसे ट्रांस पुरुष को लेकर था जो भोजन की कमी के कारण प्रारंभिक महामारी लॉकडाउन के दौरान मर गया था।

> जब हमने उससे जुड़ना चाहा, यह समझने के लिए कि उसने हम तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की थी, आत्म-परित्याग के आवरण में क्यों घुसता गया, हमें एहसास हुआ कि यह मामला हमारी सोच से अधिक गहरा था। वैश्विक महामारी के दौरान एक ट्रांस* व्यक्ति के रूप में उसे जिस संरचनात्मक हिंसा से गुज़रना पड़ा था, उस बारे में हमें याद दिलाने के लिए बालादित्य ने दीवार पर कुछ शब्द लिखे थे ['मैंने 25 अगस्त 2020 से खाना नहीं खाया है']। वह ऐसे कई हाशिये पर पड़े व्यक्तियों के समूहों तक न पहुंच पाने के लिए, जिन्होंने व्यापक रूप से फैले कोविड-19 के कारण अपनी आजीविका खो दी थी, सरकार को ज़िम्मेदार ठहराना चाहता था।

[बालादित्य, ट्रांस पुरुष, मध्य-चालीस उम्र]

बालादित्य की मृत्यु घोर निराशा के कारण हुई। लेकिन इसके लिए उसका एक भाई भी ज़िम्मेदार था जो पड़ोस में रहता था, पर उसका हाल जानना ज़रूरी नहीं समझा। यह संसाधनों की कमी और भूखे न मरने का कोई रास्ता निकाल पाने की असंभावना के कारण हुआ। और बहुत स्पष्ट रूप से यह इसलिए हुआ कि बाक़ी सब विफल हो जाने के हालात में राज्य ने अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए के कुछ भी करने से मुंह फेर लिया।

न ही यह ऐसी प्रणालीगत विफलता का, जो यातना का स्रोत बनता हो, अकेला उदाहरण है। एक अन्य ट्रांस पुरुष ने अपने पार्टनर के परिवार और समुदाय द्वारा जाति-आधारित दुर्व्यवहार का उसके अपने जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को याद किया।

> मुझे इतनी यातना सहनी पड़ रही थी कि आत्महत्या करने का प्रयास किया।

[तपन, ट्रांस पुरुष, 22]

उनके ख़िलाफ़ पारिवारिक हिंसा की व्यापकता और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इसके असर को देखते हुए, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हमारे गवाहों के लिए जीवित रहना ही बहुत बार आर या पार वाला मामला था। आत्महत्या के ख़याल और आत्महत्या के सचमुच प्रयास हमारे द्वारा सुनी गई कहानियों के असामान्य पहलू नहीं थे; हम उन लोगों के बारे में सिर्फ़ कल्पना करते रहे हैं जो अब ज़िन्दा नहीं हैं, जो ज़िन्दा नहीं रहे और और जिन्हें सुन पाना मुमकिन नहीं रहा।

यह पूछे जाने पर कि वह अपने लिए किस प्रकार के भविष्य की कल्पना करती है, एक ट्रांस महिला ने किसी गहन एहसास से उत्तर दिया कि वह ख़ुद को या तो लटकते हुए या रेल की पटरी पर लेटे हुए देखती है। वह आत्महत्या का प्रयास कर चुकी थी, और कहा:

> जब मैंने नेफ़थलीन और फ़िनाइल खाने की कोशिश की तब भी मैं नहीं मरी क्योंकि

भगवान ने मुझे मरने के लिए नहीं चुना है।

[शामली, नॉन-बाइनरी, 26]

उस ट्रांस आदमी के अनुभव की ही तरह, जिसके अमीर और शक्तिशाली परिवार ने यह सुनिश्चित किया कि उसे आस-पड़ोस में नौकरी न मिले, वर्ग और जाति ने अन्य गवाहियों में भी प्रमुख भूमिका निभाई। एक अन्य ट्रांस पुरुष एक सिस महिला के साथ रिश्ते में था जिसका अमीर परिवार राजनीतिक रूप से प्रभावशाली थी।

उसके ससुराल और मायके वाले, दोनों ने बहुत हंगामा मचाया, और यह प्रमुख जाति-वर्ग और उत्पीड़ित वर्ग-जाति परिवारों के बीच लड़ाई बन गई। उन्होंने हमारा घर जला डालने की धमकी दी. इसके तुरंत बाद मेरे परिवार वाले कहने लगे कि मेरी शादी कर देनी चाहिए। एक हद के बाद मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मुझे इतनी यातना सहनी पड़ रही थी कि आत्महत्या करने का प्रयास किया।

[तपन, ट्रांस पुरुष, 22]

हर तरफ़ से होने वाली लगातार पारिवारिक हिंसा से थक कर तपन और उसके पार्टनर दोनों ने आत्महत्या का प्रयास किया।

कुछ लोग बचकर भी स्वयं को हिंसा के निरंतर चक्र में उसी तरह फंसा हुआ पाते हैं; बहुत सारे अन्य लोग अधिकारों के लिए काम कर रहे समूहों से समय पर मिलने वाले समर्थन के कारण बच जाते हैं। एक नॉन-बाइनरी गवाह ने बताया कि कैसे उनके मां-बाप ने उन्हें डराने और मनाने की कोशिश में पूरी रात बिताई ताकि वे एक अरेंज्ड विवाह के लिए सहमत हो जाएं। अगली सुबह, उन्होंने अपने सभी शैक्षिक प्रमाणपत्र एकत्र किए और इंटरव्यू के बहाने घर छोड़ने में कामयाब रहे। वे आत्महत्या के बारे में सोचते हुए कुछ घंटों तक मेट्रो स्टेशन पर बैठे रहे, लेकिन एक दोस्त ने उन्हें एक सहायता समूह के बारे में बताया, और वे कहानी बताने के लिए जीवित रहे।

न केवल प्रयास करना, या इसके बारे में सोचना, आत्महत्या से मौत एक आम बात है क्वीयर/ ट्रांस ज़िन्दगियों के परेशान भंवर में – और हमने परिवार के सदस्यों द्वारा अपनी ग़ैर-मानक औलाद को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने और उन्हें सदमा पहुंचाने के लिए एक आसान रणनीति के रूप में आत्महत्या की धमकी के उपयोग के उदाहरण देखे हैं। न ही परिवार के सदस्यों ने यह भविष्यवाणी करने में संकोच किया कि आत्महत्या ही उनके क्वीयर/ ट्रांस औलाद का संभावित अंत होगा। एक सिस महिला ने, जिसका परिवार एक अन्य सिस महिला के साथ उसके रिश्ते का विरोध कर रहा था, इस बारे में बात की।

एक [दूसरे] रिश्तेदार ने कहा कि हम जैसी लड़कियों का वही रेलवे की पटरी पर अंत होना है, हम जल्द ही आत्महत्या कर लेंगी क्योंकि ऐसे लोगों का अंत इसी तरह का होता है। दो लड़कियां एक-दूसरे के साथ नहीं रह सकतीं, क्योंकि पुरुष के बिना लड़कियां नहीं रह सकतीं। हमने कहा हम अपना देख लेंगे।

[बानू, सिस महिला, 23]

परिवारों के साथ संस्थाओं की मिलीभगत : पुलिस, अदालत, और देखभाल संस्थान

इस ट्रिब्यूनल (सुनवाई) ने मेरी आंखें खोल दीं। कुछ पहलुओं का मुझ पर ख़ास तौर से असर हुआ। एक, कि ग़ैर-मानक सेक्शुएलिटी और जेन्डर पहचान वाले व्यक्तियों को जिस तरह की क्रूर पारिवारिक और सामाजिक हिंसा का सामना करना पड़ता है वह इतनी भयानक है कि क़ानूनी संरक्षण एकदम ज़रूरी है। दूसरा, गवाही देने वालों का साहस। उनमें से कईयों ने अपनी लड़ाई लड़ी है और अपने तरीक़े से रास्ता बनाते हुए आज वे ख़ुद को एक बेहतर जगह में पाते हैं, लेकिन ऐसे कितने ही और लोग होंगे जो रोज़ाना इस क़िस्म की हिंसा झेलते हैं। तीसरा, इनमें से ज़्यादातर लोगों के लिए बेहद दमनकारी माहौल से बाहर निकलने के लिए नागरिक समाज का समर्थन अनिवार्य रहा। और अंत में यह, कि राज्य का समर्थन नहीं के बराबर था और अधिकांश समय राज्य प्राधिकारियों ने इन व्यक्तियों के लिए प्रतिरोधी रवैया अपनाया। अदालतों की भूमिका अधिकतर मामलों में सकारात्मक रही।

हालांकि क़ानून कभी भी दमन के ख़िलाफ़ पूरी तरह से कवच नहीं बन सकता है, लेकिन यह एक हद तक सामाजिक मान्यता, नैतिक साहस और प्रक्रियात्मक सुरक्षा ज़रूर देता है। इसलिए विवाह को क़ानूनी मान्यता सहित क़ानूनी सुरक्षा प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है।

मिहिर देसाई

अपनों का बहुत लगता है

देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए क़ानून की कार्यशीलता की कमी और अन्य संस्थानों से समर्थन का अभाव गवाहों और उन जैसे व्यक्तियों के परिवारों या क़ानूनी अभिभावकों द्वारा की जाने वाली हिंसा की तीव्रता और मात्रा को बढ़ावा देते हैं। अक्सर नैतिक रुख अपनाते हुए, ये संस्थाएं निर्धारित परिवारों/ क़ानूनी अभिभावकों का अपनी नाबालिग और वयस्क औलाद, दोनों के जीवन पर पूर्ण स्वामित्व की ख़ूब फैली हुई और बेहद ग़लत अवधारणा को और बल देती हैं। गवाहियों में उस सांठगांठ की कई मिसालें सामने आईं जो परिवारों, पुलिस, न्याय-व्यवस्था, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच पनपती है।

पुलिस और उसकी अनेक विफ़लताएं

घरेलू और सार्वजनिक क्षेत्रों में हिंसा, या हिंसा की धमकियों का सामना करने वाले सभी नागरिकों के लिए समर्थन का केंद्र बिंदु पुलिस होती है। कहने को तो भारत मज़बूत क़ानून प्रवर्तन का दावा करता है, और 100, 1091 और 1098 जैसे हेल्पलाइन नंबर प्रदान करता है, जिसका उपयोग नाबालिगों सहित कोई भी शिकायत करने के लिए कर सकता है। लेकिन कई बयानों से पता चलता है कि जब भी क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों ने हिंसक परिवारों से सुरक्षा के लिए पुलिस से संपर्क किया, उनकी मांग या तो अस्वीकार कर दी गई, या उन्हें उन्हीं हिंसक परिवारों के साथ ज़बरदस्ती फिर से मिला दिया गया। क़ानून के अनुसार कार्य करने के बजाय, पुलिस ने परिवार का पक्ष लिया और नैतिक संरक्षक का चोगा धारण कर लिया। नतीजा यह, कि निर्धारित परिवार द्वारा की गई हिंसा तेज़ हो गई, कभी-कभी तो क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति के दोस्त, पार्टनर और उन्हें समर्थन करने वाले अन्य लोग भी हिंसा की चपेट में आ गए।

एक 26-वर्षीय सिस क्वीयर महिला गवाह को, जो कई वर्षों से अपने चुने हुए परिवार के साथ रह रही थी, ट्रैक करने के लिए उसके निर्धारित परिवार ने पुलिस का इस्तेमाल किया। वे उसे [पुलिस] स्टेशन ले आए।

> पुलिस ने हमें [नोयोनिका और दोस्तों] को वहां से ना ही जाने दिया, और ना ही हमें किसी औपचारिक हिरासत की सूचना दी। लगभग आधे घंटे के बाद, उन्होंने मुझे मेरे मां-बाप को "सौंपने" का फ़ैसला किया, इस आधार पर कि मानसिक अस्थिरता की वजह से मैं वयस्क होने के बावजूद अपनी इच्छा बताने के क़ाबिल नहीं हूं। [मेरे दोस्त] को पुलिस ने दीवार के सहारे पकड़ रखा था, जबकि मुझे 7-8 लोगों ने खींचकर बाहर निकाला, जिनमें से कुछ पुलिसकर्मी थे, और कुछ तब तक मेरे लिए अजनबी थे।
>
> [नोयोनिका, सीआईएस महिला]

यूं एक महानगर के पुलिस ने एक 26-वर्षीय वयस्क के अपहरण में सहायता की, जिसने उनसे अपहरण से सुरक्षा की ही अपील की थी। उन्होंने नोयोनिका और उसके दोस्तों पर शारीरिक हिंसा हो सके, इसका भी अवसर दिया।

कभी-कभी परिवार के सदस्य पुलिस का हिस्सा होते हैं और उनके पास किसी ऐसे व्यक्ति का पता लगाने के लिए संसाधन होते हैं जो उनसे दूर रहने के लिए संघर्ष कर रहा हो ।परिवार झूठी कहानी बुनता है और पता लगाने की इच्छा का ऐसा कारण प्रस्तुत करता है जो क़ानून के लिए स्वीकार्य भी हो और "इज़्ज़तदार" भी।

> [उस शहर में जहां ट्रांस पुरुष रहता था] मेरा एक जीजा भी है जो एक पुलिस स्टेशन में अपराध शाखा में काम करता है। जहां मैं रह रहा था वहां आकर उसने मुझे बताया कि मेरे परिवार ने पुलिस में शिकायत की है कि मैंने घर से सोना चुराया है। इस तरह मेरे परिवार ने पुलिस के ज़रिए मेरा पता मालूम किया। मेरे जीजाजी ने मुझसे सवाल किए, मुझसे पूछा कि मैंने अपने परिवार से सोना क्यों लिया, और तब जाकर उन सबके लिए मेरी पहचान खुल गई।

[ऋषि, ट्रांस पुरुष, 27]

एक अन्य मामले में, उमा, एक जेन्डर-फ़्लूइड व्यक्ति जिसने शादी करने के लिए लगातार दबाव और पारिवारिक हिंसा के कारण के कारण घर छोड़ दिया, ने बताया कि सुरक्षा के लिए पुलिस के पास जाने के बाद भी उनके परिवार के सदस्यों ने पुलिस को कैसे रिश्वत दी:

> हम नोटिस देने के लिए [निवास के शहर के] पुलिस स्टेशन गए और जहां हम रह रहे थे, वहां के लिए पुलिस सुरक्षा मांगी। हमने उनसे कहा कि वे हमारा पता न बताएं। लेकिन मेरे पिता ने पुलिस को पैसे दिए और पता ले लिया। काफ़ी इमोशनल ड्रामा हुआ।

[उमा, जेन्डर-फ़्लूइड (AFAB या जन्म पे स्त्री जेन्डर निर्धारित), 27]

पुलिस को रिश्वत देने का गवाहियों में यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। एक ट्रांस व्यक्ति का परिवार उसे और उसके पार्टनर को पुलिस के पास घसीट कर ले गया, और SHO को रिश्वत दी ताकि हवलदारों को "स्थिति से निपटने" का काम करने दिया जाए। जोड़े के प्रति पुलिस का रवैया इस तथ्य से भी अवश्य जुड़ा हुआ था कि यह एक अंतरजातीय रिश्ता था जो मां-बाप को स्वीकार नहीं था। उन्होंने जोड़े को केवल तभी जाने दिया जब एक संगठन ने हस्तक्षेप किया और वे जो कर रहे थे उसके क़ानूनी रुख़ को चुनौती दी।

कभी-कभी पैदाइशी परिवार द्वारा क्वीयर/ ट्रांस लोगों पर होने वाली हिंसा में पुलिस को मददगार के रूप में देखा गया। किसी व्यक्ति ने उन्हें समझाने की कितनी ही कोशिश क्यों न की हो कि उसने ख़ुद पारिवारिक हिंसा से दूर एक पार्टनर के साथ रहना चुना है, पुलिस ने अपने बल को उस शक्ति में जोड़ दिया जो परिवार पहले से ही प्रयोग कर रहा था।

> परिवार ने एक योजना बना रखी थी जिसके अनुसार ओमेरा की मां और बहन दो आदमियों के साथ मेरे घर आए और उसका अपहरण कर लिया। यह पूर्व नियोजित था. उनके साथ एक पुलिसकर्मी भी था. फोन छीन लिए गए, पुलिस कुछ सुनने तैयार नहीं थी।

[बानू, सीआईएस महिला, 23]

इसके बाद, जब बानू ने पुलिस से संपर्क किया तो उन्होंने उसे ग़लत सूचना दी कि ओमेरा ने अपने परिवार के साथ जाने के लिए सहमति दे दी है और बानू को उससे संपर्क करने से मना किया है। स्पष्ट रूप से, यहां पुलिस ने अपनी अधिक क़ानूनी शक्ति और अधिकार के साथ, निर्धारित परिवार के विस्तार के रूप में काम किया।

गवाहियों में यह भी सामने आया कि अदालतों से सुरक्षा आदेशों के बावजूद पुलिस वालों की परिवार के साथ किस तरह मिलीभगत रही। एक ट्रांस पुरुष की सिस महिला पार्टनर के मां-बाप ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। इस जोड़े के पास पहले से ही राज्य की एक अदालत से मिला हुआ लिव-इन रिश्ते का हलफ़नामा था। पुलिस का उन्हें फिर भी ढूंढ निकालना उनके द्वारा उत्पीड़न ही था, जिसने जोड़े को भयभीत होकर जीने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने क्वीयर और ट्रांस लोगों के ख़िलाफ़ शारीरिक हिंसा करने में संकोच नहीं किया।

> इसके बाद दो-तीन बार पुलिस मेरे किराये के घर पर आई. हर बार उनके आने से पहले मैं उसे छुपा देता था। लेकिन एक बार, वो अचानक आधी रात को आए और हमें पकड़ लिया। जब पुलिस ने कहा कि वो उसे ले जाएंगे, मैंने उन्हें हलफ़नामा दिखाया। मेरी पार्टनर ने कहा कि वह बालिग है और मेरे साथ रहना चाहती है, लेकिन पुलिस ने एक न सुनी। उसके साथ आक्रमक हो गई और उसे जबरन अपने साथ ले गई।
>
> [तरुण, ट्रांस पुरुष, 29]

अक्सर, जब गवाही देने वाले अपने परिवार की हिंसा से दूर कहीं और जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, परिवारों ने उन्हें ढूंढ निकालने के लिए उनके और उनके पार्टनरों के ख़िलाफ़ पुलिस के सहयोग से झूठे मामले दर्ज करवा दिए। बहुत बार, जैसा कि एक केस वर्कर और स्वयं ट्रांस पुरुष लक्ष ने गवाही दी, ये मामले सिस महिलाओं के मां-बाप उनके ट्रांस पुरुष पार्टनरों के ख़िलाफ़ दायर करते हैं। अक्सर सिस महिलाएं न केवल अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए, बल्कि उस रिश्ते का खुलासा होने पर होने वाली हिंसा की वजह से, और शादी के दबाव के कारण भी भाग जाती हैं।

> मेरे परिवार ने यह कहते हुए एक गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया कि साजो मेरा अपहरण करके ले गया है।
>
> [सेलीन, सिस महिला, 28]

कुछ मामलों में, परिवार की शिकायत दर्ज नहीं की गई, बल्कि पुलिस ने धमकी के रूप में इसका इस्तेमाल किया, क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति को अपने हिंसक परिवार से संपर्क करने के लिए मजबूर करने की कोशिश के तहत। कभी-कभी, परिवार प्रभावशाली था और उसके राजनीतिक संबंध थे, और इससे भी उन्हें पुलिस की सहायता प्राप्त करने में मदद मिली।

> चूंकि हम [सिस महिला पार्टनर] के परिवार को सूचित किए बिना चले गए, उन्होंने मेरे [ट्रांस पुरुष] के ख़िलाफ़ यह कहते हुए शिकायत कर दी कि मैंने उसकी तस्करी की है, उसे नशीली दवाएं दीं हैं, और यह मामला दर्ज हो गया।
>
> [ओइशिक, ट्रांस पुरुष, 21]

बाक़ी समाज की ही तरह पुलिस ने भी पारिवारिक हिंसा को मौन स्वीकृति दी। यह उस व्यापक

मान्यता से आता है कि बच्चों को अनुशासित किया जाना चाहिए, और इसी सोच के साथ-साथ वह साझी समझ भी जुड़ जाती है कि पत्नी पर "थोड़ी-सी" वैवाहिक हिंसा ठीक है। जब क्वीयर या ट्रांस व्यक्तियों की बात आती है, तो मान लिया जाता है कि ऐसे व्यक्ति ग़लत कर रहे हैं। यही नैतिक रुख अपनाने और जानकारी की कमी का संयोजन पुलिस को अक्सर परिवारों के साथ खड़ा कर देता है। एक ट्रांस पुरुष गवाह से, जिसे उसकी सिस महिला पार्टनर के साथ पुलिस के पास ले जाया गया था, वाक़ई इन्हीं शब्दों में पूछा गया कि वे जो कर रहे थे (रिश्ता रखना, एक साथ रहना), क्या वह क़ानूनी था भी?

जबकि ऐसे कई उदाहरणों का उल्लेख किया गया है जिनमें पुलिस ने ट्रांस पुरुषों पर आरोप लगाने में परिवार का समर्थन किया था, ऐसे बयान भी थे जिनमें पुलिस और परिवारों ने ट्रांस पुरुषों की सिस महिला पार्टनरों पर आरोप लगाए कि उन्होंने उन ट्रांस व्यक्तियों का अपहरण, उनपर जादू-टोना और उन्हें भगा ले जाने का काम किया है। इस उदाहरण में, ट्रांस पुरुष और उसकी पार्टनर का अलग-अलग जातियों से आना भी पुलिस के रवैये को प्रभावित करता है।

> [मेरे मां-बाप] हमें एक कार में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले गए। वहां महिला और पुरुष कांस्टेबल थे। एक महिला कांस्टेबल ने चेतना को कमरे से बाहर जाने कहा, तो उसने इनकार कर दिया। कांस्टेबल ने उसे ज़ोर से थप्पड़ लगाने की धमकी दी। मेरे परिवार के सदस्यों को पुलिस ने मुझे रिमांड होम में रखने की सलाह दी। और चेतना पर आरोप लगाए गए कि उसने मुझ पर जादू कर दिया था और मेरे परिवार से पैसे ऐंठने की कोशिश की थी।

[तुषार, ट्रांस पुरुष, 20]

केस वर्कर और ट्रांस पुरुष चांद ने भी इसी तरह का एक मामला साझा किया। जबकि पुलिस ने निर्धारित और वैवाहिक परिवारों का समर्थन करने में तब भी संकोच नहीं किया जब उन्हें विशेष रूप से हिंसा के ख़तरे के तहत किसी जोड़े या व्यक्ति की रक्षा करने का आदेश मिला हो, एक के बाद एक गवाही में उन स्थितियों का वर्णन किया गया जिनमें क्वीयर/ ट्रांस गवाहों ने अपने पार्टनरों को हिंसक परिवारों से बचाने के लिए संघर्ष करने के दौरान पुलिस से मदद मांगी और केवल इनकार मिला।

> मैंने एक मामला [ज़िला पुलिस स्टेशन] में दायर किया, और हर बार पूरी कहानी दोहरानी पड़ती थी, और पुलिस मामले पर कार्यवही न करने के लिए बहाने पेश करती थी। कुछ एक सप्ताह के बाद, मैंने पुलिस उपाधीक्षक (डिप्टी एसपी) से संपर्क किया, जिन्होंने मुद्दे के बारे में पूछा, और 5 मिनट के भीतर, मुझे अगली सुबह थाने जाने के लिए कहा गया। इसके बाद, अगली बार जब मैं वहां था तो पुलिस ने कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें मामले की योग्यता के बारे में पता नहीं था।

[साजो, ट्रांस पुरुष, 26]

कार्यवाही में देर करने के तरीक़े अपनाना और बहाने बनाते रहना, और संकट की स्थिति में किसी व्यक्ति को यहां से वहां घुमाकर परेशान करते रहना बस अपनी शक्ति का प्रदर्शन है। अंतिम उद्देश्य होता है शिकायतकर्ताओं को चुप कराना, और हिंसक परिवारों के ख़िलाफ़

शिकायत दर्ज करने से बचना। इन परिस्थितियों में कोई भी ऊट-पटांग जवाब दे देना काफ़ी होता है – चाहे मामले की योग्यता न जानने की बात हो, जिसपर राय बनाना पुलिस का काम ही नहीं है, या किसी और बहाने लम्बे समय तक मामले को बस टालते रहना। गवाहों ने उन पहलुओं का भी ज़िक्र किया जो मामले को इतनी जटिल बना देते हैं कि संकट की स्थिति में क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति के लिए पुलिस तक पहुंच पाना ज़रूरी हो जाता है। ये पहलू क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति के लिए रास्ता निकाल पाना और मुश्किल बना देते हैं, साथ ही पुलिस की निष्क्रियता के लिए एक और बहाना प्रदान करते हैं। एक ट्रांस पुरुष, तरुण, अपने साथी तक पहुंचने की कोशिश का वर्णन करता है जिसे लॉकडाउन के दौरान उसके मां-बाप कहीं दूर ले गए थे।

> मैंने [पुलिस को] बताया कि मैं अपने पार्टनर से मिलने के लिए [दूसरे शहर] जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे कमिश्नर के कार्यालय जाना होगा क्योंकि मुझे पास की आवश्यकता है। फिर मैं कमिश्नर के कार्यालय की ओर चल दिया, लेकिन वहां मुझे बताया गया कि मुझे डीसीपी के कार्यालय से पास लेना होगा। फिर मैं डीसीपी के गया, लेकिन उन्होंने कहा कि तुरंत पास प्राप्त करना संभव नहीं है और 15-20 दिन बाद लौटने कहा। मैं निराश हो गया और वापस चला गया।
>
> [तरुण, ट्रांस पुरुष, 29]

यहां तक कि पुलिस सुरक्षा प्राप्त करने के बाद, या हेबियस कॉर्पस मामले में अदालत के फ़ैसले के बाद भी कि पार्टनर एक साथ रह सकते हैं, पुलिस ने या तो इनका पालन नहीं किया या देरी की रणनीति अपनाई। जब हिंसक परिवार ने अपने क्वीयर/ ट्रांस सदस्य को उसके स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बहाने घर छोड़कर जाने से रोका, तो पुलिस ने उनकी ही सतही बातों पर विश्वास जताया। सेलीन के परिवार ने उसके पते के बारे में झूठ बोलने का प्रयास किया और यह तब साबित हुआ जब उसके पार्टनर ने जाकर ख़ुद जांच की और पाया कि वह उस मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में थी ही नहीं, जिसका नाम उसके मां-बाप ने पुलिस रिपोर्ट में दर्ज किया था, साथ में यह भी स्पष्ट हो गया कि पुलिस ने अपनी ओर से कोई पूछताछ नहीं की थी।

अपने परिवार के सदस्यों द्वारा अपहरण की गई 42-वर्षीय महिला रानी के लिए हेबियस कॉर्पस याचिका दायर करने के बाद ही उसका पार्टनर रणवीर को, जो ट्रांस पुरुष है, वह मिल पाई, बावजूद इसके कि मदद के लिए दोनों उसी पुलिस स्टेशन से संपर्क कर चुके थे।

> रणवीर ने मुझे ढूंढने की पूरी कोशिश की, जाकर अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की। वो रणवीर को बस एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहती रही।
>
> [रानी, सिस महिला, 42]

एक अन्य गवाह, एक ट्रांस पुरुष ने, जिसके पार्टनर का परिवार बेहद हिंसक तरीक़े से उसे घसीट कर ले गया था, जबकि वह ख़ुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, पुलिस की ओर से प्रतिक्रिया की इसी तरह की कमी के बारे में बताया, हालांकि वह लंबे समय से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और अब तक उसे आए दिन बलात्कार की धमकियां और जाति-आधारित धमकियां मिलती हैं किसके कारण उसे लगातार डर लगा रहता है।

> रंजीता के मां-बाप बहुत शक्तिशाली हैं। उनके राजनीतिक संबंध भी हैं. मैं पुलिस और प्रशासन के पास भी जा चूका हूं, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की, क्योंकि वे रंजीता के परिवार का समर्थन करते हैं।
>
> [ओइशिक, ट्रांस पुरुष, 21]

पुलिस द्वारा सुरक्षा या कार्रवाई की जहां बात आती है, वहां गवाही देने वालों की जाति, क्या जोड़े का रिश्ता अंतर्जातीय है, और गांव या आस-पड़ोस में प्रमुख जाति वाले परिवार की स्थिति – यह सब पुलिस के लिए बहुत मायने रखता है। तपन एक ट्रांस पुरुष है जिसके पार्टनर के प्रभुत्वशाली समुदाय वाले ससुराल वालों सहित और अन्य लोगों ने उसके अपने परिवार को इस हद तक धमकाया कि उसने आत्महत्या का प्रयास किया। उसके अनुभव से ज़ाहिर है कि उत्पीड़ित समुदाय के किसी व्यक्ति के लिए हिंसा को रोकने या न्याय मांगने का कोई रास्ता नहीं होता।

> जब मैं ठीक हो गया मैं गांव वापस आया और अपने पार्टनर के वैवाहिक परिवार के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की, लेकिन क्योंकि वे अधिक प्रभावशाली हैं, इसलिए कुछ नहीं हुआ और हम मुकदमा जीत नहीं पाए।
>
> [तपन, ट्रांस पुरुष, 22]

और जबकि पुलिस एक क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति को हिंसा से बचाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई करने से पीछे हट जाती है, वो अपने कर्तव्य से परे जाकर हिंसक परिवारों की मदद करने में संकोच नहीं करती – क्वीयर/ ट्रांस सदस्यों पर दबाव डालने में उनके परिवार का सहायक बनती है ताकि व्यक्ति हार मान लें और लौट आएं।

> कुछ महीने पहले पुलिस की ओर से एक कॉल आई थी, यह बताने कि हमारे मां-बाप चिंतित हैं। हमने अपने रहने का स्थान ढूंढ लिए जाने के डर से अपनी शिकायत औपचारिक रूप से वापस ले ली, क्योंकि पुलिस हमारा पता पूछ रही थी।
>
> [बानू, सिस महिला, 23]

यह डर बेबुनियाद नहीं है। एक अन्य गवाही में, एक जोड़े ने एक साथ रहने के एकमात्र तरीक़े के रूप में हेबियस कॉर्पस के इस्तेमाल की कोशिश की। मामले से जुड़ा हर कोई, पुलिस से लेकर जज तक, ट्रांस पुरुष की सिस महिला पार्टनर सेलीन पर यह कहने के लिए दबाव डालता रहा कि वह अपनी मां के पास लौटना चाहती है, ताकि मामला ख़त्म किया जा सके।

ऐसी घटनाएं हुई हैं जब पुलिस ने न केवल वयस्क लोगों के क़ानूनी और नैतिक रखवाले के रूप में काम किया, बल्कि अपमानजनक सवाल पूछकर और शारीरिक जांच/ हमले में शामिल होकर उनकी शारीरिक स्वायत्तता के अधिकारों का भी उल्लंघन किया। जबकि पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि वह व्यक्तियों को हिफ़ाज़त और सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन उन्होंने ट्रांस पुरुषों से उनकी जेन्डर पहचान के बारे में इस तरह पूछताछ की, कि वह यौन हिंसा ही कहलाएगी।

एक उदाहरण में, एक ट्रांस पुरुष को अपने जबरन बाल विवाह में वैवाहिक बलात्कार के अनुभव और ख़ुद का बचाव करने की कोशिश के बाद पुलिस से निपटना पड़ा,

> आख़िर मुझे एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं है. मुझे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। उन्होंने मुझे एक मुस्लिम लड़की के रूप में देखा और पूछा, "एक लड़की के लिए यह सब करना कैसे संभव है?" पूछा कि मेरी टांगों के बीच क्या है... मैंने उनसे कहा कि वे जाकर अपने परिवार, अपने बच्चों से ऐसे सवाल पूछें।

[तारिक, ट्रांस पुरुष, 38]

एक अन्य ट्रांस पुरुष ने शारीरिक स्वायत्तता के अधिकारों के इसी तरह के उल्लंघन की एक घटना का वर्णन किया। वह अपने पार्टनर के साथ भाग गया और जब पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तब ही पता चला कि वह 17 साल की थी। उसके बाद उस पर POCSO अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया।

> पुलिस ने मुझे रिमांड में रखा, मुझसे बहुत ख़राब तरह से बात की, यह देखने के लिए मेरे कपड़े उतार दिए कि मैं आदमी हूं या औरत।

[बद्रीप्रसाद, ट्रांस पुरुष, 23]

गवाहियों से स्पष्ट है कि पुलिस स्टेशनों और हिरासत में ऐसी हिंसा और भेदभाव काफ़ी व्यापक है। उपरोक्त सभी उदाहरणों में देखा जा सकता है कि पुलिस क़ानून और संविधान के अनुसार कार्य करने के बजायहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश करती है, जिसका नतीजा होता है क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों का ऐसे समय में बिना किसी सहारे के रह जाना जब उनका जीवन ख़तरे में हो। सिस महिलाओं और ट्रांस व्यक्तियों के साथ जो सुलूक किया जाता है उससे ज़ाहिर है कि उनको बिलकुल नासमझ और अपने फ़ैसले ख़ुद लेने के नाक़ाबिल समझा जाता है, भले ही वे वयस्क हों और परिवार अब उनके क़ानूनी अभिभावक नहीं रहे। कुछ गवाहियों में, क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति न केवल वयस्क थे, बल्कि 40 वर्ष से अधिक के भी थे, या काफ़ी समय से आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे। परिवार जितने अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली थे, उनके लिए पुलिस को अपने मतलब का उपकरण बनाना उतना ही आसान था, जिसके ज़रिए वे क्वीयर-ट्रांस लोगों तक पहुंच सकें और ऊपर अपना नियंत्रण जमा सकें।

समुदाय जिसे खो चुका है, एक ऐसे क्वीयर व्यक्ति के बारे में दोहराई गई कहानियां बतातीं हैं कि पुलिस कैसे इस बात पर ज़ोर देती रही कि वयस्क महिला होने के बावजूद इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता था कि वह "ज़िम्मेदार वयस्क" थी। जबकि उसके पास नौकरी थी और वह वर्षों से स्वतंत्र जीवन बिता रही थी, जब उसके परिवार को पता चला कि किसी अन्य सिस महिला के साथ उसका अंतर-धार्मिक रिश्ता है। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सेल के हस्तक्षेप के बावजूद और एक संगठन के समर्थन के बावजूद, जिसके पास वह मदद के लिए पहुंची थी, उसका परिवार उसे एक तरह से घर में नज़रबंद करने में कामयाब रहा। पैदाइशी परिवार ने झूठी अफ़वाहें फैलाईं कि मानव तस्करों के एक गिरोह द्वारा उनकी बेटी की तस्करी का डर है – पुलिस के लिए यह बहाना काफ़ी था संगठन के लोगों से उसकी मुलाक़ात को टालने के लिए। जब पुलिस और नहीं टाल सकी, तो एक महिला पुलिस को कमरे में मौजूद रखा गया, जिसने हो रही बातचीत को रिकॉर्ड करने की कोशिश की।

अदालतों में उम्मीद और निराशा का सिलसिला

प्रस्तुत की गई कई गवाहियों में, अदालतों ने क्वीयर और ट्रांस लोगों के पक्ष में सकारात्मक कार्य किया, लेकिन उन तक पहुंचने में सक्षम लोगों की संख्या कम है। जो लोग ऐसा कर पाए, उन्हें संगठनों से और इनके साथ काम करने वाले क्वीयर- और ट्रांस-समर्थक वकीलों की मदद मिली।

सकारात्मक फ़ैसला प्राप्त करना अक्सर अपने आप में एक कठिन काम होता है। एक गवाही में उल्लिखित हेबियस कॉर्पस मामले के वकील ने बताया कि परिवार और फिर तत्कालीन न्यायाधीश द्वारा क्वीयर/ ट्रांस लोगों और उनका प्रतिनिधित्व करने वालों पर कैसे दबाव डाला गया।

> बच्चे बड़े हो गए थे, वे बच्चे नहीं थे। उन सभी ने कहा कि वे अपनी मां के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अपनी मां के पार्टनर के साथ नहीं। [...] फ़ैसला यह हुआ कि यदि वह अपने परिवार या पति के साथ नहीं रहना चाहती है, तो वह वयस्क है और जहां चाहे रह सकती है। लेकिन अदालत ने मुझे पति के बारे में सोचने का सुझाव दिया।[...] अंततः जब फ़ैसला आया, तो छोटे बच्चे ने, जो सबसे अधिक भावुक था, मुझसे कहा, "मैं तुम्हें बाहर देखूंगा।"
>
> [एक गवाह के लिए हेबियस कॉर्पस में वकील]

जज परिवार के सदस्यों से प्रभावित हो सकते हैं जो अदालतों में भावनाओं को लेकर उथल-पुथल हैं और प्रक्रिया को तमाशे में बदल देते हैं। क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति को बुरा व्यक्ति बनाए जाने का कलंक झेलना पड़ता है, जो परिवार को परेशान कर रहा है। कि उन्होंने अपना पैदाइशी या वैवाहिक घर क्यों छोड़ा, उसके कारणों पर विचार नहीं किया जाता है, और न ही संबंध को लेकर किसी समझौते पर। जैसा कि गवाहियों से पता चला है, न्यायाधीश कभी-कभी अंतिम क्षण तक किसी युवा वयस्क की स्वयं निर्णय लेने की क्षमता को चुनौती देते हैं।

> मुझे जज से बात करने की आवश्यकता थी और मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं अपने पैदाइशी परिवार के घर वापस नहीं जाना चाहता। जज ने मुझे अपनी मां से बात करने के लिए एक घंटा और दिया, अगर मैं अपना मन बदल लूं या सुलह करना चाहूं। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे उनसे इस तरह की प्रताड़ना और हिंसा का सामना करना पड़ा है। फिर भी, मैंने एक घंटा बिताया और फिर जज से कहा कि मैं अपनी मां के घर वापस नहीं जाना चाहती। फ़ैसला यही था कि मुझे अपने घर वापस नहीं जाना होगा, और तब मैं अपने पार्टनर के साथ फिर से जुड़ पाई।
>
> [सेलीन, सिस महिला, 28]

इन मामलों में अदालत ने निर्धारित/ वैवाहिक परिवार को डिफ़ॉल्ट रूप से प्राथमिकता दी और उनके दृष्टिकोण से समझौता करने का प्रयास किया। जमकर लड़ाई लड़ने और बार-बार घोषणा करने के बाद ही अदालत के आदेश पीड़ित क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति के पक्ष में पारित किए गए। यह प्रक्रिया अपने आप में लंबी और समय लेने वाली होने के अलावा, जिन जोड़ों को लॉकडाउन के दौरान इससे गुज़रना पड़ा, उनके लिए सामान्य से भी अधिक बाधाएं थीं।

मैं [सहायक संगठन] के पास गया। एक वकील की मदद से हमने अदालत में हेबियस कॉर्पस मामला दायर किया। मामले के तहत दो से तीन सुनवाई हुईं। यह सब लॉकडाउन के दौरान था, इसलिए उन्होंने मेरे पार्टनर से एक वीडियो बयान लिया, जिसमें उसने कहा कि वह एक वयस्क है और अपनी मर्ज़ी से जाना चाहती है। तब फ़ैसला आया और कहा गया कि वह मेरे साथ रह सकती है।

[तरुण, ट्रांस पुरुष, 29]

पैनल के समक्ष पेश की गई चार गवाहियों में उनकी हेबियस कॉर्पस याचिकाओं के जवाब में सकारात्मक निर्णय प्राप्त होने की बात अवश्य कही गई। दरअसल, ट्रांस अधिकार कार्यकर्ताओं में से एक (लक्ष) ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके अनुभव में, समस्या अदालतें नहीं बल्कि पुलिस थी। इसका मतलब यह नहीं है कि यह प्रक्रिया कठिन नहीं है, या उस तक पहुंचना मुश्किल और निरुत्साह करने वाला नहीं है। ट्रांस पुरुषों में से एक ने अपने पार्टनर के बारे में बात करते हुए, जिसे बचपन में शादी के लिए मजबूर किया गया था, बताया कि

लोग मामला दर्ज करने से डरते हैं क्योंकि वे पुलिस और अदालत द्वारा उत्पीड़न से डरते हैं।

[तपन, ट्रांस पुरुष, 22]

अक्सर ऐसा भी होता है कि अदालतें अन्य संबंधित मामलों में भी हस्तक्षेप करें, जैसे कि पूछना कि किसी परिवार के बच्चे क्या ऐसे मां या बाप के साथ रहना जारी रखना चाहेंगे जो क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति हैं।

ऊपर उल्लिखित बयानों में हमने मां-बाप व परिवारों के ऐसे उदाहरण देखे जहां वे अदालतों में क्वीयर और ट्रांस व्यक्ति के अधिकारों का पहले से भी ज़्यादा उल्लंघन करने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे मामलों में जहां वे व्यक्ति एक साथ रहना चाहते थे। गवाह अपने क़ानूनी अधिकारों के आधार पर अपने निर्धारित परिवारों द्वारा की गई हिंसा के मामलों को लेकर भी अदालत गए:

मैंने उन्हें [मां-बाप] एक बार क़ानूनी नोटिस भेजी थी, जिसमें कहा गया था कि मैं उनके संपर्क में नहीं रहना चाहता। वे नहीं जानते कि मैं कहां हूं और क्या करता हूं ।

[उदय, ट्रांस पुरुष, 27]

दुर्भाग्य से, न केवल क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों ने अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया है, बल्कि उनके निर्धारित परिवारों ने भी, अपनी औलाद पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने के तरीक़े के रूप में, जब उन्होंने घर छोड़ दिया या जब उनके रिश्तों में से परिवार को ऐतराज़ था। जब एक सिस महिला गवाह हिंसा और उत्पीड़न से बचने के लिए घर से भाग गई, तो उसके परिवार ने मान लिया कि वह किसी लड़के यानी बॉयफ्रेंड के साथ गई है, और अदालत में मामला दायर किया जहां वे रहते थे। जब निर्धारित परिवार शिकायत दर्ज करते हैं, तो ये आम तौर पर अपहरण, तस्करी, चोरी आदि के मामले होते हैं। जब अदालतें उन परिवारों का पक्ष लेने की प्रवृत्ति दिखाती हैं, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बुलाए गए क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति के लिए, प्रक्रिया कठिन हो उठती है। इन मामलों में, ऐसे वकीलों की ज़रूरत होती है जो

परिस्थिति समझते हों और पर्याप्त तर्क प्रदान करने में सक्षम हों ताकि क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति के लिए आवश्यक सुरक्षा और न्याय का इंतज़ाम तय किया जाए। बयानों से पता चलता है कि अक्सर क्वीयर/ ट्रांस लोगों को ऐसे वकीलों तक पहुंचने और अदालतों तक पहुंचने और क़ानूनी मामले लड़ने के लिए वे समर्थक संगठनों पर कितने निर्भर होते हैं।

देखभाल-हेतु संस्थानों के दिए गए सदमे

क़ानून-अदालतों और पुलिस के साथ-साथ, सभी प्रकार की चिकित्सा देखभाल और इसे प्रदान करने वाली संस्थाओं तक सभी ज़रूरतमंदों की पहुंच आसान होनी चाहिए। इस मामले में भी, अज्ञानता और पूर्वाग्रहों का मिश्रण इन जगहों को क्वीयर और ट्रांस लोगों के प्रति दुर्व्यवहार के स्थान बना देते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि लोगों को जब स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता होती है, वे पहले से ही असुरक्षित स्थिति में होते हैं।

मुख्य समस्याओं में से एक यह है कि जब एक क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति के लिए, जो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह ख़ुद के लिए बोल सके, निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, तब निर्णय लेने का काम डिफ़ॉल्ट रूप से निर्धारित या वैवाहिक परिवार का हो जाता है। ऐसे में पारिवारिक संबंधों के अलावा अन्य रिश्तों की मान्यता की कमी क्वीयर/ ट्रांस लोगों को जोखिम में डाल देती है। एक ओर, जब परिवार पहले से ही किसी व्यक्ति के जेन्डर या सेक्शुएलिटी के कारण उसके प्रति हिंसक होते हैं, तो वे शायद ही ऐसे निर्णय ले पाते हैं जो व्यक्ति अपने लिए लेना चाहता। दूसरी ओर, हम देख चुके हैं कैसे अधिकांश क्वीयर और ट्रांस लोग, यानी वे भी जिनके परिवार शारीरिक रूप से हिंसक नहीं हैं, अपने लिए समर्थन और समझ कहीं और पाते हैं। ऐसे नेटवर्क हैं, चुने हुए परिवार हैं, जो उस व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक भलाई की उन बारीकियों को समझते हैं जिनके बारे में निर्धारित परिवारों को शायद जानकारी न हो, लेकिन चिकित्सा संस्थान और निर्धारित परिवार दोनों ही उन्हें व्यक्ति के देखभाल में भाग लेने से रोक सकते हैं। यूं क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति की चिकित्सा व् देखभाल से जुड़े लोग न सिर्फ़ ज़रूरी जानकारियों के अभाव में अपना काम करते हैं, वे व्यक्ति को अपने समुदाय के लोगों से अलग कर देते हैं, जिनके पास निर्णय लेने का न ही अधिकार होता है न ही क़ानूनी मंज़ूरी। यह न केवल उन क्वीयर/ ट्रांस व्यक्तियों के लिए संकट का कारण बनता है, जिन्हें चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है और जो ख़ुद को अब अपने निर्धारित परिवार पर निर्भर पाते हैं, बल्कि उनके नेटवर्क या चुने हुए परिवारों के लिए भी अंधेरे में छोड़े जाने का जोखिम पैदा करता है क्योंकि उनके रिश्ते को मान्यता नहीं दी जा रही होती है।

> हमारी सबसे क़रीबी दोस्त एआरटी पर थी और उसे अस्पताल ले जाया गया। उस समय -बार सुनने में आ रहा था कि यदि कोई अन्य दवाएं ले रहा हो, तो इनका कोविड के लिए दी जाने वाली दवाओं के साथ शायद मेल न हो, इसलिए डॉक्टरों को बताया जाना चाहिए। हमें मालूम था कि [उसके निर्धारित परिवार में] कोई भी एआरटी वाली बात नहीं जानता था। हमें पता था कि अस्पताल को सूचित करना चाहिए, लेकिन नियम यह था कि केवल परिवार ही अस्पताल जा सकता था। हमारे पास कोई अधिकार नहीं था. चुने गए परिवार को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिकार होना चाहिए; ऐसी कुछ चीज़ें हैं

> जो लोग मां-बाप के साथ साझा नहीं करते हैं, जैसे सर्जरी, हार्मोन वगैरह। इसलिए चुने गए परिवार के पास अधिकार होना चाहिए।
>
> [शामली, नॉन-बाइनरी, 26]

गवाहियों में यह चिंता बार-बार व्यक्त की गई, उनके द्वारा भी जिनके ऐसे अनुभव रह चुके थे, और अन्य लोगों से जो ऐसी घटनाओं के बारे में हमेशा फ़िक्र करते हैं, यह जानते हुए कि क्या-क्या होने की संभावना है।

> यहां तक कि जब हम अस्पताल जाते हैं तो हमें अपने नाम "दोस्त" या "चचेरी बहन" के रूप में दर्ज करने पड़ते हैं।
>
> [बानू, सिस महिला, 23]

एक गवाही बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि आवश्यकताएं क्या हैं।

> मेरे परिवार ने कभी भी मेरा समर्थन नहीं किया। इसलिए यदि मैं बीमार हूं या अस्पताल में भर्ती हूं तो मेरे साथ हिंसक व्यवहार करने वाले परिवार से सलाह नहीं ली जा सकती। मेरे बारे में निर्णय लेने के लिए तेज से सलाह की जानी चाहिए। मुझे यह अधिकार चाहिए।
>
> [लेखा, सिस महिला, 34]

परिवारों को सौंपे गए क़ानूनी अधिकार के कारण होने वाली समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के अलावा, गवाहों ने यह भी बताया कि किस तरह से अस्पताल लापरवाही से किसी व्यक्ति के स्व-निर्धारित जेन्डर की उपेक्षा करके उसकी शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन करते हैं, भले ही ऐसे लोग उसके साथ मौजूद हों जो उसके लिए लड़ना चाहते हों और लड़ सकते हों।

> अंततः हमने एम्बुलेंस बुलाई और बालादित्य को अस्पताल ले गए। हम जिस पहले अस्पताल में पहुंचे, वहां हमारी किसी भी चिंता या अनुरोध पर विचार नहीं किया गया। हमने अधिकारियों से बालादित्य को पुरुष वार्ड में रखने का अनुरोध किया क्योंकि वह ख़ुद को पुरुष के रूप में देखता-मानता था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हमने उसे कहीं और ले जाने का फ़ैसला किया, जहां कम से कम उसकी पहचान के स्वीकारे जाने का आश्वासन मिले ।
>
> [सहायक संगठन 2]

जब मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है तो स्थिति और भी कठिन हो जाती है। शुरु से ही मानसिक स्वास्थ्य को कलंक मानने वाला नज़रिया ज़्यादा आम है, और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता काफ़ी कम। तभी तो एक गवाह ने बताया कि उसे जिस आंतरिक संघर्ष का अनुभव हो रहा था, उसको कैसे वह बेहद लंबे समय तक कोई नाम नहीं दे पाई।

> स्कूल में भी पीटा जाता था, शिक्षक मुझ पर चिल्लाते थे। तब मुझे पता नहीं था कि डिप्रेशन क्या होता है। मैं अपने परिवार के साथ अपनी सच्चाई साझा नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक लड़के के रूप में ही जीवन जीना होगा।
>
> [तारिणी, ट्रांस महिला, 33]

दरअसल स्वयं तारिणी का अपने अनुभव की गंभीरता को नहीं समझा पाना अपने आप में गंभीर चिंता का विषय है। उतनी ही चिंता की बात यह भी है कि न तो उसके मां-बाप और न ही स्कूल के शिक्षकों ने इस पर ध्यान दिया। मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों की यह अदृश्यता क्वीयर/ ट्रांस लोगों का देखभाल के साधनों की पहुंच से बाहर होने का डर पैदा करती है, क्योंकि न सिर्फ़ अपनी पहचान को लेकर ख़ुद समझ बना पाने में अक्सर उन्हें लंबा समय लगता है, उन सारे तरह-तरह के आघातों के बारे में, जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है, किसी और को बता पाना तो और दूर की बात होती है। अक्सर, लोगों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच पाने के लिए उन्हें पहले क्वीयर/ ट्रांस अधिकार संगठनों से कुछ समर्थन की आवश्यकता होती है, और जब किसी को एहसास होता भी है कि इन देखभाल-सेवाओं से मदद मिलेगी, तो वित्तीय पहलू इसे हासिल करना असंभव बना देते हैं।

हम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के कामकाज में पुलिस के साथ स्पष्ट समानता देखते हैं। पुलिस-संबंधी बयानों में क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों से सुरक्षा की मांग पर प्रतिक्रिया की कमी देखी गई, जो हिंसक परिवारों के साथ मिलीभगत से बदतर हो गई। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की बात करें, तो समस्या ज्ञान की कमी और इस तथ्य से भी परे है कि यह स्पष्ट रूप से उन लोगों के लिए वहन करने योग्य नहीं है जो अनिश्चित-असुरक्षित जीवन जीते हैं। यह परिवारों के साथ मिलकर की जाने वाली जारी हिंसा की समस्या है।

निर्धारित परिवार क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति के आकर्षण के रुझान या जेन्डर अभिव्यक्ति को बीमारी मानते हैं और ऐसे मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों, "उपचार" या "इलाज" का सहारा लेते हैं जो क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति के लिए हानिकारक होते हैं। हालात को बदतर बनाती है इन मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं की, विशेष रूप से राज्य-संचालित और निजी पुनर्वासकेंद्रों की पुलिस के साथ सांठगांठ।

तारिक के परिवार ने उसे मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में भर्ती होने के लिए मजबूर किया।

> मेरा दिमाग़ काम नहीं कर रहा था। मैं एक सप्ताह तक वहां अस्पताल में था। उन्होंने मुझे बिजली के झटके दिये। मेरे सिर पे अब तक उसका असर है... आमतौर पर वे करंट [इलेक्ट्रोकन्वल्सिव झटके] देते थे, और मैं सो जाता था। करंट लगना, और नींद, करंट, और नींद। यही दिनचर्या थी। मुझे खाने का मन नहीं होता था।
>
> [तारिक, ट्रांस पुरुष, 38]

इसे करना अवैध क्यों न हो, फिर भी अस्पतालों में "कन्वर्ज़न थेरपी" या परिवर्तन-चिकित्सा के ऐसे रूपों की प्रथा जारी है, वह भी पंजीकृत डॉक्टरों की देखरेख में जो निर्धारित परिवार की इच्छाओं का पालन करते हैं, ख़ासकर जब उन्हें इस तरह के उपचार के लिए भुगतान मिलता हो।

> मेरे पार्टनर को दवाओं पर रखा गया था क्योंकि उसे एक ट्रांस पुरुष से प्यार हुआ था। पुनर्वास के बाद मैंने उससे संपर्क किया और बताया कि मैं उसे बाहर निकाल लूंगा, मुझे कुछ समय दे। वह बिलकुल स्वस्थ व्यक्ति थी। उन लोगों ने उसे ज़बरदस्ती ड्रग के इंजेक्शन लगाए और ग़लत बुनियाद पर पुनर्वास केंद्र में भर्ती करा दिया। यह सब उसके साथ इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने आप को लेस्बियन माना। भारत में आज इसे अप्राकृतिक समझा जाता है।
>
> [ओइशिक, ट्रांस पुरुष, 21]

जब परिवार उन्हें दवा लेने के लिए मजबूर करते हैं या मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती कर देते हैं – अक्सर परिवर्तन चिकित्सा के किसी तरह के उपचार के लिए – तो व्यक्ति के पास कोई समर्थन सिस्टम नहीं होता है। गवाहियों से संकेत मिलता है कि क्वीयर और ट्रांस लोग अपने परिवारों की इच्छाओं पर अमल करें, इसके लिए दबाव डालने के लिए भी कन्वर्ज़न थेरपी की धमकी का उपयोग किया जाता है।

> मुझे यह समझाने ले दौरान कि मैं किस-किस तरह से बानू को भुला सकती हूं, काउंसलर ने मेरे साथ यौन भाषा का इस्तेमाल किया। अन्य "उपचारों" के साथ परिवर्तन चिकित्सा भी प्रस्तावित की गई।

[ओमेरा, सिस महिला, 24]

डॉक्टर क्वीयर और ट्रांस लोगों को डिफ़ॉल्ट रूप से कामुक मानते हैं और एक उपकरण के रूप यौन धमकियों का उपयोग करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने में संकोच नहीं करते। अन्य गवाहों से भी पता चला कि कैसे चिकित्सा ज्ञान के नाम पर होमोफ़ोबिया और ट्रांसफ़ोबिया को बेझिझक उचित ठहराया जाता है। ट्रांस पुरुषों में से एक को एक डॉक्टर (स्त्री रोग विशेषज्ञ) ने बताया था कि

> 'ऐसी चीज़ें [जेन्डर परिवर्तन] भारत में मौजूद नहीं हैं, यह किसी भी तरह से संभव नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इस तरह से बदलाव करना कितना महंगा है? आप एक महिला के साथ नहीं रह सकते।'

[ऋषि, ट्रांस पुरुष, 27]

घर पर एक व्यक्ति को जिस भारी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है, वह मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के संपर्क में आने से कई गुना बढ़ जाती है। ये व्यक्तियों के जीवन और मृत्यु को निर्धारित कर सकते हैं, और कभी-कभी उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्थायी रूप से हानिकारक होते हैं। इस तरह के आपराधिक कृत्यों की रिपोर्ट बहुत कम होती है और वे कभी-कभार ही सामने आते हैं, जिससे उनके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। ख़ुद को एक क्वीयर व्यक्ति के रूप में पहचानने वाले एक कार्यकर्ता ने पुनर्वास केंद्रों में व्यक्ति के अपने निर्णय लेने की क्षमता के क्रूर हनन की एक भयावह झलक दिखाई।

मुझे यह पता था कि वे मुझे पुनर्वास केंद्र ले जा रहे हैं. फिर उन्होंने मुझे ज़ोर से पकड़ा, मेरा सिर नीचे की ओर दबाकर रखा और मुझे एक घर में ले गए। एक कमरे में रखा जहां सात अन्य लड़कियाँ चटाई पर बैठी थीं। हमारे कमरे में प्रवेश करने के बाद स्थिति और ख़राब हो गई। [पुनर्वास केंद्र प्रभारी] का पति आया और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। [प्रभारी ने] मुझे ज़बरदस्ती कुछ दवाएँ खिलाईं। बाक़ी लड़कियों से कहा कि मुझसे ज़्यादा बात मत करें. उनमें से एक लड़की को मुझसे बात करने के लिए पीटा गया।

उस पुनर्वास केंद्र में, आठ लड़कियों को दस फुट से बारह फुट के कमरे में रखा गया था। कमरे में एक को छोड़कर सभी खिड़कियां पैनल से ढकी हुई थीं। उस एक खिड़की से वहां बंद लोगों को भोजन दिया जाता था।

> मैं उस रात वहीं था, मेरे लिए जो बिस्तर था उसपर सो रहा था। लगभग सुबह 1 बजे [...] मुझे एक कार में [दूसरे शहर] ले जाया गया। खिड़कियाँ खुली हुईं, संगीत ज़ोर से बजता हुआ। मेरे मां-बाप साथ नहीं आए; उन्होंने मुझे पुनर्वास केंद्र में एक अजनबी को सौंप दिया। मैं रस्ते में दिखने वाले संकेतों से समझ पाया कि मुझे [शहर का नाम] ले जाया गया था।
>
> बाद में ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे दूसरे पुनर्वास केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया है [...]। यहां महिला वार्डन ने मेरे कपड़े उतारकर जांच की। इसके बाद रात को सोने ले जाया गया।
>
> इस पुनर्वास केंद्र में एक बाथरूम था, जिसे सभी लोग साथ इस्तेमाल करते थे। कोई दरवाज़ा नहीं था, और अपने लिए निजी एकांत का कोई सवाल ही नहीं था। मैं अपने जीवन में कभी जेल नहीं गई, लेकिन मैंने सुना है कि वह इससे बेहतर होता है।
>
> [नोयोनिका, सिस महिला]

नोयोनिका को पुलिस की मदद से एक पुनर्वास केंद्र से दूसरे पुनर्वास केंद्र में स्थानांतरित किया गया था। यह स्पष्ट है कि व्यक्तियों की रक्षा के लिए बनी संस्थाएं न केवल उनके परिवारों के साथ मिलीभगत करती हैं, बल्कि उनकी आपसी सांठगांठ भी रहती है। ख़ास तौर पर नज़र में आने वाली बात है क़ैद करने की ओर उनका साझा झुकाव, वे जेल जैसी स्थितियां जो उपरोक्त विवरण में स्पष्ट हैं। क्वीयर या ट्रांस व्यक्ति के साथ एक इंसान के रूप में बर्ताव करने की कोशिश का कोई निशान भी नहीं है, जिसकी अपनी राय उसके अपने मानसिक, स्वास्थ्य और जीवन में मायने रखती है। वे बस इसलिए वहां लाए गए हैं ताकि परिवार के आदेशों-तक़ाज़ों के मुताबिक उनकी मरम्मत की जा सके।

> वे [मां-बाप] मुझे एक अस्पताल ले गए, जहां एक मनोचिकित्सक ने मेरी बात सुनने तक से इनकार कर दिया। वह पूरी तरह से मेरे मां-बाप के पक्ष में थी। मुझे दो महीने से अधिक समय तक नींद की गोलियां दी गईं। घर में नज़रबंदी के समय, जब मैंने कुछ दिनों तक नींद की गोलियां नहीं लीं, मेरे छोटे भाई को पता चल गया और उसने मां-बाप को बता दिया। वे क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने ये दवाएं इसलिए लिखी हैं क्योंकि मैं पागल और बीमार हूं और ये मुझे ठीक कर देंगे।
>
> [ऋषि, ट्रांस पुरुष, 27]

विकलांगता के स्पेक्ट्रम पर मौजूद क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों को एक अलग ही क़िस्म के हाशियाकरण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

> परिवार के क्वीयर और विकलांग सदस्यों के ख़िलाफ़ उत्पीड़न का और एक तरीक़ा है वह अलगाव-अकेलेपन की स्थिति, जिससे उन्हें गुज़रना पड़ता है। परिवार के विकलांग सदस्यों को अक्सर किसी संस्था में भर्ती कर दिया जाता है और उनकी क्वीयर पहचान का या तो चिकित्साकरण होता है या उसकी पूरी तरह से उपेक्षा।
>
> [ओजा, नॉन-बाइनरी]

किसी रोग से ग्रस्त व्यक्ति के रूप में देखे जाने के अलावा, जिसे या तो इलाज की या दंड की

ज़रूरत हो (या दंड-रुपी इलाज की), क्वीयर और ट्रांस लोगों के लिए उन नेटवर्कों का शिकार हो जाने का भी जोखिम बना रहता है, जिन तक उनके परिवारों की पहुंच होती है और जिनके माध्यम से उन्हें ख़ुद के बारे में निर्णय लेने में अयोग्य घोषित किया जा सकता है, मामला चाहे उनके शरीर का हो, उनके रिश्तों का हो, या रहने के इन्तेज़ामात से जुड़ा हो।

> मेरी बहन, जो नर्स है, किसी से बात कर रही थी कि उन्हें मानसिक विकार के लिए एक मेडिकल प्रमाणपत्र बनवाने की ज़रूरत है ताकि अदालत में मेरे ख़िलाफ़ इसका इस्तेमाल किया जा सके।
>
> [सेलिन, सिस महिला, 28]

शिक्षा संस्थान

जहां एक ओर पुलिस, अदालतों और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों का उद्देश्य उन स्थितियों से निपटना होता है जो सामान्य से बाहर हैं - और हमने देखा है कि वे क्वीयर/ ट्रांस व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने में कैसे विफ़ल रहते हैं – हिंसा और उत्पीड़न का एक अन्य स्रोत रहे हैं स्कूल, जिसका उल्लेख कुछ गवाहों ने किया।

सतत विकास लक्ष्य (लक्ष्य 4) प्रतिबद्ध है कि "समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करें और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा दें"। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून के तहत, एलजीबीटी छात्रों को हिंसा और भेदभाव से मुक्त शिक्षा का अधिकार है, जो मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को बढ़ावा दे। इसके विपरीत, भारतीय संदर्भ में, अक्सर निर्धारित परिवार के साथ-साथ स्कूल भी ऐसे स्थान रहे हैं जहां भेदभाव और हिंसा शुरू होती है। मां-बाप के बाद शिक्षक ही नैतिक अभिभावक होते हैं, जिनसे बच्चे को "सही" करने की अपेक्षा की जाती है। जेन्डर व सेक्शुएलिटी की अभिव्यक्ति, ड्रेस कोड की जेन्डर-आधारित रूढ़िवादिता का पालन, दोस्त बनाना, अंतरंग संबंध – इन सबके संदर्भ में कोई भी “विपथगामी” व्यवहार को एक अपराध के रूप में देखा जाता है जिसके लिए क्वीयर/ ट्रांस बच्चे को सज़ा मिलती है। जेन्डर-सेक्शुएलिटी के बारे में जागरूकता की कमी और इस तरह के ज्ञान को लागू करने में झिझक के कारण स्कूलों में होने वाले भेदभाव और हिंसा का स्तर गंभीर हो जाता है। शामली ने स्कूल में नॉन-बाइनरी के रूप में बड़े होने के अपने अनुभव साझा किए:

> जब कोई शिक्षक किसी बच्चे को मारता है तो सभी मां-बाप स्कूल जाकर वहां झगड़ा करते हैं। हमारे अंग्रेज़ी शिक्षक ने आयोजित मुलाकात में हमारे मां-बाप से कहा कि वैसे तो हम अच्छा कर रहे हैं, बस हमारा व्यवहार काफ़ी हद तक लड़कियों जैसा है। हम लड़कियों के साथ कुछ ज़्यादा ही समय बिताते हैं. मां-बाप ने "मैडम" से कह दिया कि हमें "सही" करने के लिए जो भी करना पड़े करें।
>
> [शामली, नॉन-बाइनरी, 26]

जब क्वीयर/ ट्रांस बालक अपने हिंसक परिवार के विकल्प या उससे दूर एक आश्रय के रूप में स्कूल में समर्थन और मान्यता खोजने की कोशिश करते हैं, उस समर्थन से इनकार और

उन्हें मिलने वाली सज़ा गहरे सदमे का कारण बनती है। नताशा हरियाणा से है और एक लेस्बियन महिला के रूप में अपनी पहचान रखती है। उसे कोई ऐसा नहीं मिला जिससे वह अपनी सेक्शुएलिटी के बारे में बात कर सके। जिस चचेरे भाई को उसने बताया था उसने सुझाव दिया कि वह ख़ुद को बदलने की कोशिश करे। फिर उसने अपने स्कूल शिक्षक से बात करने की कोशिश की:

> मैंने अपनी एक टीचर के साथ साझा करने की कोशिश की कि मेरी सेक्शुएलिटी अलग है। उसने कहा कि यह बकवास है और मुझे इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए और इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए।
>
> [नताशा, सिस महिला, 19]

हम बात करते हैं युवाओं के लिए स्कूलों में व्यापक सेक्शुएलिटी शिक्षा के बारे में। युवाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों के बारे में बात करने के लिए कई संगठन वर्तमान में कई कार्यक्रम चला भी रहे हैं। मुख्य विषयों में से एक आकर्षण का मुद्दा है। लेकिन जो स्कूल आकर्षण को "अप्राकृतिक" मानते हैं, उन्होंने क्वीयर/ ट्रांस व्यक्तियों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की है।

> जब मैं कक्षा 6 में था तो मुझे एक लड़की से प्यार हो गया और मैंने उसे प्रपोज़ कर दिया। उसने यह बात स्कूल में बताई और मुझे निष्कासित कर दिया गया। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूं और इसके बाद मैं कभी स्कूल वापस नहीं जा सका, अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सका।
>
> [ओइशिक, ट्रांस पुरुष, 21]

यह मौलिक अधिकारों का बुनियादी उल्लंघन है, जो एक स्कूल में किया गया। किसी छात्र को उसकी जेन्डर/ सेक्शुएलिटी पहचान और अभिव्यक्ति के आधार पर निष्कासित करने की सीधी कार्रवाई एक आपराधिक काम है, जिसके लिए संस्थान को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है। कई बार तो शिक्षकों, कर्मचारियों और सहपाठी छात्रों द्वारा भेदभाव की वजह से बच्चे ख़ुद ही स्कूल जाना छोड़ देते हैं। सभी छात्रों के लिए सम्मान को बढ़ावा देकर, और ऐसी भेदभाव-विरोधी और बलप्रयोग-विरोधी नीतियों को तैयार और लागू करके जो वास्तविक या कथित यौन रुझान और जेन्डर पहचान व अभिव्यक्ति को शामिल करती हों, स्कूल क्वीयर/ ट्रांस बच्चों की मदद कर सकते हैं।

जबकि स्कूल में भेदभाव और हिंसा अक्सर किसी के शुरुआती वर्षों में नुकसान पहुंचाती है, अधिकांश उच्च शिक्षा संस्थान – कॉलेजों और विश्वविद्यालयों – ने भी जेन्डर और सेक्शुएलिटी के आधार पर होने वाले भेदभाव पर नीतियां नहीं बनाई हैं। इसके अलावा, उच्च शिक्षा संस्थान अक्सर उन छात्रों को चिह्नित करते हैं और उनका सर्वेक्षण करते हैं जो अपनी राजनीतिक राय और गतिविधियों को लेकर स्पष्ट हैं, जिससे भेदभावपूर्ण माहौल और तीव्र हो उठता है। लहर एक 23-वर्षीय नॉन-बाइनरी स्त्रीत्व जेन्डर वाले व्यक्ति हैं जिन्हें अपने विश्वविद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त कर पाने के तरीक़े मिले हैं, लेकिन जिन्हें स्नातक पढाई के दौरान अपने कॉलेज प्रशासन के साथ समस्याओं का अनुभव हुआ था।

> बी ए में उन्होंने हमारे पिता को बुलाया, भले ही हम 18 वर्ष से अधिक उम्र के थे, यह

> शिकायत करने के लिए कि हम क्वीयर व्यक्ति के रूप में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित करने जा रहे थे।
>
> [लहर, नॉन-बाइनरी]

जब प्रशासनिक अपनी जेन्डर-सेक्शुअल पहचान के कारण पहले से ही बहिष्कृत और कलंकित छात्र के मां-बाप के आगे उसकी पहचान खोल देते हैं और कैम्पस पर राजनीतिक रूप से सक्रिय छात्र के रूप में भी उसे चिह्नित कर देते हैं, वे उस छात्र को भेदभाव के और एक हाशिये पर धकेल देते हैं।

धमकी व नियंत्रण की जारी प्रक्रिया

मानो यह सब काफ़ी न हो, निर्धारित परिवार अक्सर क्वीयर/ ट्रांस सदस्यों को अस्वीकर कर देते हैं और उन्हें संपत्ति और विरासत से वंचित कर देते हैं। यह भौतिक बेदखली विभिन्न रूपों में होती है। कभी-कभी यह सज़ा के रूप में तुरंत कर दिया जाता है, जब व्यक्ति निर्धारित परिवार का घर छोड़ कर चला जाता है। इसके अतिरिक्त, समय के साथ, लोग अपने परिवारों से दूर हो जाते हैं। दोनों ही हाल में, संपत्ति खोने का सीधा ख़तरा बनता है।

लक्ष ने एक ट्रांस पुरुष के बारे में बताया, जिसे रिश्तेदारों से लगातार धमकियों और यातना का सामना करना पड़ा था।

> एक बार उसे [ट्रांस पुरुष को] घर बुलाया गया और कहा गया, ‘यदि तुम सर्जरी करवाकर अपना जेन्डर बदलते हो तो हम संपत्ति को आश्रम के नाम कर देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगी।’ जिस कंपनी में वह काम करता था वहां उसे [जेन्डर पुष्टि] सर्जरी की अदायगी मिल रही थी इसलिए उसने करवा ली और फिर घर गया। परिवार वालों ने उसे डांटा और रोना-धोना किया। उसके मामा ने कहा, ‘जो हुआ सो ठीक है अब। पर मेरी एक शर्त है: तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी।’
>
> [लक्ष, ट्रांस पुरुष, 43]

इस स्थिति में बेहूदगी का पुट कुछ ज़्यादा ही है। एक रिश्तेदार जो पहले हिंसा का स्रोत था, अचानक एक ट्रांस पुरुष के जेन्डर को लेकर "ठीक" हो जाता है, ताकि जाती हुई संपत्ति उसके हाथ आ जाए। यह उस प्रथा की याद दिलाता है जिसमें परिवार एक तंत्र बन जाता है जिसके ज़रिए संपत्ति का बंटवारा पितृसत्तात्मक रेखाओं के अनुसार हो सके।

एक अन्य ट्रांस पुरुष के पिता ने एक हस्ताक्षरित घोषणा मांगी कि पारिवारिक संपत्ति पर उसका कोई दावा नहीं है। ऊपर से, रिश्तेदार अक्सर उम्र-प्राप्त क्वीयर/ ट्रांस लोगों की स्वयं अर्जित संपत्ति पर दावा करना चाहते हैं। चिंता का कारण यह है कि संपत्ति और विरासत अधिकारों से संबंधित क़ानून और नीतियां विषमलैंगिक परिवार-उन्मुख हैं, जहां निर्धारित परिवार डिफ़ॉल्ट दावेदार है और पैतृक के साथ स्वयं अर्जित संपत्ति का भी संरक्षक है. इससे यह सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कम से कम स्वयं अर्जित संपत्ति अपने चुने हुए परिवार के सदस्यों को दी जा सके – दोस्तों को, या अपने पार्टनर को जिसके साथ

विवाह संस्था में प्रवेश करना फ़िलहाल मुमकिन नहीं है।

तमन्ना के जीवन को अभी भी मुस्लिम क़ानून नियंत्रित करता है, हालांकि वह एक मज़हब का पालन करने वाली मुस्लिम नहीं है, और उसने युवा वयस्क होने पर अपने परिवार और समुदाय को छोड़ दिया था। इन क़ानूनों के अनुसार, तमन्ना को अपनी बचत और अर्जित संपत्ति का 2/3 हिस्सा अपने निर्धारित परिवार को देना होगा। उसके पास अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति के केवल 1/3 पर नियंत्रण है, जिसे वह केवल अपने निर्धारित परिवार के सदस्यों में मर्ज़ीनुसार बांट सकती है, जबकि वह अपनी कमाई अपने दोस्तों और अपने पार्टनर के साथ साझा करना चाहती है। विरासत का मुद्दा अवश्य पारिवारिक क़ानूनों में उलझा हुआ है, लेकिन यही एकमात्र चिंता नहीं है जिसका वह सामना कर रही है।

> कल मैं डाकघर गई थी। मैंने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के बारे में पूछा, कि क्या मैं उसके तहत संयुक्त खाता खोल सकती हूं। उन्होंने कहा, नहीं, यह केवल जीवनसाथी के साथ ही हो सकता है। और उनके पास जीवनसाथी की बहुत स्पष्ट परिभाषा है। इसलिए मैं इसे अपने मित्र के साथ संयुक्त खाता नहीं रख सकती। तो ये सभी मुद्दे हैं। जो कुछ भी मैं कर सकती हूं वह मैंने अपने मित्र के नाम पर नामांकन किया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि अगर परिवार के अन्य सदस्यों ने हस्तक्षेप किया तो वह नामांकन सही ठहराया जाएगा या नहीं।
>
> [तमन्ना, सिस महिला, 61]

कुछ पारिवारिक क़ानून किसी की इच्छानुसार सारी संपत्ति बेचने की अनुमति नहीं देते हैं। अन्य पारिवारिक क़ानूनों में, जब क्वीयर/ ट्रांस लोग अपनी संपत्ति अपने चुने हुए समुदायों के लिए छोड़ते हैं, तो निर्धारित परिवार द्वारा वसीयत पर हमेशा सवाल उठाया जाता है और उसका झूठा होने का दावा किया जाता है, जिससे चुने गए पार्टनरों/ परिवार के सदस्यों को किसी भी अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। जो लोग विवाह संस्था में प्रवेश नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते, उनके लिए अपने चुने हुए परिवार के साथ आर्थिक संपत्ति साझा करना मुश्किल है – उन लोगों के साथ जो देखभाल प्रदान करते हैं, और संकट के समय में समर्थन का सिस्टम बन जाते हैं। वर्तमान क़ानूनी प्रणाली में ऐसे अधिकारों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है।

बानू और ओमेरा ने भी इससे मिलती-जुलती चिंताओं को साझा किया, जो बिलकुल रोज़मर्रा पर भी असर करती हैं: कि कैसे एक वाहन को भी संयुक्त संपत्ति के रूप में पंजीकृत करना संभव नहीं है। हमेशा बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं।

भले ही गवाही देने वाले यह कहना भी ज़रूरी समझते हैं कि उन्हें रिश्ते, देखभाल के नेटवर्क मिले हैं, जो सार्थक हैं, यह चिंता सर्वव्यापी लगती है: भविष्य अनिश्चित है, अनिश्चितता इस तरह से बड़ी है कि इसको पूरा भांप पाना या इससे जूझ पाना असंभव है।

> आज हम खुश हैं। [...] मैं चिंतित हूं क्योंकि जिस घर में मैं रहता हूं वह मेरे पिता ने उपहार में दिया था, अगर मैं मर गया, तो वे घर और बच्चों को छीन लेंगे। मैं नहीं चाहता कि लेखा इस घर को छोड़े। मैं चाहता हूं कि उसे औपचारिक तौर पर वे अधिकार मिलें जो मैंने दिए हैं।
>
> [तेज, ट्रांस मैन, 44]

और अंतिम, समापन नोट के रूप में हमें यह याद रखना चाहिए कि मिलीभगत समय-समय पर बदलती रहती है, नए रूप लेती है, जैसे मीडिया और सोशल मीडिया – जो ऐसी ताक़तें बन गई हैं जिनको पहचानना होगा। सोशल मीडिया एक तरफ़ क्वीयर और ट्रांस लोगों को सूचना के स्रोतों तक पहुंच के साथ एकजुटता प्रदान करता है, लेकिन परिवारों को अपने बच्चों के बारे में फ़र्ज़ी ख़बरें फैलाने और उन्हें उन्हें धोखे से प्रभावित करने और नियंत्रित करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है।

> मैंने पहले ही अपने परिवार को सभी सोशल मीडिया खातों और फ़ोन पर ब्लॉक कर रखा था, लेकिन इसी बीच मेरी बहन ने ब्लॉक किए गए इंस्टाग्राम अकाउंट को अनब्लॉक करने की कोशिश की और मुझे परिवार में वापस नहीं आने देने के बारे में सार्वजनिक रूप से चिल्ला-चिल्ली की एक श्रृंखला जारी की।
>
> [बानू, सिस महिला, 23]

इसके अलावा, क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों के सोशल मीडिया अकाऊंटों के ज़रिए परिवारों का उन्हें ट्रैक कर पाना और उनपर नज़र रख पाने का काफ़ी बड़ा ख़तरा रहता है, जो उन व्यक्तियों की अधिक सहायता प्रणालियों तक पहुंचने की क्षमता में बाधा उत्पन्न करता है।

मीडिया भी इन दिनों क्वीयर और ट्रांस लोगों की कहानियों में गहरी दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन प्रकृति क्वीयर/ ट्रांस जीवन की जो तस्वीरें वो पेश करते हैं उनसे कभी-कभी भलाई से अधिक नुकसान पहुंच सकता है।

> मीडिया की प्रस्तुति ने [मेरे] मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन को नजरअंदाज़ कर दिया और इसे एक "क्लिकबेट" यानी कौतुक पैदा करने वाली प्रेम कहानी में बदल दिया। [एक पुलिस] अधिकारी ने ख़बर की पुष्टि किए बिना यहां तक बयान दिया कि मैं पहले भी किसी पुनर्वास से भाग चुकी हूं। इस पूरी प्रक्रिया में शामिल पुलिस और दो पुनर्वास अधिकारियों ने मेरा इलाज करने वाले डॉक्टर से परामर्श तक नहीं किया।
>
> [नोयोनिका, सिस महिला]

হোটেলে উদ্ধার বেহুঁশ দুই তরুণী
রূপান্তরকামী সমাজকর্মী সঙ্গীতার দেহ উদ্ধার, তদন্ত
দুই বান্ধবীর ছিন্নভিন্ন দেহ উদ্ধার রেললাইনে
বেহালার ফ্ল্যাটে অভিনেত্রীর ঝুলন্ত দেহ
গঞ্জনা অসহ্য হওয়ায় আত্মহত্যা ডানপিটে মেয়ের

ज़िंदा रहना

शुरुआत में सहयोग का माहौल था, जो आए थे उनके साथ एकजुटता की भावना।

जब भी कोई अपनी सफलता के बारे में बताता तो सब उसका हौंसला बढ़ाते। लेकिन बताते समय देखा जा सकता था कि वे अपने संघर्षों, हिंसा से हुई हानि और घावों को दोबारा जी रहे थे। कुछ भागीदार तो अभी भी प्रक्रिया में थे और अभी भी उनके साथ हिंसा जारी थी। साथ ही भविष्य के लिए आशा भी दिखाई दे रही थी, अपने साथियों से मिलने की उम्मीद, यहां तक कि उनके पैदाइशी परिवारों के साथ अच्छे रिश्तों की उम्मीद भी। सुलह की इस उम्मीद में, परिवार को खुश करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं - पैसा भेजना, या फ़ोन पर संपर्क बनाए रखने की कोशिश करना।

एक पैनलिस्ट और हिंसा के मुद्दे पर काम करने वाले व्यक्ति के रूप में, अंत तक मेरी ऊर्जा कम होने लगी थी। हांलाकि हम ताकत को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन जगहों में आपकी सुरक्षा होनी चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए, उन्हीं के द्वारा भागीदारों को पहुंचाए गए नुकसान और हिंसा के किस्से सुन कर आप निराश हो जाते हैं। परिवार, पुलिस प्रणाली, कोर्ट, शिक्षा संस्थान - कई बार ये सब आपस में मिल जाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए।

दिव्या तनेजा

अपनों का बहुत लगता है

समझौतों का चलता सिलसिला

पिछले अंशों से स्पष्ट हो गया है कि कई क्वीयर और ट्रांस लोगों के लिए खुल कर सामने आना या उनके परिवारों का उनके जेन्डर या रिश्तों के बारे में जानना उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है: घर में नज़रबंद कर दिए जाने से लेकर, शिक्षा और आने जाने के मूल अधिकारों से वंचित कर दिए जाने, और शारीरिक तथा यौनिक शोषण से लेकर, भूखे रखे जाने तक, ऐसे तरीकों का कोई अंत नहीं है जो परिवार अपने भटके हुए सदस्यों को "सज़ा देने" के लिए अपनाते हैं। सीमित संसाधनों (आर्थिक स्थिरता की कमी) वाले बहुत से लोगों को झगड़ों और हिंसा से बचने के लिए अलग-अलग रणनीतियों का सहारा लेना पड़ता है।

> जब भी हम घर जाते हैं, हमें अपने बाल कटवाने पड़ते हैं, अलग तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं, और अपने जेन्डर को छुपाना पड़ता है और यह हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि इसका असर कितना गहरा होता है। चाहे देख कर ऐसा न लगे कि हमारे साथ हिंसा हो रही है, या फिर इसका असर इतना गहरा नहीं है, लेकिन यह होता है क्योंकि हमें उनके साथ रहने के लिए यह सब नाटक करना पड़ता है। हमारे ज़िंदा रहने के लिए हमें शिक्षा चाहिए, इसलिए हमें यह सब करना पड़ता है।
>
> [लहर, नॉन-बाइनरी]

यह चुनाव करना इतना आसान नहीं होता - अगर आप इसे ज़िंदा रहने की मजबूरी के संदर्भ में एक चुनाव की तरह देखते हैं। इसका मतलब है कि आपको हिंसा के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, झूठ बोलने, छिपाने, पहचान लिए जाने के तनाव को चुनना पड़ता है, एक क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति होने के नाते अपने सपनों को छोड़ना या स्थगित करना पड़ता है, जिससे कि आप अपने जीवन की योजनाओं को साकार कर सकें।

शिक्षा, और जिस तरह से क्वीयर/ ट्रांस लोगों को अपने मां-बाप के साथ समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और शिक्षा जारी रखने के लिए अपने आने-जाने की स्वतंत्रता के बदले उनकी शर्तों को मानने का नाटक करना पड़ता है, इसके बारे में हर गवाही में सुनने को मिला।

> हमने (अपना क्वीयर रिश्ता) जारी रखा। हम नहीं रुके। हमारे मां-बाप समझने के लिए तैयार नहीं थे। हम काम करना चाहते थे। स्वतंत्र होना चाहते थे। आर्थिक रूप से। हमने अपने मां-बाप को कहा कि हम एक दूसरे के साथ रिश्ते में नहीं हैं जिससे कि हम अपनी पढ़ाई खत्म कर सकें (उनकी इजाज़त से)। हमने अपनी डिग्री खत्म की। भारत आ गए।
>
> [बानू, सिस महिला, 23]

बानू और उनकी पार्टनर ने कई सालों तक धैर्य के साथ इंतज़ार किया जब तक कि कम-से-कम वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो गए, और जब हो गए तो उन्होंने अपने परिवारों को छोड़ दिया। दो बार एक-दूसरे से बात करते हुए पकड़े जाने के बावजूद उन्होंने इंतज़ार किया। उन्होंने वादा किया कि जैसे ही उनकी पढ़ाई खत्म होगी वे शादी कर लेंगे। उन्होंने अपने परिवारों का विश्वास जीतने के लिए हर बार पूरी मेहनत की, हिंसा, जबरन शादी किए

जाने से बचने के लिए, और फिर जैसे ही उनकी नौकरियां लग गईं, उन्होंने घर छोड़ दिया, हांलाकि उन्हें पता था कि उनके परिवारों के पास इतनी पहुंच है कि वे उन्हें आसानी से ढूंढ कर वापस ला सकते हैं। ऋषि, एक ट्रांस पुरुष, ने 25 वर्ष की उम्र तक अपने परिवार को नहीं बताया कि वह ट्रांस पुरुष है, इस डर से कि वे ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा देंगे या उसकी पढ़ाई रुकवा देंगे।

यह डर बेवजह नहीं हैं। उदय, एक और ट्रांस पुरुष ने, शादी का वादा करके अपनी शिक्षा पूरी करने का समय मांगा, जैसे वो चाहते थे वैसे ख़ुद को पेश किया - जो भी लगा, किया।

> एक समय पर मैंने यह कहना बंद कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी क्योंकि जब भी मैं यह कहता मुझे हिंसा का सामना करना पड़ता था। उसके बजाए मैं कहता था कि मैं मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करके शादी कर लूंगा, और तब तक अपने बाल भी बढ़ा लूंगा और सही से कपड़े पहनने लगूंगा। मैंने उनसे कहा कि तब तक मैं घर भी नहीं आऊंगा जिससे कि उन्हें कोई परेशानी न हो। इसी के कारण मैं मास्टर्स की पढ़ाई के लिए (यूनिवर्सिटी) जा पाया।
>
> [उदय, ट्रांस पुरुष, 27]

हमेशा किसी व्यापक, जटिल संदर्भ में एक के बदले कुछ और समझौता करने के ऐसे निर्णय करने पड़ते हैं। कुछ गवाहियों में इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन बाकी लोगों के पास ऐसे जुड़ाव बनाने के लिए समय नहीं था: कई क्वीयर/ ट्रांस लोग उत्पीड़ित जातियों से आते हैं, या फिर अल्पसंख्यक समुदायों से, जहां शिक्षा की पहुंच सीमित रहती है और भेदभाव का सामना तो करना ही पड़ता है।

> मैं अपने गाँव की पहली "लड़की" थी जिसने बाहर निकल कर पढ़ाई की। यह आसान नहीं था, लेकिन मेरे परिवार ने इसमें मेरा सहयोग किया। मैं एक बहुजन (अन्य पिछड़ी जाति) परिवार से हूं और जाति के कारण मुझे भेदभाव का सामना करना पड़ा। [...]
>
> [उदय, ट्रांस पुरुष, 27]

काम की जगह पर संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है जब आपका परिवार, परिवार के एक सदस्य के जेन्डर को समझ नहीं सकता - समझना नहीं चाहता, लेकिन उनके साथ क्वीयर/ ट्रांस सदस्य को जाति-आधारित भेदभाव, और जेन्डर-आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ता है, विशेषकर शिक्षा के संदर्भ में।

> मैंने सोचा कि ये बताने का कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं एक ट्रांस पुरुष हूं क्योंकि वो कभी नहीं समझेंगे और उन्हें बताने की मेरी भी मानसिक तैयारी नहीं थी। मैंने वापस जाकर अपना आखरी सिमेस्टर पूरा किया। उसके बाद मैं घर वापस नहीं गया।
>
> [उदय, ट्रांस पुरुष, 27]

इस गवाही में भी, अंततः यही समाधान निकाला गया कि घर वापस न जाया जाए जहां हमेशा यही उम्मीद रहती है कि वे "अपनी हरकतें सुधार लेंगे" और अच्छा बच्चा बन कर दिखाएं जो बिना विरोध के शादी करने के लिए मान जाए। एक और गवाही जिसका हमने पहले भी वर्णन किया है, वहां भी बताया गया कि समुदाय में शिक्षा को कोई प्राथमिकता नहीं

दी जाती। गवाही देने वाले ने कई दिनों तक खाना-पीना छोड़ दिया और उसके बाद जाकर उसके परिवार ने उसे पढ़ाई की इजाज़त दी। कई मामलों में किसी दूसरे शहर में जाकर पढ़ने के मौके से, उन्हें अपनी जेन्डर पहचान/ यौनिकता को खुल कर व्यक्त करने का अवसर भी मिला, जिसकी वजह से उनके जन्म के परिवार में उन पर कड़ाई की जाती और सज़ा भी दी जाती।

> हमारे पिता बहुत ज़्यादा नियंत्रक और शोषक हैं। फ़ीस के लिए भी हमें बहुत आगे-पीछे और समझौते करने पड़ते हैं। कभी-कभी तो वो ज़ोर देते हैं कि हमअपने बाल कटवाएं, गांव जाएं और एक अच्छा बेटा बन कर दिखाएं। शुरू में हमें उन्हें कहना पड़ता था कि हमें यू.पी.एस.सी. की पढ़ाई करनी है, जिससे कि हम [शहर] आ सकें, फिर हमने उनसे कहा कि हम प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं। हमें नहीं पता कि हमें प्रोफ़ेसर बनना है या नहीं। लेकिन आपको उन्हें कुछ न कुछ कहते रहना पड़ता है, जो वो सुनना चाहते हैं, और लगातार समझौते करते रहना पड़ता है।

[लहर, नॉन-बाइनरी]

ऐसा करने का मतलब है कि नए शहर में, जिन गवाहों ने ऐसे अनुभवों की बात की, वे अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप जी सकते हैं, ट्रांस पुरुष या ट्रांस महिला के रूप में, या अपने साथियों के साथ, या अपनी जेन्डर-तरल या नॉन-बाइनरी पहचान को जी सकते हैं, जब तक कि इसकी खबर उनके परिवार तक नहीं पहुंचती। इसका यह मतलब भी है, जिसकी ओर उनमें से एक गवाह ने इशारा किया था, कि जैसे ही अचानक फ़ोन आता है, तो आपको पहले से ही खंडन करने या स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार रहना पड़ता है।

ज़िंदा रहने के लिए झूठ बोलने और नाटक करने की ज़रूरत परिवार के अतिरिक्त भी देखने को मिलती है, चाहे आपने घर छोड़ दिया हो, तब भी। तारिणी, एक ट्रांस महिला बताती हैं,

> मेरी नौकरी की जगह पर मैंने एक महिला के रूप में काम शुरू किया, लेकिन चूंकि मैं घर पर रह रही थी, मुझे पुरुष की तरह कपड़े पहनने पड़ते थे। मेरे एच.आर. को मेरी पहचान पता थी लेकिन मेरे साथ काम करने वालों को नहीं।

[तारिणी, ट्रांस महिला, 33]

ज़िंदगी के एक पहलू में लिए गए निर्णय और समझौते दूसरे पहलुओं पर भी असर डालते हैं, व्यक्ति पर छिप कर और डर कर रहने का दबाव बढ़ जाता है। यह दबाव न सिर्फ़ अपने ज़िंदा रहने की चिंता के कारण आता है, बल्कि दूसरे परिवारजनों की चिंता के कारण भी कि कहीं क्वीयर व्यक्ति के अपने परिवार को चुनौती देने की कीमत दूसरों को न चुकानी पड़ जाए।

> हमारा छोटा भाई 10वीं में है और हमारे बारे में जानता है और हमारा सहयोग करता है। लेकिन उसने अगले दो साल तक हमें अपने मां-बाप को बताने से मना किया, जब तक कि वह घर से बाहर न निकल जाए। तो अगर हमारे मन में उन्हें बताने की इच्छा होती भी है, तो अभी हम उन्हें कुछ नहीं बता सकते। मां एक ठेठ "उच्च-जाति" घरेलू मां हैं, जो मेरे पिता पर पूरी तरह से आश्रित हैं। उनके पास भी कोई आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है।

[लहर, नॉन-बाइनरी]

समझौता किस हद तक किया जाएगा, या क्वीयर/ ट्रांस लोगों को अपने परिवारों से अपनी पहचान छिपाना किस हद तक सुरक्षित लगता है, यह सब इस पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की परिवार के अंदर सत्ता किस तरह काम करती है, इसकी क्या समझ है। यह इस पर भी निर्भर करता है कि उनके परिवार में लोगों का अन्यथा क्या रवैया रहता है जो उनके जेन्डर और यौनिकता को लेकर उनकी प्रतिक्रिया को प्रभावित करेगा। इस संदर्भ में, यह सोचना उपयोगी है कि परिवार के सामने अपने बारे में खुल के आने का मतलब है कि उन पर पर्याप्त विश्वास है और आप ख़ुद को उनके सामने संवेदनशील बना सकते हैं। इस नज़र से देखा जाए तो, जैसे कि हम रिपोर्ट के पिछले अंश में भी पढ़ चुके हैं, यह धोखा देने का काम नहीं है, बल्कि अपनी अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता से जीने पर प्रतिबंध लगाना है, जिसका क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

जबरन पलायन

जब और छिपना और समझौते करना संभव नहीं रहता, या फिर हिंसा अब और नहीं सही जा सकती, तो कई गवाहों का कहना था कि अपनी ज़िंदगी जीने के लिए घर छोड़ने का एक ही विकल्प बचता है।

मुझे लंबे बाल रखने थे, लेकिन वो मुझे बाल काटने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहते थे। मैं चुप रहती थी। कुछ सालों तक मैं चुप रही, और बाल काफ़ी लंबे हो गए, तो मैंने काट दिए। मुझे समझ में आया कि अगर मुझे घर पर रहना है, तो पुरुष बन कर ही रहना होगा। अपने दोस्तों से बात की तो उन्होंने सुझाव दिया कि मैं घर से भाग जाऊं [...]

> मैंने जब पहली बार घर छोड़ा तब मैं 23 साल की थी। मैंने घर पर बताया कि मैं नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रही हूं, उन्होंने मुझे टिकट के लिए रु.100-200 दिए। फिर मैंने कहा कि मैं एक दोस्त के साथ रह रही हूं। फिर कहा कि वो एक और इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। इसी तरह रोज़ एक नया झूठ बोल कर काम चलाया।
>
> [तारिणी, ट्रांस महिला, 33]

तारिणी की अपनी पहचान के साथ जीने के लिए घर छोड़ने की कहानी कई अन्य गवाहियों में भी सुनने को मिली। लक्ष, एक ट्रांस कार्यकर्ता, ने बताया कि ट्रांस पुरुषों का अपने जन्म के परिवारों को छोड़ने के लिए मजबूर होना कितनी आम बात है, ख़ासकर अगर वे मजबूरन "औरत की तरह" जीना नहीं चाहते।

> मैं 2020 में 18 साल की उम्र में घर से भाग गया था क्योंकि मेरा परिवार चाहता था कि मैं लड़की की तरह लंबे बाल रखूं और लड़कियों वाले कपड़े पहनूं।
>
> [तुषार, ट्रांस पुरुष, 20]

घर छोड़ने की उम्र में फ़र्क हो सकता है, लेकिन यह बात बार-बार कही गई, अलग-अलग तरीके से। विशिष्ट तरह के कपड़े पहनने की ज़बरदस्ती के अलावा, कई ऐसे मामले भी थे

जहां ज़बरदस्ती शादी के दबाव के कारण सिस और क्वीयर/ ट्रांस लोगों को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

> वो मेरी शादी तय करने के लिए मुझे मंदिर ले जाने वाले थे, जिससे मैं ठीक हो जाता। मुझे पता था कि मुझको भागना होगा और किसी तरह से मैं निकल पाया, जो कपड़े पहने थे, बस उन्हीं में। मैंने सड़क पर किसी अनजान व्यक्ति से फ़ोन मांग कर, फेस्बूक के एक दोस्त से संपर्क किया, जिसने मुझे [एक संस्था] से संपर्क करवाया, और उन्होंने मेरे लिए [एक बड़े शहर] का टिकट भेजा, और वहां जाकर मैंने पुलिस स्टेशन में सूचना का पत्र फ़ाइल किया।
>
> [ऋषि, ट्रांस पुरुष, 27]

यहां ध्यान देना ज़रूरी है कि लोग जब घर छोड़ते हैं तो वे योजनागत तरीके और सहयोग लेने के अलग-अलग स्तर पर हो सकते हैं। कभी वह केवल एक दोस्त होता है, या एक दोस्त जिसे ऐसी किसी संस्था के बारे में पता हो जो मदद कर सकती है। और कभी-कभी ऐसे जुड़ाव होते हैं जो काफ़ी समय से बने हुए हों, जहां पर योजना बनाने का मौका मिलता है। कई मामलों में तो व्यक्ति के संकट की स्थिति आने पर घर छोड़ने के बाद किसी के साथ संपर्क स्थापित होता है।

> जब मेरे परिवार ने मेरी शादी पक्की कर दी और [...] शादी की एक रस्म हो भी चुकी थी, तब मैंने घर छोड़ने का फ़ैसला लिया। घर छोड़ कर मैं [संस्था] के लोगों से मिला। अगले दिन मेरी पार्टनर लक्ष्मी ने भी घर छोड़ दिया।
>
> [तपन, ट्रांस पुरुष, 22]

जब लोग किसी रिश्ते में होते हैं, तो पार्टनर की अपने परिवार को छोड़ने की तैयारी भी एक पहलू होता है जिस के आधार पर लोग अपने परिवार में हिंसा का सामना करने या न करने का फ़ैसला लेते हैं। अपने जीवन में हिंसा का सामना करने के साथ-साथ, संकटपूर्ण स्थितियों में जी रहे क्वीयर/ ट्रांस लोग अपनी जैसी स्थिति में फंसे दूसरे लोगों के लिए भी सहयोग की भूमिका निभाते हैं और उनके निर्णय आपस में एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। घर छोड़ने के निर्णय के साथ यह मालूम रहता है कि इस सफ़र में नुकसान होने वाले हैं।

> उन्होंने मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया और कहा कि मैं सिर्फ़ परीक्षा देने के लिए ही जा सकती हूं। तब मैंने अपनी पार्टनर से बात की और कहा कि मुझे अब घर पर नहीं रहना। मैं भाग जाना चाहती हूं, पढ़ कर अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहती हूं। एक दिन एक लड़का मुझे देखने आने वाला था, मैंने परीक्षा का बहाना बनाया और घर से निकाल गई। मैं भाग कर दिल्ली आ गई। मैं एक आश्रय-गृह में रहने लगी और अब मेरे पास नौकरी है और मैं और मेरी पार्टनर साथ में रहते हैं।
>
> [नताशा, सिस महिला, 19]

जिस परिवार में जन्म लिया हो उसके साथ रहने पर मिलने वाले संसाधनों के बिना जींद रह पाना - कई गवाही देने वालों के लिए इसका मतलब था कि उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, और तुरंत नौकरियां लेनी पड़ीं। कुछ उदाहरणों में यह बात आगे पढ़ने की योजना को छोड़ देने या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देने के रूप में व्यक्त हुई, उस सब को देखते हुए

जिसे करना अब आवश्यक बन गया था – जिसमें अक्सर अदृश्य किया जाने वाला जेन्डर-आधारित श्रम भी शामिल था।

> अब मुझे लगता है कि पढ़ाई के लिए बहुत देर हो चुकी है तो मैं सोच रही हूं कि नौकरी कर लूं जिससे कि मैं अपनी पहचान के साथ जी सकूं। अभी के लिए तो, मुझे अपने काम करने पड़ेंगे, घर के काम, लेकिन मैं कोशिश करूंगी।
>
> [तारिणी, ट्रांस महिला, 33]

अपने पैदाइशी हिंसात्मक परिवार से दूर भागने से सभी समस्याएं हल नहीं हो जातीं, जबकि अक्सर यहां से तो संघर्षों की अगली शृंखला शुरू होती है। पार्टनर्स ने कहा कि वे एक-दूसरे के साथ रहने के लिए घर से भागे, और उनके सामने हमेशा यह डर बना रहता था कि वे पकड़े जाएंगे और उनके परिवार उन्हें धमकाएंगे, और फिर उन्हें पुलिस, कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। घर छोड़ने के बाद भी, हिंसा आपका पीछा करती है। जिस दुनिया में आप अपने पैर जमाना चाहते हैं वह अक्सर और ज़्यादा हिंसा के साथ पेश आती है, जिसके कारण क्वीयर/ट्रांस लोगों को जो आश्रय मिलते हैं, वे क्षणिक और अनिश्चित बन कर रह जाते हैं।

> मेरे घर में कोई नहीं है इसलिए 2020 में मैंने घर छोड़ दिया और [बड़े शहर] में आ गया। यहां मेरी ही जेन्डर पहचान [ट्रांस पुरुष] का एक और दोस्त था, जिसे मैं पसंद करता था और उस पर विश्वास भी था। हम दोनों [राज्य के सबसे बड़े शहर] में एक वार्ता के लिए आए। वहां मैं मकान मालिक की लड़की से मिला और उससे प्यार हो गया। हम सब साथ रहने लगे [व्यक्ति, उनका दोस्त, और उनकी पार्टनर], लेकिन मेरे दोस्त ने लड़की के मां-बाप को हमारे रिश्ते के बारे में बता दिया। वो डर गई और उसने कहा, "हम कहीं दूर भाग जाते हैं।" तो हम [दूसरे शहर] के लिए निकल गए। हम एक हफ़्ते तक छुप कर रहे, और इस बीच हमने शादी कर ली और अपने एक दोस्त को तस्वीरें भेजीं। उस दोस्त ने लड़की के मां-बाप को तस्वीरें दिखा दीं, और इस तरह पुलिस ने हमें पकड़ लिया।
>
> [बद्रीप्रसाद, ट्रांस पुरुष, 23]

कई गवाहों के लिए, घर छोड़ना एक बार की प्रक्रिया नहीं रही। उन्होंने अपने परिवार के साथ कई बार बात करने की कोशिशें कीं, वापस भी गए, लेकिन पता चला कि वे पहली की तरह, या उससे भी ज़्यादा, एक बार फिर फंस गए। और एक बार फिर छोड़ने के लिए संसाधन और सहयोग जुटाना, या कम-से-कम अपनी मानसिक तैयारी करना।

> छः महीनों तक मेरे मेरे परिवार से कोई संपर्क नहीं था और मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया था। शुरू में मेरी बहनें फ़ोन करती थीं और कोशिश करती थीं कि मैं घर वापस चली जाऊं, कि मेरी मां बीमार हैं आदि। लेकिन मैं डरी हुई थी और वापस नहीं गई। छः महीने बाद, मैंने खतरा मोल लिया और परिवार से मिलने के लिए घर गई। तुषार बस स्टैन्ड पर ही मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मैं घर गई जहां मैंने सिर्फ़ एक घंटा बिताया। मैं अभी भी जाती हूं। लेकिन वे तुषार को छोड़ने के लिए मुझ पर दबाव डालते हैं। उन्होंने न ही अब तक (मुझे) स्वीकार किया है और न ही कोई सहयोग दिया है।
>
> [चेतना, सिस महिला, 24]

हांलाकि हमने परिवार की उम्मीदों के अनुसार चलने और दबाव के सामने घुटने न टेकने के चलते घर से निकाल दिए गए क्वीयर/ ट्रांस लोगों के मामलों; और “अपनी मर्ज़ी” से घर छोड़ने के मामलों को अलग-अलग रखा है, हमें यह याद रखना होगा कि “मर्ज़ी” से घर छोड़ना भी एक समझौता ही है। और अक्सर इसके पीछे अस्थिर जीवन भी एक कारण रहता है, जिसमें व्यक्ति को मजबूरन जीना पड़ता। और छोड़ने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि एक सुरक्षित, आपको समझने वाली जगह/ माहौल मिल ही जाएगा। तारिणी ने कई कोशिशें करने के बाद अंततः अपने पैदाइशी परिवार को छोड़ ही दिया, और गरिमा गृह केंद्र में रहना पड़ा - ऐसी जगहों पर अपनी ही नैतिकता और बाधाएं रहती हैं जो आपको मां-बाप के नियंत्रण की याद दिलाती हैं।

गवाहों ने बताया कि दूर से भी पैदाइशी परिवार किस तरह से दबाव बनाए रखते हैं: धमकियां, उनकी स्वतंत्रता में बाधा डालने की कोशिशें, उन्हें अनसुना करना। कभी-कभी बस एक ही रास्ता नज़र आता है कि उनसे सारे संपर्क तोड़ लिए जाएं। यहां तक कि, कुछ गवाहों ने कहा कि वे पैनल से अकेले में बात करेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं गलती से भी उनकी पहचान या वे कहां हैं, पता न चल जाए, जिससे उनके लिए वहां रहना मुश्किल हो जाएगा जहां वे रह रहे हैं। कुछ के परिवारों को शायद पता है कि वे कहां हैं, लेकिन उनसे रिश्ता तोड़ दिया गया है।

> एक समय पर मैंने फ़ोन करना बंद कर दिया था। उन्हें नहीं पता कि मैंने सर्जरी करवा ली है, मैं टेस्टोस्टेरोन पर हूं।

[उदय, ट्रांस पुरुष, 27]

कई मामलों में ऐसे भी हुआ कि, या तो ख़ुद या संस्थाओं की मदद से, लोगों को अपने पार्टनर के घर पर शरण मिल गई।

> [सिस महिला] और [ट्रांस पुरुष] के रिश्ते के बारे में जानते हुए भी, उसकी मां ने उन्हें आश्रय देने से मना नहीं किया। एक बार साथ-रहने (लिव-इन) रिश्ते का ऐफ़िडेविट बनने के बाद, वो दोनों छः महीने तक उसके घर पर ही रहे। उसके बाद, दोनों [शहर] चले गए, और वे अपने रिश्ते में खुश हैं।

[चांद, ट्रांस पुरुष]

ऐसे संदर्भ, जहां क्वीयर/ ट्रांस लोगों की गवाहियों में शामिल संघर्षों का सामना करने के लिए, समुदाय और सहयोग की भावना होना बेहद ज़रूरी है, हमारा इन सब लोगों के घर छोड़ने को जबरन पलायन के नज़रिए से देखना उपयोगी हो सकता है। हमने जबरन पलायन के पीछे कई तरह के कारण देखे हैं, परिवारों द्वारा सदस्यों को निकाले जाने से लेकर, अपरिचित जगह पर जबरन शादी करने से लेकर, हिंसा से बचने के लिए भागने या शहर में बेहतर समझदार लोग मिलने की आशा में। कारण चाहे कोई भी हो, कई लोगों ने (नए) सहयोग के ढांचे और रिश्ते खड़े करने, आश्रय, खाने, नौकरी, शिक्षा की व्यवस्था करने के बारे में बात की, ऐसे संदर्भ में जहां इस तरह की व्यवस्थाएं अक्सर पारिवारिक/ सामुदायिक संपर्कों के माध्यम से बनाई जाती हैं।

औपचारिक सिस्टम से परे सहारे के ढांचे

कुछ गवाहियों में जहां लोगों ने घर से भागने के बारे में बात की थी, हमने एक ऐसे अपरिचित व्यक्ति के बारे में सुना, जिसने उनकी मदद के लिए कोई हद नहीं छोड़ी। एक ट्रांस पुरुष, जिन्हें मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया जहां उन्हें बिजली के झटके दिए जाते थे, उनकी मदद के लिए दो अपरिचित लोग सामने आए। उनमें से एक वहां का चिकित्सक था जिसे चिंता थी कि इस 14-वर्षीय बच्चे से मिलने कोई नहीं आता। उन्होंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्या किया था कि उसका परिवार उससे इतना नाराज़ था। उसके जवाब से वो समझ गई कि उसकी कोई गलती नहीं है और उसने अपील की कि उसे छोड़ दिया जाए। एक व्यावसायिक ने दूसरों के नैतिकतावादी नज़रिए को सुनने के बजाए, सिर्फ़ अपने काम पर ध्यान देते हुए अपने मरीज़ की बात पर ध्यान दिया जिससे तारिक मुक्त हो पाए।

और भी मदद सामने आई। वहां एक व्यक्ति को अहसास हुआ कि इस छोटे-से 14-वर्षीय बच्चे को अपने पैसे कमाने के लिए कौशल भी चाहिए होगा और यह सीखने के लिए रहने की एक सुरक्षित जगह भी। उन्होंने उसके लिए मालिश करने का कौशल सीखने की व्यवस्था की और वह कमाने लगे और अब वे, जबरन शादी से हटकर अपनी मर्ज़ी से जी सकते थे। समानुभूतिपूर्ण लोगों के इन छोटे-छोटे प्रयासों से इस ट्रांस पुरुष को अपने पैदाइशी परिवार और शादी किए गए परिवार के क्रूर और हिंसक जीवन से हटकर जीने का एक नया मौका मिला।

जेल में, बद्रीप्रसाद को एक महिला मिली जिसने उसकी ज़मानत भर दी, नहीं तो इस यतीम ट्रांस पुरुष को बहुत लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहना पड़ता। उसके लिए कोई और नहीं आने वाला था - न तो उसका केस लड़ने के लिए और न ही उसकी ज़मानत देने के लिए।

जहां लोगों के पार्टनर थे, वहां उन दोनों ने एक-दूसरे की मदद की: तरुण एक ऑफ़िस से दूसरे ऑफ़िस अपने पार्टनर को खोजते रहे; ओइशिक के पार्टनर उनके लिए खाना लाते थे जब उन्हें मजबूरी में रेल्वे प्लेटफ़ॉर्म पर रहना पड़ रहा था; और अब ओइशिक उनकी देखभाल कर रहे हैं क्योंकि उनके पार्टनर को उसके परिवार ने बंदी रख लिया है।

सत्ता भरे रिश्तों को संभालना मुश्किल है, लेकिन, सभी लोग हमेशा स्पष्ट नहीं देख पाते। लकीरें अक्सर धुंधली पड़ जाती हैं। उदाहरण के लिए, एक ट्रांस कार्यकर्ता, ने बताया कि एक ट्रांस युवा को उनसे उम्र में बड़ी एक सिस महिला से सहयोग मिला, लेकिन कार्यकर्ता को लगता था कि वह महिला उनका यौन शोषण भी कर रही थी। इसके पक्ष में वे कहते हैं कि यह हो रहा था, "भले ही ट्रांस युवा को इसका अहसास न हो। प्यार भी है, और वो उसकी मदद भी कर रहे हैं।" ऐसी स्थिति में, विश्वास बना पाना मुश्किल होता है, पहले के सदमे के कारण वर्तमान रिश्ते प्रभावित होते हैं, और इस सब में एक क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति के लिए अपने जीने की जगह बनाना और जटिल हो जाता है।

गवाहों ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने क्वीयर और ट्रांस संस्थाओं से संपर्क किया, और कहा कि उनके बिना उन्हें किसी संस्थान से न्याय नहीं मिलता। लेकिन, ऐसी बहुत कम संस्थाएं हैं और लोगों को केवल उन पर ही निर्भर होना पड़ता है। हिंसा का शिकार हुए इन लोगों के लिए कोर्ट और पुलिस को सहयोग और सुरक्षा देनी चाहिए।

जितने भी लोगों ने पैनल के सामने गवाही दी वे ऐसी ही संस्थाओं और क्वीयर तथा ट्रांस

समुदायों के माध्याम से इस सुनवाई में पहुंचे थे। कुछ ने बताया कि उनका इन संस्थाओं और लोगों से कैसे संपर्क हुआ।

लेखा ने एक हेल्पलाइन से संपर्क किया था, जिसके बारे में उसे अपने पार्टनर तेज से पता चला था, और तेज को अपने शहरी दोस्तों से। इस प्रकार के अनौपचारिक, मौखिक प्रचार ने अब इंटरनेट की जगह ले ली है। सोशल मीडिया के दोस्त, असल ज़िंदगी के दोस्त संस्थाओं के बारे में पता करते हैं और संकट की परिस्थिति में जी रहे व्यक्ति को उनका संपर्क दे देते हैं।

ऋषि का एक दोस्त था जिसने एक संस्था के बारे में पता किया और उस संस्था ने उसे ज़बरदस्ती शादी से बचने में मदद की।

> मैंने सड़क पर एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन मांगा, और अपने फेस्बूक के दोस्त से संपर्क किया जिसने मुझे [संस्था] से संपर्क करवाया और उन्होंने मेरे लिए [एक शहर] का टिकट खरीद दिया और सूचना का पत्र फ़ाइल करवाने के लिए मुझे पुलिस स्टेशन ले गए।
>
> [ऋषि, ट्रांस पुरुष, 27]

तपन और शरत ने भी ऐसे ही अनुभवों के बारे में बताया। क्वीयर लोगों, फिल्मों, लेखों की जानकारी से लोगों को संकट की स्थितियों में मदद करने वाली संस्थाओं और लोगों के बारे में पता चलता है।

> मैं जब स्कूल में था तो मैंने लेस्बियन वकील अरुंधती और उनकी पार्टनर के बारे में पढ़ा था, मैंने गूगल पर ढूंढा और उनसे संपर्क किया। इससे मैं [एक संस्था] तक पहुंच पाया।
>
> [तुषार, ट्रांस पुरुष, 20]

कभी-कभी संस्थाओं की लोगों की मदद की अपील पर नज़र पड़ी और उन्होंने ख़ुद उनसे संपर्क किया। जब साजो अपनी पार्टनर को नहीं ढूंढ पा रही थी, तो एक संस्था ने उससे संपर्क किया और तब से उसकी मदद कर रही है। एक दूसरी संस्था ने रंजिता और ओइशिक का फेस्बूक पर मदद मांगते हुए विडिओ देखा और उन्हें मदद की। उन्होंने उनको कुछ समय के लिए रहने की जगह का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन उन दोनों ने मना कर दिया।

> बहुत से लोगों ने हमें [संस्था] के बारे में बताया और कहा कि उनसे मदद लो, मैंने वहां लोगों से बात की लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि कोई संस्था हमारी मदद कर सकती है, इसलिए हम जहां रह रहे थे, वहीं रहते रहे।
>
> [ओइशिक, ट्रांस पुरुष, 21]

जब किसी को उनके पैदाइशी परिवार में समझा नहीं जाता, तो क्वीयर/ ट्रांस लोगों को अक्सर किसी अनजान व्यक्ति या संस्था पर विश्वास करना मुश्किल रहता है, कि वो बिना किसी उम्मीद के उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में सहयोग दे सकते हैं। असल में, कई गवाहों ने कहा कि वो हिंसक स्थिति से बाहर निकालने के निर्णय को स्थगित करते रहे हांलाकि वे सहयोग के नेटवर्क से संपर्क स्थापित कर चुके थे।

> मैंने अपने एक फ़ेस्बुक दोस्त के माध्यम से [एक संस्था] से संपर्क किया। मैं लॉकडाउन

> के दौरान उसके साथ एक साल तक बात करता रहा। काफ़ी समय तक तो मुझे विश्वास ही नहीं था कि वास्तव में एक ऐसी जगह है जहां हमारे जैसे लोग रह सकते हैं।
>
> [तपन, ट्रांस पुरुष, 22]

यह अविश्वास बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है, ख़ासकर जब हमने जो कुछ भी सुना उसके संदर्भ में: "दोस्त" क्वीयर विक्लांग लोगों को रहने की जगह देते हैं और अपने आप मान लेते हैं कि वे उनके लिए यौनिक रूप से उपलब्ध हैं; लोगों को अपमानित करने, दुर्व्यवहार करने और ब्लैकमेल करने की साज़िश कर रही गर्लफ्रेंड्स आदि। अगर आपके पैदाइशी परिवार पर आपको विश्वास नहीं है, तो कम-से-कम आप वहां जीने के तरीके ढूंढने में ज़्यादा सक्षम होते हैं।

ओइशिक के मामले में, संस्था ने साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने पैनल को बताया,

> बाद में एक दिन हमने देखा कि ओइशिक और रंजिता को रंजिता के परिवार द्वारा भेजे गए गुंडे परेशान कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। वे रंजिता को अपने साथ ले गए और ओइशिक को सड़क पर छोड़ दिया। तब हम उसे अपने अस्थाई निवास पर ले आए।
>
> [सहायक संस्था]

रानी और रणवीर के मामले में, एक संस्था ने रानी के घर छोड़ने पर न सिर्फ़ उनके लिए आश्रय ढूंढने में सहयोग किया, बल्कि हेबियस कॉर्पस भी दर्ज़ की और जब रानी को उसी के परिवार ने अगुआ किया तो रानी को वापस भी ले कर आए। इसी तरह उमा को आश्रय और नौकरी ढूंढने में एक संस्था ने मदद की जब वे अपनी जान लेने की कगार पर थे। अगर समय से मदद नहीं मिलती, तो शायद वो आज हमें अपने संघर्ष और जीवन की कहानी बताने के लिए ज़िंदा न होते। तुषार ने यह भी बताया कि किस तरह से एक नए शहर में अस्थायी आश्रय पाने में एक संस्था ने उनके मदद की।

> उनकी मदद से हमने साथ रहने के लिए उच्च न्यायालय में एक याचिका दर्ज़ की और 10 दिन के लिए धनक में रहने की जगह मिली।
>
> [तुषार, ट्रांस पुरुष, 20]

किसी संस्था का सहयोग होना विशेषकर आश्रय पाने और कोर्ट जाने में मददगार रहा है। यह छोटी पर प्रतिबद्ध संस्थाएं कुछ समय से बड़े शहरों में काम कर रही हैं, और अब अलग-अलग राज्यों में भी छोटे समूह हैं तो संकट की स्थिति में लोगों को मदद करते हैं। वे स्थानीय स्तर पर काम करते हैं और इन सभी समुदायों को मदद करने के तरीके ढूंढते हैं। बरूनी जो एक अखिल-भारतीय संस्था में काम करते हैं, कहते हैं,

> हमने लगभग 15 युगलों की मदद की है - सभी ट्रांस पुरुष हैं जो सिस महिलाओं के साथ रिश्ते में हैं। हमने इन रिश्तों को साथ रहने के अनुबंध के माध्यम से औपचारिकता दिलवाई है, चूंकि शादी करना संभव नहीं है। इससे अगर उनके परिवार उन्हें प्रताड़ित करते हैं, तो उन्हें मदद मिलती है। इस ऐफ़िडेविट पर स्थानीय कॉउन्सिलर, मैजिस्ट्रैट, शपथ कमिशनर, या नोटरी हस्ताक्षर करते हैं। ऐफ़िडेविट में लिखा होता है कि वो दोनों वयस्क हैं और अपनी मर्ज़ी से एक-दूसरे के साथ इकरार करके रह रहे हैं।
>
> [बरूनी, ट्रांस पुरुष, 27]

इन स्थानीय अनुबंधों से हिंसा कम करने में मदद मिलती है लेकिन साथ ही एक सामूहिक सहयोग की भावना भी आती है और लोगों को इन छोटी लेकिन सक्रीय संस्थाओं की मौजूदगी के बारे में भी पता चलता है। कई वर्षों के काम से इन संस्थाओं ने मौजूदा सिस्टम का उपयोग करने के तरीके निकाल लिए हैं। कुछ ने बताया कि अलग-अलग स्थितियों में वे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का भी उपयोग करते हैं।

> [शहर] में लेस्बियन युगल के एक मामले में जिनके साथ उनके परिवार बहुत हिंसा कर रहे थे, हमने घरेलू हिंसा अधीनियम का मुद्दा उठाया क्योंकि मां-बाप उनकी बेटी की ज़बरदस्ती शादी कर रहे थे।
>
> [सहयोगी संस्था]

हाल के समय में उन्होंने एक सिस पुरुष के साथ एक ट्रांस महिला के रिश्ते के संदर्भ में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन अलग-अलग कोर्ट इस अधिनियम की अलग व्याख्या करते हैं।

> नवंबर 2022 में, केरल के एक निचले कोर्ट के फ़ैसले में, ट्रांस महिला की एक याचिका को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत दर्ज़ करने की इजाज़त दी, और साथ ही पहले उत्तरदाता, उसके पति, को निर्देश दिए कि वे उसकी चिकित्सा के लिए और मासिक भत्ते के लिए खर्चा भी दें। हाल में, मार्च 2023 में, मुंबई उच्च न्यायालय ने फ़ैसला दिया कि एक ट्रांसजेन्डर व्यक्ति, जो जेन्डर पुनर्निर्धारण सर्जरी करवाकर महिला के रूप में अपनी पहचान करते हैं, वे घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत याचिका दायर कर सकते हैं।
>
> [सहायक संस्था]

स्थानीय स्तर पर काम करने का मतलब है कि इन संस्थाओं के दबाव में राज्य और ज़िले की क़ानूनी सेवाएं सक्रिय हो जाती हैं। संकट की स्थितियों और ख़ासकर ट्रांस लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है, जिससे कि वे अपने पहचान पत्र बनवा पाएं। संस्थाओं के बीच इस सक्रिय बातचीत ने यह नेटवर्क बनाने में मदद की है जो संकट की स्थितियों में लोगों की मदद करता है। इसकी ग़ैर-मौजूदगी में, लोगों को सरकार से सहयोग प्राप्त करने में और ज़्यादा मुश्किल होती। एक तरह से, यह संस्थाएं सरकार (जिसे अपना काम करना चाहिए) और क्वीयर/ ट्रांस लोगों (जिन्हें सहयोग चाहिए) के बीच संपर्क बनाने का काम करती हैं।

कुछ न्यायिक फ़ैसले, जैसे कि चेन्नई उच्च न्यायालय के सुषमा बनाम पुलिस कमिशनर में दिए गए अंतरिम आदेश (2021, 2022) आधिकारिक रास्ते खोलने में काफ़ी मददगार रहे हैं। उदाहरण के लिए चेन्नई उच्च न्यायालय के आदेशों की मदद से तमिल नाड के सभी ज़िलों के लगभग 200 पैनल वकीलों का संवेदीकरण किया गया, और इसके कारण अब एक बड़ा नेटवर्क मदद के लिए उपलब्ध है।

> पिछले साल एक मामला था जहां 18-वर्षीय गे पुरुष की मां ने पुलिस स्टेशन ज़िला मुख्यालय में पोकसो के अंतर्गत शिकायत दर्ज़ की। उन्होंने 26-वर्षीय पुरुष पार्टनर पर आरोप लगाया कि वह उसके बेटे (जिसे गलत तरीके से अल्पायु बताया गया था) के

साथ सेक्स करता है। डी.एल.सी.ए. के एक वकील, जिसके साथ पहले ही क्वीयर - ट्रांस मामलों पर संवेदीकरण किया जा चुका था, ने पुलिस स्टेशन जा कर हस्तक्षेप किया और 18-वर्षीय लड़के का आधार कार्ड दिखा कर समझाया कि लड़का वयस्क हो चुका है और इससे शिकायत रद्द हो पाई।

[सहायक संस्था]

ख़ुद अपने लिए जगह बनाना

चाहे क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति को सहयोग देने वाली संस्था मिल भी जाए, हमेशा संभव नहीं होता कि वे सभी आवश्यक सहयोग दे पाएं। तारिणी को घर छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां बहुत ज़्यादा हिंसा थी और उन्हें सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए कई राज्यों में घूमना पड़ा। एक बार [बड़े शहर] में वो रेल्वे प्लेटफ़ॉर्म पर रह रही थीं जहां उन्हें एक संस्था के बारे में पता चला।

मैंने संस्था को बताया कि मुझे रहने की जगह चाहिए क्योंकि मुझे प्लेटफ़ॉर्म पर रहना सुरक्षित नहीं लगता। उन्होंने कहा कि वे काउन्सिलिंग में मदद कर सकते हैं और कोई मदद नहीं दे सकते।

[तारिणी, ट्रांस महिला, 33]

अन्य मामलों में, मदद करने वाली संस्थाएं क्वीयर/ ट्रांस लोगों की संस्थाएं हैं जो ख़ुद संवेदनशील और अनिश्चित स्थितियों में रहते हैं, कि उनके लिए किसी और को सहयोग कर पाना मुश्किल हो जाता है। वे वहां रहने का चुनाव करते हैं, जहां संसाधन-विहीन और पुलिस द्वारा निशाना बनाए जा रहे क्वीयर/ ट्रांस लोगों के लिए कोई और मौजूद नहीं होता, उन्हें अपने ही परिवारों से खतरा होता है, भले ही वे ख़ुद भी अपनी असुरक्षा का सामना कर रहे हों।

असल में, उस समय मैं ख़ुद भी नौकरी नहीं कर रहा था। फ़ेलोशिप खत्म हो चुकी थी। मैं भी ट्रांस पुरुष हूं, और अपना जीवन ख़ुद खड़ा किया है, तो अब मुझे और लोगों की मदद भी करनी है। जब उनके पास नौकरी नहीं थी, तब बद्रीप्रसाद मेरे साथ मेरे घर में 2 महीने के लिए रहे थे।

[लक्ष, ट्रांस पुरुष, 43]

जब लेखा को अपने हिंसक परिवार को छोड़कर भागना पड़ा, तो वे अपने शहर के पास के बड़े शहर में चले गए और वहां एक संगठन के सदस्यों ने अपने घरों में रहने की जगह देकर, क़ानूनी सहयोग और नौकरी ढूंढने में उनकी मदद की। उन्होंने बाद में उन्हें घर ढूंढने में भी मदद की, जहां वे वापस आने पर अपने पार्टनर के साथ लगभग एक साल तक रह सके।

आज के दिन कुछ संस्थाओं के पास और व्यापक आधारभूत सहयोग और मौजूदगी है और वे और अधिक लोगों को आश्रय दे पाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग-अलग शहरों में आश्रय ढूंढ रहे क्वीयर युगल या ट्रांस लोगों को कोई किराये पर घर नहीं देता, क्योंकि मकान मालिक केवल सिस विवाहित युगलों को ही घर किराये पर देना चाहते हैं।

आश्रय के अतिरिक्त, संस्थाएं परिवार के लोगों के साथ हस्तक्षेप करने, नौकरियों के लिए

कौशल प्रशिक्षण करने और बेहद ज़रूरी अपनी पहचान के साथ रहने और विकास करने के लिए सुरक्षित जगह उपलब्ध करवा कर भी मदद करती हैं।

> ओइशिक के मां-बाप ने हमसे संपर्क किया और हमारे ऑफ़िस आए। हमने उन्हें क्वीयर/ ट्रांस ज़िंदगियों के बारे में समझाया और वे ओइशिक के संघर्ष में साथ देने के लिए राज़ी हो गए। ओइशिक अपने घर वापस चले गए और अपने पैदाइशी परिवार के साथ रहने लगे। रंजिता के मां-बाप ने ओइशिक को सड़क पर तंग करना शुरू कर दिया, उस पर पत्थर फेंकते और मार डालने की धमकी देते। वो वापस हमारे पास आकर रहने लगे। अभी उनका प्रशिक्षण चल रहा है जिससे कि वे तनख्वाह वाली नौकरी कर सकें।
>
> [सहायक संस्था]

पैदाइशी परिवार को खो देने से अक्सर हम एक वैकल्पिक पारिवारिक ढांचा बनाना चाहते हैं जिससे कि सुरक्षित और स्थिर महसूस कर सकें। ताहिर, एक ट्रांस पुरुष, को न केवल उनकी जेन्डर पहचान के कारण, बल्कि मुसलमान होने के कारण भी बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनकी एक हिन्दू गर्लफ्रेंड थी और वो दोनों एक दूसरे शहर में चले गए लेकिन वहां अपना निर्वाह नहीं कर पाए और ताहिर को वापस अपने शहर आना पड़ा।

> मैं पिछले 4 महीने से [संस्था] में हूं और मैं यहां ज़्यादा खुश हूं, मैं जो चाहें वो कर सकता हूं, इसलिए मुझे लगता है जैसे ये लोग ही मेरा परिवार हैं और मेरा पैदाइशी परिवार कभी मुझे वो नहीं दे पाया जो मेरे पास [यहां] है।
>
> [ताहिर, ट्रांस पुरुष, 22]

इन संस्थाओं से मिलने वाले सहयोग के अलावा, एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो मिलती है वह है अन्य क्वीयर/ ट्रांस लोगों से जुड़ाव, अकेलेपन के अहसास से छुटकारा, और एक ऐसा जीवन जीने के बारे मे सोच पाना जहां दूसरे लोगों से सहयोग मिल सकता है। आकस्मिक ज़रूरत पड़ने पर आश्रय दे पाने के अलावा, इन जुड़ावों के कारण लोग संसाधनहीनता का सामना कर पाते हैं, जैसे कि, साथ में मिलकर किराये पर घर ले लेना, और जैसा कि कुछ गवाहों ने कहा, कम्यून (संगत में रहना) स्थापित कर पाना।

इस तरह से सहयोग के नेटवर्क स्थापित करने से संभव हो पाता है कि अपने जीवन में डर के अलावा अन्य भावनाओं के साथ जीने की कल्पना की जा सके, लेकिन यही रिश्ते और ढांचे ऐसे हैं जिन्हें कोई मान्यता या सहयोग नहीं मिलता, जबकि परिवार को, क्वीयर/ ट्रांस लोगों के जीवन को भारी नुकसान पहुंचाने के बावजूद, क़ानूनी, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से मज़बूती दी जाती है।

> हमारे क्वीयर/ ट्रांस रिश्तों से हमें ऐसे रिश्ते मिलते हैं जो हमारा खयाल रखते हैं। हम उन्हें किसी आधिकारिक कागज़ पर व्यक्त नहीं कर सकते, उन्हें छिपा कर रखना पड़ता है।

हिंसा तो रोज़ की बात है, हमेशा की। हमारे जीवन का भविष्य कैसा होगा, इसके लिए कोई खाका नहीं है, तो हमें साथ जुड़कर उन्हें बनाना पड़ेगा। हमें नहीं लगता कि हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? काफ़ी पेंचीदा चीज़ें होती हैं, जैसे कि बैंक के खाते, बीमा आदि। अगर हम अस्पताल में हैं, तो हमारी देखरेख कौन करेगा? हम यहां हैं क्योंकि हमारा चुना हुआ परिवार मौजूद है और हम रोज़ एक-दूसरे की मदद करते हैं।

[लहर, नॉन-बाइनरी]

1 अप्रैल 2023 को गवाही देने वाले 31 गवाहों में से एक ने कहा कि "जो वाक़ये मेरे साथ हुए वो उतनी आसानी से नहीं हुए, जितनी आसानी से हम उनके बारे में बताएंगे।" लेकिन उनकी कहानी भी आसान नहीं थी, चाहे लोगों के जीवन की स्थितियां बदल गई थीं या बेहतर हो चुकी हों, उनके घाव ताज़े ही थे। कई बार बात करने वाले रो पड़े और उनके लिए आगे बता पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कहानी बयां की। कहने वाले, और सुनने वाले, दोनों इन गवाहियों को सुनने, याद रखने और रिकार्ड करने के महत्व और अति आवश्यकता के बारे में आश्वस्त थे। उस समय, गवाहों और सुनने वालों के बीच एक मज़बूत समुदाय बन गया था क्योंकि हम ऐसी अनकही बातें सुन रहे थे – अपनों द्वारा की गई हिंसा, जिसके कारण वो रिश्ते टूट गए जो हमारे विकास और हमारी शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक ज़िंदगियों, हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी परिस्थितियों में मूल भूमिका रखते हैं। साहित्य की छात्र और अध्यापक होने के नाते, मुझे नहीं लगता कि यह बहुत नाटकीय सुझाव होगा कि मुझे लगातार यूनानी त्रासदियों की याद आ रही थी – जो लगभग सभी पारिवारिक रिश्तों के जुड़ाव टूटने पर आधारित हैं – मां-बाप, भाई-बहन, बच्चों के बीच ।

पैदाइशी या निर्धारित परिवार द्वारा हिंसा : एक छूटा हुआ संदर्भ ?

पैदाइशी परिवार से होने वाली हिंसा पहले से ही हमेशा दुखद संभावना से भरी रहती है क्योंकि यह हमारे अस्तित्व और भविष्य में कुछ बनने की क्षमता को प्रभावित करने के साथ उसे सीमित भी करती है – हमारी चेतनाओं और मानसिक संतुलन, रिश्तों और दुनिया की हमारी समझ। ऐसी हिंसा हमारे व्यक्तित्व का गहरा उल्लंघन करती है जिसे पहचानना और जिसका विरोध कर पाना मुश्किल हो जाता है। अरसे से हिंसा के मुद्दे पर काम करने वाले नारीवादियों के रूप में, पैदाइशी परिवार की हिंसा की विशिष्टता और ताक़त को हम शायद ही समझ पाए हैं – हमने इससे निपटने या यहां तक कि इसके साथ जीने के तरीक़ों की न ही कोई संकल्पना की, न ही खोज। क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों के पैदाइशी परिवार की हिंसा के अनुभवों ने हमें झकझोर कर एहसास दिलाया कि महिलाओं के साथ हमारा आज तक का काम अत्यधिक विषमनियामक रहा है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की चर्चा विवाहित महिलाओं और वैवाहिक परिवार में हिंसा की ओर इतनी झुकी रही है कि जिस घरेलू हिंसा अधिनियम के लिए हम सब ने इतना संघर्ष किया था, वह विवाह के रिश्ते से बाहर के लोगों के लिए बिल्कुल निष्फल है, यहां तक कि पैदाइशी परिवारों में रह रही सिस क्वीयर या एकल महिलाओं के लिए भी। मुझे एहसास हुआ कि पहले से भी ज़्यादा अब ज़रूरी है कि हम एकाकी तरीक़े से काम करना बंद करें और समझें कि हमारा कार्यक्षेत्र जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है और हमें और ज़्यादा समावेशी होने की ज़रूरत है।

परोमिता चक्रवर्ती

अपनों का बहुत लगता है

परिचय: जेन्डर-सेक्शुएलिटी पर आधारित हिंसा पर हो रहे काम के संदर्भ व कमियां

शायद भारत में जेन्डर-आधारित हिंसा और यौन हिंसा का सबसे विस्तृत और उपयोगी विश्लेषण महिला आंदोलनों, महिला संगठनों के केस वर्क और नारीवादी शोध से आया है। फिर भी, इस विश्लेषण का अधिकांश हिस्सा वैवाहिक परिवार और अंतरंग साथी हिंसा पर केंद्रित है, न कि औरतों और लड़कियों पर पैदाइशी परिवारों के अंदर होने वाली हिंसा पर। एक क्वीयर नारीवादी एलबीटी समूह द्वारा अध्ययन पर आधारित 2013 में प्रकाशित 'ब्रेकिंग द बाइनरी' नामक रिपोर्ट में कहा गया था कि 'विशेष रूप से महिला समूहों को जन्मजात पारिवारिक हिंसा के मुद्दों को उसी तत्परता से संबोधित करने की आवश्यकता है जैसा कि अब वैवाहिक हिंसा के मामलों में देखा जाता है' (पृष्ठ 101). प्रारंभिक नारीवादी काम में वैवाहिक-पारिवारिक हिंसा पर ध्यान केंद्रित करने का नतीजा यह भी रहा है कि बड़े पैमाने पर विषमलैंगिक, विवाहित महिलाओं को ऐसी हिंसा का प्राथमिक शिकार/ उत्तरजीवी माना गया, और इसी तरह के परिप्रेक्ष्य से एक समझ तैयार हुई। हिंसा के मूल स्थल के रूप में मूल परिवार पर ध्यान वापस लाना इस रिपोर्ट का पहला और मुख्य कार्य रहा है।

1 अप्रैल 2023 की जनसुनवाई में गवाहियों से यह भी पता चला, जैसा कि 90 के दशक के उत्तरार्ध से सामुदायिक और शैक्षणिक विद्वत्ता से भी पता चला है, कि जबरन और हिंसक विवाह में एक बड़ा वर्ग क्वीयर और ट्रांस लोगों का रहा है – इनकी आवाज़ें हमें इससे पहले के नारीवादी काम में नहीं मिलतीं। 1980 के दशक में दहेज और दहेज से संबंधित मौतों के ख़िलाफ़ अभियान महिला आंदोलनों पर हावी रहे, जिसके परिणामस्वरूप 1983 में बहुचर्चित आईपीसी 498 ए (और बाद में बी) पारित हुआ, जिसमें "महिला जीवनसाथी" की क़ानूनी श्रेणी को "वैवाहिक क्रूरता" से सुरक्षा का प्रावधान था। यह क़ानून औरतों के ख़िलाफ़ हिंसा की पूरी चर्चा पर हावी रहा है, हालांकि इस आपराधिक कानून की सीमाएं जल्द ही सामने आ गईं, जिसके कारण नागरिक उपचार की मांग उठने लगी। इसे 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम द्वारा संबोधित किया गया था, जिसने महिलाओं के जीवन में हिंसा की निरंतरता को पहचाना और पैदाइशी व वैवाहिक साझा घरों दोनों में हिंसा को संबोधित करने के लिए जगह बनाई। हालांकि इस क़ानून का उपयोग अब भी मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा वैवाहिक परिवार में होने वाली हिंसा के लिए ही किया जाता है।

पैदाइशी पारिवारिक हिंसा अभी भी एक कम रिपोर्ट की जाने वाली घटना बनी हुई है और जो महिलाएं इसके बारे में बोलती हैं वे मुख्य रूप से एकल या क्वीयर महिलाएं हैं जो वयस्क के रूप में जन्मजात परिवार में रहती हैं (जैसा कि नारीवादी शिक्षाविद रुचिरा गोस्वामी ने 11.04.2023 को लिए गए एक व्यक्तिगत साक्षात्कार में कहा था)। लेकिन जिस हिंसा का सामना वे करती हैं उससे निपटने के लिए वे क़ानून का उपयोग करने को तैयार नहीं हैं। कोविड महामारी के दौरान, बड़ी संख्या में जो एकल, क्वीयर और ट्रांस व्यक्ति अपने उन जन्म के घरों में लौटने के लिए मजबूर हुए जिनको वे छोड़ चुके थे, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उनके छात्रावास, किराए के आवास और पीजी आवास बंद हो गए थे, उन्हें अपने परिवारों से अत्यधिक हिंसा का सामना करना पड़ा। यह वजह बनी कि महिला और सेक्शुएलिटी

अधिकार संगठनों दोनों में इस मुद्दे पर फिर से विचार हुआ। कोलकाता में, स्वयम संस्था ने जन्मजात पारिवारिक हिंसा पर एक अध्ययन शुरू किया है (जैसा कि स्वयम की पूर्व निदेशक अनु कपूर ने 12.04.2023 को एक निजी साक्षात्कार में बताया), और शक्ति शालिनी रिपोर्ट, 'अनस्पोकन' ('अनकही') 2023 में प्रकाशित हुई, जिसमें मुख्य रूप से तो सिस विषमलैंगिक महिलाओं और लड़कियों के अनुभवों की जांच की गई, लेकिन साथ ही कुछ क्वीयर महिलाओं की कहानियों पर भी ग़ौर किया गया।

पैदाइशी या निर्धारित पारिवारिक हिंसा की पहचान और समझ क्वीयर और ट्रांस आंदोलनों और विद्वत्ता के निश्चित पहलू रहे हैं। एक प्रारंभिक अध्ययन, 'द नेचर ऑफ़ वायलेंस फेस्ड बाइ लेस्बियन विमन इन इंडिया' (2003) में, बीना फ़र्नांडिज़ और गोमती एन.बी. ने घरेलू (और साथ ही सामाजिक और संस्थागत) स्थानों को लेस्बियन महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में देखा, और जहां महिला अविवाहित हो वहां उसके मां-बाप और परिवार के अन्य सदस्यों को उस हिंसा के लिए मुख्य रूप से दोषी पाया। वे पारिवारिक हिंसा के प्रकारों की सूची में मारपीट, घर में बंद करना, घर से बेदख़ल करना, जबरन शादी को शामिल करते हैं – लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक साथ वाली लेस्बियन आत्महत्याओं के लिए वे मां-बाप और रिश्तेदारों द्वारा उन पर डाले गए अत्यधिक दबावों को सीधे तौर पर ज़िम्मेदार ठहराते हैं। सैफ़ो संस्था द्वारा किए गए एक अध्ययन, 'वायोमॅप: डॉक्युमेंटिंग एंड मैपिंग वायलेंस एंड राइट्स वायलेशन टेकिंग प्लेस इन लाइव्ज़ ऑफ़ सेक्शुअली मार्जिनलाइज़्ड विमन टू चार्ट आउट इफ़ेक्टिव एडवोकसी स्ट्रॅटजीज़' (2011) में निष्कर्ष बताते हैं: "यह परिवार ही है जो अपने एलबीटी सदस्य पर हिंसा के सबसे भयानक रूपों से वार करता है, क्योंकि यह दंड के माध्यम से शुद्धिकरण में विश्वास करता है...ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एलबीटी व्यक्ति ने अपने परिवार द्वारा उसके साथ की गई हिंसा को समझा है और इसके बारे में स्पष्ट शब्दों में बोला है, लेकिन फिर भी यह बहुत जटिल मामला है। (पृ.41). शाह एट ऑल 2000 के दशक की शुरुआत में जन्म पे स्त्री जेन्डर निर्धारित क्वीयर व्यक्तियों पर किए गए अपने अध्ययन (उपर्युक्त 'ब्रेकिंग द बाइनरी') के निष्कर्षों में कहते हैं, 'शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, उपेक्षा करके – हिंसा इनमें से कोई भी रूप ले सकती है या इन सभी तरीक़ों को शामिल कर सकती है। हिंसा के लिए दोषी लोग थे बाप, भाई, मां, विस्तारित परिवार, पारिवारिक मित्र और एकाध दुर्लभ उदाहरण में बहनें भी' (2016, पृ. 171)। 2003 की रिपोर्ट के अनुसार पैदाइशी परिवार तब से पहले से ही न केवल हिंसा के "क्षेत्र" या स्थल के रूप में उभर रहा है, बल्कि एक विशिष्ट प्रकार की हिंसा के रूप में सामने आ रहा है।

परिवारों में क्वीयर/ ट्रांस व्यक्तियों पर हिंसा की विशेषताएं

जेन्डर और सेक्शुएलिटी के क्षेत्र में विद्वत्ता ने जन्म के समय बाइनरी असाइनमेंट, यानी द्विआधारी निर्धारण के माध्यम से, जेन्डर के ऐतिहासिक निर्माण और चिकित्साकरण की ओर इशारा किया है, और साथ ही बाइनरी के बाहर चिह्नित किसी भी शरीर को 'असामान्य' – इसलिए सुधार के योग्य (केसलर 1990, फॉस्टो-स्टर्लिंग 2000, रिचर्डसन 2013). इसी विश्लेषण ने एक स्पष्ट विसंगति की ओर भी इशारा किया है, जहां असाइनमेंट के इस कार्य के पहलुओं पर ग़ौर करें तो हम जन्म परिवार को ही इसमें आगे-आगे भी और केंद्र में भी देखते हैं; संदेह की स्थिति में जन्म पर जेन्डर निर्धारित करने का काम क्रोमोज़ोम की ख़ास रचना

के साथ-साथ पालन-पोषण के लिंग के बारे निर्णय करते वक़्त "परिवार की इच्छाओं" का भी ख़याल करता है। हमने यह भी देखा है कि क्वीयर/ ट्रांस व्यक्तियों को “विपथगामी” के रूप में चिह्नित करने, उनके "उपचार" और "पुनर्वास" के उदेश्य से उनकी नज़रबन्दी में ख़ुद भाग लेने वाले मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा के शिक्षण-विषयों की किस तरह इस पूरी प्रक्रिया में मिलीभगत रही है, कैसे कुछ ही समय पहले तक बाइनरी से बाहर की किसी भी अभिव्यक्ति या शरीर को उनके डी एस एम वर्गीकरण के तहत जेन्डर पहचान के विकार की सूची में रखा गया था। बाइनरी से परे अपनी पहचान पाने वालों के चिकित्साकरण में इन विषयों की जो सक्रिय भूमिका रही है उसे इनकी मूल टेम्पलेट या ढांचे के संदर्भ में समझना होगा। इस टेम्पलेट में शरीर को लेकर जीववैज्ञानिक चिकित्सीय समझ की प्राथमिकता, और जेन्डर व सेक्शुएलिटी को लेकर जैविक नियतिवाद की सोच निहित हैं। इतना पता है: कभी-कभी, यह समझने की कोशिश में कि परिवार, चिकित्सक और क़ानून लागू करने वाले इतने स्वाभाविक सहयोगी क्यों लगते हैं, हमारे ध्यान से जेन्डर पहचान और सेक्शुएलिटी को तय करने और लागू करने में पैदाइशी परिवार की भूमिका छूट गई है।

जनसुनवाई की गवाहियों ने न केवल पैदाइशी परिवारों द्वारा हिंसा का सर्वव्यापी और गहन रूप साझा किया, बल्कि यह भी दर्शाया कि कैसे हिंसा की यह प्रक्रिया क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति की अपनी चेतना, पहचान और व्यक्तित्व के निर्माण (या उन्मूलन), उसकी सेक्शुएलिटी, रिश्तों के बारे में सोच, भरोसा कर पाने की क्षमता, देखभाल और प्यार (या इनकी कमी) और स्वयं को लेकर उभरती समझ का बुनियादी तौर पर गठन करती है। यह संस्थागत और सामाजिक हिंसा को भी बढ़ावा देती है, उन्हें और मज़बूत बनाते हुए उनसे सांठगांठ करती है। ऊपर से यह एक ऐसी प्रकार की हिंसा है जिसे पहचानना और जिसका विरोध करना सबसे कठिन होता है, और जिससे राहत पाने के तरीक़े सबसे दुर्लभ हैं। और जैसा कि गवाहियों से पता चला, यह एक अनवरत, रोज़मर्रा की हिंसा है, ज़रूरी नहीं कि यह हमेशा कोई अकेली बड़ी-सी घटना हो जिसका सामना कर लेने पर उसे पीछे छोड़ा जा सके। अधिक सटीक रूप से, रोज़मर्रा की चीज़ें और धमाकेदार वाक़ये आपस में यूं कुंडलित हो जाते हैं कि वे एक- दूसरे को और सक्षम करते हैं – यानी पैदाइशी पारिवारिक हिंसा को दोनों पहलुओं के इस संयोजन के माध्यम से समझना होगा। क्वीयर/ ट्रांस व्यक्तियों को निशानित करने वाला रोज़मर्रा का भेदभाव, सूक्ष्म क़िस्म की आक्रामकताएं, और अघोषित उल्लंघनों के सिलसिले, अन्य जगहों में भी उस मिटटी को तैयार करते हैं जो फिर उन बड़ी घटनाएं को जन्म देती है। वहीं दूसरी ओर, रक्त-संबंधों पर आधारित जन्म के परिवार से जुड़ा मिथक इसे स्वाभाविक रूप से देखभाल, अपनापन, बिना शर्त प्यार और विश्वास के प्राथमिक स्थल के रूप में प्रस्तुत करता है। इसीलिए उन अपेक्षाओं के उल्लंघन से जो भावनात्मक दरार पड़ती है और दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक क्षति होती है उसकी पीड़ा से निजात पाना बेहद मुश्किल होता है।

पैदाइशी परिवार की हिंसा वैसे तो इसे अनुभव करने वाले हर व्यक्ति पर असर डालती है, क्वीयर/ ट्रांस लोगों के मामले में इसकी एक विशिष्ट प्रकृति होती है। इसकी प्रमुख विशिष्टताओं में से एक है इसकी सेक्शुअल प्रकार से अभिव्यक्ति। हमने जो 31 गवाहियां सुनीं, उनमें जो बात सामने आई वह यह थी कि जब परिवार के सदस्यों को अपनी औलाद की यौन पसंद को स्वीकार करना मुश्किल लगता है तो वे कैसे प्रतिशोध के लिए सेक्शुअल स्तर पर दुर्व्यवहार का रास्ता चुनते हैं – व्यक्ति को पापी या बीमार बताकर उसकी इच्छा को अमान्य ठहराने से लेकर "सुधारात्मक बलात्कार" की धमकियां देने तक, या वास्तविक यौन उत्पीड़न करने से लेकर युवा ट्रांस व्यक्तियों के जननांगों के बारे में कामी जिज्ञासा व्यक्त करने तक, यहां तक

कि ज़बरदस्ती कपड़े उतार देने तक के असल मामले सामने आए। इन धमकियों या असल कार्रवाइयों को जेन्डर और सेक्शुएलिटी के मानदंडों के उन कथित उल्लंघनों के लिए उचित दंड या सुधार की प्रतिक्रिया बताई गई, जिनसे परिवार को शर्मिंदा और बेइज़्ज़त होना पड़ा। शामली के पिता के दोस्त ने जब उसका यौन उत्पीड़न किया और शिकायत करने पर पिता ने कहा कि वह इसकी हक़दार थी, ऐसी हिंसा के औचित्य का एक उदाहरण है। टीना और नताशा दोनों का यौन शोषण किया गया – टीना का उसके भाई और चचेरे भाइयों द्वारा; जब उसने अपने पिता से शिकायत की तो उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनका बेटा इस तरह का व्यवहार कर सकता है, जबकि ख़ुद प्रत्यक्ष गवाह होते हुए भी उसकी मां ने उसका समर्थन नहीं किया। यहां सत्य की पुष्टि करने और समर्थन देने की विफलता का मामला पारिवारिक सम्मान के प्रवचन के नीचे दब गया है – वह सम्मान जो केवल महिलाओं के शरीर में निहित है, और जिसे बनाए रखने और संरक्षित करने की ज़िम्मेदारी उनपर लादी गई है। उदय ने बताया कि कैसे उसका पैदाइशी परिवार उससे मिलने उस शहर आया था, जहां वह पढ़ रहा था, एक स्पष्ट योजना के साथ; " उन्होंने एक कमरा बुक किया था और कहा कि मुझे उस कमरे में जाना होगा क्योंकि वे लोग मेरी पैंट उतार कर देखना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, क्या मैं "हिजड़ा" हूं।" हम यहां जैविक नियतिवाद की विचारधारा को याद कर सकते हैं जो सक्रिय रूप से परिवार द्वारा एक युवा ट्रांस व्यक्ति के शरीर को विकृत घोषित करने के समानांतर है। यहां हिंसा व्यक्त हो रही है अपमानित करने के रूप में, जहां उस आत्म-निर्धारण के स्थान पर – जिसे 2014 की शुरुआत में NALSA निर्णय द्वारा अनिवार्य किया गया है, और ट्रांस बिल ड्राफ्ट्स के ख़िलाफ़ कई विरोध प्रदर्शनों में ट्रांस-एक्टिविस्ट बार-बार जिसकी मांग करते रहे हैं – मां-बाप इस तरह शारीरिक परीक्षण करके इसे सामान्य बनाते हैं। जातीय हिंसा के तहत कपड़े उतारने और परेड करवाने से यह जिस तरह जुड़ जाता है, रोंगटे खड़े कर देता है। बानू और ओमेरा का मामला महिलाओं के यौन अनुभवों पर और उनके शरीरों पर होने वाली उस निगरानी और नियंत्रण को दर्शाता है जिनका उपयोग पैदाइशी परिवार उन्हें विषमलैंगिक वैवाहिक जीवन के लिए तैयार करने के लिए करता है। यह नियंत्रण किसी भी समय दुर्व्यवहार में बदल सकता है। जैसा कि बानू ने बताया: "जब मेरे पिता को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो उनका सबसे पहला सवाल यही था कि क्या हमारे शारीरिक संबंध हैं।" बाद में ओमेरा के परिवार ने उन दोनों को "वेश्या" कहा और जब दोनों पुलिस के हस्तक्षेप से वे फिर साथ हो सके , बानू की मां और बहन लड़कियों के साथ ख़ुद सोए ताकि वे "शारीरिक संबंध न बना लें" क्योंकि अगर वे ऐसा करते, तो कोई भी पुरुष उनसे शादी नहीं करता। बानू ने बताया कि कैसे उसके पिता ने उसे गालियां दी थीं और कैसे उसे बिस्तर पर लिटा दिया गया था, और उसके चाचा ने उससे कहा, 'अगर तुम्हें पुरुष का सुख अनुभव करने की ज़रूरत है, मैं मौजूद हूं।'

बेटा-वरीयता, सामाजीकरण, अपनी पहचान को ज़ाहिर करना या न करना, घर छोड़ना

इस रिपोर्ट के अध्याय 3 में क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों के ख़िलाफ़ की जाने वाली हिंसा के स्वरुप और स्थानों का गहन विवरण प्रस्तुत करते हुए, इस हिंसा को सक्षम बनाने में पारिवारिक ढांचों की ओर इशारा किया गया। अध्याय 4 में इस पर प्रकाश डाला गया कि इसी प्रकार की हिंसा पारिवारिक संदर्भ तक सीमित न रहते हुए कैसे उन अन्य संस्थानों के

साथ मिलीभगत के तौर पर जारी रहती है, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल स्थल के अलावा राजकीय संस्थानों में, जिनपर व्यक्ति की संरक्षता की ज़िम्मेदारी होती है। क्वीयर/ ट्रांस लोगों पर किए जाने वाले हिंसा-भेदभाव की एक सरल सूची हमें इस हिंसा के स्वरुप को समझने में मदद नहीं करती है, बल्कि हमें ग़लतफ़हमी का शिकार बना सकता है कि इस श्रेणी के व्यक्तियों का पूरा उप-समूह संभवतः एक ही तरीक़े या समान तीव्रता से हिंसा-ग्रस्त होता है। पूर्व विद्वत्ता ने हमें कुछ समान पहलुओं (शाह एट ऑल 2016) की ओर इशारा करते हुए, हिंसा की पूरी समान समझ के ख़तरों के प्रति सचेत किया है; जन्म पर निर्धारित जेन्डर पर ध्यान केंद्रित करने और हिंसा के ज़ाहिर आकार के स्रोतों के रूप में समाजीकरण के पैटर्न को समझने की आवश्यकता इन रूपरेखाओं से उभरी है। क्या हम सिस-क्वीयर महिलाओं, ट्रांस महिला, ट्रांस पुरुष, नॉन-बाइनरी व्यक्तियों या अन्य लोगों द्वारा सामना की जाने वाली पारिवारिक हिंसा में स्पष्ट अंतर देखते हैं, जिनपर इसलिए ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि विशिष्ट असुरक्षताओं-अक्षमताओं पहचान कर ही आवश्यक क़िस्म की सुरक्षा और उपायों प्रदान करे का काम हो सकता ? उत्तर हां ज़रूर है, लेकिन इस हां से जुड़े क्यों को समझने की कोशिश में हमने गवाहियों और पूर्व नारीवादी विद्वता को एक साथ रखा और पाया कि जेन्डर-संबंधी समाजीकरण के अनुभव, और समुदायों के भीतर कम उम्र में विवाह को यौन हिंसा या विवाह की अनिच्छा से सुरक्षा के रूप में देखा जाना, जहां दोनों को अक्सर एक साथ जोड़ दिया जाता है (पांचाल और अजगांवकर 2015), बेटे की प्राथमिकता और वंश को जारी रखने की आवश्यकता – ये हिंसा के रूप में अंतर के कुछ स्रोत हैं, हालांकि कारण-परिणाम का कोई सीधा एक-से-एक जुड़ाव न संभव है और न ही इसकी कोसझिश करनी चाहिए। जनसुनवाई में ख़ुद को ट्रांस महिला के रूप में पहचानने वाली तारिणी ने बताया कि उसे गंभीर चिंता और तेज़ बुखार के दौरों का अनुभव हुआ करता था जब उसे शादी करने के लिए दूसरी “महिलाओं से मिलने” के लिए मजबूर किया जाता था, और इस यातना से बचने के लिए वह समय-समय पर घर से भाग जाती थी। ट्रांस पुरुष तारिक के लिए, विवाह करने का दबाव शारीरिक तौर पर हिंसक और जीवन-घातक होता है , संस्थागत हिंसा सहित। तारिक विरोध करने, परिस्थिति से निकलने में कामयाब हो जाता है। ट्रांस पुरुष शरत को जबरन विवाह के साथ-साथ पैदाइशी और वैवाहिक परिवारों की शारीरिक हिंसा और वैवाहिक यौन हिंसा के बावजूद अपने बच्चे की वजह से घर छोड़कर जाना एक कठिन कदम था। ट्रांस पुरुष ओइशिक की कहानी कई अन्य लोगों को अपनी कहानियां याद कराती है, कि कैसे उसके वयस्क पार्टनर के पैतृक और विस्तारित परिवार से उसे हिंसा झेलनी पड़ी, कैसे दोनों को जबरन अलग किया गया और फिर उसके पार्टनर को एक "पुनर्वास" संस्था में रखा गया; क़ानूनी मामलों से सम्बंधित साहित्य में भी (पोन्नी और थंगराज 2012) इस क़िस्से के प्रतिबिंब मिलते हैं क्योंकि एक सिस महिला के साथ संबंध में ट्रांसमर्दाने व्यक्ति के ख़िलाफ़ ऐसे उपकरण ऐतिहासिक रूप से इस्तेमाल किए गए हैं। बानू के लिए, सामाजिक रूप से स्वीकार्य सेक्शुएलिटी के उल्लंघन की सज़ा होती है पिता द्वारा यौन शोषण।

गवाहियों में स्कूल छोड़ देने के बयान कई बार आए। सिस महिलाओं के लिए, यह जबरन शादी की ओर पहला कदम था। ट्रांस और नॉन-बाइनरी व्यक्तियों के लिए, इसमें जेन्डर-बाइनरी पर आधारित वर्दी का बड़ा हाथ था, साथ ही सहपाठियों और अन्य लोगों द्वारा बलप्रयोग शामिल था, जिसकी परिवार ने विरोध नहीं किया। जेन्डर और सेक्शुएलिटी से जुड़े पहचान वाले व्यक्तियों को यूं शिक्षा से बाहर करने को हम उनपर होने वाली शारीरिक हिंसा की निरंतरता के साथ रखकर, समाजीकरण के मानदंडों के संदर्भ में देखते हैं। जैसा कि अध्याय 3 में चर्चा

की गई है, शिक्षा से वंचित करने की यह प्रवृत्ति तब शायद और भी दृढ़ता से लागू की जाती है जब क्वीयर या ट्रांस व्यक्ति द्वारा कहीं और अपना जीवन जी पाने के लिए घर छोड़ने का प्रयास करते हैं और पैदाइशी परिवार उनके शैक्षिक दस्तावेज़ों को ज़ब्त या नष्ट कर देते हैं।

इन सभी ज़िन्दगियों में, निर्धारित परिवारों में प्रचलित जेन्डर को लेकर बाइनरी या द्विआधार समझ और फिर इस आधार पर इन दो जेन्डर के बीच दूरी रखने की प्रथा हिंसा का स्रोत और स्थल है। साथ ही, पृथक्करण की ऐसी नीति के सामुदायिक मानदंड हिंसा को बढ़ाने के लिए काम करते हैं – चाहे उस समुदाय को "ग्रामीण"' या "सीमांत" के रूप में समझा जाए, कुछ अर्थों में "आधुनिक" द्वारा पीछे छोड़ दिया गया। इस बात को तारिक की गवाही में पढ़ा जा सकता है। इसे शरत की गवाही में पढ़ा जा सकता है।

परिवारों व अन्य संस्थाओं के भीतर युवा क्वीयर/ ट्रांस लोगों की सेक्शुएलिटी पर कड़ी निगरानी और दबाकर रखना

लेकिन ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी के बावजूद, बाल अधिकार संगठनों ने ट्रांस/ क्वीयर युवाओं के प्रति पैदाइशी परिवारों द्वारा की जाने वाली यौन हिंसा के बारे में कम चर्चा की है। हालांकि बाल यौन शोषण पर सशक्त वार्तालाप है और नाबालिगों को वयस्कों द्वारा यौन शोषण से बचाने के लिए POCSO जैसे मज़बूत (भले ही कुछ हद तक विवादी) क़ानून, पैदाइशी परिवार के और विशेष रूप से क्वीयर/ ट्रांस युवा व्यक्तियों के संदर्भ में यह सीमित स्तर से लागू होता है। इस चुप्पी के संभावित कारणों के प्रति हमें यह सच्चाई सचेतकरती है कि बाल अधिकारों के नाम पर आईपीसी की धारा 377 को एक समय उचित माना गया था। व्यापक तौर पर परिवार, शैक्षणिक संस्थान और बाल अधिकार संगठन नाबालिग व्यक्ति की सेक्शुएलिटी और यौन पसंद, सहमति देने की और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता स्वीकार करने में असहज महसूस करते हैं। सेक्शुएलिटी शिक्षा के अभियान विफ़ल हो गए क्योंकि वे इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं कर सके। हम यहां नोट कर सकते हैं कि भारत में विस्तृत सेक्शुएलिटी शिक्षा, जिसे जीवन कौशल शिक्षा, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम आदि जैसे विभिन्न अस्पष्ट नाम दिए गए, विकेंद्रीकृत है – राष्ट्रीय रणनीतियों से बंधा लेकिन राज्यों के स्तर पर कार्यान्वित होने योग्य। आम तौर पर इनमें सेक्शुएलिटी =जोखिम-परहेज़, प्रजनन स्वास्थ्य और जनसंख्या नियंत्रण की शब्दावलियां जुटाई जाती हैं; यहां इच्छा/ आकर्षण एक नकारात्मक शब्द है। 2021 में, स्कूलों में ट्रांस व्यक्तियों की ज़रूरतों के प्रति जागरूकता के लक्ष्य से प्रशिक्षकों के लिए एक एनसीईआरटी मैनुअल बनाने की पहल की गई थी। अन्य चिंताओं के अलावा, इसमें "... जेन्डर-ग़ैर-अनुरूप और ट्रांस जेन्डर बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए जेन्डर विविधता के पहलुओं के संबंध में शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों को संवेदनशील बनाने" के सुझाव शामिल थे (दत्ता, 'एनसीईआरटी रीमूव्ज़ टीचर ट्रेनिंग मैनुअल'), लेकिन इसे तेज़ी से वापस ले लिया गया जब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के आक्रोश जताया और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने शिकायत दर्ज की जिसमें उसने एनसीईआरटी को अपनी पुस्तक की "विसंगतियों" को सुधारने के लिए कहा। हालांकि युवा जोड़ों के भाग जाने को लेकर इस सवाल पर काफ़ी बहस हुई है कि क्या इन मामलों में POCSO लागू किया जाना चाहिए, इस बहस का एक बड़ा हिस्सा कम उम्र और बाल विवाह के संदर्भ में और विषमलैंगिक संदर्भ में हुआ है। 1 अप्रैल की गवाहियों ने एक ऐसी समझी-बूझि चर्चा की आवश्यकता की ओर इशारा किया जो युवा

क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों को एक सुरक्षित वातावरण में अपनी यौन पसंद को व्यक्त करने के अधिकार, और परिवार द्वारा किए जाने वाले प्रतिशोधात्मक यौन शोषण से सुरक्षा दिलाने के बारे में हो। यह समझा जाना चाहिए कि वैवाहिक विषमलैंगिकता, जेन्डर बाइनरी सोच और अंतर्विवाह की उन मानक प्रथाओं-मानकों के चलते, जिनके ज़रिए परिवार ज़िन्दगियों को नियंत्रित करते हैं, युवाओं के पास कोई दर्पण नहीं है, कोई मॉडल नहीं है जिसके भीतर देखकर वे भिन्नताओं को जान-टटोल या अनुभव कर सकें, और बिल्कुल कोई सुरक्षा नहीं है। ये मानक प्रथाएं स्कूलों, संस्थागत धर्म और अन्य संस्थानों तक फैलती हैं जो "अच्छी" लड़कियों या लड़कों के निर्माण-कार्य में लगे हुए हैं (शाह एट ऑल 2015, पृ. 270) – तभी तो ये युवा क्वीयर/ ट्रांस व्यक्तियों के जीवन में इतना बड़ा स्थान रखते हैं। हमने गवाहियों में यह भी सुना है कि नियंत्रण के इन रूपों को बाद में किस तरह वैवाहिक परिवारों और मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के साथ साझा किया जाता है। शामली के व्यथित बयान से पता चला कि उनके मां-बाप ने कैसे क्लासटीचर को स्कूल में "विपथगामी" बच्चे को "सही" करने के लिए एक दण्ड-मुक्त मुफ़्त पास प्रदान किया – और यह उन बयानों में से केवल एक है जो क्वीयर/ ट्रांस बच्चे द्वारा अनुभव किए गए भावनात्मक विश्वासघात का सबूत देता है, ऐसी जगह में जो सुरक्षित स्थान माना जाता हो। तारिक ने ग़लत जेन्डर-सम्बोधन, जेन्डर अभिव्यक्ति के लिए सज़ा, और ग़लत जेन्डर वाले पहनावे पर दंडात्मक ज़ोर दिए जाने के सामान्य अनुभव की बात की। यह विद्वत्तामें भी उल्लेखित होता है, चाहे वह घर में अपनी जगह न पा सकने का, जैसे अधर में लटके रहने का अनुभव हो - एक “त्रिशंकु”-नुमा स्थिति (रानाडे2018, पृ. 61), या स्कूल में बाइनरी जेन्डर पोशाक और गतिविधियों को ज़बरदस्ती लागू किए जाने का (शाह एट ऑल 2015, पृ. 88)। तारिक ने आगे की बात बताई कि जबरन शादी की गई, और बाद में 15 साल की उम्र में एक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में पैदाइशी परिवार की सक्रिय भागीदारी से उसे क़ैद रखा गया और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरपी दी गई।

दिलचस्प बात है कि पश्चिम में युवाओं की सेक्शुएलिटी के अधिकारों को लेकर बहस पर फ़िलहाल ऐसे सवाल अधिक छाए हुए हैं कि युवा ट्रांस व्यक्तियों के जेन्डर-परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, या इंटरसेक्स विविधता वाले व्यक्तियों के अपने जेन्डर, और यह कि वे किस तरह के चिकित्सीय हस्तक्षेप चाहते हैं, इनके बारे में फ़ैसले लेने के लिए कौनसी उम्र उचित मानी जाए। एक तरफ़ जहां इन चर्चाओं-विवादों ने युवाओं के अधिकारों को स्थापित करने की कोशिश की है, न कि उनपर उनके मां-बाप के अधिकारों को, वहां इससे आगे बढ़कर कोई ऐसी मांग नहीं उठाई गई है कि दक्षिण एशियाई, ख़ास तौर पे भारतीय परिपेक्ष्य में, पैदाइशी परिवारिक हिंसा पर ग़ौर किया जाए।

हालांकि अक्षम क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति के अनुभवों को लेकर बस ओजा की एकमात्र गवाही थी, इसे पैदाइशी पारिवारिक हिंसा के एक केंद्रीय सवाल से जूझने के रूप में देखा जा सकता था, और इसने अंतर्भागीय विश्लेषण की आवश्यकता के लिए सशक्त तर्क भी सामने रखे – ऐसा विश्लेषण जो अक्सर ग़ायब रहता है, क्योंकि संस्थाएं और कार्यकर्ता सब अपने-अपने घेरों में काम करते हैं।

ओजा का यह विश्लेषण, कि अक्षम/ विकलांग व्यक्तियों की पारिवारिक देखभाल पर निर्भरता की वजह से उनकी एजेंसी या स्वतंत्र निर्णय-शक्ति कमतर नहीं मानी जानी चाहिए, युवा व्यक्तियों के पैदाइशी परिवार के साथ संबंधों पर भी आम तौर पर लागू होता है। वे जब तक परिवार के संसाधनों, देखभाल और सहायता पर निर्भर होते हैं, इन चीज़ों को शर्त के रूप

में नहीं देखा जाना चाहिए कि ये तभी मुहैया करवाई जाएंगी जब तक युवा व्यक्ति परिवार के मानदंडों का पालन करता हो। फिर भी जेन्डर के हिसाब से ग़ैर-मानक व्यक्तियों के साथ यही होता है। लहर, जो अपनी पहचान नॉन-बाइनरी के रूप में करते हैं, अपने पिता के साथ अपने संबंध को लेन-देन के रूप में देखते हैं – जब वह घर जाते हैं तो अपने बाल छोटे काट लेते हैं और अलग तरह से कपड़े पहनते हैं क्योंकि अन्यथा उसके पिता उसे उसकी शिक्षा के लिए पैसे नहीं देंगे: "आपको उन्हें वे बातें बतानी पड़ती हैं जो वे सुनना चाहते हैं और समझौता करते रहना पड़ता है।" फिर भी यूं हर समय ग़लत जेन्डर में देखा जाना एक रोजमर्रा की हिंसा है: "हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि इसका असर कितना गहरा होता है। चाहे देख कर ऐसा न लगे कि हमारे साथ हिंसा हो रही है, ... [यह] हिंसा एक दैनिक बात है, और निरंतर होती है।" ओजा की गवाही इस बात को रेखांकित करती है कि विकलांग युवाओं के संदर्भ में पारिवारिक संसाधनों और देखभाल पर निर्भरता क्योंकि अधिक गहरी है; अनुरूपता की अपेक्षाएं भी अधिक तीव्र हो जाती हैं, जिन्हें चुनौती देने पर अकथनीय हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। विकलांग बच्चे की तरह, क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति को भी "दोषपूर्ण" समझा जाता है, इसलिए वह देखभाल के योग्य नहीं है और जिसके साथ दुर्व्यवहार दण्ड-मुक्ति से किया जा सकता है। ऐसी भी मान्यता है कि रक्त संदूषण के कारण एक "असामान्य" बच्चे का जन्म हुआ है, जिसे दंडित किया जाना और शायद अस्तित्व से ही मिटा दिया जाना चाहिए। युवा व्यक्तियों पर व्यवस्थित और निरंतर रूप से ग़लत जेन्डर का थोपना उनकी जेंडर पहचान को मिटा देने का एक हिंसक तरीक़ा है, जो कभी उनके पसंदीदा कपड़ों और पहचान दस्तावेज़ों को जलाकर किया जाता है, कभी इस बात पर ज़ोर देकर कि वह व्यक्ति असल में पागल है या अपनी चुनी हुई पहचान में ग़लत है। और जैसा उदय ने बताया: 'वे मुझे कहते थे कि या सब सिर्फ़ मेरे दिमाग़ में है ... मां ने कहा कि मेरे पिता कुछ भी ग़लत नहीं कह रहे हैं, मैं ही पागल हूं।' टीना ने उल्लेख किया कि कैसे एक शिक्षक ने पहचान के लिए उसकी खोज को खारिज कर दिया: 'यह बकवास है और मुझे ... इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए।' ऐसे संदर्भ में जहां परिवार व्यक्ति की चुनी हुई पहचान से इनकार कर रहा है, अधिकांश गवाहों को लगा कि अपनी पहचान ज़ाहिर करना व्यर्थ था। ख़ास तौर पर इसलिए, कि परिवार जानकर भी अनजान रहना चाहता है। शामली का कहना है: "लोग पूछते हैं कि क्या हमने मां-बाप को अपनी सच्चाई बता दी है? मां हमारे पास आती है और अपनी महंगी रेशमी साड़ी वापस मांगते हुए कहती है वह मुझे कम महंगी साड़ी देगी। वह जानती है कि हमने ही ली है, लेकिन वह इस बारे में खुलकर बात नहीं करेगी ... मैं अपने मां-बाप को क्वीयर लोगों के बारे में फ़िल्में दिखाती हूं। एक बार हमने उन्हें एक ट्रांस/ क्वीयर व्यक्ति के मरने की ख़बर दिखाई। मां ने कहा कि ऐसे बच्चे का मर जाना ही अच्छा है। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं? क्या हमें उसे बता देना चाहिए कि हम भी ट्रांस/ क्वीयर हैं?" लहर ने मां-बाप के आगे अपना सच ज़ाहिर न करने का फ़ैसला ले रखा है क्योंकि वे अब भी आर्थिक रूप से उन पर निर्भर हैं। इसलिए "हमें चीज़ों को नकारने की आदत हो गई है" और अगर क्वीयर प्रदर्शनों या विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरों में कभी लहर दिख जाए तो वे अपने पिता को यह बताने के लिए तैयार हैं कि वे किसी फ़ैन्सी ड्रेस प्रतियोगिता में थे क्योंकि "एक हद के बाद वे भी विश्वास कर लेते हैं क्योंकि उन्हें इसी में चैन मिलता है।"

ज़िंदा रहना, जीना, फलना-फूलना

अपनी औलाद की चुनी हुई पहचान को अमान्य करना, कमज़ोर करना और झुठलाना उस व्यक्ति को ख़त्म करने की इच्छा के समान हिंसा है, उसे मृत देखना पसंद करना अगर जैसा वे चाहते हैं वैसा बनने से वह इनकार करे – यानी जेन्डर के मानकों के अनुरूप वह बेटा या बेटी जो परिवार की इज़्ज़त और उसके वंश को क़ायम रखे, प्रजनन के मौलिक पारिवारिक दायित्व को पूरा करे। उदय ने अपने मां-बाप का यह कथन साझा किया : "यदि तुम घर पर होते, तुम्हारा शव होता। कम से कम हम लोगों को बता सकते कि हमारी लड़की मर चुकी है, लेकिन अब हम उन्हें कुछ नहीं बता सकते।" इस संदर्भ में, 2019 के ट्रांस अधिनियम की इस शर्त में, कि केवल ऐसे ट्रांस व्यक्ति को निवास का अधिकार और हिंसा के ख़िलाफ़ सुरक्षा प्रदान की जा सकती है जिसने अपनी पहचान खुले तौर पर ज़ाहिर की हो, ट्रांस व्यक्तियों के अनुभवों की वास्तविकताओं और जोखिमों से एक स्पष्ट दूरी नज़र आती है, यहां तक कि उस वातावरण को लेकर भी जो सुरक्षित माना जाता है – घर। इन परिस्थितियों में अधिनियम उन व्यक्तियों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। जब लोग यह सर्वव्यापी-सा सवाल करते हैं कि "आप भविष्य में ख़ुद को कहां देखते हैं/ आप क्या बनना चाहेंगे?" तो शामली का यह कहने का मन करता है, "या तो लटकते हुए या रेल की पटरी पर लेटे हुए"। सैफ़ो की 2017 में प्रकाशित 'लिवेबल लाइव्ज़' रिपोर्ट बटलर की लिवबिलिटी अवधारणा का उपयोग करती है, उन हालात की कल्पना करने के लिए जो क्वीयर जीवन को जीने लायक बनाने में मदद तो करते हैं, लेकिन अधिक बुनियादी स्तर पर इन ज़िन्दगियों को जीवन देने के लिए ज़िम्मेदार लोगों द्वारा उन्हें मिटाने के लगातार प्रयासों के बावजूद भी संभव बनाते हैं। शामली और कई अन्य गवाह इस बात का प्रमाण हैं कि जब तक न केवल हिंसा की अनुपस्थिति, बल्कि उनकी अपनी सच्चाई के लिए पुष्टि और मान्यता उपलब्ध नहीं होती, तब तक उनके अस्तित्व और जीने की क्षमता दोनों को ख़तरा बना रहता है।

जैसा कि सैफ़ो की 2016 रिपोर्ट इशारा करती है, अगर जीने योग्य जीवन वे नहीं होते जो बस सहनीय हों, तो वो सहारे क्या हैं और कहां उपलब्ध हैं जो ज़िन्दगियों को सहनीयता भी प्रदान करें और जीने लायक भी बनने दें? क़ैद में रखे जाने और ज़बरदस्ती ईसीटी दिए जाने के बारे में तारिक की गवाही हमें इस एहसास से झकझोर देती है कि अगर एक ऐसी प्रैक्टिशनर न होती जिसने ख़याल भी रखा और जो अपनी भूमिका और पेशेवर ज़िम्मेदारियों के प्रति जागरूक थी, तो हमने तारिक को भी खो दिया होता, उन कई अन्य लोगों की ही तरह जिनको ऐसे जबरन "उपचारों" से गुज़रना पड़ा। तारिक हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे उसके मामले में मानसिक बीमारी वह "चीज़" जिसके लिए इलाज ज़रूरी था, बल्कि अगर कारावास जारी रहता तो वह एक बुरा परिणाम ज़रूर हो सकता था, क्योंकि वह उन स्थितियों में बेहद ख़तरा महसूस करने की बात करता है। यानी जीवित रहने ले लिए, जीने के लिए, आकस्मिक समर्थन से अधिक कुछ चाहिए हो सकता है।

एन्डोगमी (अंतर्विवाह) की शर्त, समुदाय की रचना से इनकार

गवाहियों में बार-बार मां-बाप द्वारा अपनी औलाद पर चाकुओं से हमला करने, उन पर वस्तुएं फेंकने और उन्हें ज़हर देने के मामलों का उल्लेख किया गया, जैसे कि ओमेरा और

बानू के मामले में, ख़ासकर जब उन्हें उनके क्वीयर रिश्तों के बारे में पता चला। जैसा तुषार ने बयान किया: 'रात में मेरी मां ने मेरे पार्टनर को धमकाते हुए कहा, "हम तुम्हें जलाकर मार सकते हैं और तुम्हें दफ़ना सकते हैं, और किसी को पता ही नहीं चलेगा, यहां तक कि तुम्हारे वकील को भी नहीं।" ' यह पैदाइशी परिवार द्वारा ऑनर किलिंग वाली भाषा है, जिससे हम अंतरधार्मिक और अंतरजातीय संबंधों के मामलों में परिचित हैं।उन दोनों ही संदर्भों में, पैदाइशी/ निर्धारित परिवारों द्वारा तय होने वाले अंतर्विवाही विषमलैंगिक विवाह की विचारधारा पारिवारिक हिंसा को बढ़ावा देती है। विभिन्न धर्मों और जातियों से आने वाले क्वीयर/ ट्रांस जोड़ों पर होने वाली हिंसा की विशेष तीव्रता को समझने के लिए जाति, समुदाय और सेक्शुएलिटी के आपसी संबंधों का गहन विश्लेषण आवश्यक है। क्योंकि यौन स्तर पर अन्यकरण हमेशा वर्ग, जाति और समुदाय पर टेक लगाकर किया जाता है, ऐसे संदर्भों में क्वीयर जोड़े स्वीकार्य भी कर लिए जाते हैं जो किसी के अपने वर्ग, जाति और समुदाय से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। जब 1998 में 'फ़ायर' फ़िल्म का विवाद छिड़ा, तो शिव सेना सुप्रीमो बाल ठाकरे ने कहा था कि अगर दोनों भाभियों को राधा और सीता के बजाय सायरा और शबाना नाम दिए गए होते तो वह फ़िल्म में दिखाए गए समान लिंग रिश्ते को नज़रअंदाज़ कर सकते थे। हालांकि गवाहियों में यह बात सामने आई कि जो मां-बाप क्वीयर रिश्तों को स्वीकार कर सकते थे, चाहे अनिच्छा से ही, वे जाति-समुदाय के मानदंडों को तोड़ने वाले रिश्तों से ज़्यादा परेशान होते थे, जैसा कि हम चेतना-तुषार रिश्ते में देखते हैं जहां चेतना की मां दोनों को मारने की धमकी देती है। तुषार कहता है कि अगर चेतना "उसी जाति से होती तो शायद वे उसे स्वीकार कर लेते।" ताहिर की हिंदू महिला पार्टनर को एक मुस्लिम ट्रांस पुरुष के साथ रहने के कारण पारिवारिक दबाव का सामना करना पड़ा – वह उसे अपने घर ले आई थी, जहां उसके साथ बहिष्कार वाला बर्ताव किया गया: " उसपर पारिवारिक दबाव इतना था कि आख़िर उसने यही कहा कि हमारा साथ मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं मुस्लिम हूं। " ट्रांस पुरुष ओइशिक ने बताया कि कैसे उसे अपनी जाति के कारण अपनी गर्ल फ्रेंड के मां-बाप से दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा: जब भी मैं रंजीता से संपर्क करने के लिए उसके मां-बाप से संपर्क करता हूं ... वे गाली-गलौज से ही बात शुरू करते हैं। वे मुझे अपमानित करते हैं क्योंकि मैं एक निचली जाति से आता हूं। हमारी जाति। ... मोची जाति मानी जाती है, बंगाली शब्द है "मूची"। ट्रांस पुरुष तारिक को जिस हिंसा का सामना करना पड़ा, इसके कुछ हिस्से की वजह उसके जेन्डर के अलावा समुदाय के मानदंडों के अनुरूप होने से इनकार करने में देखि जा सकती है: "जब उन्होंने मुझे बुर्का पहनने के लिए कहा, मैंने मना कर दिया। जब भी वे मुझे बिना बुर्का के देखते वे मुझे पीटा करते॥ मैं हिंदू लोगों का साथ चाहता था, प्रसाद खाना चाहता था, उनके साथ रहना चाहता था। मुझे घर जाना पसंद नहीं था।" ओमेरा और बानू को धमकी दी गई कि उनका समलैंगिक संबंध इस्लाम से धोखा है, इसलिए वे दोनों पापी हैं और जहन्नुम जाएंगे।

परिवार की हिंसा में शामिल है क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति को पूरे समुदाय और परिचित सामाजिक नेटवर्क से भी अलग करना। परिवार द्वारा अस्वीकृति के कारण समुदाय से हाथ धोना पड़ता है। यह क्वीयर/ ट्रांस व्यक्तियों के लिए अपने ख़ुद के समुदाय, संगठन, नेटवर्क और चुने हुए परिवार बनाने-खोजने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो अक्सर व्यक्ति के किसी अन्य शहर में स्थानांतरित होने के बाद ही होता है। सेक्शुएलिटी, धर्म और जाति के आपसी संबंध विशेष रूप से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक क्वीयर रिश्तों के मामले में जोड़ों के लिए एक अधिक मज़बूत और सुरक्षित विशेष विवाह अधिनियम (स्पेशल मैरिज एक्ट) का तर्क

पेश करता है, जो नोटिस अवधि पर और डोमिसाइल यानी अधिवास की आवश्यकताओं पर दोबारा विचार करे।

बहरहाल, जो शादी नहीं करना चाहते हैं उनके लिए भी इस विकल्प की आवश्यकता महसूस होती है । तेज, शरत और तारिक की गवाही में जबरन बाल विवाह के साथ-साथ वैवाहिक बलात्कार की भयावहता सामने आई। इनमें यह भी इंगित हुआ है कि अपने विशिष्ट क्वीयर/ ट्रांस संदर्भों के साथ ये कहानियां बड़े पैमाने पर कैसे बाल या कम उम्र की उस विषमलैंगिक विवाह की चर्चा में लुप्त हो जाती हैं। यह चर्चा सिस-विषमलैंगिक मानी जाने वाली किशोर लड़कियों के शैक्षिक और स्वास्थ्य अधिकारों से जुड़ी है – देर से शादी होने और शिक्षा जारी रखने के सुझावों से – ताकि भविष्य में वे बेहतर पत्नियां व मांएं बनें और साथ ही समाज की उपयोगी और कमाऊ सदस्य भी। न केवल कम उम्र में बल्कि जबरन शादी के सवाल, और बच्चों पर पैदाइशी/ निर्धारित और वैवाहिक परिवारों की हिंसा के सवाल को उस नव-उदारवादी एजेंडे से अलग करने की ज़रूरत है, जो विकास का बोझ उस किशोर लड़की पर डालता है जिसे कम उम्र में शादी से बचाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में सामाजिक परिवर्तन के लिए उसका बतौर साधन इस्तेमाल हो सके।

वैवाहिक बलात्कार का विमर्श और भी अधिक प्रासंगिक हो जाएगा यदि इसका विस्तार किया जाए और इसे विशेष रूप से क्वीयर/ ट्रांस व्यक्तियों के संदर्भ में बच्चों के जबरन और कम उम्र में शादी से जोड़ा जाए।

इस अध्याय के खंड III, IV और V में विशेष संदर्भों से जुड़ी चर्चा हमें ऐसे निष्कर्ष तक पहुंचाती है जो क़ानूनी उम्र के सवाल से परे है। ये संदर्भ हमें एहसास दिलाते हैं कि किसी का वयस्क बनना, या उसके साथ वयस्क जैसा व्यवहार किया जाना, उसकी स्वायत्तता, वित्तीय स्वतंत्रता और/ या विरासत, अंतरंगता का अधिकार, और इनके लिए लाज़मी साथियों और अन्य लोगों के एक समर्थक समुदाय तक पहुंच – इन पहलुओं पर रोक लगाना क्वीयर/ ट्रांस लोगों के प्रति किया जाने वाला वह मौलिक इनकार है जिसका वे सामना करते हैं, इस रिपोर्ट में वर्णित तरह-तरह के हिंसा-भेदभाव से गुज़रते हैं। इन परिस्थितियों में, पैदाइशी/ निर्धारित परिवार और उसके प्रभाव क्षेत्र वे स्थान बन जाते हैं जिन्हें छोड़ने या जहां से भागने के लिए व्यक्तियों को मजबूर किया जाता है – चाहे जबरन प्रवास के द्वारा या एक “घुमक्कड़” बनकर, जिसका शामली ने ज़िक्र किया – और जिसके लिए उसे टोका जाता है, क्योंकि वह केवल पैतृक घर के बाहर ही सुरक्षित महसूस करती थी। जो भी हो, घर का एक ऐसे स्थान के रूप में मनाने के सभी कारण – देखभाल के, अपनेपन के, वह जगह होने के जहां हमें जाना जाता है – टूट-बिखर जाते हैं। क्वीयर/ ट्रांस व्यक्ति को इन संसाधनों को स्वयं, कहीं और, बटोरना होगा। तो फिर, एक विस्थापित वयस्कता ही जीवित रहने की एकमात्र उम्मीद है। और उस वयस्क को, जिसने तब तक शायद अपने समुदाय और देखभाल नेटवर्क को ढूंढ लिया हो, निश्चित रूप से ज़िम्मेदार माना जाता है अपने उसी परिवार की सहायता करने के लिए जिसने उसे अस्वीकार और अमान्य कर दिया था।

निष्कर्ष

पैदाइशी/ निर्धारित पारिवारिक हिंसा के क़िस्मों और हदों को समझ लेने के बाद ही हम इससे जूझ सकते सकते हैं। इसके लिए बड़ी मात्रा में इनके मिथकीकरण और रहस्यमयीकरण के साथ-साथ घर, परिवार, अपनेपन, भरोसे के मायनों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। गवाहियां सुनने के बाद न्यायमूर्ति प्रभा ने उस लोकप्रिय धारणा पर अपनी प्रतिक्रिया को याद किया कि घरेलू हिंसा की शिकायतें परिवारों को नष्ट कर देती हैं, इसकी बनिस्बत उन्होंने कहा कि "परिवार उस वक़्त नष्ट हो गया था जब शिकायतकर्ता पर अतिक्रमण किया गया।" शामली ने भी पीड़ा से लैस स्पष्ट शब्दों में कहा – "अपनों का [हिंसा] बहुत लगता है"। इसलिए, चुने गए परिवारों की पुनर्कल्पना ज़रूरी है। जन्म के घर से जुड़ी अंतरंगता, देखभाल और अपनेपन के ख़यालों को लेकर दोबारा सोचने की ज़रूरत है। शामली ने अपने तनावपूर्ण रिश्ते की बात की उस पैदाइशी घर के साथ , जो शायद ही कभी घर महसूस हुआ हो: "दिन ढलने पर हर कोई अपने बच्चों से मिलने के लिए घर जाने के लिए दौड़ रहा होता है। लोग कहते हैं कि शामली घुमक्कड़ है, उसे लम्बा रास्ता लेना ज़्यादा पसंद है। कोई यह नहीं समझता कि जो घर सुरक्षित होना चाहिए, वह हमें सुरक्षित नहीं लगता। जल्दी घर पहुंचने से बचने के लिए अपनी पीठ में तकलीफ़ के बावजूद हम 18 किमी गाड़ी चलाकर जाते हैं। जाने से पहले पूछते हैं कि क्या अब आना ठीक है। अपने पिता के शराब पीने के लिए बाहर जाने का इंतज़ार करते हैं... एक ही छत के नीचे लेकिन पूरी तरह से अलग-थलग रहना कैसा होता है? हम मां-बाप के साथ रहते हैं। शाम को 9 बजे घर जाते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, नहाकर अगली सुबह 9 बजे बाहर आ जाते हैं।" लेकिन ऐसे लोगों के संगठन और समुदाय जो पहले अजनबी थे, घर की भावना को अधिक सार्थक ढंग से प्रदान कर सकते हैं। ताहिर एक एलबीटी संगठन के बारे में कहता है जहां उसे अपने हिंसक और ज़ोर-ज़बरदस्ती करने वाले परिवार से आश्रय मिला:

"मैं यहां ज़्यादा ख़ुश हूं, जो मैं करना चाहता हूं कर सकता हूं , इसलिए मुझे लगता है कि ये लोग मेरा परिवार हैं और मेरे पैदाइशी परिवार ने मुझे कभी वह नहीं दिया जो मेरे पास यहां है।" हालांकि क्वीयर/ ट्रांस लोगों को अपने चुने हुए परिवारों और समुदायों में आश्रय और सहायता मिल जाती है, इन रिश्तों को कोई सामाजिक या क़ानूनी मान्यता नहीं दी जाती है। ऐसा आश्रय ढूंढ पाना भी आसान नहीं होता।

इसलिए व्यावहारिक स्तर पर घर और परिवार की नई पेरिभाषा के लिए आश्रयों (गरिमा गृह) जैसे सार्वजनिक संस्थानों और फ़ॉस्टर देखभाल सेवाओं के निर्माण और सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ उन ग़ैर सरकारी संगठनों और सीबीओ के साथ साझेदारी की आवश्यकता होगी जो फ़िलहाल अधिकांश संकट हस्तक्षेप कार्य कर रहे हैं। मगर नए क़ानूनों, नीतियों या संस्थानों को विवाह, रक्त, प्रजनन और विषमपितृसत्तात्मक परिवारों की आधिपत्यवादी धारणाओं को पीछे छोड़ते हुए इन सभी ढांचों को पहचानना-स्वीकारना होगा – ग़ैर-जैविक आत्मीयता के रिश्तों और घरेलू साझेदारी की हक़ीक़तों के आधार पर बने परिवार-समुदाय, बच्चों सहित या उनके बिना ग़ैर-रोमांटिक रहने के इंतज़ाम, हिजड़ा घराने, लिव-इन रिश्ते, और एकल-अभिभावक, महिला-प्रमुख व एकल व्यक्ति घरों की वास्तविकता। लेकिन भले ही रिश्तेदारी, घर-गृहस्ती, पालन-पोषण, संपत्ति साझाकरण

और विवाह की रूप-रेखा में बड़े बदलाव आ रहे हैं, हमारी सार्वजनिक चर्चा और सामाजिक कल्पना पर अब भी वैवाहिक, प्रजननात्मक अंतर्विवाही परिवार की कल्पना हावी है। ट्रांस एक्ट 2019 ने परिवार को रक्त, विवाह या गोद लेने के आधार पर परिभाषित करने की परंपरा जारी राखी है। 2019 का सरोगेसी अधिनियम भी परिवार के भीतर केवल "परोपकारी" सरोगेसी [यानी अंतर्विवाह-आधारित] की अनुमति देकर पारंपरिक परिवार को मज़बूत करता है जिसमें मां को आर्थिक रूप से मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। यह मातृत्व को एक महान कर्तव्य के रूप में परोपकारितापूर्वक निभाए जाने वाले विचार को पुष्ट करता है, और इसे प्रजनन श्रम के रूप में मानने की धारणा को मिटा देता है जिसकी भरपाई की जानी चाहिए। विदेशों में भारतीय परिवारों के विशेष मामलों में बच्चों के राज्य द्वारा पालन-पोषण पर बहस के माध्यम से विशेष रूप से राष्ट्रवाद के संबंध में मातृत्व के महिमामंडन को रेखांकित किया जा रहा है। हालिया फ़िल्म 'मिसेज़ चटर्जी वर्सस नॉर्वे' ने बस भारतीय मातृत्व के राष्ट्रवादी महिमामंडन और पैदाइशी परिवार के अधिकार को उजागर करने का काम किया है। फिर भी मातृत्व पूरी तरह से विषमलैंगिक महिलाओं के अधिकार क्षेत्र में ही रहता है – जैसा कि कई गवाहियों में सामने आया, शादी और मातृत्व के लिए मजबूर किए गए क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों के बच्चों को अपनी मांओं को बुरी मां के रूप में निंदा करना और उन्हें अस्वीकार करना सिखाया गया, और उन्हें अपने बच्चों की देखभाल कर पाने से वंचित किया गया (शरत का 5 साल का बच्चा पूछता है कि क्या वह मम्मी या पापा है और उसे बुरी मां कहता है)।

हमें पारंपरिक परिवार प्रति राजनीतिक रवैये व नीतियों का विश्लेषण करने की और साथ ही यह समझने की भी आवश्यकता है कि क्यों राज्य और बाज़ार दोनों ही इसकी संरचना और प्रासंगिकता को लेकर ऐसी चुनौतियों के बावजूद इसके साथ बने हुए हैं। संस्थानों और सेवाओं में घटते सार्वजनिक निवेश के हालात में, पारंपरिक परिवार ही बच्चों, बुज़ुर्गों, विकलांगों और बेरोज़गारों को आर्थिक संसाधन, देखभाल और सहायता प्रदान करना जारी रखता है। जब तक संपत्ति विरासत के कानूनों और अन्य वित्तीय दावों (बीमा, पेंशन आदि), स्वामित्व और देनदारियों (ऋण, ईएमआई) को रक्त और रिश्तेदारी के रिश्तों से परे विस्तारित नहीं किया जाता है, तब तक साझा जीवन के नए रूपों की कल्पना करना मुश्किल होगा – तमन्ना की गवाही इस बात की पुष्टि करती है। वह कहती है: "मैं अपने परिवार से अलग रही हूं और मेरा परिवार वह है जिसे मैंने बनाया है। मैं चाहती हूं कि मेरे जीवन में मुख्य निर्णय लेने वाला परिवार यही हो। हर बात के लिए है, चाहे आप अस्पताल में हों या कहीं और...कल मैं डाकघर गई थी। मैंने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के बारे में पूछा, कि क्या मैं उसके तहत संयुक्त खाता खोल सकती हूं । उन्होंने कहा, नहीं, यह केवल जीवनसाथी के साथ ही हो सकता है। और उनके पास जीवनसाथी की बहुत स्पष्ट परिभाषा है। इसलिए मैं इसे अपने मित्र के साथ संयुक्त खाता नहीं रख सकती।" उसे चिंता है कि वह अपनी संपत्ति अपने चुने हुए परिवार के लिए नहीं छोड़ पाएगी, "जिनसे मैं जुड़ी हूं...जो मेरे असली रिश्तेदार हैं...वे ही हैं जिन्होंने हर समय मेरा साथ दिया...यह मेरे दिमाग़ में बहुत स्पष्ट है लेकिन अगर मैं कल मर जाऊं तो क़ानून के अनुसार ऐसा नहीं होगा।" लेखा और तेज को यह भी फ़िक्र है कि उनके रिश्ते को विरासत क़ानूनों द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी। तेज चिंता करता है: '...जिस घर में मैं रहता हूं वह मेरे पिता ने उपहार में दिया था, अगर मैं मर गया, तो वे घर और बच्चों को छीन लेंगे। मैं नहीं चाहता कि लेखा इस घर को छोड़े। मैं चाहता हूं कि उसे औपचारिक तौर पर वे अधिकार मिलें जो मैंने दिए हैं।' जहां कुछ क्वीयर/ ट्रांस व्यक्तियों के लिए ये अधिकार विवाह की संस्था से, और उसमें शामिल हो पाने की गहरी आकांक्षा से जुड़े हैं, अन्य लोग बुनियादी नागरिक

अधिकारों की तलाश करते हैं, जो उनकी राय में विवाह से नहीं जोड़े जाने चाहिएं। लेखा कुछ आशा के साथ कहती है: "मेरा एक सपना है। मैं शादी करना चाहती हूं, सिंदूर और मंगलसूत्र पहनना चाहती हूं। परिवार अब भी धमकाता है। शादी से इसमें मदद मिलेगी... तेज से मेरे दो बच्चे हैं जो मुझे अपनी मां की तरह प्यार करते हैं और मेरे सामने बड़े हुए हैं। मुझे यूं साथ रह पाने के लिए बस थोड़े-से समर्थन की आवश्यकता है।"

हालांकि कई गवाह रिश्तों और साझेदारियों में थे, जिनके लिए वे पहचान और सम्मान हासिल करना चाहते थे, केवल लेखा ने शादी और उसके चिन्हों के बारे में एक ख़ास सपने के रूप में बात की। उदाहरण के लिए, लहर ने नागरिक और आर्थिक अधिकारों को विवाह से शायद अलग करने की ज़रुरत की बात की, क्योंकि कई लोग शादी करने की इच्छा नहीं रखते हैं: "मुझे नहीं लगता कि मैं शादी करना चाहती हूं, लेकिन इसके अलावा कोई क्या कर सकता है? बैंक खातों और बीमा वगैरह के पेचीदे मामले होते हैं।"

हालांकि परिवार अक्सर देखभाल के अपने भार को संभालने में विफ़ल रहता है (जैसा कि गवाहियां बताती हैं) औपचारिक संस्थागत संरचनाओं को बदलना होगा, इस बदलाव को शामिल करने के लिए जो पहले ही हो चुका है – जैसे कि चिकित्सीय सहमति (जो वास्तव में वित्तीय ज़िम्मेदारी के सवाल से जुड़ी हुई है) पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। लेखा ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि क्या तेज को उसके लिए चिकित्सा निर्णय लेने की अनुमति दी जाएगी: “मेरे परिवार ने कभी भी मेरा समर्थन नहीं किया। इसलिए यदि मैं बीमार हूं या अस्पताल में भर्ती हूं तो मेरे साथ हिंसक व्यवहार करने वाले परिवार से सलाह नहीं ली जा सकती। मेरे बारे में निर्णय लेने के लिए तेज से सलाह की जानी चाहिए। मुझे यह अधिकार चाहिए।" ये उचित चिंताएं हैं क्योंकि न तो क़ानून और न ही सामाजिक प्रथा क्वीयर/ ट्रांस संबंधों को विषमलैंगिक विवाह या यहां तक कि लिव-इन रिलेशनशिप के बराबर वैध या समकक्ष मानती है। बानू बताती है कि उनका मान मालिक ‘हमें बस स्वतंत्र रूप से रहने वाली दो लड़कियां समझते हैं, पार्टनर नहीं। हमने उनसे कहा कि हम एक परिवार हैं लेकिन उन्होंने हमारा मज़ाक उड़ाया और कहा, “तुम लोग? केवल एक पुरुष और एक महिला [परिवार हो सकते हैं]।”...यहां तक कि जब हम अस्पताल जाते हैं तो हमें अपने नाम “दोस्त” या “चचेरी बहन” के रूप में दर्ज करने पड़ते हैं। हमने एक वाहन ख़रीदा है और उसके लिए भी वह मेरा नाम [सह-मालिक के रूप में] नहीं जोड़ सकती।’

परिवार की पुनर्कल्पना को सक्षम करने के लिए बदलाव न केवल क़ानून और नीति के स्तर पर, बल्कि कुछ मौजूदा ढांचों और प्रणालियों के तहत भी होने पड़ेंगे, जिससे ये क्वीयर/ ट्रांस व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध हो सके। इसके लिए चाहिए पैदाइशी परिवार की देखभाल के प्राकृतिक स्थल के रूप में कल्पना को लेकर आमूल-चूल पुनर्विचार – जिसकी ओर प्रेरित करती हैं ये गवाहियां, जो वर्णन करती हैं कि परिवारों ने किस तरह ज़िन्दगियों को बिगाड़ा। ऐसे पुनर्विचार-पुनर्कल्पना के बिना वैकल्पिक संस्थाएं-सेवाएं किसी काम की नहीं नहीं होंगी क्योंकि वे केवल पारिवारिक प्राधिकार का विस्तार बनकर रह जाएंगी। जैसा कि लहर ने कहा: "भविष्य के लिए कोई टेम्पलेट नहीं हैं... इसलिए हमें उन्हें बनाने के लिए एक साथ आते रहना होगा।"

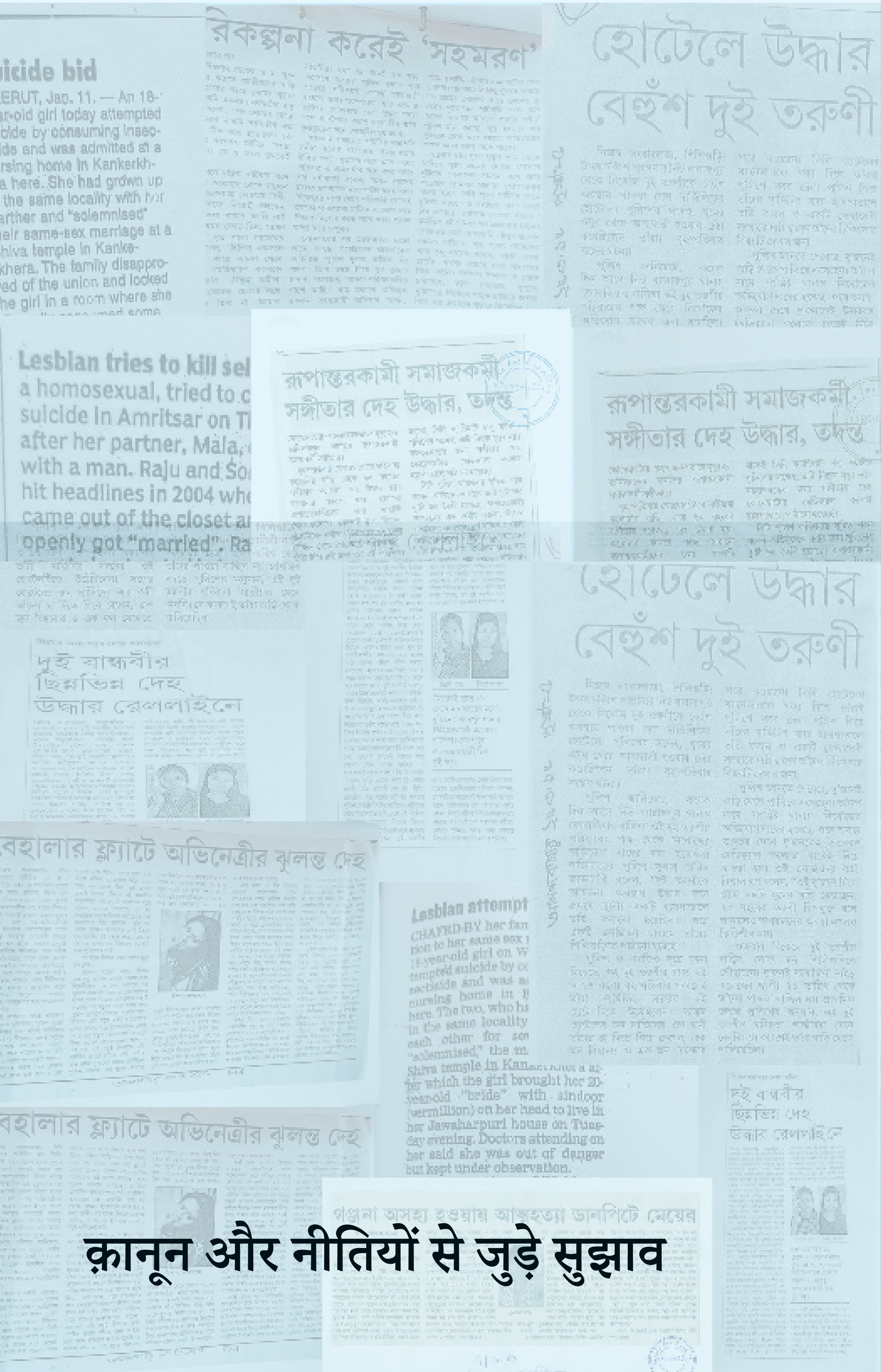

क़ानून और नीतियों से जुड़े सुझाव

इसके बारे में मैंने घरेलू हिंसा के विषय को देखते समय बात की है। आम तौर पर लोग कहते हैं कि जब शिकायत करने वाली पुलिस के पास जाती है, तो वह परिवार को तोड़ देती है। मैं कहती हूं कि यह तो तभी हो गया जब हिंसा हुई। सत्ता थोपने वाले लोग क्या चाहते हैं? मारपीट करके क्या वे प्यार और निष्ठा जीतना चाहते हैं? यह एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती। इस सत्ता जमाने का क्या मतलब है, सत्ता थोपने का उद्देश्य क्या है? उस भागीदार की कहानी जहां पार्टनर ने भी धोखा दिया बहुत भावुक करने वाली है।

हमें परिवार शब्द की परिभाषा दोबारा करनी पड़ेगी। यह सिर्फ़ हमें जो दिखाई देता है वो नहीं है - हम दो हमार दो। परिवार कोई भी ऐसी इकाई हो सकती है जो साथ में रहती है, और संभवतः एक ही जगह पर सोती और खाती-पीती है। मुझे नहीं पता कि यह परिभाषा पर्याप्त है या नहीं, मुझे यकीन नहीं है।

सभी भागीदारों को ज़िन्दाबाद। मुझे नहीं लगता कि जो कुछ भी होता है, उससे आपको डरना चाहिए। मैंने आज तक जितना देखा है, उससे कहीं ज़्यादा हौंसला आपने मुझे दिखाया है। आशा करती हूं कि आप सब को वो जगह मिले जहां आप विश्वास और प्यार कर सकें। इस समय मैं क़ानूनी, विधिशास्त्र के आधार पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। मैं सुबह से ही उस जगह पर नहीं रह पाई हूं।

सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश प्रभा श्रीदेवन

अपनों का बहुत लगता है

"जैसा कि जस्टिस कृष्णा अय्यर ने सही कहा: क़ानून का उद्देश्य है समाज का कल्याण स्थापित करना – और एक ऐसा समाज जिसके सदस्य कल्याण में और खुश हैं, को एक न्यायपूर्ण समाज कहा जा सकता है। यह कहना न्याय के साथ समझौता करना है कि कुछ सदस्य, कुछ समूह, कुछ अल्पसंख्यकों, कुछ लोगों के पास कल्याण नहीं है: और दूसरी ओर, वे दुर्भाग्य से पीड़ित हैं। इसलिए यह स्वयंसिद्ध है कि क़ानून को, यदि उसे अपनी पालना करनी है, एक संतुष्ट गतिशील समाज का निर्माण करना होगा जो तुरंत अपने सदस्यों को न्याय देता हो।"

नालसा बनाम भारत संघ, (2014) 5 एससीसी 436 - अनुच्छेद 127

इस रिपोर्ट के पिछले अध्यायों में, जिनमें पैदाइशी और वैवाहिक परिवार में हिंसा के प्रकार, और सरकार तथा सामाजिक व्यवस्था से सहयोग की कमी के बारे में बात की गई है, हमें इस सवाल पर लेकर आते हैं कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नालसा फ़ैसले (2014) में जेन्डर पहचान के संदर्भ में स्व-निर्धारण की उद्घोषणा, सहमतिपूर्ण समलिंगी यौनिक रिश्तों के ग़ैर-अपराधिकारण (2018) और ट्रांसजेन्डर अधिनियम (2019) बनने, हांलाकि उसमें कमियां हैं, के बावजूद, हमने क्वीयर ट्रांस समुदायों से जो भी सुना वो ऐसा प्रतीत करवाता है जैसे कि क़ानून और समाज जस-का-तस स्थिर है।

हांलाकि सर्वोच्च न्यायालय में विवाह में बराबरी के विषय पर सुनी जा रही याचिकाओं के संदर्भ में इस पैनल को स्थापित किया गया था, पिछले अध्यायों में शामिल क्वीयर ट्रांस लोगों के अनुभव हमें बताते हैं कि स्व-निर्धारण के संवैधानिक वादे को पूरा करने के लिए अंतरंग रिश्तों को केवल मान्यता देना भर काफ़ी नहीं है। जहां ज़रूरी है कि समलैंगिक अंतरंग रिश्तों को विवाह की परिभाषा के अंतर्गत मान्यता दी जाए, गवाहों की ज़िंदगियों और आवाज़ तथा पैनल के अपने अनुभवों से स्पष्ट है कि, क़ानून में और व्यापक बदलावों की कल्पना की जाए।

स्व-निर्धारित जेन्डर पहचानों और रिश्तों को मान्यता न देने से क्वीयर और ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की अवहेलना होती है। विवाह और परिवार की पारंपरिक समझ के बाहर, क़ानूनी मान्यता-प्राप्त रिश्ते बनाना, ज़रूरत पड़ने पर क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों के निर्णयों और रुचियों को सहयोग देना बेहद ज़रूरी है।

क्वीयर और ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों के विभिन्न अधिकारों को मान्यता देने वाले सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों के बावजूद, न केवल परिवार इन पहचानों को मानने से इंकार कर रहे हैं, बल्कि वे उन लोगों को सज़ा भी दे रहे हैं जो अपनी पहचान और यौनिकता को व्यक्त करना चाहते हैं। सरकारी तंत्र भी क्वीयर और ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा करने में विफ़ल रहा है। पुलिस, शिक्षा संस्थान, अस्पताल, वित्तीय संस्थान न केवल समलैंगिक और ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों के अधिकारों को पहचानने में बल्कि उनके वैधानिक कर्तव्यों और न्यायिक आदेशों को लागू करने में भी अपनी भूमिका पूरी करने में विफ़ल रहे हैं।

क्वीयर और ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों को वो जी पाएं, उसके लिए क़ानून को इन सिफ़ारिशों पर विचार करना होगा।

सम्पूर्ण नागरिकता का दावा

गवाहियों के दौरान हमने देखा कि परिवार के सदस्यों या सरकारी संस्थानों द्वारा वयस्क व्यक्तियों के साथ संपूर्ण नागरिकता रखने वाले वयस्क की तरह व्यवहार नहीं किया जा रहा था। कई क्वीयर और ट्रांस लोग इतनी परेशानी का सामना कर चुके हैं कि उन्हें ख़ुद भी नहीं लगता कि उनके पास अपनी पूरी नागरिकता का दावा करने का अधिकार है। एक स्पष्ट घोषणा और समझ बनानी ज़रूरी है कि देश के वयस्क नागरिकों के रूप में उन्हें अपनी पहचान और क़ानूनी और संवैधानिक अधिकारों का दावा करने का पूरा अधिकार है।

अक्सर देखा जाता है कि हाशिये के लोगों का ढांचागत दमन उनसे वह शक्ति और विश्वास छीन लेता है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए जो क़ानून के अंतर्गत अनिवार्य है। यह उन मामलों में सबसे ज़्यादा स्पष्ट हुआ है, जहां युगल, या कोई एक पार्टनर सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय के पास गए, और न्यायालय ने, दोनों पार्टियों के स्पष्ट वक्तव्य कि वे अपने पैदाइशी परिवार में लौटना नहीं चाहते, के बावजूद उन्हें वापस जाने के निर्देश दिए, चाहे वो छोटे ही समय के लिए हो। हर एक मामले में, पुलिस, न्यायालय या किसी भी और संस्थान की पहली प्रतिक्रिया होती है कि वयस्क व्यक्ति को उसके पैदाइशी परिवार में वापस भेजेने के लिए दबाव बनाया जाए।

इसलिए, इस बात पर दोबारा ज़ोर देने की ज़रूरत है कि सभी वयस्क जो अपने जेन्डर और यौनिकता का ख़ुद चुनाव करते हैं उन्हें ऐसा करने का अधिकार है जिसमें किसी बाहरी एजेंसी के पास इससे इंकार करने की शक्ति नहीं है।

परिवार की नई परिभाषा

क़ानून में परिवार की परिभाषा है, वे लोग जो केवल “विवाह, जन्म या अभिग्रहण” से एक-दूसरे से रिश्ता रखते हैं, और यह परिवार, जो कि सिसजेन्डर और विषमनियामक है, बच्चों पर और लगभग सभी वयस्कों के लिए भी, पूरी सत्ता और नियंत्रण का बवंडर बना रहता है। जैसा कि पैनल ने देखा, क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों के मामलों में, इस शक्ति के आधार पर परिवारों ने भारी हिंसा और नियंत्रण किया है। हमने बार-बार यह बात सुनी कि परिवार की इस अवधारणा को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है और “परिवार चुनने” का अधिकार होना चाहिए जिससे कि उसके सदस्य गरिमा और निजिता के साथ जी सकें।

जैसा कि दीपिका सिंह बनाम प्रशासनिक ट्राइब्यूनल और अन्य में कहा गया "पारिवारिक रिश्ते घरेलू, अविवाहित साथी या क्वीयर रिश्तों का रूप ले सकते हैं। मां-बाप में से एक से भी कुटुंब बन सकता है जिसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें शामिल है पति/ पत्नी का देहांत, अलग हो जाना, या तलाक हो जाना। इसी तरह, बच्चों के अभिभावक और देखरेख

करने वाले (जिन्हें पारंपरिक रूप से "मां" और "बाप" की भूमिकाएं दी गई हैं) पुनर्विवाह, गोद लिए जाने, या पालन के आधार पर बदल सकते हैं। प्रेम और परिवार के ये रूप, हो सकता है प्रारूपी न हों, लेकिन यह भी उतने ही सच्चे हैं जितने कि इनके पारंपरिक स्वरूप। पारिवारिक इकाई के इन अप्रारूपी स्वरूपों को न केवल क़ानून के अंतर्गत बराबर की सुरक्षा मिलनी चाहिए, बल्कि सामाजिक कल्याण कानूनों के अंतर्गत सभी लाभ भी मिलने चाहिए।

यौन प्रवृत्ति और जेन्डर पहचान के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों को लागू करने के योग्यकर्ता सिद्धांत, जिनका संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय ने नवतेज जौहर के मामले में लिया था, के अंतर्गत विशिष्ट रूप से अनिवार्य है कि सभी देश क़ानूनी, प्रशासनिक व अन्य कदम उठाएं जो परिवार स्थापित करने के अधिकार को सुनिश्चित करते हों, जिनमें ऐसे परिवार भी शामिल हैं जो वंश या विवाह से परिभाषित न हों। समलैंगिक विवाह या पंजीकृत पार्टनर्शिप या विषमलिंगी पार्टनरों को जो भी लाभ उपलब्ध हैं, वे समलैंगिक पार्टनर्स को भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

कई गवाहों ने बताया कि वे ऐसे समुदायों में रहते हैं जहां ज़रूरी नहीं है कि लोग आपस में अंतरंग रिश्तों में हों।

क्वीयर और ट्रांसजेन्डर लोगों को अपना परिवार चुनने का अधिकार देना होगा जो केवल विवाह, जन्म या अभिग्रहण पर आधारित न हो। हो सकता है कि कोई देखरेख करने वाले या एक-दूसरे पर निर्भर करने वाले लोगों के साथ घरेलू ज़िम्मेदारियां बांटने के लिए किसी के साथ रहने का चुनाव करे। ऐसे लोग जो बिना किसी असहमति या बिना किसी को नीचा दिखाए प्यार, देखभाल और रिश्तेदारी निभाते हैं और लेते हैं। हो सकता है कि आप इन लोगों के साथ अंतरंग रिश्ते में न हों, लेकिन वे आपके दोस्त हो सकते हैं, ग़ैर-अंतरंग रिश्तों का आपका चुना हुआ समुदाय।

क़ानून के लिए पारंपरिक परिवार से बाहर ऐसे चुनाव नए नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 में एक व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति को अ1oपना प्रतिनिधि नामित करने को मान्यता दी गई है जो कि उनकी अक्षमता की स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल उपचार के दौरान उनके अग्रिम निर्देशों को लागू करवा सकते हैं। यह एक ऐसा कदम है जो पैदाइशी या वैवाहिक परिवारों को अब तक दी गई प्राथमिकता को दूर करता है और इसे क़ानून के अंतर्गत परिवार की समझ के लिए भी लागू किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 को 2020 में संशोधित किया गया और उसमें कृषि भूमि के उत्तराधिकारी के रूप में तीसरे जेन्डर के लोगों (पार्टनर या औलाद के रूप में) को शामिल किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की अग्रिम निर्देशों को लागू करने से संबंधित संशोधित मार्गदर्शिका (2023) में प्रावधान है, कि जहां किसी मरीज़ ने अग्रिम निर्देश नहीं किये हैं, वहां चिकित्सक परिवार और “निकटतम दोस्त” से चर्चा करके मरीज़ की ज़रूरतों के आधार पर उपचार की आगे की रूपरेखा बना सकते हैं।

अपना परिवार चुनने के अधिकार का केवल यह मतलब नहीं है कि देखरेख करने और ज़िम्मेदारियां बांटने के लिए किसी को चुनना, बल्कि इसका मतलब यह भी होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी की आय और संपत्ति का नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी हो। किसी को संपत्ति उपहार में दे पाना, बैंक से संयुक्त लोन ले पाना, अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामांकित करना, मृत्यु या चिकित्सा बीमे में लाभार्थी नामांकित करना, सेवानिवृत्ति, पेंशन के

लाभ और अन्य सामाजिक, क़ानूनी तथा आर्थिक अधिकार और हक जो परिवार के सदस्यों को मिलते हैं।

इस पैनल के सामने जिन गवाहों ने अपनी बात रखी वे ऐसे लोगों के साथ रह रहे थे, जो विवाह या अभिग्रहण के कारण उनसे रिश्ता नहीं रखते। उनकी देखरेख और उन्हें सहयोग ऐसे लोगों से मिल रहा था, जो ज़रूरी नहीं उनके साथ अंतरंग रिश्ते में थे। कुछ बिना किसी क़ानूनी मान्यता के कई सालों से अपने पार्टनर के साथ रह रहे थे। किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उनके जीवन का हिस्सा था, उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति पर कोई हक और अधिकार न रह जाने का डर भी व्यक्त किया गया। ऐसे अधिकारों को परिवार की परिभाषा में शामिल करने से विरासत और हकों को सुनिश्चित किया जा सकता है।

निर्धारित परिवार से अलग होने का हक़

परिवार चुनने के अधिकार का मतलब है पैदाइशी परिवार से अलग होने का अधिकार भी होना चाहिए। जैसे कि हमने पिछले अध्यायों में देखा, क्वीयर और ट्रांसजेन्डर लोगों ने अपने परिवार के हाथों हिंसा का सामना किया जिसमें शारीरिक, मानसिक और यौनिक शोषण शामिल है। मां-बाप व रिश्तेदार बलात्कार की धमकी या “बदलने” के लिए बलात्कार का भी अक्सर उपयोग करते हैं। जैसा कि इस पैनल ने देखा, कई गवाह अपने परिवार को छोड़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें न तो ख़ुद और न ही परिवार की ओर से उसका हिस्सा होने की भावना महसूस हो रही थी; लेकिन न समाज और न ही क़ानून उनको यह विकल्प देता है। जैसे कि ऊपर कहा गया है, न्यायालय, पुलिस और अन्य संस्थान इस हिंसा और उसके शारीरिक तथा मानसिक सलामती पर होने वाले प्रभावों के बारे में जानते हुए भी उनसे वापस परिवार में जाने के लिए कहते हैं।

हांलाकि वयस्कता का क़ानूनी मतलब होना चाहिए कि व्यक्ति अपने चुनाव ख़ुद कर सके, लेकिन क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान न होना कि व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ कर अपने चुनाव से परिवार बना सकता है - इसके कारण क्वीयर और ट्रांसजेन्डर लोगों के जीवन में यह समझ नहीं झलकती।

अपने परिवार को छोड़ पाने की क्षमता का मतलब होगा बिना किसी डर के जी पाना कि उन्हें ज़बरदस्ती वापस ले जाया जाएगा, दोस्त/ पार्टनर होने का अधिकार, पुलिस और सरकारी तंत्र से उम्मीद कर पाना कि वे ग़ैर-क़ानूनी हिरासत से उस व्यक्ति को छुड़ा सकेंगे।

इसका यह भी मतलब है कि परिवार को किसी भी स्थिति में व्यक्ति या उनकी संपत्ति और आमदनी पर कोई अधिकार नहीं होगा।

हमने लोगों से सुना कि अमानवीय हिंसा होने के बावजूद उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपनी पूरी या आंशिक कमाई उन्हें देंगे। कई सालों से अपने पैदाइशी परिवार के साथ न रहते हुए भी, लोगों के पास अधिकार नहीं है कि वे अपनी कमाई और संपत्ति उन्हें दे सकें जिनके साथ वे पार्टनर या दोस्त की तरह रहते आए हैं। इसलिए, जितना ज़रूरी अपना चुना हुआ परिवार होना है, उतना ही ज़रूरी है पैदाइशी परिवार से अलग होने का अधिकार।

इस अधिकार को और योग्य बनाने के लिए ज़रूरी है कि संपत्ति और अन्य अधिकारों की बन्दोबस्ती करने की क़ानूनी क्षमता भी प्रदान की जाए। जैसा कि कुछ गवाहों के वक्तव्यों में देखा जा सकता है, उन्हें ऐफ़िडेविट के माध्यम से अपने अधिकार छोड़ने के लिए कहा गया। परिवार से स्वतंत्रता पाने की आवश्यकता अक्सर लोगों को दबाव में आकर अपने अधिकार त्यागने के लिए मजबूर कर देती है और उनका मानना है कि यह त्याग क़ानूनी रूप से उचित है।

पारिवारिक बन्दोबस्ती जैसी अवधारणाओं को, उसके अंदर मौजूद सत्ता संबंधों को ध्यान में रखते हुए, और अधिक परखने की ज़रूरत है, जिससे कि यह बन्दोबस्ती सबके लिए न्यायसंगत रहे।

विरासत और संपत्ति के अधिकारों को तय करने का हक़

ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों के गवाहों ने विरासत से बेदखल और संपत्ति के अधिकार से वंचित करने की धमकियों के बारे में बात की। हिन्दू गवाहों से पैतृक और पारिवारिक संपत्ति से उनका दावा छुड़वाने के लिए ऐफ़िडेविट बनवाए गए। इन क्वीयर और ट्रांस लोगों के साथ हो रहे शोषण और हिंसा के कारण वे ऐसी स्थिति में भी नहीं थे कि वे इन ऐफ़िडेविट की क़ानूनी वैधता को चुनौती दे सकें।

एक मुसलमान गवाह, जो कई दशकों से एक अंतरंग रिश्ते में रह रही थीं, ने बताया कि वे अपनी संपत्ति अपने पार्टनर के नाम नहीं छोड़ सकतीं क्योंकि निजी क़ानून इसकी इजाज़त नहीं देते। वो ऐसा विकल्प चाहती थीं, कि उनके जीवित रहते उन्हें अपनी संपत्ति हस्तांतरित न करनी पड़े। उनकी पार्टनर को उनके परिवार की मान्यता न होने के कारण वो अपनी संपत्ति उन्हें उपहार में नहीं दे सकतीं और उन्हें और अगर वो संपत्ति उनके नाम करना चाहती हैं तो उन्हें ज़्यादा पंजीकरण फ़ीस देनी पड़ेगी ।

क्वीयर और ट्रांस लोगों के अपना परिवार चुनने के अधिकार की मान्यता यह सुनिश्चित करेगी कि सभी अधिकार और हक मिल सकें - जैसे कि सेवानिवृत्ति, नौकरी करते हुए बीमारी या मृत्यु पश्चात के लाभ, जिनमें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत ग्रेच्युटी और चिकित्सीय लाभ और बीमा योजनाएं शामिल हैं।

अपने परिवार की संपत्ति में हिस्सा खो देने और अपने पार्टनर की संपत्ति/ हकों की विरासत न मिल पाने के डर को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि संपत्ति और विरासत के क़ानूनी ढांचे की पुनः कल्पना की जाए।

क़ानून ने हिजड़ा घराना परंपराओं को देखना चाहिए कि अपने चुने हुए समुदाय में किस तरह से संपत्ति हस्तांतरित और कायम रखी जाती है, जिसे कई उच्च न्यायालयों ने क़ानूनी मान्यता दी है।

शादी करने का अधिकार

मौजूदा क़ानून में नया परिवार बनाने के लिए केवल विवाह के माध्यम को मान्यता दी गई है और क्वीयर तथा ट्रांस लोगों के लिए परिवार शुरू करने का कोई और तरीका नहीं है। अंतरंग रिश्तों को विवाह की मान्यता देने से नया परिवार बनाया जा सकता है। यह क़ानूनी रचना सुनिश्चित करती है कि इसमें शामिल लोगों के अधिकार और हक, परिवार में शामिल दूसरे लोगों को मिल सकें। जैसा कि पूरी रिपोर्ट में शामिल गवाहियों में देखा जा सकता है, क्वीयर और ट्रांस लोगों को या तो उनके पैदाइशी परिवार त्याग देते हैं या उन्हें ख़ुद को व्यक्त करने और अपने तरीके से ज़िंदगी जीने की इजाज़त नहीं देते। ख़ासकर ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि अंतरंग युगलों को क़ानून के ढांचे में शामिल किया जाए।

जहां परिवार को पुनर्परिभाषित करने का मतलब होगा कि विवाह की मौजूदा अवधारणा के बाहर परिवार बनाने के नए तरीके बनाना, वहीं गवाहों को शादी का अधिकार दिया जाना भी ज़रूरी समझा गया। शादी करने का मतलब होगा कि अंतरंग रिश्ते को सामाजिक स्वीकार्यता मिलेगी, जिससे कि लोग अपने पैदाइशी परिवारों में लौटने के डर से मुक्त ज़िंदगी जी पाएंगे।

अंतरंग रिश्ते को शादी के रूप में क़ानूनी मान्यता देने से क्वीयर और ट्रांस लोगों को अपने पैदाइशी परिवारों में उनके अधिकारों का दावा करने की ताक़त मिलेगी। विवाह परिवार शुरू करने का बिन्दु है, और विवाह तथा परिवार से मिलने वाले अधिकार क्वीयर तथा ट्रांस लोगों को मिल पाएंगे। चिकित्सीय आपातकालीन स्थितियों में अपने पार्टनर के लिए निर्णय ले पाने की क्षमता, बच्चे गोद ले पाने की क्षमता, और विरासत में संपत्ति मिलना – ये ऐसे अधिकार हैं जो अभी केवल विषमलिंगी युगलों को प्राप्त हैं, जबकि ये सभी को उपलब्ध होने चाहिए।

विवाहित और परिवार का हिस्सा होने का मतलब होगा कि पैदाइशी परिवार की हिंसा और शोषण से सुरक्षा के लिए राजकीय तंत्र जैसे कि पुलिस से मदद ली जा सकेगी। इन रिश्तों की विवाह के रूप में क़ानूनी मान्यता पुलिस स्टेशनों, सार्वजनिक अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों तक भी पहुंचेगी जिससे कि क्वीयर और ट्रांस लोग इन सब तक पहुंच स्थापित कर सकेंगे।

विशेष विवाह अधिनियम (स्पेशल मैरिज एक्ट) 1954

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 जो कि आज के समय में धर्म-निरपेक्ष विवाह के लिए उपलब्ध क़ानून है, के अंतर्गत अनिवार्य है कि विवाह के एक माह पहले, ज़िले के विवाह अधिकारी को विवाह की मंशा का नोटिस दिया जाए, जिसमें कम-से-कम एक पार्टी उस ज़िले में कम-से-कम 30 दिनों से रहती आई हो। इसके अलावा, अगर नोटिस किसी अन्य ज़िले को दिया जाता है तो विवाह अधिकारी को उस ज़िले के विवाह अधिकारी को नोटिस भेजना होगा, जहां व्यक्ति का स्थायी निवास है।

एक क्वीयर और ट्रांस युगल, जो अपने पैदाइशी परिवार के नियंत्रण और शोषण से दूर होना

चाहते हैं, इसके कारण एक बार फिर पैदाइशी परिवार को उनके जीवन पर नियंत्रण करने का मौका मिल जाएगा। एक महीने की नोटिस की अवधि परिवार के लिए पुलिस के साथ मिलीभगत करने के लिए पर्याप्त समय है, जैसा कि हमने गवाहियों में भी सुना जहां युगल को एक-दूसरे से ज़बरदस्ती अलग करके उन्हें वापस उनके पैदाइशी परिवारों में भेज दिया गया।

इसके अलावा, क़ानून में विवाह के लिए किसी को भी आपत्ति करने की इजाज़त है। हांलाकि क़ानून में स्पष्ट लिखा है कि आपत्ति के कारण ऐसे होने चाहिए जो क़ानूनी मान्यता रखते हों, लेकिन अन्तर्जातीय और अंतरधर्म विवाहों में देखा गया है कि जाति और धर्म ही आपत्ति का कारण बनाए जाते हैं। आपत्ति केवल पति या पत्नी द्वारा ही ली जानी चाहिए और यदि पति या पत्नी ऐसी आपत्ति लेने में असमर्थ है तो पंजीकृत विवाह क़ानूनन अमान्य होगा। अगर विवाह ज़बरदस्ती पंजीकृत किया जा रहा है तो विवाह कार्यालय को प्रभावी ढंग से सहमति का निर्धारण करना चाहिए और इसके अलावा ऐसा विवाह भी क़ानूनन अमान्य किया जा सकता है।

विवाह की सहमति विवाह करने वाली पार्टियों द्वारा दी जानी चाहिए जहां दूसरा व्यक्ति उससे इंकार न करता हो। इसलिए, किसी को विवाह के पंजीकरण पर आपत्ति करने का अधिकार देने का और कोई कारण नहीं है बजाए इसके कि यह पैदाइशी परिवार को इस विवाह का पंजीकरण रोकने का मौका देता है।

क्वीयर ट्रांस लोगों के संदर्भ में एक और स्थिति पैदा हो सकती है कि उनके आधार कार्ड और 10वीं कक्षा या स्कूल के सर्टिफिकेट में अलग नाम और जेन्डर दर्ज़ हों, जिसके कारण उनके विवाह की अर्ज़ी/ सर्टिफ़िकेट अस्वीकृत किया जा सकता है। अस्वीकृति केवल दो दस्तावेज़ों के न मिलने के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। या तो दस्तावेज़ों को एक-दूसरे के आधार पर ठीक करने का तरीका या ऐफ़िडेविट का प्रारूप उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

बच्चे के लिए हिंसा-मुक्त घर का हक़

बच्चों के अधिकारों और जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने वाला एक सिद्धांत है बच्चे का सर्वोत्तम हित। लेकिन, इस सर्वोत्तम हित को हमेशा पैदाइशी परिवार के ढांचे के अंतर्गत ही देखा जाता है। पैदाइशी परिवार को ही बच्चे का सर्वोत्तम हित माना जाता है और परिवार के अंदर हिंसा ऐसा कारण नहीं है जिसके आधार पर सर्वोत्तम हित निर्धारित किया जाए, यहां तक कि विवाह क़ानून के तहत बच्चा किसे दिया जाएगा ऐसे मामलों में भी।

पैनल ने क्वीयर और ट्रांस लोगों के दु:ख को सुना जिनका ज़बरदस्ती विषमलिंगी विवाह करवा दिया गया और उनके साथ ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाए जाने के कारण उस वैवाहिक रिश्ते से उनके बच्चे भी हैं। कई सालों तक शोषण और उत्पीड़न का सामना करने के बाद विवाह के रिश्ते से बाहर निकलने पर बच्चे के अभिग्रहण का मामला अनिश्चित हो गया। ऐसे एक मामले में क्वीयर ट्रांस व्यक्ति को बच्चे का अभिग्रहण नहीं दिया गया क्योंकि यह बच्चे के सर्वोत्तम हित में नहीं माना गया। बच्चे को भी समझा-बुझला कर यही विश्वास दिला दिया गया। एक अन्य मामले में, वयस्क हो जाने पर बेटे ने अपनी मां के खिलाफ़ मामला दायर कर उसे अपने चुने हुए साथी के साथ न रहने का आदेश देने की मांग की। इन सब मामलों को सुनकर देखा गया

कि क्वीयर या ट्रांस होने से ही व्यक्ति को न सिर्फ़ अभिरक्षा के लिए, बल्कि बच्चे से मिलने के अधिकार के लिए अयोग्य मान लिया जाता है। क्वीयर या ट्रांस अभिभावक के साथ होना ही बच्चे के सर्वोत्तम हित में नहीं माना जाता।

क्वीयर और ट्रांस बच्चों की स्थिति तो और भी ज़्यादा अनिश्चित है जिनके पास अपने पैदाइशी परिवार को छोड़ने का विकल्प ही नहीं होता। निर्धारित जेन्डर पहचान से अलग बच्चों द्वारा अपनी जेन्डर पहचान और अपनी यौनिकता व्यक्त करने का चयन करने की विडंबना यह है कि परिवार उन्हें और भी ज़्यादा नियंत्रित और दमनकारी विषमलिंगी विवाह के लिए मजबूर करते हैं। किशोरावस्था और 20 की उम्र के आसपास के गवाहों ने बताया कि कैसे उनका विवाह 14 वर्ष की उम्र में कर दिया गया जब उनके मां-बाप को पता चला कि वे निर्धारित जेन्डर को स्वीकार नहीं कर रहे हैं या उन्हें समलिंगी रिश्तों में आकर्षित होते हुए देखा।

हांलाकि बाल कल्याण कमिटी के निर्देश पर बच्चे को फ़ॉस्टर केयर और बच्चों को रखने वाले संस्थानों में भेजे जाने का अधिकार है और बाल कल्याण कमिटी के पास शक्ति है कि वे परिवार को बच्चे की देखरेख के लिए अयोग्य घोषित कर सकते हैं, जिन भी मामलों में लोग छोटी उम्र से ही हिंसा का सामना कर रहे थे, उनमें हमने एक भी उदाहरण नहीं सुना जहां बच्चे की ओर से या ख़ुद बच्चे ने बाल कल्याण कमिटी से संपर्क किया हो। हाशियाकरण इस हद तक है कि जहां 4 या अधिक व्यक्तियों की शादी 14 साल की उम्र में कर दी गई, वहीं अन्य को बलात्कार की धमकी दी गई, अमानवीय शारीरिक हिंसा की गई और एक भी मामला सामने नहीं आया जिसमें या तो चाइल्ड हेल्पलाइन या बाल कल्याण कमिटी से संपर्क करने का प्रयास किया गया हो।

जिन मामलों में ऐसे बच्चों की स्थिति पुलिस के ध्यान में लाई भी जाती है, वहां बच्चे को पैदाइशी परिवार को वापस सौंप देने की ही योजना रहती है। परिवार को एक ऐसी इकाई के रूप में देखा जाता है जो हमेशा बच्चे के सर्वोत्तम हित में काम करता है।

पैदाइशी परिवार द्वारा हिंसा का शिकार हुई औलाद के इस संदर्भ में ही परिवार और विवाह को पुनः परिभाषित करना ज़रूरी हो जाता है। अगर विषमनियामक समझ से बाहर रिश्ते, समुदाय और पार्ट्नर्शिप बनाए जाते हैं, तो क्वीयर और ट्रांस बच्चों के लिए सुरक्षित जगहों का भी विस्तार किया जा सकता है।

अल्पायु क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों के लिए सुरक्षित आश्रय और फ़ॉस्टर केयर

बच्चों को सुरक्षित घरों में रखा जाना चाहिए जहां उनके साथ जेन्डर ग़ैर-अनुरूपता और यौनिक प्रवृत्ति के आधार पर भेदभाव और हिंसा न की जाए। हांलाकि क़ानून में विशेष आश्रय की बात की गई है, बच्चों को अक्सर आब्ज़र्वैशन होम में भेज दिया जाता है, जहां क्वीयर और ट्रांस बच्चों को सुरक्षित जगह प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट सुरक्षा नहीं दी जाती।

जेन्डर ग़ैर-अनुरूपी बच्चों के लिए अगर ऐसे कोई उपयुक्त बाल आश्रय उपलब्ध नहीं हैं, तो इन बच्चों को वयस्क क्वीयर और ट्रांस लोगों के आश्रय में जगह दी जानी चाहिए। तमिल नाड में घरेलू हिंसा पर काम कर रही ग़ैर-सरकारी संस्थाओं ने बाल कल्याण कमिटी से इस प्रकार के आदेश लिए हैं।

किशोर न्याय (देखरेख और बच्चों की सुरक्षा) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बाल देखरेख

संस्थान वर्तमान में उन बच्चों (6-18 वर्ष उम्र) को फ़ॉस्टर केयर परिवारों के लिए पात्र मानते हैं जिनके मां-बाप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, जिनके मां-बाप असाध्य बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनके मां-बाप जेल में हैं और जो घरेलू हिंसा का शिकार हैं (जिसमें भावनात्मक, शारीरिक और यौनिक शोषण शामिल है)।

उचित सरकारों ने फ़ॉस्टर केयर के लिए मॉडेल दिशानिर्देश, 2016 को इस तरह से लागू करना चाहिए कि वह पैदाइशी पारिवारिक हिंसा के संदर्भ को पहचान सके, जो समलैंगिक और ट्रांस या जेन्डर ग़ैर-अनुरूपी बच्चों को फ़ॉस्टर केयर में रखे जाने के लिए पात्र बनाती है।

जैसा कि दिशानिर्देशों में कहा गया है कि बच्चे को यथासंभव समान सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश और जातीय समूह वाले फ़ॉस्टर परिवारों में रखा जाना चाहिए, तो ऐसे अल्पायु बच्चों के लिए क्वीयर और ट्रांस परिवारों को फ़ॉस्टर केयर में पात्र माना जाना चाहिए।

क़ानून के अनुसार, जो फ़ॉस्टर परिवार क्वीयर और ट्रांस या जेन्डर ग़ैर-अनुरूपी बच्चों को स्वीकार करती हैं उन्हें प्रायोजकता के रूप में उचित सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जाना चाहिए।

क्वीयर और ट्रांस मुद्दों पर काम करने वाली ग़ैर-सरकारी संस्थाओं की भूमिका अत्यावश्यक है और निर्णय लेने की प्रक्रिया के हर चरण में उन्हें शामिल रखना चाहिए: पात्र बच्चों की सूची बनाने से लेकर, घरों के अध्ययन की रिपोर्ट से लेकर बच्चे, फ़ॉस्टर परिवार और बाल देखरेख संस्थान की काउन्सिलिंग तक।

वयस्क होने पर बच्चों के हक़

आश्रित बच्चे

कई वयस्क हो चुके बच्चों, जो अभी भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, ने अपना डर बताया कि अगर उन्होंने अपनी जेन्डर और यौनिक पहचान बता दी तो उनकी ज़बरदस्ती शादी कर दी जाएगी या उनकी शिक्षा रोक दी जाएगी। एक गवाह, जो अपने पैदाइशी परिवार के शहर से अलग शहर में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, ने बताया कि उन्हें कॉलेज की फ़ीस देने के लिए हमेशा अपने मां-बाप के साथ समझौते करने पड़ते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वे हमेशा इस डर में जीते हैं कि कहीं उनकी पहचान के बारे में उनके परिवार को पता न चल जाए।

हांलाकि जो "बेटियां" अपने निर्धारित जेन्डर के अनुरूप जीती हैं वे शिक्षा और निवास जारी रखने के लिए न्यायालय के पास जा सकती हैं, लेकिन "बेटों" के भरण-पोषण या आश्रय के लिए क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

भरण-पोषण और आश्रय का अधिकार उन सभी बच्चों को मिलना चाहिए जो अपने जेन्डर और यौनिकता के चुनाव के कारण हिंसा, उपेक्षा या अपने पारिवारिक घरों से निकाले जाने के डर में जी रहे हैं, जब तक कि उनकी शिक्षा पूरी न हो जाए या एक उचित आयु हो जाने तक।

एचआईवी संबंधी भेदभाव और ट्रांसजेन्डर अधिकारों पर मौजूदा क़ानून सीमित संदर्भों में निवास के अधिकार की रक्षा करते हैं। क़ानून के इस नियम को अपने पैदाइशी परिवारों पर

निर्भर क्वीयर और ट्रांस वयस्क हो चुकी औलाद के निवास के अधिकार की रक्षा के लिए लागू किया जाना चाहिए।

जिन पर परिवार निर्भर है

ऐसे मामले भी सामने आए जहां जिन वयस्क हो चुकी औलाद के साथ पारिवारिक हिंसा की जा रही थी, उन्हीं से उम्मीद थी कि वे परिवार का भरण-पोषण करें और अपनी कमाई मां-बाप को दें। हांलाकि क़ानून में सीआरपीसी की धारा 125 और मां-बाप और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के अंतर्गत औलाद द्वारा मां-बाप के भरण पोषण के अधिकार को मान्यता दी गई है, लेकिन उन औलाद को इससे छूट दी जानी चाहिए जिनके साथ उनके क्वीयर या ट्रांस होने के कारण उनके मां-बाप हिंसा कर चुके हैं या कर रहें हैं।

राजकीय संस्थाओं से सुरक्षा की मांग करने का हक़

जिन स्थितियों में क्वीयर और ट्रांस लोग हिंसा से बचने या अपने पार्टनर के साथ रहने के लिए, अपनी मर्ज़ी से पैदाइशी घर को छोड़ते हैं, वहां उनके पैदाइशी परिवार उन्हें वापस लाने के लिए पुलिस की मदद लेते हैं। परिवार अक्सर गुमशुदा व्यक्ति की शिकायत दर्ज़ करते हैं, जिसके आधार पर पुलिस उनको ढूंढती है। समस्या तब आती है जब वयस्क क्वीयर ट्रांस लोगों को पुलिस उनके पैदाइशी घर में वापस लौटने के लिए मजबूर करती है। वयस्क के रूप में उनके स्पष्ट वक्तव्य, कि वे वापस लौटना नहीं चाहते, इसके बावजूद पुलिस द्वारा अपहरण और चोरी का केस दर्ज़ किए जाने की धमकी के कारण उन्हें मजबूरन घर वापस आना पड़ता है

पुलिस और पैदाइशी परिवार की मिलीभगत ऐसे मामलों में भी देखी जा सकती है जब पुलिस ज़ोर देती है कि व्यक्ति को शिकायत दर्ज़ किए गए पुलिस स्टेशन में आकर वक्तव्य देना पड़ेगा, जबकि सीआरपीसी की धारा 161 में कहा गया है कि वे जहां भी रहते हैं वहीं से ऑडियो-विडियो के माध्यम से अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

इसके अलावा, पैदाइशी परिवार के कहने से पुलिस अपहरण और चोरी का मामला दर्ज़ करके उन्हें हिरासत में लेने की धमकी देती है, यदि वे अपने पैदाइशी घर में वापस नहीं जाते - यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीआरपीसी की धारा 41 और 41ए के अंतर्गत अनावश्यक गिरफ़्तारियों को रोकने के लिए पुलिस को दिए गए आदेश का उल्लंघन है।

पैनल के सामने यह भी बताया गया कि जब क्वीयर और ट्रांस व्यक्ति पैदाइशी परिवार से सुरक्षा या एफआईआर दर्ज़ करने के लिए पुलिस के पास जाते हैं, तो वे उनकी मदद नहीं करती। बल्कि, पुलिस तुरंत उनके पैदाइशी परिवार को सूचित कर देती है और उन्हें पुलिस स्टेशन बुलवा लिया जाता है। ज़्यादातर मामलों में पुलिस उन्हें उनके पैदाइशी परिवार को सौंप देती है या उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर करती है।

जो मामले हमने सुने उनमें से ज़्यादातर में, हमने पाया कि पुलिस क़ानून के अनुसार तभी चलती है जब न्यायालय उन्हें ऐसा करने के उचित आदेश देते हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने धनक ऑफ ह्यूमैनिटी व अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार व अन्य डब्ल्यू. पी. (सीआरएल) 1321/2021 मामले में, शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ, (2018) 7 एससीसी 192 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करते हुए, राज्य सरकारों को निर्देश दिए कि वे क्वीयर और ट्रांस जोड़ों के लिए सुरक्षित आश्रय की स्थापना सहित निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपाय अपनाएं। लेकिन, ऐसे निर्देश पूरे देश में उपलब्ध नहीं हैं और ज़रूरी है सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में इन्हें लागू किया जाए।

इसके अतिरिक्त, ग़ैर-सरकारी संस्थाओं के सदस्यों ने कुछ ज़िला न्यायालयों से प्राप्त आदेश और निर्देशों के अपने अनुभव के बारे में बताया कि गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट वाले मामलों में, एक बार पुलिस को भागे हुए क्वीयर और ट्रांस युगलों का वक्तव्य मिल जाता है कि वे वयस्क हैं और उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से पैदाइशी परिवार को छोड़ा है, मामले को तुरंत बंद किया जाना चाहिए और पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उस रिश्ते में कोई और हस्तक्षेप न करें। सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में पुलिस को यह निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे पैदाइशी परिवारों द्वारा इस प्रकार की शिकायतें दर्ज़ करके क़ानून का दुरुपयोग करना बंद करें।

लोगों की कहानियों से पता चलता है कि पुलिस क्वीयर और ट्रांस लोगों की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए न सिर्फ़ क़ानून के निर्देशों की अवज्ञा करती है, बल्कि घर छोड़ने या अपने चुने हुए साथियों के साथ रहने का निर्णय लेने वाले क्वीयर और ट्रांस लोगों को धमकाने के लिए क़ानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग करती है।

पुलिस से क़ानूनी स्तर पर जवाबदारी मांगी जानी चाहिए और ऐसी गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ़ कड़ी कार्यवाही की जाए।

आश्रय का अधिकार - किराये के घर और सुरक्षित निवास

कई गवाही देने वाले लोगों ने घर पर हिंसा से बचने के लिए घर छोड़ कर दूसरे शहरों में आने के बाद आश्रय की चिंता के बारे में बात की। एक व्यक्ति ने बताया कि वे 19 दिन रेल्वे प्लेटफ़ॉर्म पर रहे क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी।

घर छोड़ने के लिए मजबूर सभी लोगों के लिए सुरक्षित और किफ़ायती आश्रय उपलब्ध कराया जाना चाहिए क्योंकि यह उनके जीवन के लिए अत्यावश्यक है।

कुछ क्वीयर और ट्रांस लोग अकेले घर छोड़ते हैं और कुछ अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ। गवाहों ने बताया कि उन्हें उनकी जेन्डर पहचान और यौन प्रवृत्ति के कारण किराये पर घर नहीं मिलते जिसके कारण वे विवाहित युगल की तरह एक-दूसरे के साथ नहीं रह सकते।

ट्रांसजेन्डर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019 और उसके 2020 के नियमों के अंतर्गत किफ़ायती घरों के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, जिससे कि उचित सरकारें जोखिम-में व्यक्तियों के लिए किफ़ायती घरों, आश्रय और सामुदायिक

केंद्र उपलब्ध करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार करें, जहां उन्हें खाना, सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता मिल सके।

पारिवारिक हिंसा से बचने के लिए घर छोड़ने वाले युगलों और व्यक्तियों, जिसमें क्वीयर और ट्रांस लोग, अंतर-धर्म और अंतर-जातीय युगल शामिल हैं, के लिए सरकार को सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाना चाहिए।

ऐसे आश्रय घरों की आवश्यकता है जहां वे थोड़े समय से लेकर, किराये पर, और लंबे समय तक रह सकें चूंकि क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों और युगलों को आसानी से घर किराये पर नहीं मिलते।

किराये का घर देने से मना करने को क्वीयर और ट्रांस लोगों के प्रति भेदभाव के नज़रिए से देखा जाना चाहिए और इस पर प्रतिबंध और रोक लगाई जानी चाहिए।

राज्य सरकारों को जेन्डर पहचान और यौन प्रवृत्ति को आधार बनाए बिना, सभी व्यक्तियों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए गरिमा गृह कल्याण योजना की तर्ज़ पर सुरक्षित घर उपलब्ध कराने चाहिए।

घरेलू हिंसा का शिकार महिलाओं के लिए बनाए गए वन-स्टॉप क्राइसिस सेंटर पैदाइशी परिवारों में हो रही हिंसा से बच कर निकलने वाली सिस लेस्बियन युगलों के लिए भी खुले होने चाहिए।

उचित स्वास्थ्य देखभाल का हक़

हमने कई ऐसी गवाहियां सुनीं जहां लोगों को “कन्वर्जन (बदलने के लिए) थेरपी” के लिए मजबूर किया गया, संस्थानों में भेज दिया गया और अनावश्यक तथा हानिकारक प्रक्रियाओं का भी सामना करना पड़ा।

साथ ही कई लोगों ने गवाही में कहा कि इस शोषण और हिंसा और अलग-अलग तरह के भय के साथ जीने के कारण उनके मानसिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़े। इसके बावजूद उनकी ज़रूरतों के मुताबिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध नहीं थी और थी भी तो इतनी महंगी कि ज़्यादातर लोग उसका खर्च वहन नहीं कर सकते थे।

ज़िला मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्डों को सक्रीय करना ज़रूरी है, जो सुनिश्चित करें कि जिन क्वीयर और ट्रांस लोगों के मां-बाप इसे एक बीमारी की तरह देखते हैं, उनके लिए इन-पेशन्ट सुविधाएं कैद न बन जाएं।

यौन प्रवृत्ति तथा जेन्डर पहचान के आधार पर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के ग़ैर-भेदभाव संबंधित प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करना होगा, जैसा कि नवतेज सिंह जौहर के मामले में न्यायालय ने व्याख्या की है।

क्वीयर लोगों के यौनिक एवं प्रजनन अधिकारों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हाल में किए गए देश की यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की एक समीक्षा से पता चला है कि ज़्यादातर सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं की रूपरेखा ही ऐसी है कि वे

केवल विवाहित, विषमलिंगी महिलाओं की ज़रूरतें पूरी कर सकें और इसलिए वे एकल तथा क्वीयर महिलाओं के लिए सुलभ नहीं हैं।

विशेष तौर पर, यौनिक हिंसा के मामलों में पोस्ट-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस वर्तमान में केवल सिस महिलाओं को दिया जाता है जबकि यह सुधारात्मक बलात्कार और यौनिक हिंसा का शिकार हुए ट्रांस पुरुषों को भी दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में क्वीयर, ट्रांसजेन्डर और जेन्डर ग़ैर-अनुरूपी किशोरों को भी सेवाएं दी जानी चाहिए।

क्वीयर और ट्रांस व्यक्ति जिन्हें ट्रांस-स्वीकारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है वे उनकी स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े कलंक के परिणामस्वरूप और अधिक अलगाव होने तथा हिंसा के बढ़ने के डर से अपने जीवन के इस पहलू को अपने पैदाइशी परिवारों के साथ साझा नहीं करते। यह मुद्दा एक गवाह ने कोविड के दौरान अपने मित्र के उपचार के संदर्भ में उठाया था। पैदाइशी परिवार से विमर्श किया जा रहा था लेकिन उन्हें मरीज के स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि उन्होंने अपने पैदाइशी परिवार को कुछ नहीं बताया था।

एक बार फिर यह अन्य प्रकार के चुने हुए परिवारों को मान्यता दिए जाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जहां तक ज़रूरी स्वास्थ्य देखरेख मिलने का सवाल है, जहां व्यक्ति अपने प्रतिनिधि को नामित कर सके जो उनके लिए स्वास्थ्य संबंधित निर्णय ले सकें, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम में कहा गया है।

इसका यह भी मतलब है कि स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली को संवेदनशील होना होगा कि वे केवल उन्हीं लोगों के सामने खुलासा करें जिनके लिए ट्रांस व्यक्ति ने स्वीकृति दी हो।

सामाजिक सुरक्षा-संबंधी हक़

हिंसात्मक पैदाइशी परिवारों से रिश्ता तोड़ने के साथ ही उसके सदस्यों को मिली सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं भी खत्म हो जाती हैं। हिंसा के कारण जब क्वीयर और ट्रांस व्यक्ति अपने घर छोड़ते हैं, तो उन्हें आर्थिक सहयोग से काट दिया जाता है और अक्सर वे शैक्षिक योग्यता भी पूरी नहीं कर पाते, जिससे उनके नौकरी मिलने के अवसर भी प्रभावित होते हैं।

उचित सरकारों को वे सभी ज़रूरी कदम उठाने चाहिए जिससे कि अपने पैदाइशी परिवारों में हिंसा का सामना करने वाले लोगों को उस स्थिति में रहने के लिए मजबूर न होना पड़े, सिर्फ़ इसलिए कि उनके पास स्वतंत्रता से जीने के विकल्प नहीं हैं। क्वीयर और ट्रांस लोगों को पूर्ण गरीबी से बचाने के लिए सामाजिक सुरक्षा की एक मज़बूत प्रणाली बेहद ज़रूरी है।

ट्रांसजेन्डर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत कहा गया है कि ट्रांस व्यक्तियों, विशेष रूप से उनकी सामाजिक और आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उचित सरकारों को कदम उठाना ज़रूरी है। इस अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए 2020 नियम स्पष्ट करते हैं कि उचित सरकारों को स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आश्रय, खाद्य सुरक्षा, पेंशन, रोजगार और आर्थिक सेवाओं में शामिल करने के लिए कल्याणकारी कदम उठाने चाहिए।

हिंसात्मक पैदाइशी परिवारों से भागने वाले क्वीयर और ट्रांस लोगों के लिए ज़रूरी है कि वे अपनी शिक्षा पूरी कर पाएं: उन्हें सहयोग (जिसमें हॉस्टल में रहना शामिल है) देने की ज़रूरत है।

राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना और अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत कारखानों/ प्रतिष्ठानों के बंद होने के कारण औपचारिक क्षेत्र में नौकरी खोने वाले व्यक्तियों के लिए बेरोज़गारी बीमा मिलता है। अपने पैदाइशी परिवारों से रिश्ता तोड़ने और घर छोड़ने के लिए मजबूर क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों की शिक्षा और रोज़गार के अवसरों में बाधा आने पर ध्यान देते हुए, सरकार द्वारा ऐसे वंचित समूहों को विनाश से बचाने के लिए एक अलग बेरोज़गार बीमा योजना बनानी ज़रूरी है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पेंशन योजनाएं आम तौर पर संगठित कार्यक्षेत्र के वृद्ध लोगों, विक्लांगता के साथ जी रहे लोगों और विधवाओं की गरीबी हटाने पर ध्यान देती हैं। सरकार को क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों जैसे वंचित समूहों को भी सुरक्षा देनी चाहिए, जिनकी विशिष्ट संवेदनशीलता उनकी उम्र पर आधारित नहीं है क्योंकि उन्हें ऐतिहासिक रूप से काम की दुनिया से वंचित रखा गया है, उनके पैदाइशी परिवारों द्वारा छोड़ दिया गया है और अक्सर उन्हें बुढ़ापे में देखरेख के लिए मजबूरन अपने दोस्तों, सामुदायिक समूहों और चुने हुए परिवारों पर निर्भर करना पड़ता है।

क्वीयर और सभी जेन्डर के ट्रांस लोगों को राशन कार्ड तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्य प्रावधान उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों को ज़िला सामाजिक कल्याण विभाग से स्वयं सहायता समूह, कम/ बिना ब्याज के ऋण आदि की मदद मिलनी चाहिए, जिससे कि वे छोटे व्यापार शुरू कर सकें या पहले से चल रहे व्यापार का विस्तार कर सकें।

ज़िला विधिक सेवा विभाग से वर्तमान में सिस महिलाओं को निःशुल्क क़ानूनी सेवाएं दी जाती हैं जो हर राज्य में उपलब्ध हैं, और 3-4 राज्यों में क़ानूनी सेवाएं अधिनियम में संशोधन के बाद ट्रांस लोगों के लिए भी उपलब्ध हैं। ज़रूरी है कि वे क्वीयर और ट्रांस युगलों को सहयोग दें जिसमें ऐसे मामलों में समझौता कराना भी शामिल हो, जहां स्थानीय पुलिस पैदाइशी परिवार की मदद कर रही हो।

अपने ज़रूरी दस्तावेज़ों की प्राप्ति का हक़

क्वीयर और ट्रांस लोग अक्सर विकट परिस्थितियों में हिंसक परिवार और घरों को छोड़ते हैं, जहां उनके पास अपने ज़रूरी दस्तावेज़ इकट्ठा करने का मौका नहीं होता (स्कूल/ विश्वविद्यालय रिकार्ड, आधार, ड्राइवर लाइसेन्स, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आई. डी. आदि)। आवास, शिक्षा, रोज़गार, यात्रा करने और अन्य सामाजिक और आर्थिक लाभों के पंजीकरण के लिए यह दस्तावेज़ ज़रूरी हैं।

शिवानी भट्ट बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य, जनहित याचिका (सीआरएल) संख्या. 2133/2015 (आदेश दिनांक 05.10.2015) में, यह सुनिश्चित करने के लिए

कि घर से भागे एक ट्रांस पुरुष व्यक्ति पर उसके पैदाइशी परिवार का नियंत्रण न रहे और वे सुरक्षित रूप से अपनी शिक्षा और रोज़गार के लिए अपनी पसंद की जगह पर जा सकें, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मां-बाप को पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड जैसे दस्तावेज़ स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

आंतरिक विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र मार्गदर्शक सिद्धांत (1998) के अंतर्गत राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों के साथ-साथ ग़ैर-सरकारी संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट की गई है कि वे आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को सुरक्षा और सहयोग प्रदान करें। आंतरिक रूप से विस्थापित लोग वे लोग होते हैं जिन्हें सशस्त्र संघर्ष, सामान्यीकृत हिंसा की स्थितियों, मानवाधिकारों के उल्लंघन या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा हो। विशेष रूप से क़ानून के सामने व्यक्ति के रूप में क़ानूनी मान्यता की गारंटी देने के लिए, सिद्धांत 20 के अंतर्गत सभी संबंधित विभागों को वे सभी दस्तावेज़ जारी करने चाहिए जो अधिकारों को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि पासपोर्ट, व्यक्तिगत पहचान, जन्म प्रमाणपत्र व अन्य दस्तावेज़। नए दस्तावेज़ या विस्थापन की प्रक्रिया में खोए पुराने दस्तावेज़ों के बदले नए दस्तावेज़ जारी करने वाले संबंधित विभागों के लिए अनिवार्य है कि वे बिना अनुचित शर्तें लगाए, जैसे कि घर वापस जाने की शर्त लगाना, दस्तावेज़ जारी करें।

उचित सरकारों को सभी ज़रूरी क़ानूनी, प्रशासनिक, न्यायिक व अन्य कदम लेने होंगे जिससे कि वे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क़ानून की वचनबद्धताओं के अनुरूप क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों को ज़रूरी दस्तावेज़ बनाने में सहयोग प्रदान कर सकें - जिन्हें वे संकट की स्थिति में पैदाइशी परिवार छोड़ने के कारण इकट्ठा नहीं कर पाते।

हितधारकों की संवेदनशीलता-प्रशिक्षण के ज़रिए सक्षमकारी माहौल तैयार करना

जैसे कि सुषमा और या बनाम पुलिस कमिशनर मामले में जस्टिस आनंद वेंकटेश के अंतरिम आदेश में कहा गया है, क्वीयर-ट्रांस लोगों और उनके रिश्तों के लिए सक्षमकारी माहौल बनाने के लिए, सरकारी और ग़ैर-सरकारी साझेदारों का संवेदिकरण करना ज़रूरी है, जिसमें न्यायपालिका, पुलिस, जेल प्रशासन, आश्रय घर के अधिकारी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य व्यावसायिक, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, बाल कल्याण कमिटियां, किशोर न्याय अधिकारी, टीचर और अभिभावक शामिल हैं।

হোটেলে উদ্ধার বেহুঁশ দুই তরুণী
রূপান্তরকামী সমাজকর্মী সঙ্গীতার দেহ উদ্ধার, তদন্ত
Lesbian attempt
দুই বান্ধবীর ছিন্নভিন্ন দেহ উদ্ধার রেললাইনে

हमारे पैनलिस्ट

पुलिस और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ़ उनकी शिकायतें नई नहीं थीं। लेकिन, बहुत-से मामलों में डॉक्टरों, काउन्सिलर, आश्रय घरों, बाल कल्याण संस्थानों के अधिकारियों के मन में क्वीयर और ट्रांस लोगों के खिलाफ़ एक जैसी पूर्वधारणाएं और पूर्वाग्रह थे - ऐसी जगहें जो प्रत्येक व्यक्ति और उसकी पहचान के प्रति संवेदनशील मानी जाती हैं।

कुछ अपने नए बनाए हुए परिवारों और दोस्तों के साथ थे और एकजुटता के साथ अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन, अपने पैदाइशी परिवारों के खिलाफ़ शिकायत और नाराज़गी होने के बावजूद, कई लोगों को उनकी स्वीकार्यता की उम्मीद थी। अनुकूलन और स्थिति ऐसी है कि वे उसी प्रतिगामी परिवार के पास लौटने को तैयार हैं अगर वहां उन्हें शर्मिंदगी और हिंसा का सामना न करना पड़े।

कुछ लोग थे जो अपनी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के चलते परिवार और हमजोलियों के बीच संतुलन बनाने में कुशल थे।

कुल मिलाकर, इन लोगों को सुनने और उनसे बात करने से जेन्डर समानता की बारीकियों का मेरा ज्ञान बढ़ा है।

आसिफ़ इकबाल

अपनों का बहुत लगता है

सेवानिवृत्त आदरणीय जस्टिस प्रभा श्रीदेवन, चेन्नई

जस्टिस (सेवानिवृत्त) प्रभा श्रीदेवन वर्ष 2000 से 2010 तक मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थीं। सेवानिवृत्ति के बाद, उन्हें 2011 से 2013 के बीच आईपीएबी (बौद्धिक संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण) की अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उच्च न्यायाधीश के उनके कार्यकाल के दौरान, जस्टिस श्रीदेवन ने अनेक प्रकार के मामले देखे, जिसमें शामिल है नोवर्टिस ग्लीवेक का चर्चित मामला, जहां उन्होंने नोवर्टिस के खिलाफ़ फ़ैसला सुनाया, यह मानते हुए कि भारत की धारा 3 (डी) संवैधानिक रूप से वैध वैधानिक प्रावधान थी। वे एक सफ़ल लेखक और सार्वजनिक बुद्धिजीवी हैं, और अंग्रेज़ी तथा तमिल अखबारों में नियमित तौर पर सामाजिक, क़ानूनी और राजनीतिक मामलों पर लेख लिखती हैं।

आसिफ़ इकबाल, सह-संस्थापक, धनक, दिल्ली

आसिफ़ का विभिन्न साझेदारों, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्थाओं, व्यक्तियों, लोक संगठनों, और ख्यातिपूर्ण अभियानों के साथ काम करते हुए सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण बहु-क्षेत्रीय मुद्दों पर काम करने का समृद्ध अनुभव है। पिछले पच्चीस वर्षों में, आसिफ़ ने प्राकृतिक आजीविका के स्रोतों, आजीविकाओं और बाल अधिकारों के मुद्दों पर काम किया है। आसिफ़ जेन्डर समानता, घरेलू हिंसा, जबरन विवाह, और आस्था के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के मुद्दों पर काम करने वाले विभिन्न समूहों और संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ़ बाल कल्याण कमिटी (दक्षिण दिल्ली) के सदस्य हैं और, धनक के सह-संस्थापक हैं।

दिव्या तनेजा, क्षेत्रीय संयोजक, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सेल, मुंबई

महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सेल 1984 में शुरू किया गया, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान और मुंबई पुलिस का सहभागी कार्यक्रम है जो हिंसा का सामना कर रहे लोगों को मनोवैज्ञानिक-सामाजिक-क़ानूनी सेवाएं देता है, और रणनीतिक तौर पर पुलिस व्यवस्था के अंदर स्थित है। वर्ष 2005 से महाराष्ट्र में गृह विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सेल का तालुका स्तर पर संस्थानीकरण कर दिया गया है। अन्य राज्यों, जैसे कि हरयाणा, राजस्थान और गुजरात में भी इसका संस्थानीकरण कर दिया गया है। दिव्या, और विशेष सेल के सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम ने क्वीयर और ट्रांस लोगों के साथ हुई हिंसा के कई मामलों में हस्तक्षेप करने में मदद की है। यह हस्तक्षेप विशेषकर पैदाइशी परिवारों के साथ बातचीत करने में मददगार रहा है।

कविता कृष्णन, नारीवादी कार्यकर्ता, दिल्ली

कविता कृष्णन मार्क्सवादी नारीवादी और नागरिक स्वतंत्रता कार्यकर्ता हैं और फीयरलेस फ्रीडम (पेंगविन इंडिया, 2020) नामक किताब की लेखिका हैं और साथ ही उन्होंने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लेख लिखे हैं। वह दक्षिणपंथी ताकतों और समाज में पितृसत्ता की विभिन्न संरचनाओं के खिलाफ़ एक शक्तिशाली और उग्र आवाज़ हैं। कविता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन की पोलित ब्यूरो सदस्य और एआईपीडब्ल्यूए की सचिव भी रह चुकी हैं।

मंजुला प्रदीप, जाति-विरोधी नारीवादी कार्यकर्ता, अहमदाबाद

मंजुला प्रदीप भारत में स्थित एक मानव अधिकार वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मंजुला दलित ह्यूमन राइट्स डिफेनडर्स नेटवर्क में कैम्पैन डायरेक्टर हैं और नैशनल काउन्सिल ऑफ विमेन लीडर्स की राष्ट्रीय संयोजक, जो तृणमूल स्तर पर काम करने वाली हाशिये के समुदायों की महिला कार्यकर्ताओं को संगठित और उनके नेतृत्व को सशक्त करता है। वे वाइज़ ऐक्ट ऑफ यूथ विज़निंग एण्ड एन्गेज्मन्ट फाउंडेशन का हिस्सा हैं जो महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके नेतृत्व और क्षमताओं का विकास करने में मदद करता है।

मिहिर देसाई, वरिष्ठ वकील, मुंबई

मिहिर देसाई एक मानव अधिकार वकील हैं, मुंबई उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकील के रूप में काम करते हैं। वे इंडियन पीपल्स ट्राइब्यूनल और ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के सह-संस्थापक हैं। वे इंडिया सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एण्ड लॉ के निर्देशक भी रह चुके हैं और कम्बैट लॉ पत्रिका के सह-संस्थापक भी हैं। उन्होंने फ़र्ज़ी मुठभेड़, सामूहिक हत्याओं, दंगों, हिरासत में मृत्यु आदि के मामले लड़े हैं। वर्ष 2003 में उन्होंने एशियन ह्यूमन राइट्स कमिशन को आदिवासियों की ओर से लड़ने में सहयोग किया, जिससे कि आदिवासी महाराष्ट्र राज्य कृषि कॉर्पोरेशन के दावे की ज़मीन पर कायम रह सकें। 2005/06 में वे आईपीटी दल का हिस्सा थे, जिसने उड़ीसा में सांप्रदायिक हिंसा पर जांच की। वे पीयूसीएल के राष्ट्रीय उप-राष्ट्रपति भी हैं।

परोमिता चक्रवर्ती, नारीवादी शोधक, कोलकाता

डॉ. परोमिता चक्रवर्ती जादवपुर विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी विभाग में प्रोफ़ेसर हैं और वे जादवपुर विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ विमेन्स स्टडीज़ की निर्देशक भी रह चुकी हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से पागलपन के प्रारंभिक आधुनिक विमर्शों पर डॉक्टरेट अध्ययन किया है। वे पुनर्जागरण नाटक, महिलाओं की लेखनी, क्वीयर और फिल्म स्टडीज़ के विषय पढ़ाती हैं। वे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, लिवरपूल, एम्स्टर्डम, बर्मिंगहम, हैदराबाद, दिल्ली में विज़िटिंग फ़ेलो रही हैं। उन्होंने शेक्सपियर के साथ-साथ महिलाओं के अध्ययन पर भी व्यापक रूप से प्रकाशन किया है। उन्होंने स्कूल की किताबों में जेन्डर के चित्रण, यौनिकता शिक्षा, महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा, महिलाएं और एचआईवी तथा एड्स, एकल और बेघर महिलाओं के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है। उनके प्रकाशित कामों में शामिल हैं विमेन कॉनटेस्टिंग कल्चर (स्त्री, 2012), शेक्सपियर एण्ड इंडियन सिनेमास (रूले, 2018), एशियन इन्टरवेनशंस इन ग्लोबल शेक्सपियर (रूले, 2021), और एजिंग एण्ड एजीज़्म (रूले, आगामी)।

वीणा गौड़ा, नारीवादी वकील, मुंबई

वीणा गौड़ा एक महिला अधिकार वकील हैं जो मुंबई के उच्च न्यायालय और निचले न्यायालयों में काम करती आई हैं। नैशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलुरु की स्नातक हैं, और वर्तमान में महिलाओं के क़ानूनी अधिकारों - जैसे कि घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, यौनिक शोषण, और संपत्ति अधिकारों - पर विशिष्ट रूप से कार्यरत वकीलों की टीम की अध्यक्षता कर रही हैं। वे टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान में "एनजेंडेरिंग लॉ एण्ड जस्टिस" कोर्स पढ़ाती हैं।

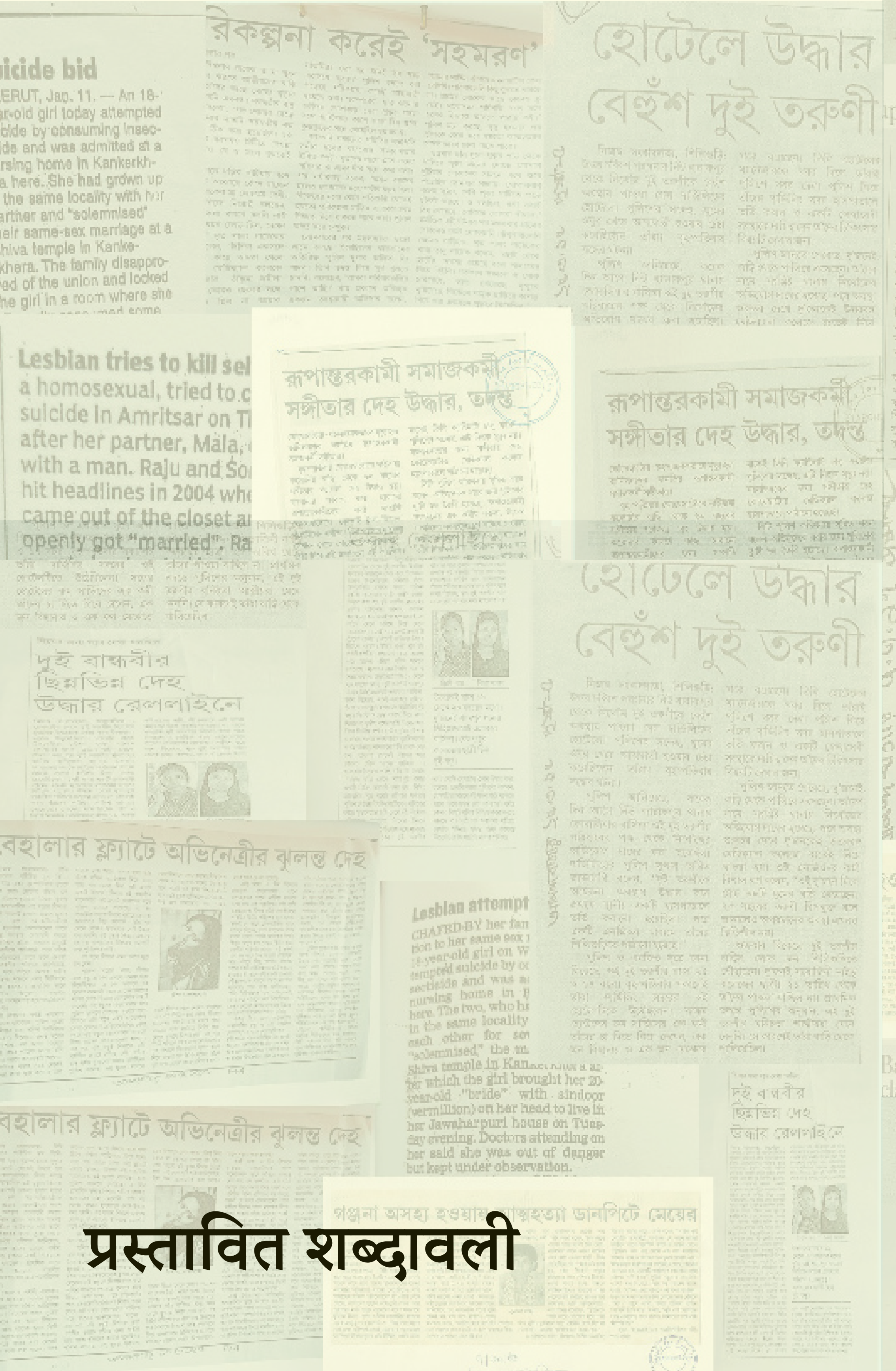

प्रस्तावित शब्दावली

इन आवाज़ों को सुनने वाले एक पैनल के रूप में, हम आयोजकों और गवाहों को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने हम पर इतना भरोसा रखा और हमारे सामने खुलकर बात की। हमारे लिए, यह एक विनम्र करने और सीखने वाला अनुभव रहा। कई कहानियों में, हिंसा हाल ही में हुई थी या अभी भी चल रही थी। हिंसा सख़्त और अविश्वसनीय थी और कई रूप ले चुकी थी, और कई बार वह क्रूर और जीवन के लिए खतरा भी बन गई। हम गवाहों के आने और अपने जीवन के बारे में इतनी खुलकर बात करने के लिए किए गए अपार साहस और सहयोग को पहचानते हैं। न सिर्फ़ इस सुनवाई का आयोजन करने, बल्कि यह सुनिश्चित करने कि यह आराम से हो जाए और सभी लोगों का इतना ध्यान रखने में बहुत बड़ा सामूहिक प्रयास लगा है। हमें उम्मीद है कि यह रिपोर्ट इस हिंसा का दस्तावेज़ीकरण करने और पैदाइशी परिवार द्वारा हिंसा, जेन्डर और जाति आधारित हिंसा, और मानव अधिकार संरचनाओं के विश्लेषण में जोड़ने के लिए कुछ काम आएगी। हमने पुलिस, स्कूल और कॉलेजों, स्वास्थ्य तथा अन्य संस्थानों, और न्यायपालिका की भूमिका की ध्यानपूर्वक जांच की है, यह विश्लेषण करने के लिए कि वे कहां-कहां पैदाइशी परिवार की हिंसा में उसका साथ दे रहे हैं और किन जगहों पर वे ख़ुद परिवार के प्रतिनिधि बन कर क्वीयर और ट्रांस लोगों पर नियंत्रण लागू कर रहे हैं। अंततः, हम उन प्रक्रियाओं को भी नोट करना चाहते हैं जिन्होंने कुछ राहत प्रदान करने में काम किया है और क़ानून तथा नीति के लिए कुछ सुझाव दिए हैं जिससे क्वीयर और ट्रांस लोगों को होने वाली कुछ परेशानियों को कम करने, और संविधान के अंतर्गत हर नागरिक को मिलने वाले अधिकारों में उन्हें पूरी तरह से शामिल करने में मदद मिलेगी।

प्रस्तावित शब्दावली

एलजीबीटीआईक्यूए + मुद्दों की संवेदनशील मीडिया कवरेज के लिए

तमिल नाडु में समुदाय के सदस्यों द्वारा विकसित और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित और सुषमा और अन्य बनाम पुलिस कमिशनर के अंतरिम आदेश से पुनर्प्रकाशित

जनवरी 2022

क्र.	शब्द	विवरण
क. सेक्स से संबंधित शब्द		
1 क	सेक्स	सेक्स का मतलब है व्यक्ति की शारीरिक बनावट, उनके शरीर के बाहरी या अंदरूनी हिस्सों, हॉर्मोन, सेक्स क्रोमज़ोम आदि के आधार पर
2 क	सेक्स विशेषताएं	"सेक्स विशेषताएं" व्यक्ति के शरीर में यौनिक/ प्रजनन लक्षण होते हैं जो उनके सेक्स के आधार पर बने होते हैं। इसमें अन्य पहलुओं के अलावा शामिल है प्रजनन अंग (योनि/ गर्भाशय या पीनिस/ अंडाशय, आदि), सेक्स क्रोमज़ोम (XX, XY, XXY, XYY, XO, आदि), उनके शरीर के प्रमुख सेक्स हॉर्मोन (ईस्ट्रोजन, प्रोजेसटोरोन, टेस्ट्स्टोरोन आदि), अप्रमुख यौनिक विशेषताएं (स्तन, चेहरे के बाल, गहरी आवाज़ आदि)। सेक्स विशेषताएं व्यक्ति की जेन्डर पहचान, अभिव्यक्ति, यौन प्रवृत्ति या यौनिकता को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन यह विशेषताएं इन सब का कारण नहीं होतीं।
क 3	इंटरसेक्स	इंटरसेक्स लोगों की जन्मजात सेक्स विशेषताएं ऐसी होती हैं जो चिकित्सीय और सामाजिक मानदंडों के अनुरूप महिला या पुरुष शरीर में फिट नहीं होतीं। इनमें बाहरी या अंदरूनी प्रजनन अंग, क्रोमोज़ोम प्रारूप, और/ या हॉर्मोन प्रारूप शामिल हैं। इंटरसेक्स व्यक्तियों के लिए कलंकित होने, भेदभाव और हानि पहुंचाए जाने के खतरे बढ़ सकते हैं। **नोट: यह कल्पना कर लेना कि सभी इंटरसेक्स व्यक्ति ट्रांसजेन्डर हैं, गलत है। इंटरसेक्स लोगों की विभिन्न जेन्डर पहचानें, जेन्डर अभिव्यक्ति और यौनिकताएं हो सकती हैं। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ही, इंटरसेक्स लोग ख़ुद ही अपनी जेन्डर पहचान, यौनिकता और यौन प्रवृत्ति निर्धारित करते हैं।**
ख. जेन्डर संबंधित शब्दावली		
ख 1	जेन्डर	"जेन्डर" वो आधार है कि समाज किसी व्यक्ति को कैसे देखता है, जो कि जन्म पे निर्धारित किए गए सेक्स से जुड़े मानदंडों, व्यवहारों और भूमिकाओं पर आधारित होता है। जैसे कि, निर्धारित पुरुष व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वह बड़े हो कर "मर्द" बनेगा और शक्तिशाली तथा दबंग बनेगा; निर्धारित महिला व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वह बड़े होकर "औरत" बनेगी और मधुर तथा पोषक भूमिका निभाएगी। यह एक सामाजिक धारणा है, और प्रत्येक जेन्डर से क्या "अपेक्षा" की जाती है यह हर समाज में अलग होता है और समय के साथ भी बदलता रहता है।

ख 2	जेन्डर पहचान	"जेन्डर पहचान" का मतलब है कि व्यक्ति अपने ख़ुद के जेन्डर को कैसे परिभाषित करते हैं। यह व्यक्ति के जेन्डर के गहरे अंदरूनी अनुभव पर निर्भर करता है। ज़रूरी नहीं है कि यह व्यक्ति के जन्म पर निर्धारित सेक्स, और इस निर्धारित सेक्स या उससे जुड़े जेन्डर से समाज की अपेक्षाओं से मेल रखता हो। "जेन्डर पहचान" ख़ुद निर्धारित की जाती है - यानि कि, व्यक्ति सिर्फ़ ख़ुद ही घोषित कर सकते हैं कि उनकी जेन्डर पहचान क्या है। जेन्डर पहचान के लिए कोई "चिकित्सीय परीक्षण" नहीं है। उदाहरण के लिए, ट्रांसजेन्डर पुरुष, या ट्रांसजेन्डर महिला, या नॉन-बाइनरी व्यक्ति ख़ुद ही यह कह सकते हैं कि उनका जेन्डर क्या है।
ख 3	जेन्डर अभिव्यक्ति	व्यक्ति सार्वजनिक स्तर पर ख़ुद को कैसे व्यक्त करते हैं या अपने जेन्डर को कैसे प्रस्तुत करते हैं वो जेन्डर अभिव्यक्ति होती है। इसमें व्यवहार और बाहरी दिखावट शामिल हो सकती है जैसे कि कपड़े, बाल, मेक-अप, शारीरिक भाषा और आवाज़। किसी व्यक्ति का चुना हुआ नाम और सर्वनाम भी जेन्डर अभिव्यक्ति के आम तरीके हैं। ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति की जेन्डर अभिव्यक्ति उनकी जेन्डर पहचान से मेल रखे। जैसे कि, एक महिला पैन्ट-शर्ट पहनती हो और उसके बाल छोटे हों - जिसे आम तौर पर समाज में "पुरुष" जेन्डर अभिव्यक्ति माना जाता है। एक और उदाहरण: जन्म पे पुरुष जेन्डर निर्धारित व्यक्ति यदि साड़ी पहनते हों, तो ज़रूरी नहीं कि वे ट्रांसजेन्डर महिला हैं। इसके बावजूद वे पुरुष के रूप में अपनी पहचान कर सकते हैं, या नॉन-बाइनरी, या कोई भी अन्य जेन्डर पहचान।
4 ख	जेन्डर ग़ैर-अनुरूपी व्यक्ति	जो लोग (वयस्क या बच्चे [4] पुरुष या महिला के बाइनरी जेन्डर को न मानते हों, और जिनकी जेन्डर अभिव्यक्ति आम जेन्डर मानकों से अलग हो। कुछ मामलों में, किसी की जेन्डर अभिव्यक्ति के कारण अन्य लोग उन्हें जेन्डर ग़ैर-अनुरूपी मान लेते हैं। लेकिन, संभव है कि वे ख़ुद को जेन्डर ग़ैर-अनुरूपी न मानते हों। जेन्डर अभिव्यक्ति और जेन्डर ग़ैर-अनुरूपता स्पष्ट तौर पर व्यक्ति और समाज की मर्दानगी और नारीत्व की धारणाओं से संबंधित हैं।
ख 5	ट्रांसजेन्डर	ट्रांसजेन्डर व्यक्ति की जेन्डर पहचान जन्म के समय निर्धारित उनके सेक्स से मेल नहीं रखती। जन्म के समय लड़का या लड़की निर्धारित किए गए लोग, इंटेरसेक्स लोग, भी ट्रांसजेन्डर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसजेन्डर व्यक्ति जेन्डर निर्धारिकरण चिकित्सीय हस्तक्षेप, जैसे कि हॉर्मोन थेरपी या सर्जरी करवाएं, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के नालसा फ़ैसले (2014) और ट्रांसजेन्डर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम में कहा गया है। नोट: ट्रांसजेन्डर शब्द का उपयोग संज्ञा या नाम की तरह उपयोग न करें। इस शब्द का उपयोग विशेषज्ञ के रूप में किया जाता है। इस शब्द का संदर्भ-उपयुक्त सही उपयोग है ट्रांसजेन्डर व्यक्ति, ट्रांस व्यक्ति, ट्रांसजेन्डर महिला, ट्रांस महिला, ट्रांसजेन्डर पुरुष, ट्रांस पुरुष, आदि।

6 ख	ट्रांस महिला या ट्रांसजेन्डर महिला	जन्म पे पुरुष जेन्डर निर्धारित किए गए, लेकिन जिनकी जेन्डर पहचान महिला की है, वे "ट्रांसजेन्डर महिला" होते हैं। "ट्रांसजेन्डर महिला" को छोटे में "ट्रांस महिला" (दो शब्द) कहा जा सकता है।
7 ख	ट्रांस पुरुष या ट्रांसजेन्डर पुरुष	जन्म पे स्त्री जेन्डर निर्धारित किए गए, लेकिन जिनकी जेन्डर पहचान पुरुष की है, वे "ट्रांसजेन्डर पुरुष" होते हैं। 'ट्रांसजेन्डर पुरुष' को छोटे में "ट्रांस पुरुष" (दो शब्द) कहा जा सकता है।
8 ख	जेन्डर नॉन-बाइनरी व्यक्ति	"नॉन-बाइनरी" जेन्डर पहचान उनकी होती है जो स्त्री-पुरुष बाइनरी को नहीं मानते। "नॉन-बाइनरी" व्यक्ति पुरुष और महिला दोनों के ही रूप में अपनी पहचान नहीं करते।
9 ख	जेन्डर डिस्फ़ोरिआ	किसी व्यक्ति की स्वयं-कथित जेन्डर पहचान और जन्म के समय उनके लिए निर्धारित सेक्स के आधार पर समाज उनकी जो जेन्डर पहचान मानता है, उसके कारण होने वाली मनोवैज्ञानिक पीड़ा [5]। ज़रूरी नहीं है कि सभी ट्रांस लोगों को जेन्डर डिस्फ़ोरिआ महसूस हो। कई लोगों को बचपन से जेन्डर डिस्फ़ोरिआ की अनुभूति हो सकती है, और वहीं कुछ को बाद में – जैसे कि यौवनारंभ के बाद।
01 ख	जेन्डर असंगति	व्यक्ति की स्वयं-कथित जेन्डर पहचान और जन्म के समय उनके लिए निर्धारित सेक्स के आधार पर समाज उनकी जो जेन्डर पहचान मानता है, उसके कारण एक चिह्नित और निरंतर असंगति महसूस होना [6]
11 ख	जेन्डर पुष्टीकरण प्रक्रियाएं	ऐसी प्रक्रियाएं जो व्यक्ति को अपनी जेन्डर पहचान पुष्ट करने में मदद करती हैं, इसमें सामाजिक (आपके चुनाव के जेन्डर के अनुसार कपड़े पहन पाना, "अपने जेन्डर अनुरूप जी पाना"), चिकित्सीय (सर्जरी, हॉर्मोन, लेज़र), और क़ानूनी (दस्तावेज़ों में अपना नाम और जेन्डर बदलना) प्रक्रियाएं शामिल हैं।
ख 12	जेन्डर निर्धारिकरण चिकित्सीय हस्तक्षेप	बाहरी सेक्स लक्षणों की सर्जरी जिससे व्यक्ति अपनी जेन्डर पहचान निर्धारित कर सके, या "वैसा दिख सके जैसे वे अंदर से महसूस करते हैं"। यह अनुशंसा की जाती है कि सेक्स पुनर्निर्धारण सर्जरी, जो पहले उपयोग किया जाता था, के बजाए, इस शब्द का उपयोग किया जाए।

ख 13	मृतनाम	वह नाम जो ट्रांसजेन्डर व्यक्ति को उनके परिवार ने दिया था, और जिससे वे जाने जाते थे। लेकिन, संभव है कि ट्रांसजेन्डर व्यक्ति अब उस नाम का उपयोग नहीं करते। वह नाम जिसे ट्रांसजेन्डर व्यक्ति ने "पीछे छोड़" दिया है या "मार" दिया है। आम तौर पर यह नाम उनके मां-बाप/ अभिभावक ने दिया होता है। नोट: रिपोर्ट करते समय, व्यक्ति से उनका "पुराना" नाम या "असली नाम" यानी मृतनाम न पूछें। यह कोई इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है जो समाज को पता होनी चाहिए, और किसी लेख में व्यक्ति का मृतनाम बताना असम्मानीय है। इसी तरह, "वो पुरुष महिला बन गया" या "महिला पुरुष बन गई" जैसे विवरणों से बचना चाहिए। प्रकाशित होने वाली रिपोर्टों में आप उसी नाम का उपयोग करें जो उन्होंने आपको बताया है।
ख 14	जेन्डर फ़्लूइडिटी (तरलता)/ जेन्डर फ़्लूइड (तरल) व्यक्ति	"जेन्डर तरलता" का मतलब है कि व्यक्ति का "निर्धारित" जेन्डर नहीं है। हो सकता है कि "जेन्डर तरल" व्यक्ति सभी जेन्डर के साथ अपनी पहचान रखते हों, अलग-अलग जेन्डर के साथ, या 2 जेन्डर के साथ (बाइजेन्डर)। (देखें: "नॉन-बाइनरी")
ख 15	सिस जेन्डर	जब व्यक्ति की जेन्डर पहचान उनके जन्म के समय निर्धारित सेक्स से मेल रखती हो। जो व्यक्ति ट्रांसजेन्डर या नॉन-बाइनरी नहीं हैं, वे "सिस जेन्डर" हैं।

ग. यौनिकता से जुड़े हुए शब्द

ग 1	यौन प्रवृत्ति	कोई व्यक्ति किस दूसरे व्यक्ति/ जेन्डर के प्रति आकर्षित होते हैं - शारीरिक, भावनात्मक, और/ या रूमानी तौर पर - उसे "यौन प्रवृत्ति" कहते हैं । जैसे कि, "विषमलैंगिक" प्रवृत्ति का मतलब है आम तौर पर पुरुष और महिला के बीच आकर्षण। "समलैंगिक" प्रवृत्ति का मतलब है दो पुरुषों या दो महिलाओं के बीच आकर्षण। नोट: "यौन प्रवृत्ति" जेन्डर पहचान से अलग होती है। उदाहरण: जिस तरह सिसजेन्डर महिला विषमलैंगिक, बाइसेक्शुअल या समलैंगिक हो सकती है, उसी तरह ट्रांसजेन्डर महिला भी विषमलैंगिक, बाइसेक्शुअल या समलैंगिक हो सकती है या विभिन्न प्रकार की यौन प्रवृत्तियों में से कोई भी हो सकती है।
ग 2	विषमलैंगिकता	आम तौर पर विषमलैंगिकता का मतलब है पुरुष और महिला के बीच यौन आकर्षण। एक "विषमलिंगी पुरुष" या "स्ट्रेट पुरुष" का महिलाओं के प्रति आकर्षण होना। "विषमलिंगी महिला" या "स्ट्रेट महिला" का मतलब है वह महिला जो पुरुषों के प्रति आकर्षित होती है।

ग 3	स म लैं गि क ता / समलिंगी	"समलैंगिकता" का मतलब है अपने ही जेन्डर के व्यक्ति के प्रति यौन आकर्षण होना। एक "समलिंगी पुरुष" या "गे" पुरुष जो पुरुषों के प्रति आकर्षित होता है; एक "समलिंगी महिला" या "लेस्बियन"' महिला जो महिलाओं के प्रति आकर्षित होती है। 'समरूमानी' का मतलब वह व्यक्ति जो अपने जेन्डर के लोगों के प्रति रूमानी/ भावनात्मक आकर्षण महसूस करते हैं। यह सिसजेन्डर और ट्रांसजेन्डर लोगों, दोनों पर लागू होता है।
ग 4	बाइसेक्शुएलिटी/ बाइसेक्शुअल	अपने जेन्डर के लोगों, और दूसरे जेन्डर के लोगों के प्रति आकर्षण होने को "बाइसेक्शुएलिटी" कहते हैं। पिछले समय में, बाइसेक्शुएलिटी को महिलाओं और पुरुष दोनों के प्रति आकर्षण के रूप में परिभाषित किया जाता था। लेकिन जैसे-जैसे जेन्डर और जेन्डर पहचान की हमारी समझ पुरुष/ महिला की बाइनरी के परे बढ़ी, बाइसेक्शुएलिटी की परिभाषा भी विकसित हुई है। "बाइसेक्शुएलिटी" का मतलब ज़रूरी नहीं कि दोनों जेन्डर के प्रति बराबर का आकर्षण होना चाहिए – बस इतना कि दोनों के प्रति उल्लेखनीय/ अर्थपूर्ण आकर्षण होना।
ग 5	पैनसेक्शुएलिटी/ पैनसेक्शुअल	विभिन्न जेन्डरों/ सभी जेन्डरों के लोगों के प्रति आकर्षण होने, या जेन्डर की परवाह किए बिना आकर्षण होने को "पैनसेक्शुएलिटी" कहते हैं। एक "पैनसेक्शुअल" व्यक्ति सभी जेन्डर के या विभिन्न जेन्डर के लोगों के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। "पैनसेक्शुएलिटी" में ज़रूरी नहीं कि सभी जेन्डर के व्यक्तियों के लिए बराबर आकर्षण महसूस हो।
ग 6	ए से क्शु अ ल / अरूमानी (एरो-एस)	"एसेक्शुअल" वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी के लिए भी यौन आकर्षण महसूस नहीं होता। नोट: कोई व्यक्ति एसेक्शुअल और अरूमानी दोनों हो सकते हैं; या फिर हो सकता है कि उन्हें केवल यौन आकर्षण महसूस होता हो, या केवल रूमानी आकर्षण, और दूसरा कोई आकर्षण नहीं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति एसेक्शुअल हो सकते हैं, लेकिन साथ ही संभव है कि उन्हें अपने ही जेन्डर के व्यक्ति के प्रति रूमानी आकर्षण हो, या इसका उल्टा भी संभव है।
ग 7	रूमानी प्रवृत्ति	"रूमानी प्रवृत्ति" का मतलब है व्यक्ति का रूमानी/ भावनात्मक आकर्षण, जो उनके यौन आकर्षण से बिल्कुल अलग है। कोई व्यक्ति "समरूमानी" हो सकते हैं, कोई "विषमरूमानी", "पैनरूमानी", "अरूमानी", आदि। ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति की रूमानी प्रवृत्ति उनकी यौन प्रवृत्ति से मेल रखती हो। जैसे कि, एक पैनसेक्शुअल व्यक्ति – मतलब जो सभी जेन्डर के लोगों के प्रति यौन आकर्षित होते हैं – वे समरूमानी हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि वे रूमानी/ भावनात्मक रिश्ता केवल अपने जेन्डर के व्यक्ति के साथ रख सकते हैं।

घ. छतरिनुमा/ समष्टीय शब्द		
घ 1	क्वीयर	"क्वीयर" एक छतरिनुमा शब्द है जिसका उपयोग उन विभिन्न यौनिक विशेषताओं, जेन्डरों और यौनकिताओं के लिए किया जाता है जो सिसजेन्डर और/ या विषमलिंगी नहीं हैं। यह एक पुनः प्राप्त किया हुआ शब्द है – पिछले समय में, इस शब्द का उपयोग गाली के रूप में उन लोगों के लिए किया जाता था जो जेन्डर और यौनिकता की सामाजिक मान्यताओं से मेल नहीं रखते थे। लेकिन एलजीबीटीआईक्यूए+ समुदाय ने इस शब्द को अपने लिए पुनः प्राप्त करते हुए, अपना वर्णन करने के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। तमिल में "पालपुथुमई" शब्द का उपयोग किया जाता है जो कि मनुष्यों की विविधता और पहचानों को समझने के लिए ज़्यादा विकसित शब्द है। यह सेक्स, जेन्डर और यौनिकता की प्रमुख और पुरानी विषमलैंगिकता-केंद्रित समझ से परे है [1]। इस शब्द में वे सभी लोग शामिल हैं जिनकी विविध सेक्स विशेषताएं, जेन्डर अभिव्यक्तियां, और यौनिकताएं हैं जो अपनी पहचान क्वीयर के रूप में करते हैं और इसमें इन विषयों की उभरती राजनीति भी शामिल है।
घ 2		एलजीबीटीआईक्यूए+ शब्द का उपयोग सामूहिक रूप से गे, लेस्बियन, बाइसेक्शुअल, क्वीयर, इंटेरसेक्स, एसेक्शुअल, पैनसेक्शुअल लोगों और अन्य ग़ैर-सिसजेन्डर तथा ग़ैर-विषमलैंगिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए किया जाता है। इस शब्द को छोटे में कभी एलजीबीटी, या एलजीबीटीक्यू , या एलजीबीटीक्यू+ के रूप में भी उपयोग किया जाता है।
च. समुदाय के लिए अन्य शब्द (4)		
1 च	अपनी पहचान उजागर करना (कमिंग आउट)	"कमिंग आउट" वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी एलजीबीटीक्यूआईए+ पहचान को दूसरे लोगों के सामने उजागर करते हैं। आम तौर पर, एलजीबीटीक्यूआईए+/ क्वीयर लोग अपने जीवनकाल में अलग-अलग लोगों के सामने कई बार "कम आउट" करते हैं। मतलब कि यह एक अकेली घटना नहीं होती। नोट: इस विषय पर आलोचना और चर्चा जारी है कि एलजीबीटीक्यूआईए+ लोगों को आखिर "कम आउट" करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है - क्योंकि समाज में यह मान्यता है कि सभी लोग, सिसजेन्डर या स्ट्रेट होते हैं, या होने चाहिए। किसी व्यक्ति की "कमिंग आउट" कहानी बताते समय, कृपया ध्यान रखें कि हर क्वीयर व्यक्ति का "कम आउट" करना ज़रूरी नहीं है – यह उनके लिए कोई तय मानक नहीं है।

च 2	मित्र (ऍलाइ)	एलजीबीटीक्यूआईए+ लोगों और समुदायों के अधिकारों का समर्थन करने वाले लोग और संस्थाएं, जो समाज में अपने विशेषाधिकारों/ स्तर का उपयोग करते हुए एलजीबीटीक्यूआईए+ अधिकारों, समुदायों और मुद्दों को बढ़ावा देते हैं। नोट: आदर्श रूप से "ऍलाइ" की पहचान समुदाय/ समुदायों द्वारा उनकी कार्यवाही के आधार पर की जानी चाहिए। ऍलाइ होने की ख़ुद घोषणा करने का कोई ख़ास मतलब नहीं होता यदि व्यक्ति की गतिविधियां और बातें उन समुदायों को दु:ख पहुंचाती हों, जिनको वे सहयोग करने का दावा कर रहे हैं। किसी सिसजेन्डर और विषमलैंगिक व्यक्ति की मैत्री की स्व-घोषणा को तब तक गंभीरता से न लें जब तक कि आप एलजीबीटीक्यूआईए+ समुदाय से पुष्टि न कर लें कि क्या वे असल में उस व्यक्ति को सहयोगी मित्र के रूप में देखते हैं या नहीं।
च 3	क्वीयर प्राइड परेड/ सतरंगी प्राइड परेड	"क्वीयर प्राइड परेड" या "सतरंगी प्राइड परेड" या "एलजीबीटीक्यूआईए+ प्राइड" में एलजीबीटीक्यूआईए+/ क्वीयर संस्कृति का उत्सव मनाया जाता है और एलजीबीटीक्यूआईए+ अपनी पहचानों के प्रति आत्म-सम्मान व्यक्त करते हैं। इन उत्सवों का उपयोग अक्सर क्वीयर समूहों को दृश्यता देने, और क्वीयर समुदायों के लिए अधिकारों की मांग के मंच के रूप में किया जाता है।
च 4	रूपांतरण चिकित्सा (कन्वर्ज़न थेरपी), एस ओ जी आई ई - बदलाव के प्रयास	लोगों को क्वीयर से विषमलैंगिक, ट्रांस से सिसजेन्डर, या जेन्डर ग़ैर-अनुरूपी से जेन्डर अनुरूपी में "बदलने" या "रूपांतरण" करने की प्रक्रियाएं। इनमें से कुछ तरीके अंधविश्वासों और धर्म-आधारित मान्यताओं से प्रेरित होते हैं। यह प्रक्रियाएं अनैतिक, ग़ैर-क़ानूनी और अवैज्ञानिक होती हैं जिन्हें तमिल नाड में प्रतिबंधित कर दिया गया है।

Sources and Further Reading

Queer Chennai Chronicles (QCC), QCC and TNM Media Guide Glossary Section.

C Moulee (he/him/6ir), Co-Founder Queer Chennai Chronicles

Ragamalika Karthikeyan (he/she/6ir/m), Editor - Special Projects and Experiments, The News Minute (TNM)

Gireesh (he/him/6ir), Writer & Poet. Editor - Queer Chennai Chronicles

Narayani Subramanian (she/her/m), Writer & Marine Researcher.

Nadika Nadja (she/they/m/6), Writer. Member - Sampoorna Working Group

Senthil (he/him/6ir), Program Director - Queer Chennai Chronicles.

https://www.paalputhumai.com/resources/lgbtqia-terms-in-tamil/

https://www.thenewsminute.com/article/understanding-lgbtq-exhaustive-explainer-gender-and-sexual-identities-44439

Volunteers from Orinam collective and online resources on www.orinam.net including http://orinam.net/resources-for/friends-and-family/terminology/

http://orinam.net/resources-for/media/orinam-media-kit/

Personal communication: intersex activist Vino from Intersex Human Rights India

UNESCO has collated research globally (including from India) on how gender-nonconforming children are at high risk of bullying in educational institutions, often leading to dropping out. https://en.unesco.org/themes/school-violence-and-bullying/homophobic-transphobic-violence

http://orinam.net/sahodaran-unesco-bullying-tamilnadu/

Gender dysphoria definition adapted from American Psychiatric Association's DSM-V https://www.psychiatry.org/patients-families/gender-dysphoria/what-is-gender-dysphoria

Gender incongruence definition adapted from World Health Organization's ICD-11

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/gender-definitions/whoeurope-brief-transgender-health-in-the-context-of-icd-11

Suicide bid
Lesbian tries to kill sel
রূপান্তরকামী সমাজকর্মী সঙ্গীতার দেহ উদ্ধার, তদন্ত
হোটেলে উদ্ধার বেহুঁশ দুই তরুণী
দুই বান্ধবীর ছিন্নভিন্ন দেহ উদ্ধার রেললাইনে
বেহালার ফ্ল্যাটে অভিনেত্রীর ঝুলন্ত দেহ
Lesbian attempt

उल्लेख/ रेफरेंस

21 OCT 2020
সম্পর্ক মানেনি পরিবার, আত্মহত্যার চেষ্টা ২ ছাত্রীর
দুই বান্ধবীর ছিন্নভিন্ন দেহ উদ্ধার রেললাইনে
উদ্ধার রেললাইনে
বেহালার ফ্ল্যাটে অভিনেত্রীর ঝুলন্ত দেহ
দুই ছাত্রীর দেহ
ঝুলন্ত দেহ মিলল দুই স্কুলছাত্রীর
আউশগ্রামের চণ্ডীপুরের
ঘটনা। পুলিশের ধারণা, তারা
আত্মঘাতীই হয়েছে। তবে, মৃত্যুর
কারণ স্পষ্ট নয়। তারা খুবই ভাল
বান্ধবী ছিল। বুধবার রাতেও
তারা এক সঙ্গে রাতে রান্না করে
খাওয়াদাওয়া সারে। এর পরে
'আসছি' বলে বাইরে বেরিয়ে
যায়। বৃহস্পতিবার ভোরে গাছের
ডালে তাদের ঝুলতে দেখা যা
Lesbian attempt
CHAFED BY her fam
tion to her same sex
18-year-old girl on W
tempted suicide by co
secticide and was a
nursing home in K
here. The two, who h
in the same locality
each other for so
"solemnised," the
Shiva temple in Kan
for which the girl brought her 20-
year-old "bride" with sindoor
(vermillion) on her head to live in
her Jawaharpuri house on Tues-
day evening. Doctors attending on
her said she was out of danger
but kept under observation.
গঞ্জনা অসহ্য হওয়ায় আত্মহত্যা ডানপিটে মেয়ের
uicide bid
MEERUT, Jan. 11. — An 18-
year-old girl today attempted
suicide by consuming insec-
ticide and was admitted at a
nursing home in Kankerkh-
era here. She had grown up
in the same locality with her
partner and "solemnised"
their same-sex marriage at a
Shiva temple in Kanke-
rkhera. The family disappro-
ved of the union and locked
the girl in a room where she
রিকল্পনা করেই 'সহমরণ'
angladesh branch of al-Qaeda
aims killing of LGBT editor
Lesbian tries to kill sel
a homosexual, tried to c
suicide in Amritsar on T
after her partner, Mala,
with a man. Raju and So
hit headlines in 2004 wh
came out of the closet a
openly got "married". Ra
রূপান্তরকামী সমাজকর্মী
সঙ্গীতার দেহ উদ্ধার, তদন্ত

Books, reports and articles

Arasu, P., & Thangarajah, P. (2012). Queer Women and Habeas Corpus in India: The Love that Blinds the Law. *Indian Journal of Gender Studies*, *19* (3), 413-435.

Biswas, R., Banerjea, N., & Rukmini Banerjee, S. B. (2016). Understanding Liveability/Ies.

'Breaking the Binary: Understanding Concerns and Realities of Queer Persons Assigned Gender Female at Birth Across a Spectrum of Lived Gender Identities,' A Study by LABIA – A Queer Feminist LBT Collective (April 2013) http://orinam.net/breaking-the-binary-labia-study/

Fausto-Sterling, A. (2000). *Sexing the body: Gender politics and the construction of sexuality*. Basic books.

Fernandez, B., & Gomathy, N. B. (2009). Nature Of Violence Faced By Lesbian Women In India. Tata Institute of Social Sciences.

Kessler, S. J. (1990). The medical construction of gender: Case management of intersexed infants. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, *16*(1), 3-26.

Panchal TJ and Ajgaonkar V. (2015) *Let Them Fly: A Multi-Agency Response to Child Marriages in Haryana*. Resource Centre for Interventions on Violence Against Women, Tata Institute Of Social Sciences, Supported by Government of Haryana.

Ranade, K. (2018). *Growing up gay in urban India*. Springer Singapore.

Richardson, S. S. (2013). Sex itself. In *Sex Itself*. University of Chicago press.

Shah, C., Merchant, R., Mahajan, S., & Nevatia, S. (2015). *No outlaws in the gender galaxy*. Zubaan.

News articles and web resources

A Study of Kothi and Hijra Sex-workers in Bangalore. Report by People's Union of Civil Liberties, Karnataka (PUCL-K). 1st september 2003. Avl. at http://www.pucl.org/reports/human-rights-violations-against-transgender-community

Balaji, R. *Central Govt. opposes legalisation of same-sex marriages*. 17th April 2023. The Telegraph, Online. Available at https://www.telegraphindia.com/india/central-govt-opposes-legalisation-of-same-sex-marriages/cid/1922035

Bose, Nayanika. Shaikh, Zeeshan and Deshpande, Alok. *4 months, 50 rallies in Maharashtra, one theme: 'Love Jihad', 'land jihad' and economic boycott.* 30th March 2023, The Indian Express. Avl. at https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/4-months-50-rallies-in-maharashtra-one-theme-love-jihad-land-jihad-and-economic-boycott-8507077/

'Children of Same-sex Couples not at Disadvantage': Indian Psychiatric Society. 10th April 2023. The News Minute. Avl. at https://www.thenewsminute.com/article/children-same-sex-couple-not-disadvantage-indian-psychiatric-society-dcpcr-175704

Cris. *Kerala court orders Relief for trans woman in case filed under Domestic Violence Act.* 4th November 2022. The News Minute. Avl. at https://www.thenewsminute.com/article/kerala-court-orders-relief-trans-woman-case-filed-under-domestic-violence-act-169608

Datta, Sayantan. *NCRT removes Teacher-Training Manual on Transgender-Inclusive School Education after Backlash.* 10th November 2023. The Wire. https://thewire.in/lgbtqia/ncert-removes-teacher-training-manual-on-transgender-inclusive-school-education-after-backlash

DCPCR Supports Pleas Seeking Legal Recognition of Same-sex Marriages. 6th April 2023. Outlook. Avl. at https://www.outlookindia.com/national/dcpcr-supports-pleas-seeking-legal-recognition-of-same-sex-marriages-news-276553

Gokhale, Omkar. *Transgender Person who identifies as a woman eligible for relief under Domestic Violence Act: Bombay HC.* 3rd April 2023. The Indian Express. Avl. at https://indianexpress.com/article/cities/

mumbai/hc-transgender-person-becoming-woman-surgery-relief-domestic-violence-act-8530307/

International Planned Parenthood Federation (IPPF). *IPPF Framework for Comprehensive Sexuality Education (CSE)*. January 2010. Avl. at https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_framework_for_comprehensive_sexuality_education.pdf

Modi, Chintan Girish. *NCERT releases Training Material to sensitise teachers, administrators about transgender, gender non-conforming children.* 1st November 2021. Avl. at https://www.firstpost.com/art-and-culture/ncert-releases-training-material-to-sensitise-teachers-administrators-about-transgender-gender-nonconforming-children-10101731.html

MS, Eeshanpriya. *Intercaste Out, Panel will track only Inter-faith Marriages.* 29th December, 2022. The Indian Express. Avl. at https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/intercaste-out-panel-will-track-only-interfaith-marriages-says-maharashtra-8327210/

Plea against same-sex marriage. 17th April, 2023. The Telegraph, Online. Available at https://www.telegraphindia.com/india/plea-against-same-sex-marriage/cid/1928728

Roy, Esha. *Child rights panel opposes plea seeking changes in adoption law by gay couples.* 14th April, 2023. The Indian Express. Avl. at https://indianexpress.com/article/india/child-rights-panel-opposes-plea-seeking-changes-in-adoption-law-for-gay-couples-8555308/

Rao, R Raj. *When the Shiv Sena attacked Dilip Kumar for supporting Deepa Mehta's 'Fire',* 8th July 2021. Scroll.in. Avl at https://scroll.in/reel/999583/when-the-shiv-sena-attacked-dilip-kumar-for-supporting-deepa-mehtas-fire

Singh, Anisha. *Homosexual Attraction Natural in Adolescents, Says Health Ministry Sex Education Kit.* 22nd February, 2017. NDTV. Avl. at https://www.ndtv.com/education/sex-education-kit-prepared-by-health-ministry-says-homosexual-attraction-natural-in-adolescents-1662233

Yadav, J.P. *RSS backs Govt. on Same-sex Marriage.* 15th April 2023. The Telegraph Online. Avl at https://www.telegraphindia.com/india/rss-backs-govt-on-same-sex-marriage/cid/1922530

Extended bibliography - community resources, study reports, books and articles [in chronological order]

‘Humjinsi: A Resource Book on Lesbian, Gay and Bisexual Rights in India’, Edited and Compiled by Bina Fernandez, India Centre for Human Rights and Law (1999)

‘Lesbian Suicides and the Kerala Women’s Movement’, Paper presented at Hyderabad Young South Indian Feminists Conference, Deepa Vasudevan, Sahayatrika, (2001)

Sharma, M. (2006). *Loving women: Being lesbian in unprivileged India*. Yoda Press.

‘Rights in Intimate Relationships: Towards an Inclusive and Just Framework of Women’s Rights and the Family’, Partners for Law in Development (2010)

‘Documenting and Mapping Violence and Rights Violations Taking Place in Lives of Sexually Marginalized Women to Chart Out Effective Advocacy Strategies’, Sappho for Equality (2011) https://www.sapphokolkata.in/public/research_reports/1677858525.pdf

‘Towards Gender Inclusivity: a study on contemporary concerns around gender’. 2013 http://orinam.net/towards-gender-inclusivity-sunil-mohan-and-sumathi-murthy/

‘Submissions by LBT Women’s Groups to the Law Commission of India (2018)’ http://orinam.net/lci-response-lbt-2018/

‘Happy Together: Law and Policy Concerns of LGBTQI Persons and Relationships in India’, Centre for Health Equity, Law and Policy, (2021) https://lc.linkedin.com/posts/vivek-divan-8668b63_happy-together-law-policy-lgbtqi-relationships-activity-7040276021123723265-QluB

Sharma, M. (2022). *Footprints of a Queer History: Life Stories from Gujarat.* Yoda Press.

Ghosh, S. (Akanksha) & Ghosh, K. (2023). ‘Gender Chemistry : Non-Binary Life Scripts’ (Anthology). Sappho for Equality.